भारतीय जनता पार्टी

1980-2005

नीति दस्तावेज

पार्टी दस्तावेज

खंड-4

नीति दस्तावेज

भारतीय जनता पार्टी

नीति दस्तावेज

पार्टी दस्तावेज

खंड-4

भारतीय जनता पार्टी

1980-2005

प्रकाशक
भारतीय जनता पार्टी
11 अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001 (भारत)

अ.मा.पु.स. 81-89480-03-0
नीति दस्तावेज

संस्करण
प्रथम, 2005

मूल्य
500.00 रु. (रुपए पाँच सौ मात्र)

मुद्रक
ग्राफिक वर्ल्ड, नई दिल्ली

POLICY DOCUMENTS

Published by
Bharatiya Janata Party
11 Ashok Road,
New Delhi-110 001 (INDIA)

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

की स्मृति को समर्पित

अध्यक्षीय कथन

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में हुई। 2005 का वर्ष पार्टी का रजत जयंती वर्ष है। पार्टी के आधिकारिक दस्तावेजों का प्रकाशन इस वर्ष की बड़ी परियोजनाओं में से एक है।

देश की प्रमुख पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वह लोगों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और स्वयं इतिहास को पार्टी के विकास-क्रम का आधिकारिक विवरण दे। इन दस्तावेजों में पार्टी के विकास-क्रम के पदचिह्न देखे जा सकते हैं। उससे देश की विकासशील राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिदृश्य की झलक भी मिलेगी।

पार्टी दस्तावेज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री इस समिति* के अध्यक्ष हैं और पत्रकार व पूर्व सांसद श्री दीनानाथ मिश्र इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो दस्तावेजों के संकलन और प्रकाशन व बहुविध गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं।

इन ग्रंथों की प्रस्तुति के समय मुझे श्री राजेंद्र शर्मा की सुखद याद आ रही है जो दशकों तक संसदीय दल के सचिव के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने ही जनसंघ के दस्तावेजों को प्रकाशित करने की पहली बार परिकल्पना की थी। वह दस्तावेजों को बड़ी सावधानी से और व्यवस्थापूर्वक रखते थे। तब दस खंडों में जनसंघ-दस्तावेज प्रकाशित हुए थे।

वैसे तो रजत जयंती प्रकाशनों में मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के काल पर ही दृष्टि केंद्रित होगी, लेकिन साथ-ही-साथ जनसंघ के दस्तावेजों को अद्यतन किया जाएगा और उसमें आपातस्थिति के बाद के जनता पार्टी-चरण को भी समाहित किया जाएगा, ताकि एक सातत्य बना रहे।

28 मार्च, 2005

(लालकृष्ण आडवाणी)
अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

* शोक है कि 17 अप्रैल, 2005 को शास्त्रीजी का निधन हो गया।

विषय-सूची

और देश को सुशासन देने का कारगर साधन बनाने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित कर दें। — आइए, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांझा घोषणा-पत्र को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करें। — नई शताब्दी के अवसर पर नया संकल्प — आइए, 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने के लिए हम कदम बढ़ाएँ। — भूमिका — राष्ट्र के रूप में हमारा स्थान — कांग्रेस कुशासन के परिणाम भुगतने पड़े — राजनीतिक संस्कृति प्रदूषित हुई — पार्टी के रूप में हमारा स्थान — राजग : राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सामंजस्यपूर्ण रूप — हमारी सरकार की उपलब्धियों का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड — हमारी अंतर्भूत शक्ति — हमारा उत्तरदायित्व—देश को एक नई राजनीतिक संस्कृति प्रदान करें — आदर्श भाजपा कार्यकर्ता — हम किसी क्षण भी अपने लक्ष्य से न भटकें — हमारा संकल्प — पार्टी के समक्ष करणीय कार्य — अर्थव्यवस्था एवं विकास के क्षेत्र में शासन के समक्ष करणीय कार्य — जनता का कर्तव्य

आर्थिक विकास के प्रति मानवीय उपागम-संबंधी वक्तव्य — विचार-दृष्टि — हमारी दिशा — हमारी प्रतिबद्धता — एकीकृत ग्रामीण विकास — कृषि एवं ग्रामीण विकास — गोसंवर्धन तथा पशुधन का विकास — वन नीति — सामाजिक वानिकी — देशव्यापी कृषि — प्रौद्योगिक प्रणाली — औद्योगिक क्षेत्र — हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योग — लघु उद्योग क्षेत्र — बड़े उद्योगों का क्षेत्र — सरकारी क्षेत्र — सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य — विदेशी पूँजी — पूर्ण रोजगार तथा औद्योगिक संबंध — रोजगार के अवसर उत्पन्न करना — निर्गमन-नीति — औद्योगिक संबंध — सहकारी आंदोलन — कृषि सहकारी समितियाँ — शिल्पियों की सहकारी समितियाँ — महिलाओं की सहकारी समितियाँ — अनुसूचित जाति तथा जनजातीय सहकारी समितियाँ — मत्स्यपालन सहकारी समितियाँ — आवास सहकारी समितियाँ — दुग्ध-उत्पादन सहकारी समितियाँ — फल और सब्जी की सहकारी समितियाँ — आधारभूत संरचना — ऊर्जा-नीति — परिवहन-नीति — संचार-नीति — आम आदमी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी — मुद्रा और बैंकिंग नीति — वाणिज्यिक बैंक — विदेशी बैंक — विकास बैंक — सहकारी बैंक — आवास बैंक — राजकोषीय नीतियाँ — ऋण-प्रबंध — सरकारी व्यय — कराधान उपाय — भुगतान-संतुलन — विदेशी व्यापार — अनिवासी भारतीय — पर्यटन — अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग — गैट वार्ता — डंकल प्रस्ताव — मूल्य-नियंत्रण और कल्याणकारी उपाय — मूल्य-नियंत्रण — सार्वजनिक वितरण प्रणाली — उपभोक्ता संरक्षण — कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और और महिलाओं के बारे में नीति —

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

मुंबई 22-26 जून, 2004

चिंतन दस्तावेज भावी कार्य

तात्कालिक और दीर्घकालिक

'भावी कार्य' (टास्क्स अहेड) नामक चिंतन दस्तावेज का प्रारूप 22 से 24 जून को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। गोआ में संपन्न पार्टी की चिंतन बैठक में वरिष्ठ नेताओं के विचार-विमर्श में उभरे विचारों तथा सुझावों को इसमें समाहित किया गया है। इसमें पार्टी के सम्मुख तात्कालिक और दीर्घकालिक चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने हेतु तथा समग्र रूप से उसे जीवंत बनाए रखने के लक्ष्य को पूरा करने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अब यह दस्तावेज 25 सितंबर, 2004 (पं. दीनदयाल उपाध्यायजी की जन्मतिथि) से 11 फरवरी, 2005 (उनकी पुण्यतिथि) तक देशभर के प्रदेश, जिला और मंडल कार्यकारिणी के सदस्यों की होनेवाली चिंतन-बैठकों में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। विचार-विमर्श के पश्चात् पार्टी की प्रत्येक इकाई इस दस्तावेज में उल्लिखित विभिन्न भावी कार्यों के आधार पर एक 'ऐक्शन पेपर' तैयार करेगी, जिसमें इस बात का विशेष उल्लेख होगा कि उठाए जानेवाले कदमों के संबंध में उस इकाई के ऊपर की इकाई से अपेक्षा की जाती है कि वह पहलेवाली इकाई द्वारा लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करती रहेगी।

प्रस्तावना

किसी भी जीवंत और ध्येय-समर्पित संगठन के लिए बढ़ोतरी जीवन का एक अंग है। इस बढ़ोतरी की प्रक्रिया में ऐसे सभी संगठनों को मुश्किलों तथा कमियों से जूझना पड़ता है। संख्यात्मक विस्तार के चलते गुणात्मक कमजोरियाँ भी आती

हैं, जिन्हें यदि नियंत्रित नहीं किया जाता अथवा सुधारा नहीं जाता तो यह आगे की बढ़ोतरी को रोक सकती हैं और पतन का कारण भी बन सकती हैं। हालाँकि ऐसा संगठन, जिसे अपने अस्तित्व के उद्देश्य का पता है और जो लगातार अपने उस लक्ष्य को स्मरण रखता है जिसके लिए उसकी स्थापना हुई है, ऐसी कमजोरियों को ध्यान में लाने से नहीं चूकता और आवश्यक सुधार कर वह इन पर विजय पा लेता है।

नौवें दशक के अंत से पार्टी की चमत्कारिक बढ़ोतरी के चलते संगठन में अनेक कमियाँ भी आई हैं। ये हमारी पार्टी के आदर्शों और उद्देश्यों, हमारी विशिष्ट अलग विचारधारा तथा हमारे मार्गप्रदर्शक संगठनात्मक सिद्धांतों तथा मूल्यों से मेल नहीं खातीं। इन्हें दूर करने की आवश्यकता स्पष्टतया काफी लंबे समय से महसूस की जा रही है। हाल ही के लोकसभा चुनावों में पार्टी को मिली विफलता ने हमें इन कमियों की व्यापकता और गंभीरता से न केवल परिचित कराया, अपितु इन्हें सुधारने की तत्काल आवश्यकता के प्रति भी सचेत किया है।

यह चिंतन दस्तावेज और समयोजित कदम, जो उपरोक्त लक्ष्यों को पाने के लिए उठाए जाएँगे, इसका प्रमाण हैं कि भाजपा एक ऐसा संगठन है जो बढ़ोतरी और आत्मसुधार की दोहरी रणनीति से युक्त है। यह दस्तावेज मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और उसके आगे भी एक बहस शुरू करने का प्रयास है, जो हमें चार मोरचों के लिए करनी है— वैचारिक मोरचा, संगठनात्मक मोरचा, विधायिका और शासकीय मोरचा तथा राजनीतिक मोरचा।

□

वैचारिक मोरचा

विचारधारा और आदर्शवाद की प्रमुखता की पुनर्प्रतिष्ठा—

1. भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की तरह मात्र सत्ता पाने के लिए सत्ता में नहीं आना चाहती, बल्कि यह एक ऐसे बृहद् आंदोलन का अंग है, जो हिंदुत्व (सांस्कृतिक राष्ट्रवाद) की विचारधारा से संचालित है और जिसका उद्देश्य देश का सर्वांगीण राष्ट्रीय पुनरुद्धार है। हमें अपनी विशिष्ट वैचारिक पहचान बताने में तथा समान विचारोंवाले राष्ट्रवादी संगठनों से हमारे संबंधों और हमारी सभ्यता के शाश्वत तथा सार्वदेशिक मूल्यों से प्रेरित समग्र सामाजिक प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बारे में बताते समय रक्षात्मक अथवा क्षमाप्रार्थी नहीं होना चाहिए।
   इसके विपरीत, हमें उन सभी विचारधाराओं और राजनीतिक शक्तियों, विशेषकर कांग्रेस तथा कम्युनिस्टों, के विरुद्ध एक सशक्त ठोस आक्रामक

अभियान छेड़ना चाहिए, जो हमारे राष्ट्र की मूलभूत पहचान 'हिंदुत्व' को नकारते हैं, जिन्होंने अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को पतित कर दिया है, तथा जिनके लिए हमारी पार्टी और हमारे बृहद् आंदोलन को 'सांप्रदायिक' कहकर बदनाम करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि वे अपनी भाजपा-विरोधी रणनीति चलाते रहें, जबकि उनके हाथों में हमारी मातृभूमि की नियति सुरक्षित नहीं है। जहाँ तक भाजपा का संबंध है, उसके लिए 'हिंदुत्व', 'भारतीयता' और 'ईंडियननेस' का एक समानार्थी संदर्भ है। इन तीनों में से भाजपा किसी एक विशेष शब्द का उपयोग करने का कोई आग्रह नहीं रखती।

सेक्युलरिज्म के प्रति हमारी प्रतिबद्धता—भारत की सेक्युलरिज्म के लिए प्रतिबद्धता हिंदू दर्शन या सोच में निहित है, जिसमें मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और जो स्पष्ट रूप से मजहबी राज्य की अवधारणा को अस्वीकार करता है। हम 'सभी को न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं' की अपनी नीति पर अटल हैं। हम अपने को भारतीयता के बंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, जो जाति, वर्ण, मजहब, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को जोड़ती है। अपनी विशिष्ट वैचारिक पहचान प्रस्तुत करते हुए हमारा सतत प्रयास होगा कि हमारे विरोधियों द्वारा हमारी विचारधारा की प्रचारित की गई संकीर्ण छवि को हम सही परिप्रेक्ष्य में रखें। इस प्रचार ने भाजपा और हमारे उस बृहद् आंदोलन को क्षति पहुँचाई है जिसके हम अंग हैं। देशहित हमारी विचारधारा का मूल मंत्र है।

2. भाजपा एक प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है जो समानता के आदर्शों, सहयोग, सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, लैंगिक न्याय (समानता), अंत्योदय, पर्यावरण की सुरक्षा, पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों का संरक्षण और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, जो मानवीय मूल्यांकन की अनिवार्य पूर्वशर्त है, पर आधारित होगा। हम वर्गसंघर्ष या जातीय संघर्ष के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते। हम 'सर्वे जनाः सुखिनो भवंतु' (सभी प्रसन्न रहें) के लक्ष्य में विश्वास रखते हैं।

   राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की एकता व अखंडता की अक्षुण्णता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। स्वदेशी धारणा पर आधारित तथा भारत और विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से उपलब्ध अवसरों तथा संपूर्ण संसाधनों का उपयोग करते हुए देश के चहुँमुखी और तीव्र विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों सहित विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण समय-समय पर पारित हमारे

प्रस्तावों में प्रकट होता रहा है। इसका ताजा उदाहरण चौदहवीं लोकसभा के चुनावों के पूर्व जारी हुआ भाजपा का 'दृष्टिकोण दस्तावेज' है।

उपरोक्त वर्णित सभी आदर्श और प्रतिबद्धताएँ पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए 'एकात्म मानववाद' के विचार में वर्णित है, जो भाजपा की मार्गप्रदर्शक भविष्य दृष्टि है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं और सभी स्तरों के पदाधिकारियों को 'एकात्म मानववाद' का अर्थ समझने हेतु प्रोत्साहित करना और इसे लेकर आगे बढ़ना—पार्टी के सम्मुख एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक कार्य है।

3. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे समूचे पार्टी-संगठन को यह अहसास होना आवश्यक है कि हम एक बृहद् हिंदुत्वप्रेरित आंदोलन के अविभाज्य अंग हैं, और राष्ट्र-निर्माण के एक उच्च लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्तिगत स्वार्थों को इस उद्देश्य से ऊपर रखता है तो पार्टी में उसके रहने का कोई कारण नहीं हैं। संगठन से बड़ा कोई नहीं है। बार-बार देखने में आया है कि जब कार्यकर्ता और पदाधिकारी किन्हीं महान विचारों से संचालित नहीं होते और जब वे व्यापक लक्ष्य के प्रति भावनात्मक रूप से प्रेरित नहीं है और वे उन उद्देश्यों तथा स्वार्थों के सामने घुटने टेक देते हैं, जो हमारी परंपरा से मेल नहीं खाते और हमारे आंदोलन के लिए नुकसानदायक हैं तो यही मुख्य कारण बनता है पार्टी संगठन में अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियों के पैदा होने का, जैसे जातीय पहचान का आग्रह, स्वकेंद्रित व्यवहार, अनुशासन के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन, परस्पर विश्वास की कमी से हीन भावना और सहयोग का कमजोर होना तथा स्वार्थों के लिए सत्ता की चाह।

इस व्याधि का उपचार इस बात में है कि भाजपा के संस्थापक विचारों और उद्देश्यों के प्रति फिर से हम अपने को प्रतिबद्ध करें। हमें यह जागृति जमीन से जुड़े पार्टी-कार्यकर्ताओं से लेकर ऊपर तक विभिन्न प्रशिक्षण, शैक्षणिक और ओरिएंटेशन कार्यक्रमों के माध्यम से तथा इन सबसे ऊपर पार्टी पदाधिकारियों के व्यक्तिगत आचरण के माध्यम से लानी है। आदर्शों और विचारधारा की प्रमुखता को पुनर्स्थापित करना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि समर्पित और अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसरवादी व्यक्तियों तथा कैरियरस्टिों से अलग रखा जा सके तथा निःस्वार्थ काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों से बचाना है, जो इस सोच से संचालित होते हैं कि 'इसमें मेरे लिए क्या है?' साथ ही ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान करनी है, जो अच्छे और बुरे वक्त में पार्टी के साथ रह सकें तथा उसके लिए त्याग कर सकें। हमें अपने कार्यकर्ताओं

को यह सोचने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए कि "मैंने पार्टी को क्या दिया है" बजाय यह सोचने के कि "पार्टी ने मुझे क्या दिया है।" इसलिए सदैव हमारा ध्येय रहना चाहिए—राष्ट्र पहले, फिर पार्टी, और उसके बाद हम। हमारे राष्ट्र के सम्मुख इन विशाल चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते, जब तक हमारे पार्टी संगठन में उनलोगों की भरमार रहेगी, जिनकी कोई बुनियादी प्रतिबद्धता आदर्शवाद और विचारधारा के प्रति नहीं है।

4. भाजपा की पाँच मूलभूत प्रतिबद्धताएँ (पंचनिष्ठाएँ) उसके संविधान में वर्णित की गई हैं। ये हैं—राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता; लोकतंत्र; समतायुक्त तथा शोषणमुक्त समाज; सर्वधर्म समभाव (पॉजिटिव सेक्युलरिज्म); और मूल्याधारित राजनीति। अपनी विचारधारा को अभिव्यक्त करनेवाली इन मूल प्रतिबद्धताओं को हमने अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए विगत वर्षों में पर्याप्त रूप से प्रयास नहीं किए। अतएव इनको और स्पष्ट करना तथा लोकप्रिय बनाना एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है, जिसे प्रत्येक स्तर पर चलाया जाना जरूरी है, ताकि पार्टी संगठन में विचारधारा की प्रधानता फिर से स्थापित हो सके।

□

संगठनात्मक मोरचा संबंधी भावी कार्य

जनसमर्थन आधारित (मासबेस्ड) पार्टी की विशिष्टता को सुदृढ़ कार्यकर्ता नेटवर्क के साथ मिलाना

भाजपा की शक्ति इसी बात में निहित है कि जनसमर्थन आधारित पार्टी के गुणों के साथ-साथ सुदृढ़ कार्यकर्ता नेटवर्क को मिलाकर इसे अद्वितीय रूप प्रदान किया जाए। इस ताकत को आनेवाले दिनों में और भी बढ़ाया जाएगा। इसमें भाजपा के सामान्य जनाधार का विस्तार किया जाएगा और साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की वाहिनी को बढ़ाया जाएगा और समृद्ध किया जाएगा।

1. सामूहिकता, पारस्परिकता और संवाद—

   सामूहिकता, पारस्परिकता और संवाद—ये तीन ऐसे सिद्धांत हैं, जो भाजपा की संगठनात्मक संस्कृति की परिभाषा को दर्शाते हैं। इन सिद्धांतों से यह सार निकलता है कि हम एकजुट हों, मिलकर सोचें, मिलकर काम करें। इनसे समान लक्ष्य और उद्देश्य को जगाने में मदद मिलती है, जिनसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है।

   संवाद के लिए आवश्यक पारस्परिकता के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

इसके लिए आवश्यक है कि हम परस्पर स्नेह और विश्वास का वातावरण तैयार करें। ऐसे ही माहौल में यह संभव हो सकेगा कि हम एक-दूसरे की व्यक्तिगत विशेषताओं की प्रशंसा कर सकें और बगैर किसी गलतफहमी या भय के, एक-दूसरे की कमजोरियों को इंगित कर सकें। पार्टी के सहयोगी की अच्छाइयों की चर्चा सभी जगहों पर करनी चाहिए। जब बात उसकी कमजोरियों की हो तो यह व्यक्तिगत रूप से, समुचित ढंग से तथा मैत्रीभाव से होनी चाहिए। इस प्रकार के संगठनात्मक व्यवहार से न सिर्फ अनुशासन, अपितु आत्मानुशासन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और इससे व्यवहार में भी सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

2. हमारे कामकाज की शैली हमारी विचारधारा का अंग है—
सफलता के इन सुधारात्मक उपायों को सफल बनाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि व्यक्तिगत आचरण और कामकाज की शैली, जो हमारी विचारधारा का अंग है, के प्रति भाजपा चिंतित है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को व्यवहार के मानदंड और कामकाज की शैली को लेकर भी मापना होगा।

3. प्रतिबद्धता और जवाबदेही—पार्टी के प्रति, न कि किसी व्यक्ति के प्रति—
पार्टी को हर स्तर पर इस प्रकार से काररवाई करनी होती है कि जिन व्यक्तियों को पद और जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं, उनकी मुख्य रूप से प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति हो, न कि किसी व्यक्ति या किसी समूह के प्रति। जो व्यक्ति दूसरी श्रेणी में आते हैं, उनकी निष्ठा और जवाबदेही सामान्यतः किसी समूह या संबंधित व्यक्ति के प्रति रहती है, न कि पार्टी के प्रति। इसके कारण संगठन कमजोर और विखंडित हो जाता है और वह पार्टी के सामने खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर, विश्वासपूर्वक और दृढ़ संकल्प-शक्ति के साथ संगठित होकर लोगों के पास जाने में अक्षम रहता है। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें 'पार्टी पहले' की भावना स्वतःस्फूर्त हो और जो कार्यकर्ता व्यक्तिगत निष्ठाएँ साधने का मोह रखते हों वे यह देख सकें कि 'गणेश परिक्रमा' करने से कोई लाभ नहीं होगा और ऐसा न करने से कोई नुकसान भी नहीं होगा। पार्टी की गतिविधियाँ पार्टी कार्यालयों में केंद्रित रहें, न कि नेताओं के घरों या अन्य स्थानों पर।

4. अनुशासनहीनता की समाप्ति की आवश्यकता—
अभी आवश्यकता इस बात की है कि अनुशासन और आत्मानुशासन की

संस्कृति को नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी स्तरों पर शुरू किया जाए। यह अनुमान तेजी से फैल रहा है कि अनुशासनहीनता की गतिविधियों को क्षमा कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि पार्टी-विरोधी गतिविधियों के गंभीर मामलों की भी अनदेखी कर दी जाएगी। इस कारण हमारे संगठन को काफी क्षति पहुँची है। पहले आम जनता भाजपा को 'अनुशासित नेताओं और कार्यकर्ताओं की पार्टी' मानती थी और प्रशंसा करती थी; यहाँ तक कि हमारे वैचारिक तथा राजनीतिक विरोधी भी इसे स्वीकार करते थे। हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इसके लिए सतत प्रयास करने होंगे कि लोगों की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें और भाजपा 'एक अलग पार्टी' की पहचान को पुनर्स्थापित करे।

मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायत प्रकट करना अनुशासनहीनता की ही एक प्रवृत्ति है। जाने या अनजाने पार्टी के कुछ लोग संगठनात्मक मामलों की चर्चा मीडिया से करने लगते हैं। इससे पार्टी की छवि और आंतरिक संप्रक्तता को काफी हानि पहुँचती है।

कई बार पार्टी में संवाद और शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था के अभाव में पार्टी-कार्यकर्ता अनुशासन भंग करते हैं और गलतियाँ करने लगते हैं। इसलिए हमें अपनी पार्टी के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, ताकि कार्यकर्ता और पदाधिकारी समुचित मंचों पर मुक्त रूप से अपनी शिकायतें रखकर स्वयं को संतुष्ट महसूस करें। जहाँ पूरी तरह से अनुशासनहीनता आती है और बार-बार आचारहीनता दिखाई पड़ती है, वहाँ कड़ी और स्पष्ट काररवाई करनी ही होगी।

अनुशासन लागू करने के अलावा लंबित समस्याओं और शिकायतों (यदि कोई हों तो) को सुलझाने के प्रयास भी करने चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनुशासन मजबूत करने तथा समस्याओं को सुलझाने की गतिविधियाँ साथ-साथ चलनी चाहिए। अनुशासन के मुद्दे पर चर्चा करने और उसका समाधान निकालने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। शिकायत-निवारण प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए। इसमें समस्या को जड़ से समाप्त करने पर जोर देना चाहिए।

समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए अनौपचारिक तरीके सदैव हमारे संगठन की विशिष्टता रहे हैं। पार्टी के सभी स्तरों पर सम्मानित वरिष्ठजन होने चाहिए, जिनके पास जाकर पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी शिकायत कर अपने को हलका महसूस कर सकें। यह हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि विभिन्न स्तरों पर ऐसे वरिष्ठजन उपलब्ध हैं, जो भले ही दैनंदिन गतिविधियों में सक्रिय नहीं हों, मगर उनको सभी का आदर और सम्मान प्राप्त है।

5. 'कोर टीम' की नियमित बैठकें करना—
पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश और जिला स्तर पर विभिन्न राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर समग्र विचार-विमर्श करने हेतु 'कोर टीम' की नियमित बैठकें करने की परंपरा का ह्रास हुआ है। प्रति वर्ष ऐसी कम-से-कम दो बैठकें की जानी चाहिए।

6. यथोचित ढंग से संगठनात्मक चुनाव कराना—
संगठनात्मक चुनाव इस ढंग से कराने चाहिए कि आम सहमति पर आधारित सर्वानुमति की हमारी परंपरा यथासंभव कायम रह सके। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई गुटबंदी या परस्पर बदले की भावना से आरोप-प्रत्यारोप का माहौल न रहे। हमें इस प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण रखना है कि इस प्रक्रिया में पिछड़ने या पद से हटनेवाले लोग चुनाव के बाद निष्क्रिय न हो जाएँ। इस संदर्भ में दो विशेष सुझाव आए हैं—एक, संगठनात्मक चुनावों से सदस्यता-अभियान को अलग करना; और दूसरा, ऐसा कोई तंत्र बनाना, जिसमें पूर्ववर्ती टीम के प्रमुख सदस्य नई टीम में विशेष आमंत्रित सदस्य बन जाएँ।

7. जनसमर्थनात्मक और संगठनात्मक कार्य प्रक्रिया से उभरे नेतृत्व—
हमारी पार्टी का विश्वास है कि जनता में सतत कार्य करने और संगठन में काम करने की प्रक्रिया से नेतृत्व उभरता है। यही हमारी पार्टी में मजबूती का सूत्र रहा है। इस संबंध में आनेवाली किसी भी कमी को दूर करना होगा।

8. अधिकाधिक पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को शामिल करना—
पूर्णकालिक कार्यकर्ता हमारी पार्टी की शक्ति के स्रोत हैं। सभी स्तरों पर पार्टी-संगठन को शक्तिशाली बनाने की हमारी रणनीति के लिए यह आवश्यक है कि बड़ी संख्या में ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए और प्रशिक्षित तथा विकसित किया जाए, जिन्हें चुनावी राजनीति या संगठन में कोई पद लेने की लालसा न हो। हमें इस बात के विशेष प्रयास करने होंगे कि हमारे ये कार्यकर्ता हमारे विविधतापूर्ण समाज की व्यापक संरचना का प्रतिनिधित्व करें। वैचारिक शिक्षण, जो एक व्यक्ति को आंतरिक रूप से तैयार करता है, इस रणनीति का महत्त्वपूर्ण भाग होना चाहिए। इस काम को कैसे पारंपरिक और अपारंपरिक तरीकों से अंजाम दिया जा सकता है—यह पार्टी के सामने एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

9. पार्टी की सामाजिक पहचान में पुनः बदलाव—

पार्टी की छवि और सामाजिक पहचान को एक बार फिर से बदलने के लिए हमारा सतत प्रयास चलना चाहिए। पिछले लगभग 25 वर्षों में हमारी पार्टी सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से काफी फैली है। इस लगातार फैलाव के बावजूद कई प्रदेशों में अभी भी भाजपा की छवि मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्गों की पार्टी की है। सामान्यतया समाज के गरीब, कमजोर और दलित वर्ग अभी भी पार्टी के साथ अपने-आप को भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ नहीं पाते। हमारे विरोधी अपने स्वार्थों के चलते भाजपा को 'दलित-विरोधी' और 'मजदूर-विरोधी' पार्टी के रूप में 'प्रोजेक्ट' करने का प्रयास करते हैं। हमें इन प्रयासों को विफल करने के लिए मजबूती से कार्य करना है।

सामाजिक आधार के संदर्भ में अपनी गतिविधियों और छवि के मामले में भाजपा समाज के सभी वर्गों की (सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी) पार्टी दिखनी चाहिए। साथ ही, आम लोगों के बीच यह पार्टी इस रूप में पहचानी जाए कि वह उनकी भलाई के लिए जुटनेवाली पार्टी है। हमें चौतरफा प्रयास करने हैं, जिससे भाजपा की छवि एक 'ग्रामोन्मुखी', 'गरीबोन्मुखी' और 'युवोन्मुखी' बने। समाज के वंचितों ओर सशक्तीकरण से विमुख वर्गों में आई नई 'जागृति' और 'चेतना' के साथ हमारी पार्टी को मजबूती से जुड़ना चाहिए। सामाजिक समरसता और समन्वय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी स्वाभाविक आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को मुखरित करने में अग्रसर रहना चाहिए।

पार्टी की पहचान अकसर विभिन्न स्तरों पर इसके नेतृत्व से बनती है। इसलिए हमें ग्रामीण और कृषक पृष्ठभूमि वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सर्वाधिक पिछड़े वर्गों से राष्ट्रवादी विचारोंवाले व्यक्तित्वों को लोकप्रिय रूप में आगे लाकर सभी स्तरों पर भाजपा नेताओं के रूप में 'प्रोजेक्ट' करना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति पहले से पार्टी में नहीं हैं तो हमें पूरी जाँच-परख के बाद ही बाहर के लोगों को शामिल करना चाहिए।

10. मोरचों और प्रकोष्ठों को ऊर्जावान बनाना—

हमारी विकास-रणनीति के अनुरूप अपने-अपने क्षेत्रों में हमारे सभी मोरचों और प्रकोष्ठों की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए पार्टी शीघ्र ही विशिष्ट रणनीतियाँ तैयार करेगी। हमने पाया है कि हाल के वर्षों में स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर नए-नए वर्ग एवं निर्वाचन-समूह उभरकर सामने आए हैं, जिनके लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर नए

प्रकोष्ठों की स्थापना की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए—छोटे निवेशकों का वर्ग, जिनके हितों की उपेक्षा बाजार की शक्तियों एवं अधिकतर संस्थाओं द्वारा की जाती है।

हम यह भी मानते हैं कि संख्या बल में बड़े सामाजिक वर्गों (जैसे आदिवासियों, चरवाहों, मछुआरों, जुलाहों) तथा मुखर एवं प्रभावशाली वर्गों (जैसे—अध्यापक, वकील एवं अन्य पेशेवर लोगों) के बीच हमें अपनी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है।

11. पार्टी की गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाना—

पार्टी ने निश्चय किया है कि वह अपनी गतिविधियों को गाँवों में किसानों, खेतिहर मजदूरों और अन्य गरीबों के बीच बढ़ाएगी। हालाँकि यह किसान मोरचा की जिम्मेदारी मानी जाती है, फिर भी पूरी पार्टी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाए। इसलिए सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के कार्य के जुड़ना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित दौरा करना चाहिए तथा किसानों और अन्य ग्रामीण वर्गों की समस्याओं को विभिन्न मंचों पर उठाना चाहिए। 'गाँव चलो अभियान' आदि कार्यक्रमों को नियमित रूप से तथा नए-नए तरीकों से चलाना चाहिए। हमारे नेताओं के भाषणों, पार्टी के प्रस्तावों, वक्तव्यों आदि से प्रकट होना चाहिए कि हम किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को कितना महत्त्व देते हैं।

12. अनुसूचित जातियों/जनजातियों में पार्टी के काम को बढ़ाना—

हाल के दशकों में भाजपा का जनाधार अनुसूचित जातियों और जनजातियों में काफी तेजी से बढ़ा है। यद्यपि इसके विस्तार की बहुत संभावनाएँ अभी हैं फिर इस दिशा में इन प्रयासों को और सघन बनाने की तत्काल आवश्यकता है। न केवल पार्टी के संबंधित मोरचों को, अपितु पूरी पार्टी को इन वर्गों से जुड़े मुद्दों को उठाने, उनकी समस्याओं को मुखरित करने, शोषण और दमन का विरोध करने तथा जहाँ जरूरत हो वहाँ आंदोलनात्मक गतिविधियाँ चलाने के अपने प्रयासों को पहले से दुगुना करना पड़ेगा। इन वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास और कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है। हमें सामाजिक न्याय और सद्भाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रचारित करना चाहिए। हमारे सारे प्रयास भाजपा और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बंधुओं के बीच भावात्मक रिश्तों को स्थापित करने की दिशा में होने चाहिए। जातीय आधारवाले

दलों और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के स्वयंभू नेताओं, जो दूसरे समुदायों के विरुद्ध विद्वेष और टकराव-भरा रुख अपनाते हैं तथा जिनकी राजनीति अवसरवादिता और व्यक्तिगत स्वार्थों से संचालित होती है, के विरुद्ध हमारे कार्यकर्ताओं को एक ठोस जागृति अभियान सतत चलाना चाहिए।

13. अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी-कार्य बढ़ाना—
भाजपा का मानना है कि अल्पसंख्यक हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। बिना किसी भेदभाव के हम उनका भी उतना ही ध्यान रखते हैं, जितना समाज के किसी भी अन्य वर्ग का। यह बात वाजपेयी सरकार के 6 साल लंबे कार्यकाल के ट्रैक रिकॉर्ड से एकदम स्पष्ट होती है। फिर भी विरोधी दलों के लगातार चले दुष्प्रचार के कारण मुसलिम बंधुओं के मन में भाजपा और उसकी विचारधारा से जुड़ी कई भ्रांतियाँ हैं। इस काम में अल्पसंख्यक मोरचा ही नहीं, अपितु समूची पार्टी को पूरी ताकत से जुटना होगा, जिससे उनकी भ्रांतियाँ दूर हो सकें। हमें उनकी शिक्षा-रोजगार, आर्थिक विकास एवं सशक्तीकरण (त्रिसूत्री फार्मूला) से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए, ताकि उन्हें राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। हमें इन वास्तविक मुद्दों को उठाने के मामले में छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों की विफलता को उजागर करना होगा तथा साथ ही यह भी बताना होगा कि कैसे अपने क्षुद्र राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को वोट-बैंक की तरह इस्तेमाल किया।

14. महिलाओं के बीच पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाना—
पार्टी लंबे समय से यह समझती रही है कि पार्टी को महिला-केंद्रित कार्यक्रमों को बढ़ाते हुए नई महिला कार्यकर्ताओं को सभी स्तरों पर तैयार करना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे हमारी पार्टी ने सबसे पहले आगे बढ़ाया था, पर बढ़ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए इसकी आवश्यकता और महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यह आवश्यक हो गया है कि पार्टी-संगठन के निर्णय की प्रक्रिया में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। महिला मोरचा को अपनी गतिविधियाँ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ानी चाहिए। मोरचे को समाज के इन वर्गों से नए कार्यकर्ताओं को खड़ा करना चाहिए। महिला सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों पर पूरी पार्टी का जुड़ाव बढ़ना चाहिए।

15. युवा मोरचे की महत्त्वपूर्ण भूमिका—

भाजपा के सभी मोरचों में से युवा मोरचा देश की जनसंख्या के महत्त्वपूर्ण और संख्याबल की दृष्टि से निर्णायक घटक, युवाओं में हमारे आधार को फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः सभी स्तरों पर पार्टी यूनिटों को इसके विकास को प्रोत्साहित करने और इसके कार्यकलापों का दिशा-निर्देशन करने के लिए अधिक-से-अधिक प्रयास करना होगा। युवाओं में गैर-छात्र युवा संख्या-बल की दृष्टि से सबसे बड़े तथा सबसे कम संगठित हैं। इनपर हमारा ध्यान विशेष रूप से बना रहेगा। इसके अतिरिक्त हमें विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़नेवाले आदर्शवादी एवं सामाजिक रूप से जागरूक छात्रों तक अपनी पहुँच बढ़ाने के प्रयास करने होंगे।

अनुभव बताता है कि तीन तरह की गतिविधियाँ युवाओं को हमारी पार्टी की ओर आकर्षित करती हैं—व्यापक जागरूकता अभियान, जिसमें राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्रमुखता दी जाए और छद्म सेक्युलरिज्म से मुकाबला किया जाए; आंदोलनात्मक और लोकसंग्रह करने संबंधी गतिविधियाँ, जिनमें रोजगार, विकास, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर फोकस हो; और आपदाओं के दौरान राहत कार्य, खेल, रक्तदान इत्यादि रचनात्मक गतिविधियाँ। राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करने के साथ-साथ युवा मोरचा को प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर पार्टी के संबंधित स्तरों पर विचार-विमर्श कर उपरोक्त श्रेणियों में अपने कार्यक्रम बनाने चाहिए। प्रतिबद्ध और आदर्शवादी युवाओं को बड़ी संख्या में पार्टी की ओर आकृष्ट कर उन्हें सतत रूप से सक्रिय बनाए रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

यह देखने में आया है कि कई बार युवा मोरचा के पदाधिकारी व्यक्तिगत निष्ठा एवं पार्टी पदाधिकारियों की पसंद के आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। हमें इसके साथ ही कुछ अन्य नकारात्मक चीजों का प्रतिवाद करना चाहिए, जिससे युवा मोरचा के राजनीतिक एवं संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। पैंतीस वर्ष की आयु-सीमा का अनुपालन कड़ाई से होना चाहिए। युवा मोरचे को आंदोलनात्मक, रचनात्मक तथा स्वविकासोन्मुखी कार्यकलापों का संयोजन उपयुक्त सीमा तक करना चाहिए। युवा मोरचे का विशेष ध्यान युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने पर हो, ताकि वे जातिवादी, संप्रदायवादी और विघटनकारी ताकतों से प्रभावित न हों।

16. युवा नेतृत्व विकसित करना—
पार्टी के सामने तात्कालिक कार्य यह है कि वह युवा नेतृत्व को विकसित और प्रोजेक्ट करे। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम 20-25 वर्ष की आयु के होनहार युवक-युवतियों को पार्टी में शामिल करें, उन्हें अपनी विचारधारा तथा व्यावहारिक गतिविधियों के बारे में 3-4 वर्ष का प्रशिक्षण दें, उन्हें स्थानीय निकायों में शासन चलाने का अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें और इसके द्वारा उन्हें भाजपा के सक्षम नेता के रूप में उभरने में सहायक बनें। हमें उन युवा कार्यकर्ताओं को विशेष रूप में चिह्नित और प्रोत्साहित करना होगा, जो समाज के उस तबके के हैं, जहाँ भाजपा को अपना प्रभाव और जनाधार बढ़ाने की आवश्यकता है।

17. पार्टी की निचली इकाइयों को सशक्त करना—
सभी स्तरों पर पार्टी की निम्न इकाइयों को सक्रिय बनाना और उच्च इकाइयों द्वारा उनकी गतिविधियों पर निरंतर नजर रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करके ही सतत रूप से पार्टी संगठन को सशक्त बनाया जा सकता है। यह बात सदैव स्मरण रहनी चाहिए कि निचली इकाइयों के भाजपा कार्यकर्ता ही पार्टी और लोगों के बीच वैयक्तिक संपर्क का 'आखिरी साधन' (Last Mile) होते हैं। राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर घोषित किए जानेवाले कार्यक्रमों को जिला या मंडल स्तर से नीचे अकसर छोड़ दिया जाता है। हमें इससे बचना चाहिए।
अनेक सहयोगियों ने विचार व्यक्त किया है कि बूथ-स्तरीय कमेटियों, जो सामान्यतया चुनावों के समय पर बनाई जाती हैं, को पार्टी की प्राथमिक इकाई मानना चाहिए। यदि यह इकाई पार्टी रूपी भवन को बनाती है और सतत रूप से सक्रिय रहती है, तो यह न केवल चुनावों के समय ही उपयोगी होगी, अपितु निचले स्तर पर भी पार्टी को मजबूत करेगी।

18. चुनाव-प्रबंधन और बूथ-स्तर पर गतिविधियाँ—
पिछले अनेक वर्षों में चुनाव एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसके अनुभवों ने हमारी पार्टी को चुनाव-प्रबंधन, और विशेष रूप से बूथ-स्तर पर प्रबंधन, की आवश्कता के प्रति सचेत किया है। मतदाताओं तक पहुँचने के लिए मीडिया के माध्यम से केवल प्रचार, विशेषकर गैर-व्यक्तिगत प्रचार पर निर्भर नहीं रह सकते। मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जाँचना; जहाँ जरूरत हो, वहाँ समय से और

आवश्यक कदम उठाना; मतदाता पर्ची तैयार करना और उन्हें वितरित करना; मतदाताओं के घर तक पहुँचना; उनसे वस्तुस्थिति की जानकारी लेना और उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर आना आदि गतिविधियाँ सफलता पाने की अपरिहार्यता बन गई हैं। अतीत में ये गतिविधियाँ हमारी एक महत्त्वपूर्ण शक्ति थीं। दुर्भाग्य से कुछ स्थानों पर अब ये हमारी बड़ी कमजोरी बन गई हैं।

पंचायती चुनावों से लेकर ऊपर तक के सभी चुनावों में पार्टी की संबंधित इकाई को समाज के उन वर्गों की पहचान करनी चाहिए, जो हमारे 'कट्टर समर्थक' हैं और साथ ही उन वर्गों की भी, जिन्हें हमारे समर्थन आधार को विजयी बनाने की उपयुक्त रणनीति के माध्यम से जीता जा सकता है।

चुनाव-प्रबंधन का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है और वह यह कि हमारे विरोधियों द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, डराकर, आतंकित कर चुनावों को अपने पक्ष में करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सभी निचले स्तर की पार्टी इकाइयों को इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए तैयार होना होगा, ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सकें।

कई प्रदेशों और निर्वाचन-क्षेत्रों में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव-प्रबंधन और बूथ-प्रबंधन की अच्छी पद्धति विकसित कर ली है। इस अनुभव को पार्टी में व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए।

19. सांसदों और विधायकों के कार्य-निष्पादन का नियमित मूल्यांकन—
अनुभव दर्शाता है कि काफी बड़ी संख्या में हमारे सांसद और विधायक फिर से चुनकर आने में विफल रहते हैं। अकसर यह निर्वाचन-क्षेत्र के स्तर पर 'ऐंटी-इनकंबेंसी फैक्टर' के फलस्वरूप होता है। इसकी एक बड़ी कीमत हमने हाल ही के लोकसभा-चुनाव में चुकाई है। इसलिए पार्टी के केंद्रीय कार्यालय को प्रदेश इकाइयों के सहयोग से एक ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए, जिससे हमारे सांसदों और विधायकों की कार्य निष्पादन कुशलता का मूल्यांकन निश्चित अवधि में हो सके।

20. प्रशिक्षण कार्य के स्तर का उन्नयन—
पार्टी के सारे कार्यकलापों में वैचारिक आग्रह को सुदृढ़ करने के हमारे संकल्प ने यह आवश्यक कर दिया है कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को सतही और चलताऊ प्रयास के रूप में न लेकर संगठन के सभी स्तरों पर संचालित किए जाने के लिए व्यवस्थित तथा नियमित

प्रोग्राम के रूप में लें। साथ ही प्रशिक्षण में न केवल वैचारिक मुद्दे, आदर्शवाद तथा विकास से संबंधित विषय ही समाहित हों, वरन् इसमें आदर्शवाद संपोषक वैयक्तिक आचरण और कार्यशैली भी शामिल हो, जो हमारी विचारधारा का अंग भी हैं। तदनुसार इस कार्य को संपन्न करने की इस संरचना को प्रकोष्ठ स्तर से उन्नत करके छः मोरचों के समान पूर्णरूपेण विभाग का रूप दिया जाएगा। समय के साथ-साथ इसको एक पार्टी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो देशभर के विभिन्न केंद्रों में आवश्यक आधारभूत संरचना से सज्जित हों। पार्टी स्व. कुशाभाऊ ठाकरे की याद में भोपाल में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही मुंबई में 'रामभाउ म्हालगी प्रबोधिनी' नामक संस्था है।

अगले 3-4 महीनों में निम्नलिखित पाँच बड़े प्रशिक्षण कैंप लगाने का प्रस्ताव है—

1. प्रमुख राज्यस्तरीय पदाधिकारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कैंप
2. प्रमुख जिला-स्तरीय पदाधिकारियों के लिए राज्य प्रशिक्षण कैंप
3. समस्त सांसदों के लिए प्रशिक्षण कैंप
4. समस्त विधायकों के लिए प्रशिक्षण कैंप
5. मंत्रियों के लिए कार्यशाला

इसके अलावा पार्टी-प्रवक्ताओं और मीडिया से जुड़े काम में लगे लोगों के लिए भी पार्टी अलग से प्रशिक्षिण कार्यक्रम चलाने की योजना बनाएगी।

21. शहीदों, राष्ट्रीय नेताओं और स्थानीय महान व्यक्तित्वों की स्मृति में विशेष दिवसों का आयोजन करना—

यह गतिविधि पार्टी की प्रत्येक इकाई के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए। पार्टी इकाइयों को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मतिथि (6 जुलाई) और पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि (11 फरवरी) मनाने के अलावा अन्य राष्ट्रीय नेताओं और शहीदों के भी सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने-अपने प्रदेश, क्षेत्र, जिले या मंडल स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित महान व्यक्तित्त्वों की स्मृति में भी नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इन कार्यक्रमों से जहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं में वैचारिक चेतना बढ़ाने में सहायता मिलेगी, वहीं आम जनता की सदिच्छा को भी हासिल किया जा सकेगा।

22. सूचना, प्रलेखन, अनुसंधान और संप्रेषण—

पार्टी की सूचना तथा बौद्धिक संरचना को सुदृढ़ करने के हमारे प्रयासों के एक अभिन्न अंग के रूप में शीघ्र ही पार्टी मुख्यालय में डाटा संग्रहण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा संप्रेषण के लिए एक अत्याधुनिक, अपेक्षित सुविधाओं से युक्त, पूर्ण सज्जित केंद्र खोला जाएगा जो भाजपा-समर्थक बुद्धिजीवियों और प्रोफेशनल्स के विशाल भंडार का रूप लेगा।

23. विशेष गतिविधियाँ—

पार्टी की विशेष गतिविधियों, जैसे 'सहयोग', 'संवाद', 'समर्पण' और 'आजीवन सहयोग निधि' अभियानों को अच्छा प्रतिसाद मिला है। फिर भी इन्हें सभी स्तरों पर सतत प्रयासों के माध्यम से प्रभावी बनाने की जरूरत है।

□

शासन और विधायी मोरचे से संबंधित भावी कार्य

कार्य-निष्पादन और जवाबदेही के उच्च मानक स्थापित करना

1. भाजपा-शासित राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन में सुधार—

सुशासन की उत्कट प्रतिपादक होने के नाते भाजपा केवल भाजपा द्वारा शासित और गठबंधन की सहयोगी पार्टी के रूप में उस गठबंधन द्वारा शासित राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन को सुधारने की अनिवार्य आवश्यकता की अनदेखी नहीं कर सकती है। यह सुनिश्चित करना हमारा लाजिमी कर्तव्य है कि भाजपा-नीत सरकारें अपने-अपने राज्यों में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्रों में किए गए वादों को पूरा करने में समर्थ हों। ऐसा करना देश के चुनावों में सत्ता-विरोधी प्रवृत्तियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।

यह तभी संभव होगा, जब सरकार और पार्टी के बीच निकट का संपर्क हो, जिसका अभाव अभी दिखाई पड़ता है। फलस्वरूप एक बार पद पर निर्वाचन होने के बाद पार्टी संगठन के प्रति सरकार जवाबदेही महसूस नहीं करती है और पार्टी-संगठन सरकार के कामकाज में शामिल महसूस नहीं कर पाता है। हमें इस तरह की कार्यशील व्यवस्था तैयार करनी होगी, जिससे पार्टी संगठन मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का मार्ग-निर्देशन कर सके और उनके कार्यकलापों पर नजर रख सके।

इसी प्रकार लोगों और जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए व्यवस्थित तंत्र तैयार करना होगा और इसे समुचित काररवाई के लिए सरकार तक पहुँचाना होगा।

2. संसद् और विधानसभाओं में भाजपा—

छः वर्षों तक देश में संतोषजनक शासन करने के बाद संसद् में एक विपक्ष के रूप में भाजपा की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। अपनी नई भूमिका में सरकार में रहते समय के अपने अनुभवों और ज्ञान से हमें लाभ उठाना है। भाजपा से लोग आशा करते हैं कि वह 'एक अलग ढंग के विपक्ष' की भूमिका का निर्वाह भी उसी तरह से करे, जैसे वाजपेयी सरकार को 'एक अलग ढंग की सरकार' के रूप में वे देखते थे। इससे हमारे सांसदों और विधायकों पर संसद् तथा विधानसभाओं के अंदर और बाहर—दोनों स्थानों पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इसके लिए पार्टी का संसदीय दल शीघ्र ही कार्य-योजना तैयार करेगा।

निर्वाचन-क्षेत्रों में सत्ता-विरोधी कारक ने भाजपा के चुनावी प्रदर्शन को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। इसलिए हमें अपने सांसदों और विधायकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए नियमित आधार पर एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था शीघ्र तैयार करनी होगी।

3. विषयवार समितियों की स्थापना—

हमारे पार्टी संगठन में दो प्रकार की गतिविधियों को चलाने के लिए मोरचों तथा प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है: इनमें समाज के विशिष्ट वर्गों को पार्टी के समीप लाना तथा निर्वाचन-क्षेत्रों में पार्टी के संदेश को फैलाना। समय बीतने के साथ-साथ (और विशेष रूप से केंद्र में हमारे शासन के अनुभव को देखते हुए) भाजपा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हमारे संसदीय और राजनीतिक कार्य के महत्त्व को देखते हुए विशिष्ट विषय को लेकर कुछ नई व्यवस्था तैयार की जाए। तदनुसार पार्टी विषयवार समितियाँ स्थापित करेगी, जिनमें पूर्व मंत्री, सांसद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और गैर-पार्टी विशेषज्ञ शामिल किए जाएँगे। उदाहरण के लिए—राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, रोजगार समिति, डब्ल्यू.टी.ओ. मामलों की समिति, कृषि समिति, अनौपचारिक सेक्टर समिति, सामाजिक न्याय समिति आदि। अन्य बातों के अलावा ये समितियाँ पार्टी को संसद् में विभिन्न विषयों पर सार्वजनिक बहस में और बहस के लिए एजेंडा तैयार करने में अधिक प्रभावशाली ढंग से मदद करेंगी। पार्टी अध्यक्ष जल्द ही इन समितियों का गठन करेंगे और उनका एजेंडा निश्चित करेंगे।

4. निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं के मध्य संवाद—
एक शिकायत हमेशा से रही है कि मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों के पास कार्यकर्ताओं से मिलने एवं संवाद के लिए समय नहीं होता है। आम जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बेरूखी के किस्से हर रोज सुनने में आते हैं। इस दोष को व्यक्तिगत रूप में संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राथमिकता देकर सुधारना होगा। कार्यकर्ताओं के सुझावों एवं जरूरतों के समाधान के लिए संस्थागत प्रयास आवश्यक हैं, जिससे उनके वैयक्तिक कार्यों को जारी रखा जाए। सांसदों और विधायकों को पार्टी के कार्यालय में जाना चाहिए। साथ ही वे पार्टी की बैठकों तथा पार्टी कार्यक्रमों में, जहाँ वे अपेक्षित हैं, अवश्य जाएँ।

5. स्थानीय निकायों में अपना प्रदर्शन सुधारना—
हमारे सदस्यों में से काफी बड़ी संख्या पंचायतों, जिला परिषदों, नगरपालिका एवं नगर निगमों के निर्वाचित सदस्यों की है। इन स्थानीय निकायों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। पंचायत और नगरपालिका स्तर पर सुशासन देना हमारी सुशासन की प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग है।

6. विदेशी मामलों में पार्टी की विशेषज्ञता को सुदृढ़ करना—
छः वर्षों तक केंद्र में सत्तारूढ़ रहने के बाद पार्टी के सामने एक और ऐसा कार्य है, जिसका महत्त्व काफी बढ़ गया है। और वह है भाजपा के संपर्कों को विस्तार देने और गहन बनाने की जरूरत। दुनिया भर की सरकारों, राजनीतिक दलों और एजेंसियों ने दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में भाजपा को दो प्रमुख ध्रुवों में से एक के रूप में मानना शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी, उसकी नीतियों और क्षेत्रीय तथा महत्त्व के विभिन्न मुद्दों पर हमारे रूख को जानने में उनकी रुचि बढ़ रही है। पार्टी के रूप में भाजपा भारत को दुनिया के देशों में उसका सही स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही विदेशी मामलों और घटनाक्रम से जुड़ी अंदरुनी विशेषज्ञताओं को और समृद्ध करना चाहती है। इस प्रकार हमारे सामने द्विआयामी कार्य हैं। एक, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की गतिविधियों को और सुदृढ़ करने तथा दुनिया के नए-नए देशों तक इसे विस्तार देने की जरूरत। हमारे संसदीय दल विंग, विदेश मामलोंवाले प्रकोष्ठ और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को विशेष रूप से इस संबंध में अपनी गतिविधियों को और सघन करना चाहिए। भारत स्थित विदेशी दूतावासों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के साथ-साथ पार्टी को नियमित परस्पर यात्राओं के माध्यम से पूरी दुनिया के महत्त्वपूर्ण राजनीतिक

दलों से संपर्क बढ़ाना चाहिए। विदेश-नीति और प्रमुख घटनाक्रम से जुड़े विषय पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने चाहिए।

□

विकास-मोरचे से संबंधित भावी कार्य

समस्याओं और समाधानों को मुखरित करना

भाजपा की दृष्टि दो आधारभूत तत्त्वों पर टिकी है: राष्ट्रवाद और विकास। हम मानते हैं कि ये दोनों ही पुनर्जागृत भारत (Resurgent India) के हमारे सपने को साकार करने की पूर्व शर्तें हैं। समाज के सभी वर्गों में और देश के सभी क्षेत्रों में विकास की बहुत जरूरत है। एक अच्छे जीवन-स्तर के प्रति लोगों में उभरती आकांक्षाओं का प्रभावी समाधान भाजपा को देना होगा। इसे अपनी राजनीतिक रणनीति का एकात्मक हिस्सा बनाकर केंद्र में राजग सरकार के छः वर्षों के बाद विकास के महत्त्व के प्रति हमारी समझ और सघन हुई है। वस्तुतः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई अनेक उल्लेखनीय विकासात्मक पहलों पर हमें गर्व है। वाजपेयी सरकार की उपलब्धियों और विकास के क्षेत्र में उठाए गए कदमों को प्रचारित करना हमारे पार्टी-कार्यकर्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण काम होना चाहिए।

1. विकास के महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान—
   हाल के वर्षों में विकास से जुड़े मुद्दे (जैसे—पानी और बिजली की कमी, ऋण और बाजार-प्रणाली के कार्यचालन में दोष, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की माँग और आपूर्ति में बढ़ता फासला, पर्यावरणीय क्षय, लघु उद्योग क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र के उद्योगों की समस्याएँ इत्यादि विषय) राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील बनते जा रहे हैं। ये आम आदमी के जीवन से जुड़े हैं और अकसर चुनावी नतीजों पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर हमारी पार्टी इकाइयों को अपने क्षेत्र में विकास और जनकल्याण से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान कर उन्हें ऐसे ठोस तरीके से उठाना चाहिए कि ये उनकी नियमित राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा बन जाएँ। हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोग ऐसे विकासात्मक मुद्दों पर हमारी पार्टी से जुड़ें और इस प्रकार लोगों का भाजपा के साथ भावात्मक लगाव विकसित हो सके। हमें विशेष रूप से ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए, जो समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े हों और जिनका असर जनसंख्या के एक बड़े वर्ग पर हो सके। जहाँ तक संभव हो सके,

हमें न केवल किसी मुद्दे को उठाना चाहिए, अपितु उसका समाधान भी प्रस्तुत करना चाहिए।

2. रोजगार और आर्थिक वृद्धि पर दृष्टि केंद्रित करना—
विकास के मुद्दों को उठाते समय हमारी पार्टी का विशेष जोर इसपर होना चाहिए कि कैसे रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, उस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपाय भी बताने चाहिए।

3. क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन-संबंधी मुद्दों को महत्त्व देना—
प्रदेश की राजनीति पर क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं के महत्त्व का असर बढ़ता जा रहा है। हमारी पार्टी को चाहिए कि इन मुद्दों को पर्याप्त और प्रभावी ढंग से उठाया जाए।

4. पार्टी की बैठकों में विकास को नियमित विषय बनाना—
विकास और लोक-कल्याण का विषय सभी स्तरों पर पार्टी-बैठकों के एजेंडे का नियमित हिस्सा बनना चाहिए। इन विषयों पर पार्टी का रुख तय करने और प्रस्तुत करने में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ने के ठोस प्रयास करने चाहिए। पार्टी-कार्यालयों में उनके क्षेत्र के मुख्य विकास के पैमानों से जुड़ी नवीनतम सूचनाएँ और बैकों तथा विकास-एजेंसियों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी जानकारियों उपलब्ध होना जरूरी है। इन सभी से भाजपा की छवि 'विकासोन्मुख पार्टी' की बनेगी।

5. रचनात्मक कार्यकलाप—
भाजपा का विश्वास है कि केवल चुनाव लड़ने और सरकार का गठन करने से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहना है, वरन् इससे आगे जाकर भी पार्टी का कार्य करना है। मुंबई में सन् 1980 में हुए भाजपा के स्थापना-सम्मेलन में 'संरचना' उन तीन निर्देशक सिद्धांतों में से एक था, जिनको हमने अंगीकार किया था। अन्य दो सिद्धांत थे 'संगठन' और 'संघर्ष'। समय आ गया है कि हम रचनात्मक कार्यकलापों को संगठन-निर्माण का अभिन्न अंग बनाएँ। हमने सचमुच ही यह देखा है कि जब-जब हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सामाजिक संगठनों, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य-रक्षा संस्थाओं, सहकारी समितियों तथा गैर-सरकारी संगठनों से संबन्धित कार्यों से जुड़े हैं, तब-तब न केवल उन्हें ही लाभ हुआ है, वरन् पार्टी भी अपना जनाधार बढ़ाने में सफल

रही है। विशेष रूप से गाँवों एवं कस्बों के विकास एवं रोजगार-सृजन से जुड़ी गतिविधियों का लोगों में विशेष आकर्षण है।

इस संदर्भ में युवाओं एवं महिलाओं को जोड़ने के लिए 'स्वयं-सहायता समूहों' को बनाने से रोजगार-सृजन एवं आमदनी बढ़ाने के कार्यों का महत्त्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार समर्पित भाव से काम करनेवाली धार्मिक संस्थाओं का भी समाज में काफी प्रभाव है। अतः यह विचारणीय है कि पार्टी के प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ता के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वह कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करे। इस कार्य-योजना को ठोस रूप दिए जाने से पहले इस विषय पर विचार-विमर्श शुरू किया जाएगा।

□

राजनीतिक पक्ष से संबंधित भावी कार्य

विस्तार, सुदृढ़ीकरण एवं पुनरुत्थान

देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा की स्थिति को लेकर किए गए सर्वे में यह बताया गया कि भविष्य में पार्टी-जनाधार के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए इन राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित करना लाभकारी होगा।

1. भाजपा-शासित प्रदेश—

   प्रथम श्रेणी उन राज्यों की है, जहाँ भाजपा सत्ता में है। यहाँ हमारा उद्देश्य सुशासन और अच्छी राजनीति के उपबंधों को साथ-साथ उठाने का होना चाहिए। हमारी सरकारें पार्टी के समर्थन को ठोस आधार और विस्तार देने में सहायक बननी चाहिए। इन राज्यों में जो पार्टी सत्ता में है एवं जो पार्टी संगठन में है, उन्हें मिलकर अपनी क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना एवं कमजोरियों को कम करना चाहिए। उन्हें उन मुद्दों की पहचान करनी चाहिए जो चुनावों के वक्त उठाए जा सकते हैं और उन मुद्दों को भी पहचाना चाहिए, जिनपर हम बेहतर जनाधार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमारी सरकारों को अपनी नीतियों, कार्यक्रमों एवं कार्य-पद्धति को बेहतर करना चाहिए तथा हमारी पार्टी-इकाइयों को राजनीतिक कार्यों, संगठनात्मक पुनर्संरचना एवं प्रचार के लिए कारगर योजना बनानी चाहिए। हमारी सरकार की उन उपलब्धियों का प्रचार करने का काम, जो विशेष रूप से आम आदमी से ताल्लुक रखती हैं, पार्टी-संगठन के तहत होना चाहिए। एक ऐसा तंत्र होना चाहिए, जो हमारी प्रदेश सरकारों के कार्यनिष्पादन के बारे में जमीन से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं और सामान्य जनता से

लगातार 'फीडबैक' लेता रहे। प्रत्येक ब्लॉक में पार्टी-कार्यालय जनता से शिकायतें, समस्याएँ और सुझाव प्राप्त कर संबंधित सरकारी कार्यालय, विधायक और मंत्रियों के पास भेजकर उनके समाधान का प्रयास करे। सभी शिकायतों और समस्याओं का निपटारा नहीं हो सकता, परंतु लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें सुनने का ईमानदारी से प्रयास किया और उनकी समस्याओं को सुलझाने में सहायता की।

पार्टी को एक इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि जब हम सत्ता में होते हैं तो हमारे कार्यकर्ता और सरकार के बीच दूरी हो जाती है (और यह केंद्र में राजग सरकार के छः साल के बारे में भी सच है)। इसे सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए कि हमारा कैडर और कट्टर समर्थक हमारी सरकार में भागीदारी और 'अपनेपन' की भावना महसूस करें। सरकार द्वारा संचालित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थानों में एवं सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अधिकाधिक अवसर निर्मित किए जाने चाहिए।

उनकी प्रेरणा के स्तर को ऊँचा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की सामान्य 'विपक्षी मानसिकता' 'शासन संबंधी मानसिकता' में बदलनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह पता होना चाहिए कि उनका अपनी सरकारों के प्रति कुछ कर्तव्य है।

ये दो काम—सरकार में कार्यकर्ताओं की सहभागिता के लिए अवसरों का निर्माण और सरकार के प्रति उनके कर्तव्य के लिए उनमें भावना भरना—मुश्किल तो हैं, लेकिन आवश्यक भी हैं। परंतु इसे सरकार और प्रदेश की पार्टी इकाई के पदाधिकारियों तथा विधायकों के घनिष्ठ समन्वय के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। पार्टी संविधान में प्रदेश, जिला और मंडल स्तरों पर समन्वय समितियाँ बनाने का प्रावधान है। जहाँ पर ऐसी समितियाँ नहीं हैं, वहाँ पर तुरंत इन्हें बनाना चाहिए। (यह उन प्रदेशों में भी लागू होता है, जहाँ पार्टी सत्ता में नहीं है। ऐसे प्रदेशों में, समन्वय समितियों में पार्टी पदाधिकारयों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।) जहाँ ये हैं, वहाँ उनके संचालन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो सरकार में हैं और जो पार्टी में हैं, उनके बीच अंतर्विरोध विकसित नहीं होने देने चाहिए। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि विधायक दल पर पार्टी की सर्वोच्चता को भाजपा मानती है।

2. वे प्रदेश जहाँ भाजपा मुख्य विपक्षी दल है—

दूसरी श्रेणी में वे राज्य आते हैं, जहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है मगर एक सशक्त विपक्ष है। यहाँ हमारी पार्टी इकाइयों, विधायी स्कंधों एवं मोरचों को वहाँ की सरकारों की कमियों और विफलताओं को उजागर करने हेतु आक्रामक रूख अपनाना होगा। उन्हें ऐसे मुद्दों पर, जो आगामी चुनावों में प्रभावी हो सकते हैं, जनांदोलनों एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों को पार्टी की प्रमुख गतिविधि के तौर पर करना चाहिए। उन्हें संगठनात्मक कमियों को पहचानकर शीघ्रता से दूर करना चाहिए। विधायकों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया, जीतने योग्य उम्मीदवारों की पहचान और स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने का कार्य पूरी शिद्दत से शुरू किया जाना चाहिए।

3. वे प्रदेश, जहाँ भाजपा को हानि पहुँची है—

तीसरी श्रेणी में वे राज्य आते हैं, जहाँ भाजपा कभी शक्तिशाली पार्टी बन गई थी, लेकिन अब वह कमजोर पड़ गई है। इन राज्यों में हमारी पार्टी इकाइयों को उन कारणों का ईमानदारीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए, जिनके चलते भाजपा कमजोर हुई। सभी प्रमुख पदाधिकारियों के योगदान का समुचित मूल्यांकन होना चाहिए, जिसके आधार पर जवाबदेही नियत की जानी है। उनलोगों के स्थान पर, जो कर्तव्य नहीं निभा पाए, होनहार नए लोगों को अवसर देना चाहिए। पार्टी इकाइयों एवं मोरचा को उन मुद्दों के संबंध में सावधानीपूर्वक निश्चय कर कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, जो लोगों को आंदोलित कर सकें, और जो अपने-अपने राज्यों में राजनीतिक घटनाओं को परिभाषित कर सकें। उनको चाहिए कि उन कारणों को सावधानीपूर्वक देखें, जिनसे समाज के वे वर्ग भी हमसे दूर हो गए, जो परंपरागत रूप से भाजपा-समर्थक थे। उन्हें समाज के ऐसे निर्णायक वर्गों की भी पहचान करनी चाहिए, जिनके बीच पार्टी अब तक कमजोर रही है, किंतु जहाँ हमारा जनाधार बढ़ने की पूरी संभावना है।

4. वे प्रदेश, जहाँ भाजपा अभी भी कमजोर है—

चौथी और अंतिम श्रेणी में वे राज्य सम्मिलित हैं, जहाँ हमारी पार्टी सदैव कमजोर अथवा हाशिए पर बनी रही है। इन राज्यों में भाजपा की लगातार दुर्बलता से इसे हाल के संसदीय चुनावों में काफी नुकसान पहुँचा है। हमें इन राज्यों में अपनी लगातार विफलता के कारणों का गहन अध्ययन करना है। हमें इन राज्यों के विशेष सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं की पहचान करनी चाहिए, जिनसे हमारी वृद्धि अवरुद्ध हुई है

और अन्य पार्टियाँ राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने में सफल रही हैं। एक के बाद एक चुनावों के लिए बनाई गई अल्पावधि योजनाएँ सहायक नहीं रही हैं। स्पष्टतः हमें इन राज्यों में दीर्घआयामी विकास-रणनीति तैयार करनी चाहिए। इस व्यूह-रचना के एक भाग के रूप में हमें प्रत्येक विधानसभा चुनाव-क्षेत्र में सुनियोजित कैडर-निर्माण योजना कार्यान्वित करनी चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, हमें इन राज्यों में काम करने के लिए देश के अन्य भागों से पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी भेजने चाहिए। यद्यपि गठबंधन करना आवश्यक हो सकता है, मगर विशेष भौगोलिक क्षेत्रों एवं समाज के विशेष वर्गों में पार्टी की स्वतंत्र शक्ति क्षमता का विकास किया जाना चाहिए।

5. जिन प्रदेशों में शीघ्र चुनाव होने जा रहे हैं—

हमारा तात्कालिक कार्य महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में होनेवाले विधानसभाई चुनावों के लिए तैयारी करना है। उत्तर प्रदेश में तेजी से घट रहे घटनाक्रम को देखते हुए हमें वहाँ पर भी चुनावी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इन प्रदेशों में हमारी इकाइयों को सधे हुए और सुनियोजित ढंग से अपनी चुनावी रणनीति की तैयारी करनी है। चुनावों में पार्टी क्या मुद्दे बनाना चाहती है; जनसंपर्क, आंदोलनात्मक कार्यक्रम और इन मुद्दों से जुड़े प्रचार-कार्य, मतदाता-सूची की जाँच, जीतने योग्य उम्मीदवारों की पहचान, निर्वाचन-क्षेत्र स्तर पर संगठनात्मक तैयारियों की जानकारी, चुनाव-प्रबंधन, बूथ-प्रबंधन संबंधी मुद्दे इत्यादि और स्थानीय स्तर पर संसाधनों का जुटाना भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

6. हमारे गठबंधनों को मजबूत करने की जरूरत—

राष्ट्रीय स्तर पर पहला टिकाऊ और सफल गठबंधन बनाने का श्रेय हमारी पार्टी ले सकती है। राजग के प्रयोग से सही सीख लेते हुए हमें इससे प्राप्त लाभों को ठोस बनाना चाहिए। जहाँ-जहाँ हम गठबंधन में हैं, वहाँ-वहाँ हमें अपने सहयोगियों से अच्छे संबंध विकसित करने चाहिए। हमें एक ऐसा सक्षम सिस्टम बनाना चाहिए, जो भाजपा तथा हमारे सहयोगियों के बीच नियमित आधार पर राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक चले। यह विशेष रूप से उन प्रदेशों में आवश्यक है, जहाँ भाजपा अन्य दलों के साथ मिलकर सत्ता में है।

□

मूल की ओर लौटें

इस दस्तावेज में वर्णित संगठनात्मक भावी कार्यों को संक्षेप में 'मूल की ओर लौटें' वाक्य में समेटा जा सकता है। पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के दिनों और भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती वर्षों की तरह हमारे पदाधिकारियों और मुख्य कार्यकर्त्ताओं को अपने समय का मुख्य हिस्सा अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी-कार्य के लिए प्रवास करने, पार्टी कार्यकर्त्ताओं से घुलने-मिलने, लोगों तक पहुँचने, संस्थागत योजना बनाने और व्यापक कार्यक्रमों को आयोजित करने में लगाना चाहिए। अपने कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें आदर्श स्थापित करने चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण है कि हममें से प्रत्येक को इस योग्य होना चाहिए कि हम अपने आदर्शवाद और विचारधारा से लोगों को प्रेरित कर सकें।

पार्टी के प्राथमिक स्तर से लेकर ऊपर तक हमें पार्टी की पुरानी कार्यपद्धति, नियमित बैठकें, सुनियोजित योजनाएँ, कार्य का बँटवारा और जिम्मेदारियाँ, सामूहिक समीक्षा और विश्लेषण, आगे के लिए सुधार और भविष्य के कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ने के संकल्प को मजबूत करना चाहिए। इसी तरह पं. दीनदयाल उपाध्याय हमारा मार्गदर्शन करते थे। यही वह पथ है, जिसपर चलकर श्री अटलजी, श्री आडवाणी जी, स्व. कुशाभाऊ ठाकरे और अन्य पुराने एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संगठन खड़ा किया।

हममें से प्रत्येक को यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं, पार्टी के कारण हैं। हमारी अपनी निजी चेतना, निजी व्यक्तितत्व और निजी पहचान पार्टी की चेतना, पार्टी के व्यक्तित्त्व और पार्टी की पहचान से जुड़ने चाहिए। हमारा कहने का मतलब है—'राष्ट्र पहले, फिर पार्टी, बाद में हम।'

□

चिंतन दस्तावेज का उपरोक्त प्रारूप बृहद नहीं है, अपितु तात्कालिक और दीर्घकालिक कार्यों को करने की ओर संकेत करनेवाला है। भाजपा ने अतीत में बहुत से उतार-चढ़ाव देखे हैं। उपर्युक्त सुधार करके पार्टी संकटों से उबरकर आई है। हमें पूरा भरोसा है कि हम फिर से मजबूत होकर उभरेंगे और पार्टी तथा राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों से निपटने में भी सफल होंगे।

□

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

रायपुर 18–20 जुलाई, 2003

मिशन 2004 — कार्य-योजना

1. (क) पदाधिकारियों के बीच कार्य–विभाजन, कार्यकर्ताओं को जुटाना और सभी स्तरों पर पार्टी–तंत्र को चुस्त बनाना।
   (ख) मतदाता–सूचियों पर विशेष ध्यान देना, जिसमें उनका सत्यापन और उनकी पहचान पर भी ध्यान दिया जाए।
   (ग) राज्य सरकारों की भूल–चूकों पर आरोप–पत्र तैयार करना।
   (घ) राज्य सरकार के विरोध में लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का अयोजन करना।
   (ङ) राज्य के कोने–कोने तक पहुँचने और लोगों में जन–जागृति पैदा करने के लिए प्रयत्न करना जिसमें राज्य सरकार में परिवर्तन की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देना, भाजपा को मजबूत बनाने की आवश्यकता तथा इस अभियान के दौरान भाजपा को वोट देने और उसके शासन तथा विकास को मुख्य विषय वस्तु बनाने की जरूरत पर जोर देना।
2. अन्य सभी राज्यों के लिए अक्तूबर, 2003 तक सभी जिला–मुख्यालयों में पार्टी–कार्यालय स्थापित करना।
3. सभी राज्यों में पार्टी के प्रकाशनों को मजबूत बनाना और इन प्रकाशनों का सदस्य बनना प्रत्येक सक्रिय सदस्य के लिए अनिवार्य करना।
4. (क) प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र से कम–से–कम एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता तैयार करना और उसे 'चुनाव सहायक' का नाम देना।
   (ख) स्थानीय समर्थकों में से अंशकालिक कार्यकर्ता भर्ती करना, जो सप्ताह में एक दिन या दो दिन कम–से–कम दो घंटे का समय दे सकें।

5. राज्य और जिला स्तर पर मीडिया टीमें स्थापित करना और कार्यशाला आयोजन करना।
6. भाजपा-नीत गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के विवरण का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में कराना और उनकी प्रतियाँ सभी लोगों को उपलब्ध कराना।
7. राज्य स्तर पर चिंतक-समूह (थिंक टैंक) तैयार करना, अक्तूबर 2003 से पहले राज्य स्तर पर चिंतन बैठकें आयोजित करना।
8. प्रत्येक गाँव, मोहल्ले और घर तक अपनी पहुँच बनाने के लिए 'गाँव चलो, घर-घर चलो' नारा लेकर विशाल स्तर पर 'जन संपर्क अभियान' चलाना।
   (क) सरकार द्वारा किए जा रहे प्रवासों और विकास गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुँचाना।
   (ख) केंद्रीय सरकार की योजनाएँ समुचित रूप से कार्यान्वित होने की जानकारी लोगों से लेना।
   (ग) लोगों की शिकायतें एवं सुझाव चिह्नित करना और उनकी जानकारी पार्टी तक पहुँचाना।
   (घ) घोषित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु प्रशासन पर दबाव डालने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन/अभियान चलाना
9. जहाँ हम विपक्ष में हैं, वहाँ कांग्रेस, वामपंथी और उनके सहयोगी दलों के खिलाफ सशक्त आंदोलन करना।
10. 'सामाजिक समरसता' पर जोर देना तथा किसानों और कामगारों, महिलाओं, युवाओं, दलितों आदि कमजोर वर्गों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना।
11. अल्पसंख्यकों के पास जाना, उन्हें छद्म सेक्युलर पार्टियों की वोट-बैंक राजनीति के बारे में समझाना तथा उन्हें भाजपा के साथ आने के लिए प्रेरित करना।
12. पार्टी द्वारा 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में कार्यकर्ताओं को शिक्षित किया जाना।
13. सभी जिलों में प्रकोष्ठों और मोरचों की स्थापना करना।
14. पदाधिकारियों के कार्यों का विभाजन करना, प्रत्येक पार्टी-कार्यकर्ता को उसका कार्य आबंटित करना तथा प्रत्येक कार्यकर्ता के कार्य-निष्पादन का आकलन करना।
15. पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय प्रमुख) का नियमित रूप से पार्टी-कार्यालय आना तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कुछ समय बातचीत करना।

16. जिला, लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र स्तर के सम्मेलन आयोजित करना।
17. लोगों तक पहुँचने के लिए विभिन्न स्तरों पर यात्राओं का आयोजन करना।
18. समर्पण, संवाद और सहयोग के प्रयासों को मजबूती प्रदान करना।
19. सभी स्तरों पर पुराने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाने के लिए विशेष प्रयास करना और अगले चुनाव-प्रचार अभियान के दौर के लिए उनका समर्थन जुटाना।
20. अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, उनके साथ परामर्श करना, मित्र दलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना एवं गठबंधनों के बारे में किसी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना। मुख्यतः हमारा ध्यान पार्टी के राजनीतिक और सामाजिक विस्तार पर रहना चाहिए।
21. प्रदेश अध्यक्षों, सांसदों विधायकों को व्यापक दौरे करने चाहिए, पार्टी और सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिक समय देना चाहिए और दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। इस वर्ष के अक्तूबर माह के अंत तक हमें प्रत्येक घर और प्रत्येक गाँव तक पहुँच जाना चाहिए। आइए, हम सब मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करें, जिससे हमें लोगों का मिजाज जानने में सुविधा होगी और इससे हम भविष्य के लिए एक सही रणनीति तैयार कर सकेंगे।
22. सभी स्तरों पर संगठन-चुनावों में आम सहमति तैयार करने की दिशा में कार्य करना।
23. निर्वाचित प्रतिनिधि अपने द्वारा किए गए जनहित के उपायों, कार्यों और उपलब्धियों के बारे में पुस्तिका प्रकाशित करें।
24. पराजित उम्मीदवारों की बैठक बुलाना और उन्हें लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान में शामिल करना।
25. भाजपा-शासित राज्यों को एक दृष्टि पत्रक (विजन डॉक्यूमेंट) तैयार करना चाहिए और सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना चाहिए।
26. मतदाता-सूची में नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने तथा उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र में मिले मताधिकार के महत्त्व को बताना तथा उन्हें भाजपा की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करना।

□

राष्ट्रीय परिषद्

नई दिल्ली 3 अगस्त, 2002

दिल्ली संकल्प

आज भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में परिवर्तन के गौरवपूर्ण पड़ाव पर खड़ी है। नए अध्यक्ष ने कार्यभार सँभाला है, और उनके साथ एक नई टीम कार्य में जुटी है। यह क्षण अक्षुण्ण प्रवाह का क्षण भी है, क्योंकि पार्टी राष्ट्रवाद की अपनी आधारभूत विचारधारा एवं देश को सुदृढ़, समृद्ध और पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनाने के अपने संस्थापित लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा से वचनबद्ध है।

इस परिवर्तन से हमने दिखा दिया है कि हम उभरती नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सुचारु रूप से अपनी पुनर्संरचना करने में समर्थ हैं। यद्यपि कुछ मायनों में पीढ़ीगत परिवर्तन हुए हैं, फिर भी ये परिवर्तन अनुभव और बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शी प्रभाव को सम्मान देते हुए युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के रचनात्मक सहयोग तथा तरुणाई और गतिशीलता को आगे बढ़ाने की देश की युगों पुरानी परंपराओं के अनुरूप हैं।

हमारी पार्टी एक मंत्र को लेकर स्थापित हुई थी—चरैवेति, चरैवेति, अर्थात् हर प्रकार की कठिनाइयों और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। यही मंत्र लेकर पार्टी पुनः गतिशील है। समय बदलता है। मनुष्य भी चले जाते हैं। परंतु पार्टी ने इस महान राष्ट्र और इसके महान लोगों की सेवा के प्रति अपने कर्तव्य के मार्ग पर अथक रूप से आगे बढ़ना जारी रखा है।

विचारधारा और आदर्शवाद की पक्की नींव

पाँच दशक पूर्व स्व. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में और बाद में पं. दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ यह मार्ग प्रशस्त हुआ था। पिछले लगभग ढाई दशकों में इसकी यात्रा अत्यंत दुर्गम

रही। कहीं भी राजनीतिक सत्ता की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती थी, परंतु पार्टी ने अपने लक्ष्य को ओझल नहीं होने दिया। संसाधन सीमित थे, परंतु इसके थोड़े से समर्पित तथा अनुशासित कार्यकर्ताओं के दिलो-दिमाग में आदर्शवाद भरा हुआ था। कठिनाइयों का कोई अंत नहीं था और ये कठिनाइयाँ बड़ी भारी थीं, परंतु पार्टी के निःस्वार्थ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हर कठिनाई को अत्यंत आत्मविश्वास के साथ-साथ बलिदान करने को उद्यत रहने की भावना से आसान बना दिया। आज हम अपने उन नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो पूर्व के तारों की तरह चमककर प्रारंभिक यात्रा के दौरान उसे अंधेरे से निकालकर प्रकाश के मार्ग पर ले गए।

हमने सन् 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कर नई यात्रा का शुभारंभ किया। जिन कारणों से जनसंघ का समापन हुआ और भाजपा का युग आया, वह जनता पार्टी के उथल-पुथल का समय था, जो स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में अत्यधिक शिक्षाप्रद अध्यायों में से एक था। जैसा बाद की घटनाओं से स्पष्ट पता चला है, सभी पार्टियों में एकमात्र भाजपा ने ही उस अनुभव से सही सबक सीखा। यह ठीक है कि आपात्काल की यातना को समाप्त करने तथा कांग्रेस की तानाशाही को उखाड़ने में अनेक लोकतांत्रिक शक्तियों ने मिलकर काम किया। परंतु भाजपा ही ऐसी पार्टी थी, जिसे अन्य पार्टियों ने अलग-थलग करने का निंदनीय अभियान चलाया, जिसका सामना करते हुए उसने देश को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस का एक स्थिर और प्रभावकारी विकल्प बनने की खातिर सही रणनीति का वरण किया।

विशिष्ट पहचानवाली पार्टी की यात्रा बढ़ती रही

1980 और 1998 के बीच भी हमारी पार्टी के सामने अनेक चुनौतियाँ आईं। परंतु हमने प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति का सामना किया और परीक्षा में खरे उतरे। हम बार-बार लोगों के सामने अनेक कार्यक्रम और आंदोलन लेकर आए, जिनमें हमने राष्ट्रीय और स्थानीय—दोनों प्रकार के मुद्दों पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया। हमने दिखा दिया कि भाजपा लोकतंत्र की पक्की पक्षधर है और विकास तथा कल्याण की जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वचनबद्ध है। हमने यह भी सिद्ध कर दिया कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जो देश की पहचान, एकता और अखंडता की रक्षा के प्रश्न पर राष्ट्रवाद को सर्वाधिक जोर-शोर से उठाती रही है। हमने छद्म-सेक्युलरवाद के खिलाफ संघर्ष किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संघटनशील भूमिका के प्रति अपनी आस्था की पुष्टि की, जिसने देश की राजनीति का मार्ग ही बदल दिया। आनेवाले वर्षों में यही सब कुछ भाजपा को शक्ति प्रदान करता रहेगा।

यह बात भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि हमारी पार्टी में श्री अटल बिहारी

वाजपेयी ऐसे नेता हैं, जिन्हें देश की जनता ने स्वभावतः एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्वीकार किया है। उनकी लोकप्रियता और उनके प्रति सम्मान की भावना उनके प्रधानमंत्री बनने का जनादेश प्राप्त होने से बहुत पहले ही स्वीकार कर ली गई थी।

जमीन पर ठोस तथा सतत कार्य करने; राष्ट्रवाद का समर्थन करने में किसी तरह का समझौता न करने; समर्पित तथा अनुशासित संगठनात्मक नेटवर्क और प्रेरणादायक नेतृत्व के कारण भाजपा को लोगों का समर्थन, सद्भावना और विश्वास प्राप्त करने में सहायता मिली और इससे एक रिकॉर्ड समय में पूरे देश में पार्टी की शक्ति निरंतर बढ़ती चली गई। इन तत्त्वों के कारण लोगों को विश्वास हो गया कि यही—विचारधारा, आदर्शवाद, नेतृत्व और आचरण के मामले में विशिष्ट पहचानवाली पार्टी है।

हमारी पार्टी तथा इसके नेतृत्व में लोगों के इसी विश्वास के कारण, न कि किसी अन्य सहवर्ती कारण से, भाजपा राजग के अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ मार्च, 1998 में सत्ता में आई और इसी कारण हमें 1999 में फिर से लोगों का जनादेश प्राप्त हो सका।

अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि हमारी आज की विजय का आधार बीते कल की तपस्या है। हम प्रतिदिन इस बात को स्मरण रखेंगे कि इसी अटल सिद्धांत के आधार पर आनेवाले कल की हमारी सफलता की गारंटी आज के हमारे कठोर परिश्रम पर निर्भर करेगी। सतत सफलता की ओर बढ़ने के लिए इस परीक्षित फार्मूले का और कोई विकल्प नहीं है।

राजग सरकार की उपलब्धियों का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड

केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रमुख घटक स्वीकार किए जाने के बाद भाजपा अपने इतिहास के तीसरे और निर्णायक चरण में पहुँची। पिछले साढ़े चार साल में हमें अपने शासन के प्रदर्शन पर गर्व है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व के अधीन और साथ ही उप-प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी की कुशलता के परिणामस्वरूप राजग सरकार ने अनेक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं, जो इतिहास में बनी रहेंगी और गौरव से स्मरण की जाती रहेंगी। इसने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है देश को परमाणु शक्ति बनाने की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को पूरा करना। हमने विश्व-शांति के प्रति अपनी चिरंतन तथा समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रतिबद्धता को जरा भी कमजोर नहीं पड़ने दिया, ओर इस साहसी कदम के कारण विश्व की बड़ी शक्तियों ने भारत को वह सम्मान प्रदान किया, जिसपर उसका वैध हक बनता है।

कारगिल युद्ध में हमारी सरकार के दृढ़, किंतु संयत आचरण के कारण भारत को गौरवपूर्ण विजय मिली। साथ ही साथ उसकी कूटनीतिक पहल के कारण हमारे

देश का कद अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ऊँचा हो गया और पाकिस्तान भी अलग-थलग पड़ गया। सरकार ने पाक-प्रायोजित सीमापार आतंकवाद के खिलाफ बाद में जो अभियान चलाया, उसका अच्छा प्रभाव पड़ा, जिससे स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई। दरअसल स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कश्मीर मुद्दे पर देश को कभी भी इतनी अधिक प्रशंसा और समर्थन नहीं मिला, जितना अभी प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अनेक गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। इसने स्वतंत्र भारत के इतिहास में बुनियादी ढाँचे की सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी कुछ परियोजनाओं को शुरू किया है। इसकी नीतियों ने देश में दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और भारत विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुपर पावर बनकर खड़ा हो गया है। आर्थिक सुधारों में जबरदस्त परिवर्तनों के माध्यम से वे बेड़ियाँ टूटती जा रही हैं, जिनमें विगत में कांग्रेस सरकारों ने देश की अपार आर्थिक संभावनाओं को जकड़ रखा था।

वाजपेयी सरकार की उपलब्धियाँ अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ती हैं, जैसे—केंद्र-राज्य संबंध, जो आज इतने सुचारु रूप से चल रहे हैं, जितने पहले कभी किसी समय में नहीं रहे; गठबंधन की नई संस्कृति का निर्माण, जिसका आधार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वैध क्षेत्रीय और सामाजिक आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना है; और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की सुसंगत दृष्टि।

भाजपा सरकार में अपने प्रतिनिधियों का तथा राजग में अन्य सहयोगी दलों द्वारा इन उपलब्धियों में अपना योगदान देने के लिए उनका अभिनंदन करती है। इन उपलब्धियों के कारण भारत की लोकतांत्रिक तथा परिसंघीय परंपराएँ और भी मजबूत हुई हैं। यह भविष्य के लिए शुभ लक्षण है क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी की तानाशाही और निरंकुश प्रवृत्तियों पर कारगर ढंग से रोक लगी है।

भाजपा का भविष्य उज्ज्वल है

कांग्रेस पार्टी इस समय पतन के दौर में पहुँच गई है। उसके पास कोई आदर्श नहीं है, वह राष्ट्रवाद की किसी भी गहरी परिकल्पना से बंजर बन गई है और एकजुट पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वह खानदानी सिद्धांत पर अधिकाधिक दास भाव से आश्रित है, जिससे दीर्घकाल में कांग्रेस का राजनीतिक अस्त निश्चित है। कम्युनिस्ट बहुत तेजी से अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। देश में जो राजनीतिक परिदृश्य उभर रहा है, उससे भाजपा के सामने नए अवसर हैं, परंतु उतनी ही बड़ी चुनौतियाँ भी खड़ी हो रही हैं।

एक-दो राज्यों में क्षणिक झटकों से हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हम हाल के अनुभवों से कुछ सीखेंगे और अपनी पार्टी को निरंतर विजय-मार्ग पर ले जाने के लिए संकल्प करेंगे। साथ ही, हमें निरंतर स्मरण रखना होगा कि

हमारा लक्ष्य मात्र चुनाव जीतना और सरकारें बनाना नहीं है, बल्कि अच्छा शासन प्रदान करना है। केंद्र और कई अन्य राज्यों में इस समय और पहले भी शासन-संबंधी लाभप्रद अनुभव के आधार पर और साथ ही अन्य पार्टियों के अच्छे उदाहरणों के आधार पर भाजपा संकल्प करती है कि लोग जब-जब भी हमें अपनी सेवा करने का अवसर देंगे, हर बार हम सुशासन का एक विश्वसनीय इतिहास रचकर दिखाएँगे।

दरअसल पार्टी के अपने विकास के वर्तमान (तीसरे) चरण में पार्टी की सफलता की कसौटी यही है कि वह अपने निष्पादित कार्य-प्रदर्शन और सुशासन के बल पर पुनः जनादेश प्राप्त करके दिखाए। राजग के लिए यही प्रमुख तत्त्वों में से एक तत्त्व था कि वह 13वीं लोकसभा के चुनावों में विजय प्राप्त कर पुनः सत्ता में आया। इसी प्रकार गोआ में भाजपा सरकार हाल में नए चुनावों में विजयी रही। उसने पहले से मजबूत जनादेश प्राप्त किया। अब हमारे लिए यह सुनिश्चित करने का समय है कि भाजपा के लिए यही बात अपवाद न बनकर सामान्य नियम बन जाए।

21वीं शताब्दी में भाजपा की रणनीतिक जिम्मेदारी

अब महत्त्वाकांक्षी बनकर हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए— यदि कांग्रेस स्वराज की पार्टी थी और 20वीं शताब्दी में शासन में आने के लिए लोगों की लगभग स्वाभाविक पसंद थी तो अब भाजपा को सुराज की पार्टी बनाना है और 21वीं शताब्दी में इसे लोगों की स्वाभाविक पार्टी बनाना है।

इस लक्ष्य को अपने सामने रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम आत्म-प्रशंसा या अन्य किसी क्षुद्र तथा अशोभनीय उद्देश्य से सत्ता में आने की इच्छा रखते हैं। हमें सत्ता में आने की प्रेरणा उस गौरवपूर्ण परिकल्पना से मिलती है, जो पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 'एकात्म मानववाद' में प्रस्तुत की थी। इसके अलावा आगामी दशकों में देश के सामने खड़ी जबरदस्त क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों का वास्तविक आकलन हमें विवश करता है कि हम सत्ता में आएँ। केवल आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से विकसित, आंतरिक रूप से संगठित, सैन्य रूप से सुदृढ़ और सांस्कृतिक रूप से पुनर्जीवित भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और एकता की इन संभावित चुनौतियों का मुकाबला कारगर ढंग से कर सकता है।

क्या कारण है कि सभी आवश्यक संसाधनों से संपन्न होते हुए भी हमारा देश स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से पचास वर्षों में अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाया? हम मानते हैं कि इसका प्रमुख कारण यही रहा है कि भारत राष्ट्रीय लक्ष्य को सामने रखकर 'वैचारिक एकता' नहीं बना सका और न ही 'स्ट्रैटीजिक सोच' को सामने रखकर 'शासन-व्यवस्था' खड़ी कर सका। यह ठीक है कि जब भी कभी

बाह्य हमले के कारण संकट पैदा हुआ, तब सभी समुदायों और उनके सामाजिक-राजनीतिक संगठनों में तथा हमारे लोगों में सदैव उत्कृष्ट देशभक्तिजनित एकता पैदा हुई। परंतु सामान्य परिस्थितियों में प्रायः हमने अलग-अलग लक्ष्य सामने रखकर काम किया। परिणामस्वरूप भारत के एक सौ करोड़ विविधतापूर्ण लोगों की अपार सृजनात्मक शक्तियाँ बिखरी रहीं, जबकि आवश्यकता यह थी कि इन शक्तियों का उपयोग देश के चहुँमुखी तथा त्वरित विकास के लिए किया जाता।

इस स्थिति को समाप्त करना ही होगा। निस्संदेह सामाजिक संस्थानों को इस परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण योगदान देना होगा। किंतु मूल रूप से इस परिवर्तन की दिशा को मोड़ने का कार्य राजनीति ही कर सकती है। परंतु यह राजनीति विशिष्ट प्रकार की होनी आवश्यक है। आज देश को एक ऐसी एकीकृत तथा संघटनकारी राजनीतिक शक्ति की जरूरत है, जिसके पास भव्य राष्ट्रीय दृष्टि हो और वह एक लंबी अवधि तक राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर इसे अमली जामा पहनाने में समर्थ हो; जो गतिशील तथा विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के ढाँचे के अंदर हमारे विविधतापूर्ण लोगों की सभी वैध आकांक्षाओं को समवेत करने में समर्थ हो; जो वास्तविक सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, महिला सशक्तीकरण और न्यायोचित आर्थिक विकास के सिद्धांतों से बँधी हो; जो अपने दृष्टिकोण में आधुनिक हो; जिसके पास विश्व की घटनाओं तथा प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों तथा देश पर पड़नेवाले उनके प्रभाव की गहरी समझ हो; साथ ही वह देश की मूल्य-प्रणालियों तथा सांस्कृतिक परंपराओं के साथ बंधी रहने पर गौरव अनुभव करती हो; जिसके कार्यकर्ता गरीबों तथा वंचित लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हों और ऊँचे उद्देश्य को दृष्टि में रखकर राजनीति के तकाजों के दायरे में अपने व्यक्तिगत हितों को सहज रूप में समाहित करने की क्षमता रखते हों और इसके लिए तैयार हों।

भाजपा नई शताब्दी में देश के चहुँमुखी परिवर्तन के लिए इस प्रकार की उत्कृष्टतम राजनीतिक शक्ति बनना चाहती है।

यह कार्य किसी तरह सरल नहीं है।

- क्या हमारे पास समर्पण की भावना है और क्या हम पार्टी के हित में आधुनिक युग के दधीचि बनकर आत्मबलिदान करने हेतु तैयार हैं?
- क्या हमारे पास स्पंदनशील आंतरिक लोकतंत्र के ढाँचे में रहकर इस प्रकार का अनुशासन है, जो एक विनम्र सैनिक अपने देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य का निर्वाह करते हुए प्रदर्शित करता है?
- क्या हमारे पास स्वामी विवेकानंद का वह सच्चा संकल्प है, जिससे हम अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने की दिशा में बढ़ सकें?
- क्या हम कठिनतम बाधाओं को लांघ जाने तथा असंभव दिखाई दे रहे कार्यों को पूर्ण करने के लिए छत्रपति शिवाजी की सूझ-बूझ भरी सक्रियता प्राप्त कर पाएँगे?

हाँ, हमें ऐसे ही समर्पण, अनुशासन, संकल्प और गतिशीलता का आह्वान करना होगा, जो आज की स्थिति का तकाजा है। पार्टी पर तुरंत, अल्पावधि और मध्यम अवधि में जो अनेक उत्तरदायित्व आनेवाले हैं, उनका अहसास हमें है। इस संकल्प-पत्र में हम अपनी पार्टी तथा सरकार के समक्ष पाँच-पाँच मुख्य कार्यों की रूपरेखा दे रहे हैं।

पार्टी के सामने पाँच कार्य

1. क्षेत्रीय तथा सामाजिक विस्तार को सुदृढ़ करना तथा आगे बढ़ाना— हमारा सबसे अधिक तात्कालिक महत्त्वपूर्ण कार्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, जहाँ विधानसभा-चुनाव जल्द होनेवाले हैं, फिर से जनादेश प्राप्त करने के लिए पार्टी-तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करना है। हमें अन्य राज्यों में भी विजय हासिल करनी है, जहाँ चुनाव अगले वर्ष होंगे।

   हमारा उद्‌देश्य स्पष्ट और सीधा सादा है। हमें अपने पारंपरिक क्षेत्रों तथा सामाजिक समूहों में अपने समर्थन-आधार को सुदृढ़ करना है और साथ ही देश के और भी नए भागों तथा भारतीय समाज में अपने प्रभाव को विस्तार देना है। हमारी पार्टी को अपने नाम के अनुरूप भारत तथा भारतीय जनता का एक लघु संसार, एक लघु अनुकृति बनाना है।

   हमें किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहिए और अपने नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहिए— 'चलो गाँव की ओर'। हमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों में भी अत्यंत पिछड़े लोगों में तथा सभी वर्गों की महिलाओं में अपनी पार्टी के कार्य को बढ़ाने के प्रयास विशेष रूप से करने चाहिए। इसके लिए हमें विशेष कार्यक्रम और रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए एवं उन्हें पूरे संकल्प के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। हमें उन अनेक कल्याणकारी और विकासकारी योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाना चाहिए, जो केंद्रीय और राज्य—दोनों सरकारें पर्याप्त बजट-राशि का आवंटन कर इन वर्गों के लाभ के लिए चला रही हैं। इसके अलावा, इन समुदायों के समर्पित तथा उदीयमान नेताओं को खोजकर उन्हें हमें अपनी पार्टी तथा संबद्ध जन-संगठनों में लाकर पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए।

   काफी समय से भाजपा अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों, के बीच अपने समर्थन-आधार को विस्तार देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देती आ रही है। हमारे विरोधी एक खास उद्‌देश्य से तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रचार करते हैं कि भाजपा 'अल्पसंख्यक-विरोधी' है, जो किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि

कोई भी झूठ सदैव टिका नहीं रह सकता है। हम अल्पसंख्यकों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए तुष्टीकरण के तरीके नहीं अपनाएँगे, जिसे हमारे विरोधियों ने हठपूर्वक 'सेक्युलरिज्म' का नाम दिया है। हम इस दृष्टिकोण को सीधे-सीधे खारिज करते हैं। दरअसल हमारे मुसलिम भाइयों ने स्वयं ही इस निंदनीय चाल को समझ लिया है। वे समझ गए हैं कि कांग्रेस और अन्य छद्म-धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने उनकी बेरोजगारी, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की कमी आदि समस्याओं का समाधान करने में कोई मदद नहीं की है।

साथ ही हम सभी मामलों में अन्य नागरिकों के मुकाबले बिना कोई भेदभाव किए अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। हम उनकी विशेष समस्याओं और चिंताओं पर भी पूरी ईमानदारी तथा संवदेनशीलता से ध्यान देंगे। इस दिशा में हम जितना अधिक कार्य कर सकेंगे, उतनी ही हमें आज इस मिशन में सफलता मिलेगी।

2. ईमानदारी से आत्म-विश्लेषण करना और शीघ्र आत्म सुधार करके कमजोरियाँ दूर करना—

भाजपा को मजबूरी में ऐसे वातावरण में काम करना पड़ा है, जो वर्षों से कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों द्वारा फैलाई गई घोटालों की संस्कृति और सत्ता की चालों के कारण प्रदूषित हो गया है। हमें मालूम है कि इनमें से कुछ नकारात्मक गुण और प्रवृत्तियाँ हाल के वर्षों में भाजपा संगठन और उसके कामकाज में भी घुस गई हैं। जहाँ कहीं ऐसा बड़े अनुपात में हुआ है, वहाँ हमारी पार्टी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। गुटबंदी, पदों, रुतबों और चुनावों में पार्टी-टिकट के लिए आंतरिक कलह, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों में अनुशासनहीनता, और पार्टी के कामकाज के बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं से परामर्श न करना, परिणामतः उनकी कम भागीदारी होना—ये सभी ऐसी बातें हैं, जिनके कारण पार्टी-संगठन की कुछ प्रदेश तथा स्थानीय इकाइयों को समय समय पर क्षति पहुँची है। कभी-कभी हमारे कुछ विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की बेईमानी के कारण लोगों के बीच पार्टी की छवि बिगड़ी है। वस्तुतः ये कमजोरियाँ अन्य राजनीतिक दलों में और अधिक हैं। परंतु स्वाभाविक है कि जिन बातों का दुष्प्रभाव हमारी पार्टी पर पड़ता है, उनकी चिंता हम तुरंत करें। हमारी पार्टी के मूल और महत्त्वपूर्ण अंग स्वस्थ बने हुए हैं। जब कभी आवश्वकता पड़ी है, हम उपचारी काररवाई करने में सक्षम रहे हैं। फिर भी इन सभी बुराइयों पर सतर्कता और अधिक बढ़ाने के लिए आज पार्टी प्रतिज्ञा करती है। हमें विशेष रूप से

शांत भाव से सबक लेना चाहिए कि इन नकारात्मक गुणों ने किस बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी को पतन और क्षय की दिशा में धकेल दिया। अतः हमारे सामने सबसे बड़ा काम है: ईमानदारी से आत्मावलोकन और त्वरित उपचारी काररवाई, ताकि सभी स्तरों पर पार्टी संगठन को पुनः शक्तिशाली बनाया जा सके। पार्टी की प्रत्येक इकाई में उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक टीम भाव से कार्य करना आवश्यक है। हर पार्टी कार्यकर्ता व कार्यकर्त्री को प्रतिदिन स्वयं से पूछना होगा—

'क्या मैंने पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया है? मुझे जो काम सौंपा गया है, क्या उसके प्रति मैंने न्याय किया है?' आत्मआकलन, आत्मानुशासन और आत्मसुधार ही वह अचूक औषधि है, जिससे हमारी पार्टी में प्रवेश कर गई विकृतियों को दूर किया जा सकता है।

3. लोगों तक सरकार का और सरकार तक लोगों का संदेश पहुँचाना—
पार्टी संकल्प करती है कि वह राजग सरकार की उपलब्धियों को पूरे गर्व, विश्वास तथा उत्साह से लोगों तक पहुँचाएगी। हमारी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और प्रदर्शन के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हमारे कार्यकर्ता ही हो सकते हैं। इसी प्रकार लोगों की ओर से जो जानकारी मिलती है, उसे सरकार तक पहुँचाने का कार्य पार्टी-कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अतः हमारी पार्टी को सरकार और लोगों के बीच सजग तथा सतर्क कड़ी बनकर दोतरफा संदेश भेजने में महारत हासिल करनी होगी। इसके लिए पार्टी के हमारे पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को सभी स्तरों पर व्यापक रूप से जन-कार्य को बढ़ाकर इस संदेश पर ध्यान देना होगा—"लोगों तक पहुँचने के लिए सतत प्रवास करते रहो। सक्रिय रहो, लोगों को जानकारी दो; लोगों से जानकारी लो; सरकार से संदेश लेकर लोगों तक पहुँचाओ और लोगों के संदेश सरकार तक पहुँचाओ।"
4. अनुकरणीय जन-नेता और, समर्पित कार्यकर्ताओं का निर्माण तथा दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना—
पार्टी के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण कार्य ऐसे नेता तैयार करना है, जिनका विभिन्न स्तरों पर व्यापक प्रभाव हो। भाजपा को ऐसे अधिकाधिक नेताओं की आवश्यकता है, जिनका हमारे वैविध्यपूर्ण देश में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच व्यापक समर्थन-आधार हो। जब भाजपा ने एक सैद्धांतिक पार्टी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी, तब पार्टी के पास सीमित समर्थन आधार था। आज भाजपा एक 'सामूहिक पार्टी'—'समग्र पार्टी'—बन चुकी है, जिसके पास समर्पित और विचारधारा के प्रति

वचनबद्ध कार्यकर्ताओं का पूरा नेटवर्क है। इसी मार्ग पर अपना विस्तार जारी रखते हुए हमें सामूहिक राजनीति के दो प्रमुख पहलुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एक—उन समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व देना, जिनका संख्या की दृष्टि से महत्त्व है और सत्ता-संरचना में जिनका प्रतिनिधित्व कम रहा है, और दो—करिश्माई जननेता, जो इन समुदायों में लोकप्रिय होने के साथ-साथ समग्र रूप से किसी जिले या राज्य के नेता के रूप में पहचान रखते हैं।

जन-नेताओं की उपयोगिता से अनुशासित पार्टी संगठन के ढाँचे के अंदर उनके कामकाज का महत्त्व कम नहीं हो जाता है। इसलिए हमें एक ऐसी संस्कृति तैयार करनी होगी, जिससे भाजपा इन जननेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं—दोनों की शक्तियों का उपयोग कर सके।

हमारी पार्टी एक ऐसे वातावरण में कार्य कर रही है जिसमें राजनेताओं की विश्वसनीयता और सार्वजनिक छवि पर्याप्त रूप से क्षरित हुई है। इस स्थिति में हमारे पदाधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर एक और जिम्मेदारी आ जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी एवं संसद, विधानमंडलों तथा अन्य निकायों में नैतिक आचरण तथा गरिमा और शालीनता कायम रखने के ऊँचे मानदंड स्थापित करें। विगत की भाँति भाजपा को आदर्श नेताओं और अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में आगे भी अपनी पहचान जारी रखनी होगी।

5. 'सत्तारूढ़ पार्टी' की मानसिकता तैयार करना और 'सुशासन' के लिए संगठन की क्षमता तैयार करना—

1998 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से हमने पार्टी-संगठन के सभी स्तरों पर इस बात की बहुत आवश्यकता महसूस की है कि हमें एक 'मानसिक परिवर्तन' लाने की जरूरत है, वह यह कि अब हम विपक्षी पार्टी से सत्तारूढ़ पार्टी बन गए हैं। संक्षेप में, इसका मतलब यह है कि शासन करने की जिम्मेदारी के महत्त्व को समझा जाए और स्वीकार किया जाए, तथा इस विशाल तथा विविधतावाले देश को सुशासन प्रदान किया जाए। इसका मतलब है कि राष्ट्र के समक्ष खड़ी विभिन्न समस्याओं, मुद्दों तथा उनकी जटिलताओं को समझा जाए और कारगर ढंग से उनसे निपटने के लिए आवश्यक क्षमता पैदा की जाए।

हमें समझना होगा कि लोगों की आशाएँ हमसे बहुत अधिक हैं। हमारे लोग अब और अधिक खाली वादों के झाँसे में आनेवाले नहीं हैं। वे चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग उनकी अत्यावश्यक और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करें। वे अच्छा काम करनेवालों को पुरस्कार देते हैं तथा उनकी समझ में जो लोग ठीक काम नहीं करते

हैं, उन्हें वे दंड देते हैं।

देश में नए चुनावी परिदृश्य के कारण पहले की तुलना में राजनीति और शासन के विकासोन्मुखी होने का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है। इस नई आशा की पूर्ति के लिए हमारी पार्टी को और अधिक इच्छाशक्ति तथा अधिक संकल्प तथा और अधिक आंतरिक क्षमता का विकास करना होगा, ताकि हमारे कार्य-प्रदर्शन का स्तर निरंतर सुधरता रहे। हमें शासन की सभी तरह की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पार्टी के अंदर क्षमता के और अधिक विकास पर ध्यान देना होगा। हमें धीरे-धीरे भली-भाँति प्रशिक्षित ऐसे पार्टी-पदाधिकारियों को तैयार करते रहना होगा, जो कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेशी मामलों, रक्षा तथा अन्य इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों के शासनादेशों से निपटने में सक्षम हों। हमारे पार्टी-कार्यकर्ताओं को भी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक मामलों की गहरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि विगत की तुलना में इन सभी का प्रभाव देश पर पहले से कहीं अधिक पड़ता है। स्पष्ट है कि वैचारिक और शासन-संबंधी मुद्दों के प्रशिक्षण को पार्टी की समग्र गतिविधियों में प्रमुख स्थान देना होगा।

सरकार के समक्ष पाँच कार्य

1. पाकिस्तान-प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद को निर्णायक रूप से समाप्त करने के लिए संघर्ष को और अधिक तेज करना—

   पार्टी महसूस करती है, और चाहती है कि लोग भी महसूस करें, कि यह लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलनेवाली है। देश ने लगभग 15 वर्षों तक पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद अंततः निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। इसी प्रकार हम जम्मू और कश्मीर में भी सफल होंगे। पार्टी इस संबंध में राजग सरकार द्वारा उठाए गए निश्चित तथा दृढ़ कदमों की सराहना करती है। साथ ही हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस संघर्ष को और तेज करे तथा अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करे, ताकि पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर किया जा सके कि वह अपनी कश्मीर-नीति के हथियार के रूप में जिस आतंकवाद तथा मजहबी उग्रवाद पर खतरनाक और आत्मघाती निर्भरता को लेकर चल रहा है, वह उससे स्थायी रूप से पीछे हट जाए।

2. 8 प्रतिशत जी.डी.पी. की विकास-दर को निरंतरता के साथ प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक खाका प्रस्तुत करना—

   भाजपा इस बात के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करती है कि उन्होंने

राष्ट्र के सामने एक महत्त्वाकांक्षी—8 प्रतिशत जी.डी.पी. की सतत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। हमारा देश इस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना गरीबी और बेरोजगारी पर कोई बड़ा प्रहार नहीं कर सकता है। सरकार को इसे प्राप्त करने के लिए दोहरी रणनीति तैयार कर निर्धारित लक्ष्य का अनुसरण करना चाहिए। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों से जो योगदान मिलने की आशा की जाती है, इन सबकी जानकारी व्यापक रूप से प्रकाशित कर दी जानी चाहिए। 8 प्रतिशत जी.डी.पी. विकास-दर प्राप्त करने के लक्ष्य को राष्ट्रीय मिशन बना लेना चाहिए। इसके लिए सतत जनांदोलन चलाकर इसे लोगों का अपना लक्ष्य बना दिया जाए, ताकि यह केवल सरकार का लक्ष्य न रह जाए।

इसे जनांदोलन का रूप देने का एक तरीका यह है कि हम अपने आर्थिक सुधारों के मार्गनिर्देशी सिद्धांत 'राष्ट्र के हितों की सुरक्षा और लोगों के कल्याण, विशेष रूप से गरीबों तथा समाज के अति निर्धन लोगों के कल्याण की रक्षा' को लेकर इसका संकेंद्रित प्रचार तेज करें। सरकार को अपनी नीतियों, उपलब्धियों तथा अपनी उन प्रमुख योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सुधार लाना चाहिए, जिन्हें उसने शुरू किया है और लोगों को बताना चाहिए कि इनसे आम आदमी को किस प्रकार लाभ पहुँचेगा। सरकार को रेलवे, बिजली, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे आदि में कुछ और बड़ी पहल शुरू करने पर विचार करना चाहिए। चूँकि बिजली की स्थिति विशेष रूप से देश के अधिकतर भागों में गंभीर है और चूँकि यह राज्यों का विषय है, इसलिए सरकार को तुरंत एक आम सहमति बनानी चाहिए, जिससे सभी पार्टियाँ और राज्य सरकारें सुधार-रणनीति के साथ बंध जाएँ। पार्टी सरकार से वर्तमान सामाजिक सुरक्षा-योजनाओं की कार्यप्रणाली में सुधार करने और विभिन्न वर्गों के निम्न तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए नई योजनाएँ शुरू करने का आग्रह करती है।

3. 'रोजगार के नए एक करोड़ अवसर प्रदान करने' के वादे को पूरा करने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की जाए—

भाजपा ने सदैव 'नौकरियाँ बढ़ानेवाले विकास' की वकालत की है और 'बिना नौकरियोंवाले विकास' के मॉडल को अस्वीकार किया है, जिसे पिछली सभी कांग्रेस सरकारें अपनाती रही थीं। इस प्रसंग में भाजपा मतदाताओं से किए गए उस वादे का स्मरण सरकार को कराना चाहती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में रोजगार के एक करोड़ नए अवसर पैदा करने की बात कही गई थी। पार्टी सरकार को योजना आयोग द्वारा स्थापित

समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने पर बधाई देती है। हम इन सिफारिशों को दृढ़ निश्चय से तथा अविलंब कार्यान्वित करने का आह्वान सरकार से करते हैं। राष्ट्र-निर्माण के लिए हमारे युवाओं की असीम शक्ति का उपयोग करना पूर्ण उत्पादनकारी रोजगार की एक पूर्व शर्त है। सरकार को अपने रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रमों पर नजर रखने के कार्य में सुधार लाना चाहिए, जिनपर बहुत बड़ी राशि खर्च की जाती है। पिछले बजट में देश के सभी विपत्तिग्रस्त जिलों के लिए घोषित 'जयप्रकाश नारायण गारंटिड रोजगार योजना' को तेजी से शुरू किया जाना चाहिए। स्वसहायता समूहों में निर्धनता-उन्मूलन की विशाल संभावनाएँ हैं, अतः इसे जनांदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। स्वसहायता समूहों के माध्यम से गरीबों के आर्थिक सशक्तीकरण में भी निम्नतम स्तर पर उत्तरोत्तर सामाजिक बदलाव लाने में बहुत मदद मिल सकती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह बैंकों को निर्देश दे कि वे आवश्यक माइक्रो-क्रेडिट ऋण देकर गरीबों की पूरी सहायता करें। केंद्रीय धनराशि से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों के कार्य-प्रदर्शन के आधार पर उनका श्रेणीकरण करना चाहिए, और इस श्रेणीकरण का व्यापक प्रचार करना चाहिए। अनौपचारिक क्षेत्र में लघु उद्योगों और उद्यमों की कठिनाइयों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें रोजगार पैदा करने की सर्वाधिक संभावनाएँ हैं। वर्तमान श्रम कानूनों की पुनः रचना की जानी चाहिए, ताकि नए रोजगार पैदा करने में आनेवाली रुकावटें दूर की जा सकें। साथ ही वर्तमान श्रमिकों के हितों की भी रक्षा समुचित रूप से करनी चाहिए।

4. कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों पर अधिक ध्यान देना—

हमारी सरकार ने किसानों के हितों को आगे बढ़ाने और ग्रामीण विकास को उत्प्रेरित करने के लिए बहुत कुछ किया है। फिर भी कृषि तथा ग्रामीण विकास का संचित बोझ इतना अधिक है कि हमें इनपर कई गुना अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वर्ष कई राज्यों में कम वर्षा की आंशका को देखते हुए पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि वह अपने सूखा-निवारण उपायों के कार्यक्षेत्र को, विशेष रूप से 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रमों को बहुत अधिक बढ़ाए। साथ ही वह हमारी कृषि को कारगर ढंग से सूखे से प्रभावित होने से बचाने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाए। कारगर ढंग से बाढ़-नियंत्रण उपायों के लिए भी इसी प्रकार की रणनीति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने हाल में

राष्ट्रीय जल-संवर्धन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। पार्टी प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई देती है और इसे जल्द ही कार्यान्वित करने का आग्रह करती है। फसल बीमा योजना को और अधिक व्यापक बनाना चाहिए। फसलों के विविधीकरण और खाद्य प्रसंस्करण के लिए नए अवसर तैयार करने चाहिए। सरकार को चाहिए कि बैंकों को निर्देश दे कि वे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे भारी सफलता मिली है, को विस्तारित करें, जिससे सन् 2004 तक सभी किसानों को ये कार्ड मिल जाएँ।

विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा क्षेत्र है, जो भारतीय उद्योगों और कृषि के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार को हमारे लोगों को, विशेष रूप से किसानों को, नई चुनौतियों और विश्व व्यापार संगठन द्वारा पैदा किए गए अनेक अवसरों की जानकारी देनी चाहिए। राष्ट्र को मालूम होना चाहिए कि केवल एकजुट राष्ट्रीय प्रयास से ही हम भरोसे के साथ भविष्य का सामना कर सकते हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों, राज्य सरकारों और लोगों की भागीदारी आवश्यक है। हमें संक्रांति काल में आनेवाली कठिनाइयों से निपटने के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के लिए और भी बेहतर समृद्धि के मार्ग में ये कठिनाइयाँ आगे बढ़ने का साधन हैं।

सन् 2002 संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की दसवीं वर्षगाँठ है। इन संशोधनों के द्वारा पंचायती राज संस्थानों का सशक्तीकरण हुआ। यहाँ तक तो यह स्वागत-योग्य है, परंतु पिछले 10 वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि पंचायती राज संस्थानों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का कारगर ढंग से निर्वाह करने में सहायक वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियों का अभाव जारी है। इसलिए पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि वह हाल में पंचायती राज सम्मेलन में पंचायतों को वास्तविक रूप से सशक्त बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने संबंधी सर्वसम्मत प्रस्ताव पर तेजी से काररवाई करे।

5. कार्यान्वयन तंत्र को सशक्त बनाना—

ऊपर जिन मुद्दों को उठाया गया है, वे सरकार के समक्ष कार्यों का छोटा सा, परंतु महत्त्वपूर्ण भाग हैं। किंतु इनमें से कोई भी कार्य तब तक संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक सरकार प्रदेश में सुव्यवस्थित ढंग से इसके कार्यान्वयन में सुधार नहीं ला पाती है। हमारी व्यवस्था में विकास के मार्ग में ऐसी कई बाधाएँ हैं, जो वित्त-संबंधी नहीं हैं परंतु जिनके कारण विलंब होता है, अकुशलता आती है, लागत

बढ़ती है और भ्रष्टाचार फैलता है।

प्रधानमंत्री ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों की कार्यान्वयन-क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। पार्टी महसूस करती है कि अभी तुरंत सरकार इस मोरचे पर गंभीरता से काररवाई शुरू करे। इस कार्य में व्यापकता लानी होगी, जिसमें शासकीय सुधार, प्रशासकीय सुधार, विधिसम्मत और न्यायिक सुधार और स्वैच्छिक संगठनों की विस्तारित भूमिका—सभी को शामिल करना होगा।

सभी नीतियाँ और कार्यक्रम जन-केंद्रित होने चाहिए। साथ ही इनमें अधिकाधिक पारदर्शिता और लोगों की भागीदारी अंतर्निहित रहनी चाहिए। जिन अधिकारियों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उनपर जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए साथ ही साथ प्रोत्साहन और हतोत्साहन की समुचित प्रणाली भी शुरू करनी चाहिए। हमारा व्यापक उद्देश्य हर स्तर पर मानसिकता को बदलना तथा देश में नई परिणामोन्मुखी कार्य-संस्कृति तैयार करना होना चाहिए।

निष्कर्ष

'दिल्ली संकल्प' नामक इस संकल्प-पत्र में भाजपा के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें देश के भविष्य को बनाने में पार्टी की भूमिका और साथ ही हमारी पार्टी तथा हमारी सरकार के समक्ष मुख्य कार्यों की स्पष्ट पहचान की गई है। हम गर्व से पुनः अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं कि हमारी पार्टी विशिष्ट पहचान की पार्टी बनी रहेगी। हमारी सरकार भी विशिष्ट पहचान की सरकार है।

हमारा संकल्प है कि हम इस 'विशिष्ट पहचान' कारक को आनेवाले समय में और अधिक मुखरित कर दिखाएँगे।

□

राष्ट्रीय परिषद्

चेन्नई

27–29 दिसंबर, 1999

21वीं शताब्दी, भारत की शताब्दी—चेन्नई घोषणा-पत्र
राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में स्वीकृति के लिए विचारार्थ

आइए, हम भाजपा की मूल्य-आधारित राजनीति के लिए प्रतिबद्धता बढ़ाने, पाटी के जन-आधार को व्यापक बनाने, और देश को सुशासन देने का कारगर साधन बनाने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित कर दें।

•

आइए, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझा घोषणा-पत्र को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करें।

•

नई शताब्दी के अवसर पर नया संकल्प

आइए, 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने के लिए हम कदम बढ़ाएँ।

भूमिका

हमारा देश प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है। इस प्रगति की यात्रा में वादों से लेकर उनकी पूर्ति तक, और संभावनाओं से लेकर उनके निष्पादन तक, नियति

ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। यह जनादेश राजग को देश के लोगों ने सुशासन के माध्यम से मातृभूमि की सेवा करने के लिए एक लोकतांत्रिक निर्णय के रूप में दिया है।

यह कैलेंडर परिवर्तन के साथ मात्र संयोग की बात नहीं है कि देश को 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में ले जाने का उत्तरदायित्व भाजपा को प्राप्त हुआ है। लोगों ने विश्व-इतिहास के इस मोड़ पर हमारे इस संकल्प का स्मरण कराने के लिए हमें उत्तरदायित्व सौंपा है कि हमें इक्कीसवीं शताब्दी को 'भारत की शताब्दी' बनाना है। इस उत्तरदायित्व में यह अवसर भी छिपा है कि हम भारत माँ की 100 करोड़ संतानों की राष्ट्रवादी भावना और रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग कर अपने इस संकल्प को यथार्थ में परिणत कर दें।

राष्ट्र के रूप में हमारा स्थान

इस शताब्दी के आरंभ में भारत एक गुलाम देश था। इस सहस्राब्दी के अधिकांश समय में, जिसकी समाप्ति में एक और वर्ष शेष है, भारत स्वयं अपने भाग्य का विधाता नहीं रहा है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम अत्यंत गौरवपूर्ण रहा। विश्व में इसके दार्शनिक रूप और सार्वभौम अपील का कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलेगा। इस गौरवपूर्ण संग्राम के बाद सन् 1947 में आधुनिक युग में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्राचीन सभ्यता ने पुनर्जन्म लिया। विनाशकारी द्वि-राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर मातृभूमि के विभाजन के कारण इस संघर्ष में मिली विजय पर आंशिक रूप से दाग भी लगा। स्वतंत्र भारत के उदय और उसके बाद जल्द ही सन् 1950 में गणराज्य का संविधान अपनाने पर देश के लोगों को अपने राष्ट्रीय जीवन-मूल्यों के अनुसार अपने भविष्य का निर्माण करने और स्वयं ही लोकतांत्रिक रूप से अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए पहला वास्तविक अवसर मिला।

आज इस शताब्दी के अंत में हमारा देश एक स्वतंत्र, सुदृढ़ और स्वाभिमानी राष्ट्र है, जिसे अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त हैं। किंतु स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के पाँच दशकों को देखने पर हमें यह दुःखद अनुभव होता है कि भारतीयों ने जितनी उपलब्धि प्राप्त की, वह हमारे पास संग्रहीत संभावनाओं के मुकाबले बहुत कम रही। कई मायनों में यह हमारी विफलताओं और अवसरों के चूक जाने की गाथा है।

कांग्रेस कुशासन के परिणाम भुगतने पड़े

हम देखते हैं कि मूलभूत प्राथमिकताओं (उदाहरणार्थ—लोगों की गरीबी दूर करना और सभी नागरिकों के लिए बुनियादी शिक्षा तथा स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करना) की उपेक्षा हुई। अनेक परिहार्य गलतियाँ की गईं (उदाहरणार्थ—

50 वर्ष पुरानी कश्मीर–समस्या, उत्तर–पूर्व में तथा देश के अन्य भागों में उग्रवाद के कारण समस्या और गंभीर बन गई)। अर्थव्यवस्था में कुप्रबंध छाया रहा (उदाहरणार्थ—बाह्य और आंतरिक ऋण का अंबार, जिसके कारण केंद्र के संसाधनों पर बुरी तरह से दबाव पड़ा)। इससे भी बढ़कर विभिन्न स्तरों पर कुशासन चलता रहा, जिसके कारण नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में बार बार समस्याएँ उत्पन्न हुई, क्योंकि भ्रष्टाचार और नौकरशाही के कारण ये समस्याएँ उत्पन्न होती रहीं और लोगों का भ्रम टूट गया।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद विकास के लाभों से हमारी लगभग आधी जनसंख्या वंचित रही। यह दुःख की बात है कि आज जब हमारा देश नई शताब्दी में प्रवेश कर रहा है तो 35 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, लगभग 50 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं, 40 प्रतिशत को पेय जल भी उपलब्ध नहीं है और 70 प्रतिशत लोगों को स्वच्छता की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। बुनियादी ढाँचे के विकास की काफी उपेक्षा हुई, जबकि तेजी से आर्थिक विकास और इसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर की उत्पत्ति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। परियोजना कार्यान्वयन में विलंब के कारण पूर्ति और माँग के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ हमारे मेहनती किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन किया, वहीं कृषि, सिंचाई, कृषि–उद्योगों, कारीगरों तथा शिल्पकारों के प्रति असीम उपेक्षा के कारण हमारा ग्रामीण भारत पिछड़ेपन के गर्त में चला गया।

भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे, कृषि तथा सिंचाई के विकास के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता है। किंतु देश की राजकोषीय हालत चिंता का विषय बनी हुई है। राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति और भी बदतर है। यह सब कुछ कांग्रेस के लंबे शासन के दौरान गलत आर्थिक नीतियों, और यहाँ तक कि सुदृढ़ नीतियों को भी गलत ढंग से कार्यान्वित किए जाने का फल है। इन नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में निहित संसाधनों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। विशाल सरकारी निवेश से बनाई गई राष्ट्रीय संपत्ति को या तो निष्क्रिय पड़ा रहने दिया गया, या उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ, या वह बीमार सिद्ध हुई।

सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों की कमी तब और भी प्रखर रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं, जब हम देखते हैं कि विश्व में अनेक विकासशील देशों ने कहीं अधिक तेजी से विकास किया है। जाहिर है कि विकास के क्षेत्र में इन खराब संकेतों से विश्व में देश की छवि और प्रभाव पर बुरा असर पड़ा है।

राजनीतिक संस्कृति प्रदूषित हुई

लंबे समय से चले आ रहे कुशासन के दुष्प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहे। 1970 तथा 1980 के दशकों तथा 1990 के दशक के अधिकांश

समय में सत्ताधारी राजनीतिक पक्ष के कारण भारतीय राजनीति में नैतिक एवं लोकतांत्रिक स्तरों पर बुरी तरह गिरावट आई। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को राजनीति का एक अनिवार्य तत्त्व मानकर आचरण किया और इसका समर्थन किया। इससे प्रशासन, न्यायपालिका और यहाँ तक कि सुरक्षा के संस्थान भी कमजोर हुए और उन्हें क्षति पहुँची। अपने तानाशाही रवैये के कारण कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी राज्य सरकारों को बरखास्त करने के संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया और इस प्रकार देश के संघीय सिद्धांत पर कुठाराघात किया। दल-बदल सामान्य रूप से स्वीकार्य हो गया। चूँकि राजनीति राष्ट्र के विकास के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, इस कारण जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, जीवन-मूल्य गिरे और फलस्वरूप हताशा की स्थिति पैदा हो गई।

कुशासन की इस दुःखद गाथा का सीधा प्रभाव यह पड़ा कि राजनीतिक आचरण के स्तर धीरे धीरे गिरते चले गए। हमें अपने गणराज्य के संविधान पर गर्व है। हमें स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी एक उपलब्धि पर गर्व है। वह यह है कि हम अपने लोकतंत्र को ऐसे समय में हर तरह से बचाने में सफल रहे, जबकि अधिकांश नए स्वतंत्र देश इस मामले में विफल रहे। परंतु आज देश में जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति विद्यमान है, उसपर हम गर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोकतंत्र के वास्तविक मूल्य और सिद्धांत प्रायः लुप्त हैं।

आज अनेक राजनेताओं के लिए राजनीति राष्ट्र की सेवा करने का माध्यम नहीं रह गया है और उनके लिए शासन लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी नहीं रह गई है। इसकी बजाय उन्होंने इसे ऐसे ढंग से अपने वर्ग-हितों और निजी हितों को साधने के लिए सत्ता पर अधिकार जमाने का माध्यम बना लिया है, जो निश्चय ही देश के सामूहिक और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है। दरअसल, सत्ता की लोलपुता में अनेक पार्टियाँ और प्रमुख राजनीतिज्ञ सभी प्रकार की अनैतिक रणनीतियाँ और छल-बल अपना रहे हैं।

भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, गुटबंदी, कलह और राजनीतिक पार्टियों के बीच और उनके अंदर असहयोग आदि बुराइयों के फलस्वरूप पूरा राजनीतिक वातावरण दूषित हो गया है। जो राजनीति देश और आम आदमी की सेवा का कार्य और आदर्श मिशन होनी चाहिए थी, वही राजनीति इन बुराइयों के कारण अपंग बनकर रह गई है। आज जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिसे बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें राजनीतिज्ञों के सामने आदर्शवाद, बलिदान की भावना, राष्ट्रीय दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाते हुए अनुशासन कायम रखने का आत्मबल नहीं रह गया है।

आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करनेवाले लोग बहुत अच्छे हों। जिस प्रकार के उत्तरदायित्व का उन्हें निर्वाह करना होता है, उसी के अनुरूप उनमें नैतिकता और बौद्धिकता का ऊँचा स्तर होना चाहिए। चूँकि ऐसा नहीं है, इसलिए

राजनीति और राजनीतिज्ञों में लोगों का विश्वास गिरता गया है। भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है।

पार्टी के रूप में हमारा स्थान

देश की ऐतिहासिक आवश्यकता और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में '90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख स्थान बनाया है। भारत को एक शक्तिशाली तथा विश्वसनीय राजनीतिक दल की आवश्यकता है, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना कूट-कूटकर भरी हो और जिसके पास आवश्यक संगठनात्मक शक्ति हो, जो कांग्रेस तथा उसके प्रच्छन्न अथवा अप्रच्छन्न सहयोगी दलों द्वारा फैलाई इस गंदगी को साफ कर सके एवं देश को हर क्षेत्र में नवजीवन तथा पुनरुत्थान की दिशा में ले जाने के लिए अगुआई कर सके। हमारी पार्टी ने राष्ट्र के इस आह्वान को स्वीकार किया है।

पिछले तीन वर्षों—1996, 1998 और 1999 के संसदीय चुनावों में भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर आई है और हर बार उसने अपनी संख्या में वृद्धि की है। पिछले दो चुनावों में भाजपा सत्ताधारी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसमें उसने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुयोग्य नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया है।

भाजपा को गर्व है कि 13वीं लोकसभा में अंडमान से असम तक, जम्मू एवं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 18 राज्यों से उसके प्रतिनिधि हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के सबसे अधिक सांसद हमारी पार्टी के हैं। हमारी पार्टी की सांसद महिलाएँ सबसे अधिक हैं, हालाँकि हम चाहते थे कि इनकी संख्या और भी अधिक हो। हमारी पार्टी स्वयं अकेले या अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सात राज्यों—गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गोआ और मेघालय में शासन कर रही है। भाजपा अनेक विधानमंडलों में प्रमुख विपक्षी दल है।

राजग : राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समन्वित रूप

अपने दो दशकों के जीवन-काल में भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि पार्टी देश के सभी भागों में बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों का समर्थन और विश्वास प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाने में सफल हुई है। देश में साझा दलों की राजनीति नई नहीं है। किंतु केंद्र में अब तक जितने भी गठबंधन हुए हैं उनमें यह गठबंधन भौगोलिक और सामाजिक पहुँच के रूप में तथा लोकतांत्रिक शासन में साझेदारी की परिकल्पना में निश्चित ही कहीं अधिक मजबूत है।

राजग में हमारे सहयोगी दलों का यह गौरवपूर्ण इतिहास है कि उन्होंने देश

के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों के वैध हितों और आकांक्षाओं के लिए कार्य किया है। इनमें से बहुत से दलों ने कांग्रेस पार्टी की तानाशाही तथा केंद्र में अनेक कांग्रेसी सरकारों द्वारा प्रदेशों की आवश्यकता की नितांत उपेक्षा करते हुए अपने हाथ में सत्ता रखने की उसकी नीतियों का विरोध करने का भी इतिहास रचा है। इनमें से कुछ दलों को राज्य सरकारें चलाने का लंबा और लाभप्रद अनुभव भी है।

राजग के साझा एजेंडा में, जिसे 'स्वाभिमानी, समृद्ध भारत का एजेंडा' कहा गया है, ठीक ही उल्लिखित है—"हमें गर्व है कि राजग राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं—दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आखिर यही इस देश की बहुमुखी विविधता में एकता, भरपूर बहुलवाद और संघवाद में राष्ट्र की एकता का दर्पण है।" संघ सरकार के कामकाज में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से उन्हें विभिन्न मुद्दों पर एक व्यापक, अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य तैयार करने का अवसर मिला है। इससे राष्ट्रीय पार्टियाँ भी क्षेत्रीय दलों को बेहतर ढंग से समझ पाती हैं।

हमारी सरकार की उपलब्धियों का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड

भाजपा-नीत सरकार के पिछले 17 महीने और इस बार के दो महीने के छोटे शासन-काल में इस सरकार की अनेक गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। जहाँ मई, 1998 में देश को परमाणु शक्ति बनाने के लिए साहसपूर्ण तथा ऐतिहासिक निर्णय लेने से भारतीयों में आत्मविश्वास की एक नई भावना पैदा हुई, वहीं इस वर्ष जून-जुलाई में कारगिल में पाकिस्तानी हमले का मुँहतोड़ जवाब देकर प्राप्त विजय ने भारत में जबरदस्त देशप्रेम की भावना जगा दी है।

हमारे खिलाफ किए गए हर प्रकार के दूषित प्रचार को नकारते हुए हमारी सरकार ने सांप्रदायिक शांति का अनुपम रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। इसने केंद्र-राज्य संबंधों में फिर से सामंजस्य बहाल किया है और अनेक साहसिक सुधार तथा सुदृढ़ बृहत् प्रबंध करके अर्थव्यवस्था में फिर से प्राण फूँक दिए हैं। यह विशेष उल्लेखनीय है कि सत्ता में रहते हुए घोटालामुक्त हमारा रिकॉर्ड एकदम स्वच्छ है। विदेश नीति में सरकार पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों के साथ अपने देश के संबंधों में सुधार लाने में सफल हुई है। पिछले दशकों में ऐसा समय कभी नहीं रहा, जब भारत को विश्व में इतना अधिक सम्मान मिला हो, जितना उसे आज मिल रहा है। अद्वितीय बात यह है कि इसके लिए हमने अपने बुनियादी सिद्धांतों के साथ किसी तरह का समझौता भी नहीं किया।

इन सभी बातों से भाजपा की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसका सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि हाल के चुनावों में कांग्रेस और कम्युनिस्टों द्वारा हमें फिर से अस्थिर करने की कोशिश के बावजूद हमारी पार्टी और राजग को पुनः तथा निर्णायक जनादेश प्राप्त हुआ। अब हम देश में शासन करने के अधिकार का दावा

करने के लिए वास्तविक पार्टी बनने के मार्ग पर हैं। यह ऐसी विशेषता है, जिसपर कभी कांग्रेस पार्टी का दावा माना जाता था, परंतु कुशासन, भ्रष्टाचार, गुटबंदी, आंतरिक लोकतंत्र के परित्याग और खानदानी नेतृत्व के सामने घिघियाने की प्रवृत्ति के कारण उसने अपनी विशेषता गँवा दी।

हमारी अंतर्भूत शक्ति

अब हमारी पार्टी को अवसर मिला है, और हमारा दायित्व है कि हम देशमें राजनीति और शासन को नई दिशा प्रदान करें। हम इस कार्य में तभी सफल हो सकते हैं जब हम पार्टी के उन आदर्शों और विचारधाराओं के प्रति वचनबद्ध तथा निष्ठावान रहें, जो पहले सन् 1951 में भारतीय जनसंघ और फिर बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किए। हालाँकि इन आदर्शों में अनवरतता है, किंतु नई स्थितियों और चुनौतियों की बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए नीतियों तथा इनकी व्याख्या करने के बारे में समय समय पर पुनः विचार करना होगा। सिद्धांत-प्रतिपादित लचीलापन, समयानुसार परिवर्तनशीलता और आत्मनिरीक्षण के गुण किसी भी प्राणवान मानव संगठन के लिए प्रमाण-चिह्न हैं, हालाँकि यह भी सही है कि साथ ही उसे अपनी प्रकृति और प्रयोजन के प्रति भी उतना ही निष्ठावान रहना होगा। भाजपा तथा इससे पूर्व जनसंघ ने पर्याप्त मात्रा में अपने इस गुण को सही सिद्ध कर दिखाया है।

हमारी पार्टी ने जीवंतता और विकास के अनिवार्य गुण, अर्थात् साहस एवं आत्मविश्वास भी प्रदर्शित किया है। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कोई एक भी अन्य उदाहरण नहीं मिलता है, जहाँ भाजपा जैसी पार्टी, जिसे बिलकुल मिटा हुआ मान लिया गया हो, फिर से तीव्र गति एवं विलक्षण विकास के मार्ग पर चल पड़ी हो। ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि जिस पार्टी को निरंतर बदनाम करने और अलग-थलग करने का अभियान चलाया गया हो, वह भाजपा की तरह लोगों का समर्थन तथा देश की राजनीतिक शासन-व्यवस्था में अधिकाधिक घटकों का समर्थन—दोनों ही प्राप्त करने में सफल रही हो। आज हमें अलग-थलग करनेवाले स्वयं अलग-थलग हो गए हैं और जो भाजपा को बदनाम करने का प्रयास करते रहे, वे स्वयं बदनाम हो गए।

हमारी पार्टी की एक और अद्‌भुत शक्ति है— वह है हमारा नेतृत्व। हमारे पास उत्कृष्ट नेता हैं, जिनकी ईमानदारी पर जरा सा भी संदेह नहीं है और राष्ट्र की सेवा का उनका उज्ज्वल रिकॉर्ड है। देश में किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी की तुलना में भाजपा के पास समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ताओं का एक विशाल समूह है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं और जो देश के सभी भागों में काम कर रहे हैं।

आज भाजपा स्वतंत्रता-पूर्व और स्वातंत्र्योत्तर काल, दोनों में ही भारतीय

राजनीति में हर तरह से सकारात्मक और देशभक्ति की भावनाओं की विरासत प्राप्त करनेवाली पार्टी मान ली गई है। हम स्वतंत्रता-आंदोलन के अपने सभी महान नेताओं तथा स्वतंत्र एवं आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान करनेवाले सभी महापुरुषों के समक्ष नतमस्तक हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबद्ध क्यों न रहे हों। हम भारतीय राजनीति के विगत काल के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैं, साथ ही देश की भावी राजनीति की सर्वश्रेष्ठ आशा भी हैं।

हमारा उत्तरदायित्व—देश को एक नई राजनीतिक संस्कृति प्रदान करें

भाजपा भारतीय राजनीति में कांग्रेस के स्थान पर प्रमुख ध्रुव बनकर उभरी है। यह भाजपा देश को एक नई राजनीतिक संस्कृति प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है। हमारी पार्टी विचारधारा और राजनीतिक आचरण—दोनों रूपों में एक अलग तरह की विशिष्ट पार्टी है। परंतु इतना ही काफी नहीं है। हमें अपने इस विशिष्ट चरित्र को बनाए रखने के लिए और अधिक सतर्क रहते हुए यह भी अवश्य समझना होगा कि हमें भारतीय राजनीति की विषय-वस्तु और संस्कृति—दोनों में आमूल परिवर्तन करने की कठिन जिम्मेदारी का निर्वाह करना है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा से जुड़े राजनीतिकारों को एक नया नैतिक आधार तैयार करना होगा। हमें जवाबदेही के नए मानक स्थापित करने होंगे। स्वच्छ छवि वाले बेदाग पार्टी कार्यकर्ताओं को ही महत्त्वपूर्ण पदों पर लाना होगा। अतः हमारी पार्टी को उन सभी सदस्यों के लिए आचार-संहिता तैयार करने का संकल्प लेना होगा, जो विभिन्न निर्वाचित निकायों के पदों पर प्रतिष्ठित हैं। विशेष रूप से सरकार से पार्टी आग्रह करती है कि सभी सांसदों को लोकपाल तथा सभी विधायकों को लोकायुक्तों की जाँच के दायरे में लाया जाए।

आदर्श भाजपा कार्यकर्ता

हमारी पार्टी को सभी स्तरों पर एकता तथा अनुशासन को भी मजबूत करना चाहिए। वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं पर यह जिम्मेदारी अधिक है कि वे इस बारे में किसी प्रकार की चूक को तुरंत ठीक करें। मैत्री भाव और सहयोग की भावना बढ़ाना, कठिन कार्यों में स्वयं पहल करना, जनसेवा का कार्य करने के लिए तत्पर रहना और सभी स्तरों पर लोगों के हितों को देखना तथा संगठन से ऊपर स्वयं को न रखना—ये सभी बातें ऐसी हैं, जो एक सच्चे भाजपा कार्यकर्ता की पहचान हैं। इनके बारे में औपचारिक तथा अनौपचारिक, दोनों तरह से पार्टी के अंदर निरंतर परामर्श होता रहना चाहिए।

व्यक्तिवाद, गुटबंदी, कलह, सामूहिक रूप से साथ साथ कार्य करने की भावना की उपेक्षा, सत्तालोलुपता और पदों को पाने के लिए धक्का-मुक्की—ये

सभी बातें हमारे राजनीतिक दर्शन तथा हमारी गौरवपूर्ण संगठन-परंपराओं के खिलाफ हैं। दुःख की बात है कि हाल के वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं, जिसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश में पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हैं, जिनसे पता चलता है कि हमारी पार्टी भी इस प्रकार की राजनीतिक बुराइयों से मुक्त नहीं है। जहाँ इन आचारहीन नेताओं ने पार्टी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाई है, वहीं हमारी पार्टी ने भी दिखा दिया है कि वह इनलोगों को जनता और अपने कार्यकर्ताओं—दोनों से अलग-थलग रख सकती है। फिर भी इन घटनाओं के कारण हमें पार्टी में सभी स्तरों पर गंभीरता से आत्मविवेचन करने तथा स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है।

हम किसी क्षण भी अपने लक्ष्य से न भटकें

पार्टी के प्रत्येक सदस्य और नेता को यह स्मरण रखना चाहिए कि भाजपा वर्तमान स्थिति तक और पहले भी अपने असंख्य जाने-अनजाने कार्यकर्ताओं के त्याग तथा तपस्या से ही आगे बढ़ी है। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए 'अधिकार', चाहे वह पार्टी संगठन में हो या सरकार में, सेवा करने और उनको सौंपे गए उत्तरदायित्व को निभाने का अवसर रहा है। हम भारत माता एवं उसकी संतान के दुःखनिवारण के लिए ही प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है—राजनीति तथा शासन के आदर्श मिशन के माध्यम से देश को नवोदित राष्ट्र बनाना। हम किसी भी हालत में इस लक्ष्य को अपनी आँखों से ओझल नहीं कर सकते हैं।

पूरा देश भाजपा और इसके नेतृत्व की तरफ आशा और सद्भावना से निहार रहा है, जिसका मूर्तिमान रूप हमें इस बात में दिखाई पड़ता है कि हमारे प्रिय नेता श्री वाजपेयी को पूरी जनता का, सभी भारतीयों का, समर्थन प्राप्त है। भाजपा और हमारी सरकार से लोगों को बहुत आशाएँ हैं। विशेष रूप से इसलिए भी कि इससे पहले जो दल और नेता लोकप्रियता तथा वादों के बल पर बहुत ऊँचे उठ गए थे, उनसे लोगों का भ्रम टूट गया है। हमारी पार्टी कोई गलती करने या विफल होने की बात भी नहीं सोच सकती है।

6 अप्रैल, 2000 को हमारी पार्टी के जीवन के 20 वर्ष पूरे हो जाएँगे। उचित ही होगा कि भाजपा 21वीं सदी में एक ऐसे वर्ष में प्रवेश करे, जिसमें हम अपनी 21वीं सदी की प्रतिज्ञा 'नई शताब्दी—नया संकल्प को' वास्तविक रूप में परिणत करें, 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाएँ।

केवल एक ही मंत्र है जिससे हमारा स्वप्न यथार्थ रूप में साकार हो सकता है। वह मंत्र है विकास का मंत्र-तेजी से विकास, सम्यक् विकास और जीवन के हर पहलू में विकास। इसके लिए पार्टी, सरकार और लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है।

हमारा संकल्प

भाजपा देश के बहुदलीय लोकतांत्रिक परिदृश्य के अंदर एक अग्रणी राजनीतिक शक्ति बनने की कोशिश करेगी, ताकि देश को 21वीं शताब्दी में विश्व की नवोदित शक्ति बनाने के लक्ष्य को लेकर वह प्रगति-पथ पर ले चले। अपने इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए पार्टी विचारधारा, संगठन-निर्माण, राजनीतिक आचरण, सुशासन और बुनियादी जन-कार्यों के क्षेत्रों में स्वयं को पर्याप्त सुदृढ़ करेगी और इसके लिए वह अपने आधारभूत विश्वासों पर पुनः बल देगी, मूलभूत प्रतिबद्धताओं का अनुसरण करेगी और निम्नलिखित संकल्प लेगी—

1. अपने बुनियादी विश्वासों की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना
    1. पार्टी संपूर्ण वर्ष (सन् 2000) में गहन अभियान चलाएगी कि सभी सदस्य सैद्धांतिक अध्ययन पर चिंतन करें। सभी सक्रिय कार्यकर्ता और पार्टी के सदस्य आंशिक एवं खंडों के रूप में नहीं, अपितु पूरी तरह से विचारधारा के साथ स्वयं को जोड़ेंगे, राष्ट्रनिर्माण के कार्य को समझेंगे तथा इस प्रयास में राजनीति और शासन के स्थान को जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास में विश्वसनीय दिग्दर्शन पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म मानववाद' के अध्ययन से मिल सकता है तथा साथ ही सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित रूप से अंतर्दृष्टि का विकास भी करना होगा। हमारी पार्टी के दिग्दर्शित सिद्धांत का तकाजा है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य लाएँ, शासन के हर पहलू को मानवीय रूप प्रदान करें और प्रत्येक व्यक्ति को सुख देने का प्रयास करें।
2. हम आधुनिक भारत और नैतिक भारत में विश्वास करते हैं
एक ऐसा भारत, जो वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं आर्थिक रूप से और आत्मरक्षा में मजबूत हो तथा जो सभी के प्रति, विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों, विकलांग, कमजोर वर्गों, अनाथ एवं कमजोर व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील और आत्मीय भाव रखता हो। हम भारत के हितों की रक्षा और सवंर्धन के प्रति वचनबद्ध हैं इसलिए सभी भारतीयों की रक्षा के प्रति वचनबद्ध हैं, वे चाहे जिस लिंग, जाति, धर्म और भाषा के क्यों न हों।
3. उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत भौगोलिक, सांस्कृतिक और सभ्यता के रूप में एकजुट तथा अविभाज्य रहा है। भारत ने अनेक धर्मों, भाषाओं तथा बोलियों को शरण दी है। रीति और रिवाज एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाते हैं। हमें अपनी विविधता पर गर्व है, जो भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। परंतु इन सबके बीच एक रेशमी बंधन हैं जो हमें बाँधता है, और वह रेशमी बंधन है— हमारी पहचान, हमारी भारतीयता। हम इस सिद्धांत

को स्वीकार नहीं करते हैं कि भारत एक 'बहुराष्ट्रीय' देश है। यदि हम अपने स्वतंत्रता-पूर्व इतिहास में सदियों से हमलों और औपनिवेशिक शासन को सहकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सके हैं और उनलोगों को पराजित कर सके हैं, जिन्होंने स्वातंत्र्योत्तर काल में हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की कोशिश की है तो इसके पीछे यही कारण है कि भारत सदैव एक देश, एक जन रहा है, जिसकी एक समान पहचान और एक समान सांस्कृतिक विरासत रही है। इसे सीधे शब्दों में 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' नाम देंगे।

4. भाजपा मानती है कि देश की एकता और सुरक्षा पर किसी से कोई बातचीत नहीं हो सकती है। हम अपने राष्ट्रीय मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अतः हम मानते हैं कि एक ही तरीका है कि राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखें तथा विभाजनकारी ताकतों को पराजित करें। इसी प्रकार हम देश के पंथनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा के प्रति वचनबद्ध रहेंगे, जो हमारी सभ्यता का अंतरंग भाग है और जो इसे अद्वितीय रूप से महान बनाता है। हम सेक्युलरिज्म के पश्चिमी और साम्यवादी अर्थों को अस्वीकार करते हैं; सेक्युलरिज्म का सही अर्थ 'सर्वपंथ समादर' है। हम किसी भी प्रकार के धर्मतंत्र के खिलाफ हैं।
5. देश को सुदृढ़ बनाने की कुंजी एक स्वाभिमानी और समृद्ध समाज तथा एक नवोदित राष्ट्र का निर्माण करना है, जिसमें परस्पर सम्मान, समझ और सहयोग की भावना हो। हम कभी भी एक-दूसरे के धर्म में मतभेदों को राष्ट्र-निर्माण के मार्ग में रुकावट नहीं बनने देंगे। हमारा विश्वास है कि अलग अलग धर्मों में मतभेदों के कारण लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को आपसी विश्वास के आधार पर बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए और बृहत् रूप से राष्ट्र की भलाई को ध्यान में रखना चाहिए। भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यक 'महान भारतीय परिवार' का अंतरंग भाग हैं। हमें इन्हें पुष्ट करना चाहिए, ताकि एक ऐसा समय आ जाए, जब देश बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के कृत्रिम विभाजन से मुक्त हो जाए।
6. 'अंत्योदय' देश की वर्तमान विकास अवस्था में अर्थशास्त्र का दिग्दर्शक सिद्धांत होना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि गरीबों में भी सबसे गरीब को सुखी और संतुष्ट किया जाए तथा यही सबसे बड़ी पूजा है। भाजपा सदैव अपने इस दृष्टिकोण पर अटल रही है कि सभी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का केंद्र-बिंदु 'दरिद्र' होना चाहिए, जिसमें 'नारायण' के दर्शन किए जाने चाहिए। हम मानते हैं कि वास्तव में इसे त्रिसूत्री आर्थिक रणनीति (अधिकतम उत्पादन, समान वितरण और संयमित उपभोग) के द्वारा प्राप्त करना संभव है।

7. सामाजिक समरसता के सिद्धांत पर आधारित सामाजिक न्याय भाजपा द्वारा एक समतावादी भारत बनाने की दिव्य कल्पना का हिस्सा है। इन दोनों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है; एक का अस्तित्व दूसरे के बिना असंभव है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक अवमानना और भेदभाव के प्रत्येक चिह्न को मिटा देना ही 'सर्वेपि सुखिनः संतु' के हमारे प्राचीन आदर्श की प्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है। भाजपा न्याय और समानता के लिए किसी भी समाज-सुधार आंदोलन की सहर्ष प्रशंसा करेगी और हमारे समाज के प्रत्येक वंचित और हाशिए पर पड़े किसी भी वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगी।
8. भारतीय संस्कृति नारी का सम्मान शक्ति अथवा मातृत्व शक्ति के रूप में करती है। परिवार और समाज में उनकी पोषणकारी भूमिका के कारण नारी को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय नारी विलक्षण गरिमा, प्रतिबद्धता और समर्पणशील भाव से अपनी दोहरी जिम्मेदारी निभाती है। विडंबना है कि जो परिवार और समाज के पालन में सबसे अधिक योगदान देती है, भारत में वही आज गुलामी, अभाव और भेदभाव का शिकार बनी हुई है। हमारा राष्ट्र तक तब अपनी विकास-संभावनाओं की ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकता, जब तक हमारी महिलाओं को विकास के सभी प्रयासों में बराबर की भागीदारी और लाभ नहीं दिया जाता है। भाजपा मानती है कि महिलाओं की शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य-देखभाल, रोजगार और चहुँमुखी कल्याण को सरकार, समाज और परिवार में एक समान प्राथमिकता देनी चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध करनेवालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। शैक्षिक और आर्थिक शक्तिसंपन्नता के अलावा उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए, ताकि उन्हें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। संसद् में महिला आरक्षण बिल की प्रस्तुति हमारी सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि है। भाजपा सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करती है कि वे इस बिल को सुचारु रूप से और शीघ्र पारित होने दें। भाजपा और इसके महिला मोरचा—दोनों को चाहिए कि महिलाओं के मुद्दों को उजागर करने के अपने प्रयासों को दुगुना करें और सक्रिय राजनीतिक जीवन में अधिकाधिक महिलाओं को लाएँ।
9. कृषि और उद्योग में बढ़ते असंतुलन तथा ग्रामीण और शहरी भारत में असंतुलन कांग्रेसी युग में त्रुटिपूर्ण विकास का परिणाम है। अब इस मूल असंतुलन के फलस्वरूप अनेक सामाजिक असंतुलन और विकृतियाँ पैदा हो गईं हैं, जैसे—गाँवों से शहरों की तरफ लोगों का अनियंत्रित

पलायन हुआ, शहरी बुनियादी ढाँचे पर असहनीय बोझ पड़ा, जिसके फलस्वरूप मलिन बस्तियों में रहनेवालों तथा मध्य वर्ग के लोगों की अवस्था अमानवीय स्तर तक जा पहुँची, गाँवों के लिए बुनियादी ढाँचे में विघटन हुआ, देश की मूल्यवान संस्कृति को तथा पर्यावरणीय संपदा को क्षति पहुँची और ग्रामीण भारत का आत्मगौरव समाप्त हो गया। जैसा महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के अतिरिक्त विकास के स्वदेशी मॉडल के अन्य पक्षधरों ने कहा था, गाँव, गरीब और किसान के पुनरुज्जीवन को हमारी सभी विकास-नीतियों और कार्यक्रमों का आधार बनाया जाना चाहिए। इस पुनःश्चर्या के प्रयास का आवश्यक अंग पंचायती राज संस्थान हैं, जिन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन्हें पर्याप्त और प्रभावकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर संपन्न बनाना चाहिए। साथ ही शहरी भारत की बढ़ती जरूरतों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, जहाँ 40 प्रतिशत आबादी रहती है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन को भी शहरों को पतनावस्था से उठाने और हमारे कस्बों तथा नगरों में सभी को स्वस्थ रूप से रहने के योग्य बनाने के लिए इसी प्रकार के अधिकारों से संपन्न करना चाहिए।

10. पिछले 50 वर्षों में शासन का बेतहाशा विस्तार हुआ है। अनियंत्रित विस्तार के दो नकारात्मक परिणाम निकले। इससे लोगों के सृजनात्मक प्रयास अवरुद्ध हो गए और शासन पर अत्यधिक निर्भरता हो गई। भारत में शासन आवश्यकता से अधिक बड़ा है, परंतु कारगर ढंग से शासन फिर भी नहीं होता है। शासन को जो कुछ करना चाहिए, उसने उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी ले ली है और जो कुछ उसे करना चाहिए, वह उससे कहीं कम कर पाता है। इसने अपनी दिशा खो दी है। केंद्रीयकरण की प्रक्रिया उलट दी जानी चाहिए और लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने के अधिकार स्थानीय समुदाय और व्यावसायिक तथा वृत्तिक समूह को दिए जाने चाहिए। भाजपा मानती है कि शासन की भूमिका को एक 'नियंत्रक' की भूमिका से हटाकर एक 'सहायक' की भूमिका में लाना होगा।

पार्टी के समक्ष करणीय कार्य

1. जहाँ केंद्र में राजग सरकार का निर्माण भाजपा के लिए बड़े गर्व का विषय है, वहीं इस प्रमुख उपलब्धि के साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है कि साझा सरकार के इस अनुभव को सफल बनाया जाए, जिसके लिए केंद्र और राज्य—दोनों स्तरों पर हम अपने सहयोगियों से हुए

गठबंधन को मजबूत करें तथा इसे और भी शक्तिशाली बनाएँ। अपने देश के लोगों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम कांग्रेस पार्टी द्वारा सोद्देश्य किए जा रहे अपप्रचार के विपरीत यह दिखा दें कि साझा सरकार न केवल स्थिर सरकार हो सकती है, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति भी कर सकती है। इसे केवल साझा सरकार के 'धर्म' का ईमानदारी से पालन करके ही संभव बनाया जा सकता है और साथ ही यह भी समझ लेना होगा कि साझा सरकारों का युग बना रहनेवाला है। राजग के विभिन्न घटकों ने हाल में संसदीय चुनाव एक साझा घोषणा-पत्र के आधार पर लड़े थे। हमारी सरकार इस घोषणा-पत्र में दिए गए सॉझा एजेंडा को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित कर रही है। राजग के नेता के रूप में भाजपा की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस सॉझा एजेंडा को न तो किसी तरह कम होने दिया जाए और न ही इससे विचलन हो। भाजपा को पूरा विश्वास है कि उसका हर कार्यकर्ता भली प्रकार से समझता है कि सत्ता संचालन के लिए राजग का सांझा एजेंडा ही उसका एजेंडा है।

2. सत्ताधारी पार्टी के रूप में अपनी नई भूमिका और जिम्मेदारियों का अहसास करने के बाद भाजपा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह केवल समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपने सभी कार्यकर्ताओं और सदस्यों में समाधान ढूँढने की अभिरुचि पैदा करे। आज, जब नई पहल करने और कठोर निर्णय लेने की जरूरत है—यदि भारत को कांग्रेस पार्टी के कुशासन की संग्रहीत विरासत से मुक्ति पानी है और देश को तेजी से संतुलित विकास के मार्ग पर चलना है तो इन कठोर निर्णयों की जरूरत अवश्य पड़ेगी। पार्टी इनके लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को और भी तेज करेगी। सरकार और राजग में हमारे सहयोगी दलों दोनों के लिए आवश्यक हो गया है कि वे लोगों तक यह बात पहुँचाएँ कि आज की अस्थायी कठिनाइयाँ सहन करने से कल का भविष्य बेहतर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। आज अत्यंत नाजुक राष्ट्रीय महत्त्व के आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच बिना समझे-बूझे टकराव होने की बजाय व्यापक रूप से आम सहमति की भी उतनी ही आवश्यकता है।
3. अब यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकांशतः कारगर सुशासन अच्छे प्रबंध और प्रशासन से ही हो पाता है। 'राष्ट्र प्रथम और जनता प्रथम' के सिद्धांतों में निहित सुदृढ़ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को व्यावसायिकता के साथ जोड़कर चलना वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में ज्ञान-स्तर और व्यावसायिक विशेषज्ञता बढ़ाने

के प्रयासों में वृद्धि करेगी, ताकि हमारे कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों की कठिन चुनौतियों का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकें।

4. परस्पर अधिकाधिक आश्रित होते जा रहे विश्व में भारत को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस दृष्टि से भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में अंतरराष्ट्रीय मामलों की गहरी जानकारी और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने के अलावा विदेशों में राजनीतिक दलों और संस्थाओं से संपर्क स्थापित करने तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को दृढ़ करने के भी प्रयास करेगी।
5. पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की शानदार बढ़त हुई है। इसका कारण यह है कि नए-नए सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी बात पहुँचाने की शक्ति भाजपा में है। इन क्षेत्रों में पार्टी को अपनी स्थिति और अधिक सुदृढ़ करनी होगी। इसी के साथ हाल के चुनाव-परिणामों से यह भी पता चलता है कि भाजपा की विकास-यात्रा की बढ़ती गति इस कठोर तथ्य पर निर्भर करेगी कि हम भारतीय समाज के उन वर्गों का समर्थन पाने में कितने समर्थ सिद्ध होते हैं, जिन्हें हम कई कारणों से अभी तक प्रभावित नहीं कर पाए हैं। विशेषतः यह आवश्यक हो गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पार्टी का समर्थन बढ़ाया जाए, जो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। भारतीय राष्ट्रवाद को दृढ़ बनाने के अपने संकल्प के अनुरूप धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ वर्तमान संबंधों के बारे में पार्टी पुनरावलोकन करेगी। किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण न करते हुए पूरे न्यायपूर्ण ढंग से उनकी समस्याओं को हल करने और उनके विभिन्न मुद्दों को समर्थन देने के सिद्धांतवादी आधार पर भाजपा अल्पसंख्यकों के बीच अपना समर्थन तेजी से बढ़ाएगी।

अर्थव्यवस्था एवं विकास के क्षेत्र में शासन के समक्ष करणीय कार्य

स्पष्टतः यह हमारे दल का वादा है कि हम अच्छा शासन देंगे, जिसका निर्वाह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सरकार कितनी जल्दी जनसाधारण के लाभ के लिए अर्थव्यवस्था एवं विकास के क्षेत्रों में वास्तविक रूप से कुछ करके दिखा सकती है। इसलिए पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि—

1. निर्धनता-उन्मूलन और शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, स्वच्छता, पेय जल, आवास आदि सामाजिक बुनियादी ढाँचे में और अधिक वित्तीय एवं प्रबंधकीय निवेश पर बल देते हुए सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएँ प्रदान करने को प्राथमिकता दें। ये आवश्यकताएँ न तो नौकरशाही तथा अत्यधिक सरकारी नियंत्रणवाली नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर पूरी हो सकती हैं, न ही मुक्त बाजार व्यवस्था

के दृष्टिकोण को अपनाकर पूरी की जा सकती हैं। पिछले पाँच दशकों के अनुभव से पता चलता है कि लोगों की वैध आशाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रमुख और तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। इनमें से बहुत सी जिम्मेदारियों का निर्वाह राज्य सरकारों को करना होता है, जिनके सामने गहरा वित्तीय संकट है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समान दृष्टिकोण के अभाव में यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। उपलब्ध साधनों के कुशल प्रयोग की चिंता नहीं की जा रही है, परिणामों के लिए कोई जवाबदेही नहीं है और स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्थानीय लोगों की भागीदारी के आधार पर नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में कहीं लचीलापन नहीं है। सरकार से भाजपा आग्रह करती है कि मानव-विकास के इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के विगत अनुभव के आधार पर सरकार पूरी तरह से समीक्षा करे और समुचित सुधारों की शुरुआत करे।

2. गाँवों में सड़कों, दूरसंचार, भवन-निर्माण, समुचित ऋण एवं बाजारतंत्र की व्यवस्था तथा कृषि उद्योगों के समुचित विकास की पर्याप्त व्यवस्था आदि बुनियादी ढाँचे पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास पर समुचित बल दिया जाए। खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा, दस्तकारी तथा अन्य कुटीर उद्योग-धंधों को प्राथमिकता दी जाय, जिनमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की विशाल संभावनाएँ निहित हैं। अब यह स्पष्ट है कि सरकार तथा संगठित कॉरपोरेट सेक्टर—दोनों में रोजगार पैदा करने की क्षमताएँ अत्यधिक सीमित हो गई हैं। वास्तव में बहुत से पारंपरिक उद्योगों को तो जिंदा रहने के लिए अपना आकार कम करना पड़ेगा। इसलिए कृषि, कृषि-आधारित व्यवसाय तथा गैर-कॉरपोरेट उद्योगों का महत्त्व कई गुना बढ़ जाता है। और विशेषतया हमारे 'बेरोजगारी हटाओ' के वादे का प्रसंग और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हमने कहा था कि हम प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे।
3. कृषि क्षेत्र को दिए गए महत्त्व को और बढ़ाने तथा फसलों के बीमाकरण की योजनाओं को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया को और अधिक गति देनी होगी। बेकार पड़ी भूमि के विकास, जल-प्रवाहों की समुचित एवं लाभप्रद व्यवस्था तथा पशुधन के समुचित संरक्षण के महत्त्व पर और अधिक बल देना होगा। सभी निलंबित पड़ी सिंचाई-योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए।
4. सरकार को अपनी भूमिका केवल नीति-निर्धारण तथा विकास के प्रत्येक क्षेत्र में समुचित समर्थन तथा सहायता देने तक ही सीमित रखनी चाहिए।

हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा नाभिकीय मामले बेशक सरकार के सीधे नियंत्रण में रहें। सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा भारतीय उद्योगों एवं विशेष रूप से लघु उद्योगों के क्षेत्र में आनेवाली प्रक्रिया-संबंधी रुकावटों को समाप्त करना होगा।

5. प्रस्तावित विनिवेश के कार्यक्रमों को पूर्ण सावधानी एवं पारदर्शिता के साथ तैयार करना होगा और उन्हें इस प्रकार तैयार करना होगा, जिससे देश के लाभ में वृद्धि हो तथा व्यक्तिगत एकाधिकार या विदेशी प्रभावों को समाप्त किया जा सके। विनिवेश कार्यक्रम का विशिष्ट लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय ऋणों में जबरदस्त और तेजी से कमी हो, ताकि इसके फलस्वरूप ऋण और ब्याज के भुगतान में होनेवाली बचत को उत्पादनकारी विकास-कार्यों में, विशेष रूप से उन सामाजिक क्षेत्र के विकास कार्यों में लगाया जा सके, जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं।
6. समाज के जरूरतमंद वर्गों को दी जानेवाली सब्सिडी की सम्यक विवेचना तथा विश्लेषण किया जाए। सरकारी खर्चों में कमी लाई जाए क्योंकि आज राजकोषीय अनुशासन की यही माँग है। इससे हमें समाज के वंचित वर्ग के कल्याणार्थ तथा योजनागत विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन मिल सकेगा, जो अत्यधिक आवश्यक है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि अत्यावश्यक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में गरीब तथा सुविधारहित लोग किसी प्रकार से पीड़ित न होने पाएँ। किसी भी प्रभावी भारतीय सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह समाज के सबसे कमजोर लोगों के प्रति अपना दायित्व पूरा करे।
7. बीमा, बैंकिंग तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि भारतीय उद्योगों एवं व्यवसायों में पूँजी की लागत को घटाया जा सके, एन.पी.ए. को कम किया जा सके और ऋण सुलभ हो सकें, विशेष रूप से किसान, कारीगर, लघु तथा मध्यम व्यवसायियों के लिए ऋण उपलब्ध हो सके।
8. बिजली, ऊर्जा, सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, दूरसंचार तथा इंटरनेट से संबंधित महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की विकास-योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्गों को, जो देश के पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से तथा उत्तरी क्षेत्र को दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ते हैं, मूर्त रूप देने की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।
9. सूचना टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी तथा ज्ञान-आधारित अन्य उद्यमों में निहित भारत की अपार संभावनाओं की प्राप्ति के लिए तेजी से और व्यापक उपाए किए जाएँ। इन क्षेत्रों में विदेशों में कार्य करनेवाले भारतीयों की तलाश कर इस प्रयोजन के लिए उनसे लाभ उठाना चाहिए। यह

सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए कि इन नवोदित उद्यमों के लाभ गरीबों तक पहुँच पाएँ।

10. भारत की वैश्वीकरण रणनीति को लागू करने के लिए राजनीतिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक संस्थाओं में एक राष्ट्रीय सामंजस्य तथा एक आम सहमति लेकर चलने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत ने अन्य विकासशील देशों को साथ लेकर स्वागत-योग्य पहल की। इस संदर्भ में विपक्षी दलों की भूमिका भी सराहनीय रही। यही प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए।
11. इस समय जो आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं, उनके पूरक और अनुपूरक रूप में साहसिक सुधारों का एक व्यापक एजेंडा कार्यान्वित किया जाए। इस एजेंडा में संवैधानिक सुधार, चुनाव-सुधार, प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार आदि शामिल होने चाहिए। पुराने पड़ गए तथा ऐसे गैर-जरूरी कानूनों, विनियमों, प्रक्रियाओं को निरस्त कर दिया जाए, जो विकास में रुकावट डालते हैं और नागरिकों को परेशान करते हैं। इसी प्रकार एक समयबद्ध कार्य-योजना शुरू करनी चाहिए, ताकि विभिन्न न्यायालयों में लंबे अर्से से लटके पड़े मामलों को निपटाया जा सके।
12. निरक्षरता-समाप्ति, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान, बाल-कल्याण, पर्यावरण के विकास और सरंक्षण के बीच संतुलन लाने आदि अत्यंत महत्त्वपूर्ण आवश्यक कार्यों में से कुछ पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनाई जाए। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल तेजी से राष्ट्रीय प्रगति के हित में इनपर समान दृष्टिकोण अपनाएँ।
13. जनसंख्या-वृद्धि पर नियंत्रण के लिए तुरंत तथा व्यापक उपाए किए जाएँ, क्योंकि इनमें अब और विलंब नहीं किया जा सकता है। इस राष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए अभी तक कोई गंभीर और पुष्ट प्रयास नहीं किया गया है, जबकि इस समस्या से अनेक विकास-संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं। जनसंख्या-नियंत्रण की सरकारी योजनाओं के अनुभव से साफ तौर पर पता चलता है कि ये योजनाएँ जोर-जबदरस्ती के तरीके अपनाकर कदापि सफल नहीं हो सकती हैं और जब तक इनमें लोगों की सजग भागीदारी नहीं होगी तब तक भी ये योजनाएँ सफल नहीं हो सकती हैं। भाजपा की मान्यता है कि सही तरीके ढूँढने के लिए तथा उपयुक्त प्रोत्साहन और निरुत्सांहन उपायों की मिश्रित व्यवस्था कर शांत चित्त से राष्ट्रव्यापी बहस करने की जरूरत है, ताकि तेजी से भारत की जनसंख्या को स्थिर किया जा सके। स्पष्ट रूप से प्रथम उपाय के रूप में भाजपा आग्रह करती है कि सरकार क्रियान्वित करने के लिए कानूनी प्रावधान लेकर आए, जिसमें व्यवस्था हो कि सरकारी सेवाओं में प्रवेश और

पदोन्नति के लिए कड़ाई से दो बच्चों के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। इसी प्रकार पंचायत से लेकर संसद् तक के किसी भी चुनाव में एक निश्चित तारीख के बाद वे उम्मीदवार खड़े नहीं हो पाएँगे, जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे।

जनता का कर्तव्य

लोकतंत्र में लोग ही वास्तविक स्वामी होते हैं। वे ही देश के सही भाग्य विधाता होते हैं। जब एक बार भारत के 100 करोड़ लोग राष्ट्र-निर्माण की एक सी कल्पना कर लेते हैं, जब हमारे विविधतापूर्ण समाज के विभिन्न वर्ग प्रयोजन और कार्य में एकजुट होकर एक-दूसरे के साथ सहयोग करने लग जाते हैं तो वे स्वयं में इतनी बड़ी शक्ति बन जाते हैं कि वे हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं और राष्ट्र के सामने जो भी लक्ष्य हो, उसे पूरा कर सकते हैं। यदि हम विगत काल में मुड़कर देखें तो हम पाएँगे कि भारत के स्वतंत्रता-आंदोलन में ऐसा ही हुआ। अतः क्या हम राष्ट्र-निर्माण के आंदोलन में सफल होने के लिए एक बार फिर वही 'एकता चमत्कार' पैदा करने का संकल्प नहीं ले सकते?

निस्संदेह राष्ट्र-निर्माण में सरकार और राजनीतिक पार्टियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। परंतु इसमें मुख्य रचनात्मक प्रयास लोगों की तरफ से व्यक्तिगत प्रयास और संस्थानों द्वारा कुशल एवं प्रभावकारी ढंग से कार्य करके संपन्न हो सकता है। दुर्भाग्य से हाल के दशकों में शासक दल ने इस सत्य की उपेक्षा की। इससे भी खराब बात यह है कि उन्होंने संस्थानों का अवमूल्यन किया और नागरिक वर्ग में उदासीनता एवं हताशा पैदा की। भारत के पास जितनी संभावनाएँ हैं और वास्तव में जितने प्रयोग हुए, इनके बीच एक विस्तृत और चिंता उत्पन्न करनेवाले अंतर के पीछे यही महत्त्वपूर्ण कारण है।

भाजपा इस हानिकारक रुख को रोकने तथा उलट देने के लिए कृत संकल्प है। साथ ही, प्रिय नागरिको, हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप ऐसे पहलुओं के बारे में अपने चिंतन और आचरण में भी परिवर्तन लाएँ, जो राष्ट्र-निर्माण के हित में नहीं हैं। विशेष रूप से हम आपसे निम्नलिखित आग्रह करते हैं—

- अपनी कार्य-संस्कृति में सुधार लाएँ और अपने-अपने व्यवसाय तथा वृत्तियों में उत्पादकता बढ़ाने में पूरा-पूरा योगदान करें;
- सार्वजनिक जीवन में अनुशासन को सुदृढ़ करें;
- भ्रष्टाचार का मुकाबला करें और कानून का आदर करें;
- नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च स्थान पर रखने की भावना लाएँ;
- सरकार के साथ व्यवहार में अपने वैध अधिकारों पर पूरा अधिकार जताएँ;

- विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लें;
- सहयोग की संस्कृति का प्रसार करें;
- आप जो कुछ भी करें, उसमें उत्कृष्टता और अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखें;
- देश के बच्चों और युवाओं के लिए सकारात्मक भूमिका के आदर्शों को बढ़ावा दें;
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखें;
- पारिवारिक और सामुदायिक मूल्यों को बनाए रखें;
- देश की समृद्ध और विविधतापूर्ण राष्ट्रीय विरासत पर गर्व करें और इस विषय में लोगों में जागरुकता पैदा करें; तथा
- आप जिस भी सार्वजनिक संस्थान अथवा गैर-सरकारी संगठन से जुड़े हों, उसे मजबूत करने में अपना योगदान दें।

हम विशेष रूप से छात्रों ओर युवाओं तथा भारत की महिलाओं से अपील करते हैं क्योंकि इन सभी के पास जबरदस्त सृजनात्मक उत्साह और देशभक्ति की ऊर्जा का भंडार है। भाजपा को आपसे बहुत आशा है और आपमें विश्वास भी है। हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आपके स्वप्न साकार होंगे। इस बारे में आप भाजपा पर भरोसा कर सकते हैं।

प्रिय भारतवासियो, समय आ गया है कि सरकार, राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों तथा नागरिकों के बीच एक नए प्रकार की सहकारी भागीदारी स्थापित हो, ताकि देश के विकास में एक नया अध्याय लिखा जा सके। समय का तकाजा है कि आज हम आम सहमति, मानसिकता में परिवर्तन तथा नई संस्कृति का युग लाएँ। आइए, 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने के लिए हम सब मिलकर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें।

वन्दे मातरम्

□

राष्ट्रीय परिषद्

गांधी नगर 1-3 मई, 1992

आर्थिक विकास के प्रति मानवीय उपागम-संबंधी वक्तव्य

विचार-दृष्टि

देश के लिए भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना 1980 और 1986 के आर्थिक नीति वक्तव्य तथा 1991 के चुनाव घोषणा-पत्र में दी गई है। देश की अर्थिक समस्या के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को इसी पृष्ठभूमि में समझना होगा। इस विचारधारा में निरंतरता के साथ-साथ परिवर्तन की अपेक्षा भी है। आर्थिक नीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखे गए कतिपय सुझावों को सरकार ने हिचकिचाते-हिचकचाते स्वीकार तो किया है, परंतु उन्हें मुक्त भाव से क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस प्रकार पहले से यथेष्ट रूप से विचार किए बिना इन सुझावों को टुकड़ों-टुकड़ों में क्रियान्वित करने से इनमें अस्थायित्व और विकृतियाँ आ गई हैं। सरकार ने घटनाओं का पूर्वाभास प्राप्त करने अथवा उन्हें सुसंगत मोड़ देने की चेष्टा कभी नहीं की। इस कारण वह घटनाक्रम के प्रवाह में बहती चली गई है। आर्थिक क्षेत्र में तात्कालिक समस्याओं और दीर्घकालीन परिणामों के उचित मूल्यांकन को भली-भाँति समझने के लिए बदलते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना में निरंतरता के साथ परिवर्तन की अपेक्षा जीवंतता है। पार्टी की समझ ऐसे समृद्ध, प्रगतिशील, समतावादी, प्रबुद्ध, आत्मविश्वासी तथा भागीदारी लोकतंत्र का स्वप्न है, जो समय के प्रवाह में देश को स्थिर रख सके।

भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करती है, जो सर्वथा शोषणरहित हो और सहकारिता तथा सामंजस्य पर

आधारित हो, जिसमें व्यक्ति के पुरुषार्थ और गरिमा को कार्यरूप देने की पूरी गुंजाइश हो। हमारा विश्वास है कि नागरिको की आध्यात्मिक और बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक आदि विविध आकांक्षाओं का परस्पर सामंजस्य किया जाना चाहिए। यह विचारधारा हमारी राष्ट्रीय विरासत तथा महात्मा गांधी की राम राज्य की परिकल्पना एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन में अभिहित है। इस पूर्ण, समग्र, एकात्म यज्ञ में जुटना होगा। साम्यवाद धराशायी हो गया है। तथापि यह ध्यान देने की बात है कि अनियंत्रित पूँजीवाद को पुनर्जीवित करने से हमारी अनगिनत समस्याएँ हल होनेवाली नहीं हैं। इसके द्वारा तो उपभोक्तावाद बढ़ेगा और ऋणों का बोझ बढ़ता जाएगा जिसे हम आनेवाली पीढ़ियों पर लादते चले जाएँगे। ऐसे में स्वदेशी तथा आत्मनिर्भरता की भावना से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। हमारे राष्ट्र के इतिहास और दासता से मुक्ति के संग्राम में जिस स्वदेशी ओर आत्मनिर्भरता का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान रहा उसी की व्यवहार में सरकार ने निरंतर उपेक्षा की।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य के प्रति देश के सामाजिक वर्गों तथा नागरिकों द्वारा जो विरोध व्यक्त किया जा रहा है उसको समुचित रूप से समझने की आवश्यकता है। इन राष्ट्रप्रेमियों को देश के अर्थिक इतिहास के निराशापूर्ण पक्षों का ज्ञान है और वर्तमान प्रवृतियों तथा भावी खतरों के प्रति उनका चितित होना ठीक है। ये लोग आदर्शवाद और देश भक्ति से प्रेरित होकर ही जनता में स्वावलंबन और स्वदेशी के प्रति वचनबद्धता को प्रखर करने के साथ सरकार को अकर्मण्यता की नींद से जगाने का यत्न कर रहे हैं। स्वदेशी का अर्थ है कि देश में प्राप्त संसाधनों और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय हित में विकसित होने का पूरा अवसर मिले और इनसे होनेवाले लाभ मुख्यतः जनता को प्राप्त हों। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय पहचान ही मिट जाए और सबल आर्थिक शक्तियों के सामने हमारे पैर उखड़ जाएँ। भारतीय जनता पार्टी उनके निस्वार्थ आदर्शवाद को समझती है और अपनी नीति और कार्यक्रम के संचालन में वह राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग रहेगी। इस प्रकार राष्ट्र के लिए स्वदेशी एक मौलिक सिद्धांत बन जाता है। स्वदेशी को अपरिर्वतनशील, प्रतिगामी अथवा अलग-थलग करनेवाली विचारधारा समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। इसको गांधी जी तथा दीनदयाल जी के चिंतन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए जो कि अपने बलबूते पर राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण अंग है।

हमारी दिशा

कई दशकों से देश का आर्थिक विकास विश्रृंखल हो गया है। आर्थिक रूप से विकसित देशों की सूची में भारत का स्थान एकदम नीचे है। देश को निरंतर

उन संस्थाओं से, जो हमको बड़े तिरस्कार के साथ देखती हैं, ऋणों की याचना करनी पड़ती है। विकास का नेहरू मॉडल जन-समुदाय की स्थिति में सुधार लाने में विफल रहा है। अनुमान है कि करीब 20 करोड़ लोगों को विकास का लाभ मिला है, तथापि देश की आधी जनसंख्या गरीबी की चपेट में है। इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज दो हिस्सों में बँटा हुआ है। इस तथाकथित विकास का विरोधाभास यह है कि कृषि-श्रमिकों की संख्या बढ़ती रही है। देश पर विदेशी ऋणों का बोझ 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। पुराने ऋणों को अदा करने के लिए नए ऋण लेने पड़ते हैं। नेहरू मॉडल, जो अब एकदम विफल हो चुका है, की यह दुःखद विरासत है, भले ही कुछ लोग दिखावे के लिए उसका गुणगान अभी भी करते रहते हैं।

यह सारा काम गरीबों के नाम पर हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा विपत्ति में देश के गरीब लोग ही हैं। पिछले 45 वर्षों में देश में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ दुगुनी हुई है। इसके विपरीत बहुत से विकासशील देश ऐसे हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 10 या 15 वर्ष में दुगुनी होती रही है। इनमें से कई देश तो हमारे महाद्वीप में हैं। गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है।

पिछले 40 वर्षों में विकास का जो रास्ता अपनाया जाता रहा है, उसमें व्यावहारिक रूप से विकास और रोजगार को अलग-अलग रखा गया है। इसमें मनुष्यों को विकास की प्रक्रिया में चारे की तरह समझा गया है। इसका परिणाम यह है कि आर्थिक योजना में रोजगार की प्राथमिकता बहुत नीचे है और रोजगार को विकास योजना का मुख्य लक्ष्य न बनाकर उसे गौण बना दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं और आयोजनाओं के विफल होने का यह भी एक कारण है। भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि मात्र रोजगार ही नहीं, वरन लाभकर, उत्पादक तथा पूर्ण रोजगार के द्वारा ही शीघ्रतापूर्वक विकास संभव हो सकता है। विकास और रोजगार का निकट संबंध है। यदि इनको विलग रखा जाएगा तो अनेक सामाजिक और अन्य समस्याएँ आ खड़ी होंगी।

भारतीय जनता पार्टी मानती है कि रोजगार-केंद्रित विकास मॉडल — जिसे 'भाजपा मॉडल' कहा जा सकता है — के माध्यम से आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति बिना स्वदेशी एवं स्वावलंबन की भावना के कर पाना असंभव है। साथ ही ध्यान में रखने की बात यह है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग-थलग हो जाना नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि सभी वस्तुएँ देश में ही बनाई जाएँ। व्यवहार में हम सही निर्णय तभी कर सकते हैं, जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट हों और हम सही ढंग से विचार करें।

आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि हम तेजी से बदलती हुई दुनिया में चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो सकें। यह भी ध्यान रखने की बात है कि हमें ऐसी दुनिया में रहना हैं जहाँ लोग विकास और व्यापार के लिए नई प्रौद्योगिकी

और नए अवसरों को हासिल करते जा रहे हैं। जनता के हितों के रक्षक के रूप में सरकार को देश के आत्मविश्वास और सामर्थ्य को निरंतर पुष्ट करना होगा। भारत विश्व का एक अभिन्न अंग है, 85 करोड़ जनसंख्यावाला राष्ट्र विश्व प्रवाह से अलग नहीं रह सकता। स्वदेशी का अर्थ भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग-थलग हो जाना नहीं है, वरन इसका अर्थ यह है कि हम अपनी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने सांस्कृतिक मूल्यों और सम्मान के अनुरूप अपने विश्वास और सामर्थ्य को जगाएँ। वही व्यापक परिदृश्य भारतीय जनता पार्टी के समक्ष है, मात्र वाणी-विलास से रूप में नहीं अपितु एक जीवन पद्धति के रूप में।

भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वराज और स्वदेशी अविभाज्य संकल्पनाएँ हैं। स्वदेशी के बिना वास्तविक स्वराज हो ही नहीं सकता। स्वदेशी की विचारधारा दिन पर दिन जटिल होते जा रहे तथा आक्रामक जगत का सामना करने से डरनेवाले अंतर्मुखी राष्ट्र की विचारधारा नहीं है। हमारे लिए स्वदेशी का अर्थ है कि हम आत्मविश्वास रखनेवाले आधुनिक राष्ट्र हैं और हम विश्व के राष्ट्रों के साथ बराबरी के दर्जे से बातचीत कर सकते हैं। दुनिया में सभी जगह विकास अपनी पूँजी के बल पर होता है और यही बात भारत में भी होनी चाहिए। हमें अपनी पूँजी, अपने योग्य उद्यमियों तथा कठिन परिश्रम करनेवाले किसानों और मजदूरों के बल पर आगे बढ़ना है। जाहिर है कि विदेशी पूँजी की भूमिका सीमित होगी, यद्यपि कतिपय क्षेत्रों और राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को छोड़कर, जिनका देश में अभी तक विकास नहीं हुआ है, अन्य क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अबाध प्रवेश का विरोध करती है।

हमारी प्रतिबद्धता

भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति के मुख्य अंग हैं—उच्च स्तर की अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पूर्ण रोजगार द्वारा विकास; अधिक-से-अधिक आत्मनिर्भरता, परंतु इसका अर्थ किसी भी कीमत पर प्राप्त होनेवाली आत्मनिर्भरता नहीं है; राष्ट्रीय संसाधनों, वस्तुओं तथा जनशक्ति का अधिकतम वांछनीय प्रयोग, परंतु साथ ही उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योगों में विदेशी पूँजी के लिए समुचित स्थान; पूँजी निवेश का ऐसा वातावरण, जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी उद्योग उन्नति करें और जहाँ कुशलता और उत्पादकता पुरस्कृत हो; कृषि, कुटीर और लघु उद्योगों जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों इत्यादि सहित दुर्बल वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं इन्हें देश के अन्य वर्गों की बराबरी के दर्जे पर लाया जाए ताकि वे राष्ट्रीय विकास में अपनी पूरी भूमिका निभा सकें। भाजपा के आर्थिक विकास

की प्रक्रिया में अंत्योदय दिग्दर्शक और स्थायित्व के प्रति वचनबद्धता का काम करेगा। आर्थिक विकास देश की जनता के हित में किया जाए और वातावरण को प्रदूषणमुक्त रखते हुए पर्यावरणीय संतुलन रखा जाए।

भविष्य की आर्थिक प्रगति में ऐसा नहीं होगा कि शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया जाए, जैसा कि 'साम्यवादी' और' 'उपभोक्तावादी' प्रणालियों में किया गया है। हमारी संस्कृति में इसकी पूरी व्यवस्था है, जिससे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति में एक सामंजस्य रखा जाता है और उसी के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ-साथ इनके संरक्षण और अभिवृद्धि पर पूरा-पूरा बल देना चाहिए। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का समन्वित विकास होता रहे। आर्थिक प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें एक वर्ग के लाभ के लिए समुदाय के दूसरों वर्गों का शोषण न किया जाए जिसके कारण गरीबी और अभावों के बीच समृद्धि का एक छोटा सा मरूद्यान बन जाता है। विकास इस प्रकार होना चाहिए कि सभी वर्गों का उसमें बराबर-बराबर भाग हो। उसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों का शीघ्र एवं तीव्र गति से समुचित विकास होना चाहिए जिसमें महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को विशेष स्थान देना चाहिए, जो इस समय बहुत पीछे रह गए हैं। यह विकास ऐसा होना चाहिए जिससे प्रादेशिक असंतुलन भी मिटे। विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वर्तमान असमानता को कम किया जा सके। इस प्रकार के संतुलित सामंजस्य के द्वारा ही नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। यह सामाजिक व्यवस्था शोषणरहित तथा मूल्यों, अर्थात् 'अंत्योदय', पर आधारित होगी, जिसमें समाज के जीवन स्तर में उत्थान के साथ सामाजिक न्याय होगा।

अतीत में हमारी जनता, प्रदेश, क्षेत्र और वर्ग विकास की प्रक्रिया से अछूते रह गए थे। अब ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों और क्षेत्रों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के कार्य में सम्मिलित करने के लिए कृतसंकल्प है।

भारत को आधुनिक और औद्योगिक रूप से सबल तथा विकास की प्रकिया को उदार बनाना है। लेकिन यह काम भारतीय पद्धति से होना चाहिए। आधुनिकीकरण तथा अधुनातन प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने और सहयोग की प्रक्रिया निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। हमें अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्यरत अपने इन वैज्ञानिकों के प्रयासों पर भरोसा करना होगा तथा उन्हें हर तरह का समर्थन देना

होगा, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी ख्याति बना ली है। भारत को अपना मार्गदर्शन स्वयं करना होगा तथा स्वयं अपना आदर्श निर्धारित करना होगा। यह आदर्श ऐसा होगा, जिसमें देश में प्राप्त अनुभव और देश के बाहर प्राप्त ज्ञान का मानवीय समन्वय होगा और उसमें हमारी आज की आकांक्षाओं और कल की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक कार्यक्रम उपरोक्त सिद्धांतों—मानववाद और स्वदेशी से अनुप्रेरित है।

एकीकृत ग्रामीण विकास

भारतीय जनता पार्टी का यह दृढ विचार है कि स्वस्थ और स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्र का एकीकृत विकास एक अनिवार्यता है। हमारी यह मान्यता है कि ग्रामीण क्षेत्र के पूर्ण विकास का अर्थ यह है कि—

- प्रत्येक किसान ऋणमुक्त हो;
- कृषि-उत्पादन अधिकतम हो;
- ग्रामोद्योगों का संवर्धन हो और कृषि-प्रौद्योगिकी का जाल बिछाया जाए;
- ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य-रक्षा, मनोरंजन, विद्युत, सड़कें, पेय जल, शौचालय (विशेष रूप से महिलाओं के लिए) आदि बुनियादी सुविधाओं की पूरी-पूरी व्यवस्था हो।

हमारा लक्ष्य है कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र जीवनयापन के आकर्षक स्थल बनें, जिससे गाँवों के लोगों का गाँव छोड़कर शहरों की ओर भागना रुक सके।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद का एक-तिहाई से अधिक भाग प्रदान करता है और लगभग दो-तिहाई जनसंख्या अब भी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। एक स्वस्थ और समृद्ध कृषि-व्यवस्था के बिना देश स्वस्थ और समृद्ध बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार हमारे देश में कृषि के विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि देश में बहुमुखी ग्रामीण विकास हो। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि देश की कृषि-क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि हम अधिशेष कृषि-उत्पाद का निर्यात भी कर सकें और साथ ही अधिक-से-अधिक ग्रामों को स्वावलंबी बना सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि—

- भूमि संबंधी कानूनों को सरल बनाया जाए और भूमि संबंधी सुधारों और हदबंदी कानूनों सहित भूमि संबंधी विभिन्न कानूनों का शीघ्र और समयबद्ध कार्यान्वयन हो। भूमि-सुधार संबंधी बुनियादी बात यह होनी चाहिए कि भूमि को जोतनेवाला ही भूमि का स्वामी हो; किंतु विधवाओं, विकलांगों, सैनिकों और अर्धसैनिकों के बारे में विशेष प्रावधान करना होगा, जो अपनी भूमि खेती करने के लिए अन्य खेतिहरों को दे देते हैं।
- किसानों को पास-बुक जारी की जाए;
- कृषि-आधारित उद्योगों का संवर्धन, स्थापना और प्रोत्साहन;
- समूचे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-औद्योगिक समूहों का जाल बिछाया जाए, जो कृषि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कार्यकलापों को पूरा कर सके तथा वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं, खाद्य प्रसंस्करण एककों, कुटीर उद्योंगों आदि अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था कर सके, जो गाँवों के लोगों के लिए आवश्यक है;
- विशेष रूप से कृषि से दस्तकारी के काम में लगे ग्रामीण कारीगरों के लिए धन की सहायता और प्रशिक्षण का प्रावधान करना;
- ग्रामीण विकास में बागवानी की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए देश के कोने-कोने में बागवानी का अधिक-से-अधिक विस्तार करना;
- बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, वनारोपण, लघु सिंचाई कार्यों तथा कृषि तथा बागवानी की वस्तुओं को बाजार तक शीघ्रता से पहुचाने के लिए सड़कों तथा अन्य संचार-सुविधाओं को बढ़ाने, गाँवों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य बुनियादी ढाँचों की व्यवस्था करने और पर्यावरण तथा स्वच्छता की व्यवस्था में सुधार करने पर विशेष बल देने के लिए छोटी तथा श्रम-बहुल ग्रामीण योजनाओं को आरंभ किया जाए;
- पहले से चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। सिंचाई की जो क्षमता भारी लागत पर उत्पन्न की जा चुकी है उसका उपयोग करने के लिए कदम उठाए जाएँ तथा बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए कुशल व्यवस्था की जाए;
- लघु और मध्यम सिंचाई की निर्माण परियोजनाओं तथा वर्तमान टैंकों को गहरा खोदने और छोटे तटबंधों के निमार्ण-कार्य को प्राथमिकता दी जाए;
- कृषि-भूमि के लिए पर्याप्त मात्रा में जल तथा ऊर्जा की आपूर्ति की जाए, क्योंकि ये ऐसी बुनियादी चीजें हैं, जिनको प्राप्त करने का अधिकार किसानों को है;
- राष्ट्रीय जल ग्रिड के लिए नीति तथा कार्यक्रम तैयार किए जाएँ और उसकी शीघ्र तथा समयबद्ध रूपरेखा तैयार करके निष्पादित की जाए;

इसमें गंगा तथा कावेरी नदियों को भी जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है;

- जलसंभर और जल-प्रबंध के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएँ, जिससे इनका अधिकतम उपयोग हो सके;
- कृषि का तीव्र विकास करने हेतु अच्छे बीजों के लिए शासकीय सहायता सहित विभिन्न कृषि आदानों के लिए समुचित शासकीय सहायता दी जाए;
- लाभकर मूल्य में कृषि-उत्पादन के लिए लाभ और प्रोत्साहन भी शामिल है। अतः लाभकर मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कृषि-मूल्य नीति बनानी चाहिए, जिसमें भूमि की लागत, परिवार का श्रम और तत्संबंधी आर्थिक जोखिम और खतरे के अन्य तत्त्वों तथा अन्य किसी प्रकार की लागत का आवश्यक रूप से आकलन किया जाए, ताकि उचित मूल्य निर्धारित किया जा सके;
- फसलवर्ष के आरंभ में कृषि-समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाए;
- कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों के बीच समानता लाई जाए;
- फार्म के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए और जीवन-स्तर में परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए उनकी समीक्षा समय-समय पर की जाए;
- अनाज की वसूली और वफर स्टॉक बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करना, उसे न्यायसंगत बनाना और व्यवस्थित करना;
- दालों, तिलहनों, मोटे अनाजों, फलों, सब्जियों तथा अन्य नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए;
- रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कार्बनिक खाद के उपयोग को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए;
- बाढ़, सूखे तथा अन्य किसी प्राकृतिक विपदा की स्थिति में पर्याप्त तथा समय पर राहत सुनिश्चित करने के लिए पशु फसल बीमा योजना आरंभ की जाए तथा पुरानी अकाल संहिता को अद्यतन स्वरूप दिया जाए। इस प्रकार की विपदाओं में हर तरह की हानि के लिए राहत दी जानी चाहिए;
- राज्य सहकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में भंडारण और शीत संग्रहण (कोल्ड स्टोरेज) की सुविधाओं का विस्तार किया जाए और उन्हें सुदृढ़ किया जाए;
- किसानों की फसल के आधार पर उन्हें ऋण दिया जाए, ताकि उनके सामने लाचारी में अपना माल बेचने की स्थिति न आए तथा समुचित और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के लिए भी उन्हें ऋण दिए जाए;
- कृषि तथा लघु उद्योग एवं ग्रामोद्योग सहित ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय तथा राज्यों के योजनागत आवंटनों में से 60 प्रतिशत राशि का आवंटन किया जाए;

- कृषि-संबंधी जलवायु के क्षेत्रों के अनुसार सूखी खेती को प्रोत्साहन दिया जाए और उसमें तेजी लाई जाए। इस प्रयोजन के लिए किसानों को नवीनतन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और मार्गप्रदर्शन तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ;
- उत्पादन तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने या वनरोपण हेतु विकसित करने के प्रयास तेज किए जाएँ;
- उपजाऊ तथा अच्छी कृषि-भूमि का अधिग्रहण रोका जाए। अधिग्रहण तभी किया जाए, जब ऐसा करना अपरिहार्य हो। अधिगृहीत भूमि के लिए बाजार-मूल्य के आधार पर एकमुश्त मुआवजा दिया जाए। इस प्रक्रिया में बेघर होनेवाले लोगों के पुनर्वास के लिए उन्हें वैकल्पिक भूमि/आवास/रोजगार प्रदान किया जाए;
- यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कृषि/ग्रामीण परियोजनाओं के बारे में किए जानेवाले निर्णय स्थानीय लोगों, जिनमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए, की आवश्यकताओं के आधार पर और उनकी भागीदारी से लिये जाएँ। परियोजना को खंड स्तर पर तैयार करना चाहिए और उसका चयन भी खंड स्तर पर होना चाहिए। इसमें विकेंद्रीकरण करना अत्यंत आवश्क है;
- गोचर भूमि और निस्तार भूमि में गाँवों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा की जाए;
- 'एक खिड़की' व्यवस्था के द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाए तथा कृषि आदानों की व्यवस्था की जाए;
- कृषि-लागत तथा मूल्य आयोग का पुनर्गठन किया जाए, उसके आधार को व्यापक बनाया जाए और उसमें सभी संबद्ध समूहों, विशेषतः खेती में कार्य कर रहे व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए;
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने के लिए मछलीपालन, कुक्कुटपालन तथा सुअरपालन के विकास में सहायता देनी चाहिए;
- गाँवों को आकर्षक और समृद्ध बनाया जाए, ताकि गाँवों से शहरों में लोगों के पलायन पर अंकुश लग सके और यहाँ तक कि शहरों के लोगों का गाँवों में बसना शुरू हो जाए। आधुनिक संचार-व्यवस्था के द्वारा यह पूरी तरह संभव और वांछनीय हो गया है;
- कुछ गाँवों के समूहों के लिए ग्रामीण मंडियाँ बनाई जाएँ और अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएँ;
- गाँवों के गरीब लोगों को संगठित करने और उत्पादक रोजगार की व्यवस्था करने की योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें अमल में लाने के लिए कदम उठाए जाएँ;

* ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए लाभकर रोजगार की व्यवस्था करने के लिए विशेष उपाय किए जाएँ।

गोसंवर्धन तथा पशुधन का विकास

भारतीय जनता पार्टी की सदा यह मान्यता रही है कि गोरक्षा भारतीय संस्कृति का जीवन-प्रतीक है और वह युग-युग से देश की अर्थव्यवस्था से अभिन्न रूप से जुड़ी रही है।

भारतीय जनता पार्टी गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गोरक्षा के अपने सांविधानिक दायित्वों को पूरा करेगी, ताकि डेयरी तथा पशुपालन का व्यवस्थित रूप से विकास हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में श्वेत क्रांति और समृद्धि आ सके। इस बात को समझना पड़ेगा कि पशु राष्ट्रीय संपत्ति हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। पशु भूमि जोतते हैं, खाद्य और दूध की आपूर्ति करते हैं और ढुलाई के लिए भी उनका उपयोग होता है। ट्रैक्टरों का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल करने के क़ारण पेट्रोलियम उत्पादों का अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ढुलाई करने, जैव गैस और उठाऊ सिंचाई के लिए भी पशु ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत हैं। कृषि तथा ग्रामीण विकास में पशुओं के महत्त्व को देखते हुए पशुओं के संरक्षण और विकास के लिए सघन प्रयास किए जाएँगे क्योकि डेयरी प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है।

वन नीति — सामाजिक वानिकी

यह भी आवश्यक है कि एक ऐसी यथार्थवादी राष्ट्रीय वन-नीति तैयार की जाए, जिसके द्वारा सामाजिक वानिकी तथा अर्थव्यवस्था के विकास के द्वारा वनरोपण के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। वनरोपण के कार्यक्रम तैयार करते समय उस क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं तथा कृषि संबंधी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जहाँ रबर के पेड़ लगाना व्यवहार्य हो, वहाँ इसके बहुआयामी लाभों को ध्यान में रखते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी और पद्धतियों को अपनाकर वैज्ञानिक आधार पर रबर के पेड़ लगाने को बढ़ावा देना चाहिए। इस संदर्भ में वन अधिनियम को युक्तिसंगत बनाना भी आवश्यक है, ताकि छोटे या बड़े औद्योगिक, सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन में उसके उपबंध बाधक न बन सकें। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ राज्य सरकारें बाधाओं का सामना कर रही हैं। इस बात पर विचार करना चाहिए कि अधिनियम के अधीन राज्यों को और अधिक शक्तियाँ देने की आवश्यकता है। वनों के संरक्षण के लिए लकड़ी के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए और वैकल्पिक वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। वन-क्षेत्रों में निवास करनेवाले आदिवासियों के हितों और

समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उन्हें आवश्यकता के अनुसार आजीविका और रोजगार के वैकल्पिक साधन दिए जा सकें। राजस्व के संसाधन के रूप में वनों को कम महत्त्व दिया जाना चाहिए और पर्यावरण के संरक्षण तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के साधन के रूप में उनको अधिक महत्त्व देना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में वन-नीति और व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित जनजातियों को समान वन-भूमि और फल, फूल पत्ते आदि उत्पादों के मामले में परंपरागत अधिकार मिलते रहें।

देशव्यापी कृषि — प्रौद्योगिक प्रणाली

अब समय आ गया है, जब छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने, कृषि तथा उद्योग के बीच संबंध स्थापित करने, ग्रामीण और शहरी समुदायों के दो बनावटी विभाजनों को तोड़ने, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक प्रगति से हमेशा लाभान्वित न होनेवाले छोटे तथा कृषि-आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक प्रगति के बीच एक स्वस्थ संबंध स्थापित करने के हमारे प्रयासों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से एक देशव्यापी कृषि औद्योगिक प्रणाली की अवधारणा बने। यद्यपि यह क्षेत्र श्रमसाध्य है, तथापि संतुलित और समतामूलक आर्थिक विकास के लिए उसपर सतत तथा जागरूकता के साथ ध्यान देना वांछनीय है। छोटे तथा बड़े उद्योगों के बीच पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया सार्थक ढंग से आरंभ करनी पड़ेगी। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि उद्योग की विभिन्न श्रेणियाँ या स्तर किसी व्यक्ति के अनेक अंगों के समान है और उनमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसी प्रकार कृषि-उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान के पारस्परिक संबंधों को (उदाहरणार्थ—प्रयोगशाला से भूमि पर आने की अवधारणा के बारे में) नए और प्रभावकारी ढंग से स्थापित करना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक नीति का लक्ष्य तेजी से औद्योगिक विकास, अधिक उत्पादकता, अधिकतम कार्यकुशलता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उपभोक्ता के साथ समुचित व्यवहार तथ कर्मचारियों का कल्याण होना चाहिए। प्रतिद्वंद्विता का खात्मा करना और सुरक्षित बाजारों की स्थापना के फलस्वरूप निकम्मेपन को जो संरक्षण और निहित स्वार्थों को जो बढ़ावा दिया जाता है उसे समाप्त करना होगा। भारतीय जनता पार्टी लाइसेंस-परमिट-कोटा राज तथा उद्योगों पर लगाए गए विनियमों के अंकुश को समाप्त करने की सर्मथक है। किंतु इस दिशा में जोरदार प्रयास और समुचित ढंग से तैयार की गई नीति की आवश्यकता है।

भारतीय जनता पार्टी इन चार स्तरोंवाले औद्योगिक क्षेत्रों का संवर्धन करना चाहती है—

हस्तशिल्प तथा ग्रामोद्योग—

- लघु क्षेत्र
- बड़ा क्षेत्र
- राज्य क्षेत्र

हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योग

भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि हथकरघा तथा हस्तशिल्प जवाहरात तथा जेवरात जैसे भारत के पारंपरिक हस्तशिल्पों के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने तथा निर्यात आय को बढ़ाने जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर—यदि ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों में 1 करोड़ रुपए लगाए जाएँ तो उनमें 202 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है जबकि संगठित औद्योगिक क्षेत्र में इस निवेश से मुश्किल से 20 व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सकता है। इसके अलावा 40 प्रतिशत से अधिक हमारी निर्यात आय इन तथाकथित छोटे उद्यमों से होती है। भारतीय जनता पार्टी वचन देती है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्त्व को स्वीकार किया जाएगा और उनमें अधिक लाभ प्राप्त किया जाएगा।

- हस्तशिल्पों तथा ग्रामीण उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा।
- पारंपरिक हस्तशिल्प की रक्षा करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास बैंक खोला जाएगा। सरकार इस बैंक के लिए आवश्यक आरंभिक पूँजी की व्यवस्था करेगी।
- समाज में पारंपरिक शिल्पियों को समुचित महत्त्व दिया जाएगा, ताकि वे अपने पर गर्व कर सकें। शिल्पियों का समूह बनाकर उन्हें संगठित करने का प्रयास भी किया जाएगा।
- बुनकरों, स्वर्णकारों, लोहारों, बढ़इयों, मोचियों, कुम्हारों आदि पारंपरिक शिल्पियों को आवास जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
- पारंपरिक शिल्पियों, जिनका शोषण बिचौलियों द्वारा किया जाता है, को उनके विशेष कौशल का उचित लाभ दिलाने के वास्ते प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी और उन्हें विपणन सुविधाएँ, विपणन-परामर्श आदि सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
- इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा।
- इसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कौशल की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- जवाहरात, जेवरात आदि क्षेत्रों में हीरे की कटाई में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- दूरदर्शन आदि सरकारी माध्यमों पर रियायाती शुल्क देकर स्थानीय शिल्पियों के उत्पादकों का समुचित प्रचार किया जाएगा।

लघु उद्योग क्षेत्र

यद्यपि औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़े उद्योगों का महत्त्व सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं और उनका विस्तार होने की काफी गुंजाइश है, तथापि इस क्षेत्र में लघु उद्योगों की भी कोई कम महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद तथा निर्यात बढ़ाने में और रोजगार के अवसर पैदा करने में उनका बड़ा योगदान रहा है तथापि लघु उद्योगों को बहुत परेशान किया जाता है। कई विभागों के इंस्पेक्टर उनपर नियम-उपनियम लादते रहते हैं और उनपर निगरानी रखते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके विकास पर पड़ता है। अब उन्हें कम ब्याज-दरों पर ऋण की सुविधा से भी वंचित किया जा रहा है। दिसंबर, 1990 के अंत तक दो लाख से भी अधिक एकक रुग्ण थे। उनकी इस रुग्णता को दूर करने और उन्हें फिर से चालू करने के लिए जहाँ कहीं संभव होगा, भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित कदम उठाएगी—

- औद्योगिक उत्पादन के कतिपय क्षेत्रों को लघु उद्योगों के क्षेत्रों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। उन क्षेत्रों में बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आने नहीं दिया जाएगा;
- एक ही अभिकरण के जरिए लघु उद्योगों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा;
- इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाएगा। लघु उद्योगों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत बनाकर यह किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के अंतर्गत इन उद्योगों के लिए अग्रिम स्वीकृति लेना जरूरी नहीं होगा;
- मशीनों की खरीद के लिए किराया खरीद (हायर पर्चेज) अथवा किश्तों में खरीदने की पर्याप्त सुविधा दी जाएगी;
- उद्योगों के समूह बनाकर उनके लिए परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा समेत सामान्य सेवा सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी;
- देश और विदेश—दोनों में विपणन के लिए विपणन सहायता और आम सूचना के लिए एक अभिकरण स्थापित किया जाएगा;
- ब्याज की कम दरों पर कर्ज दिए जाएँगे। उद्योगों को समय पर आवश्यक पूँजी प्रदान किए जाने, एक ही स्रोत पर बिक्री कर लिये जाने, लघु उद्योगों के बिलों को शीघ्रता से निपटाए जाने और विपणन-व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने आदि पर्याप्त राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएँगे;

- जिन उद्योगों में कम पैसा लगाकर अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, उन्हें अतिरिक्त कर लाभ तथा ऋण-सुविधाएँ दी जाएँगी;
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाए;
- इस क्षेत्र में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को समझा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ऋण तथा अन्य सुविधाएँ आसानी से मिल सकें; तथा
- ऐसी लघु क्षेत्र इकाइयों की समस्याओं के साथ निपटने के लिए औद्योगिक तथा पुनर्निर्माण बोर्ड की तरह का एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

बड़े उद्योगों का क्षेत्र

भारतीय उद्योगों ने एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन उन्हें अभी उससे भी लंबा फासला तय करना है। लाइसेंस परमिट-कोटा राज ने भारतीय उद्योगों को लंबे समय तक दबाया है। हाल ही में कुछ उदारता लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव घोषणा-पत्र के अनुरूप सरकार ने औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं। फिर भी अभी कोयला, चीनी, अखबारी कागज, चमड़ा, खाद्य तेलों से संबंधित उद्योगों और अनेक दूसरे उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। चीनी उद्योग के लिए लाइसेंस में तुरंत छूट देने की जरूरत है। इस बात की गहरी जाँच करना भी आवश्यक है कि किन-किन दूसरे क्षेत्रों में लाइसेंस प्रणाली को बनाए रखना न्यायसंगत है। वस्तुतः केवल उन्हीं रक्षा-संबंधी उद्योगों अथवा उन उद्योगों के लिए लाइसेंस दिए जाने चाहिए, जिन्हें राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक उद्योगों के वास्ते भी लाइसेंस लेना आवश्यक होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि उन क्षेत्रों में भी, जहाँ विनियमों को समाप्त कर दिया गया है, विनियमों को लागू करनेवाले अभिकरण भारतीय अर्थव्यवस्था पर खतरे के रूप में अभी मंडरा रहे हैं।

उद्यमकर्ताओं को यह बताकर कि कौन सा उद्योग कब, कहाँ और कैसे स्थापित किया जाए, सरकार को उद्योग स्थापित करने के कार्य को एक बाधा-दौड़ नहीं बनाना चाहिए। ऐसे उद्योगों के लिए नगरपालिका अथवा किसी अन्य अभिकरण की स्वीकृति लेना भी आवश्यक नहीं होना चाहिए। सरकार को उद्योग लगाने के स्थानों, पर्यावरणीय अपेक्षाओं, औद्योगिक संबंधों, विदेशी निवेश आदि सभी पहलुओं के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने चाहिए और औद्योगिक इकाइयों को उनका पालन करना चाहिए। यदि कोई एक एकक निर्धारित नियमों का उल्लंघन करे तो उसे दंड देना चाहिए। विनियमों को ठीक प्रकार से लागू करने

के लिए प्रशासन को खुले तौर पर अपने विवेक का उपयोग करके कार्य करना चाहिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित उपाय करना चाहेगी—

- औद्योगिक विकास तथा आधुनिकीकरण की समग्र प्रक्रिया के भाग के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा;
- बड़े उद्योगों तथा लघु उद्योगों के बीच संबंधों को स्वस्थ रूप से बढ़ावा देने और सहभागी बनाने के लिए सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा;
- व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वे जनता की भलाई के लिए अपने को ट्रस्टी समझकर कार्य करें; तथा
- खतरनाक उद्योगों को आवश्यक वैज्ञानिक सुरक्षा उपाय तथा सावधानियाँ बरतने के बाद शहरों से दूर सुरक्षित तथा घनी बस्तीवाले क्षेत्रों से दूर ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। एकमात्र ऐसे एककों के लिए अलग से सहायक उद्योग स्थापित किए जाएँगे।

सरकारी क्षेत्र

भारत में सरकार ने जिन आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथ में लिया है, उन्हें 'सरकारी क्षेत्र' की संज्ञा दी गई है और सभी विशेष आर्थिक गतिविधियों को 'गैर-सरकारी क्षेत्र' कहा गया है। सरकारी क्षेत्र को अब 'राज्य क्षेत्र' (स्टेट सेक्टर) कहना अधिक समीचीन है।

निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को सामने रखकर सरकारी उद्यम स्थापित किए गए थे—देश के आर्थिक विकास तथा औद्योगीकरण की गति को तेज करना; आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आधार-ढाँचा उत्पन्न करना; लगाई गई पूँजी पर धन के पुनर्वितरण को बढ़ावा देना; रोजगार के अवसर पैदा करना; और संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। पिछले चार दशकों के दौरान जिस ढंग से इन उद्यमों को कार्य करने दिया गया है उससे इनमें से अधिकतर उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उसके लिए किसी की जवाबदेही भी नहीं है।

बैंकों, बीमा कंपनियों, रेलवे, डाक-तार आदि विभागीय उद्यमों को छोड़कर, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या 244 है। इनमें से कई उद्यमों को केवल इसलिए सरकारी नियंत्रण में लाया गया कि वे रुग्ण हो गए थे। रुग्ण कपड़ा मिलों से ही राजकोष को 300 करोड़ रुपए की वार्षिक हानि होती है। ये मिलें केवल मोटा हथकरघा क्षेत्र को ही नुकसान पहुँचाती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में इन उद्यमों में निवेश बढ़ गया है। 31.3.1990 को इन पर लगभग एक लाख करोड़ रुपए लगे हुए थे। निवेश पर शुद्ध लाभ के रूप में इस क्षेत्र का अंशदान 1980-81 में (-) 1.11 प्रतिशत था। वह 1989-90

में 4.48 प्रतिशत हो गया। 1989-90 में इस क्षेत्र में 22.36 लाख व्यक्ति नियमित रूप से काम कर रहे थे और इस प्रकार प्रत्येक 4.5 लाख रुपए के निवेश पर केवल एक आदमी को रोजगार मिल रहा था। इन उद्योगों में संतुलित क्षेत्रीय विकास अथवा सहायक तथा लघु उद्योगों का विकास भी नहीं हो पाया। इसी प्रकार राज्य सरकार के उद्यमों, जिनमें विद्युत बोर्ड भी शामिल हैं, में निवेश 2,30,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। इन उद्यमों के लाभ और रोजगार देने का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं है।

अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित नीति की समीक्षा करना आवश्यक है। जिन मुख्य बातों पर बल देना आवश्यक है, उनका उल्लेख हमने सन् 1991 के अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किया है। मूल उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक उद्यमों को मुख्यतः केवल रक्षा तथा आधारभूत संरचना-संबंधी क्षेत्रों तक ही सीमित किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे उद्योग व्यावसायिक ढंग से कार्य करें और उन्हें अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो, ताकि व्यावसायिक सीमाओं में रहते हुए वे कुशलता से कार्य कर सकें। सरकार ने हिचकिचाते हुए विनिवेश की नीति शुरू की है और अब यह व्यवस्था है कि वित्तीय संस्थानों तथा म्यूचुअल फंडों में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। यह कार्य समुचित रूप से तैयार की गई नीति के आधार पर होना चाहिए। इसमें यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जनता उन संस्थानों के तथा म्यूचुअल फंड के शेयर ले सके। इसमें कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कार्य स्पष्ट और खुले रूप से किया जाना चाहिए, ताकि शेयरों का समुचित मूल्यांकन हो सके और इनके शेयर खरीदने का अवसर सभी को खुले ढंग से मिल सके। इन सरकारी उद्यमों का प्रबंध व्यावसायिक व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए और इनके कार्य के लिए इन्हें ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि उत्पादकता तथा लाभ को अधिक-से-अधिक बढ़ाया जाए और कर्मचारियों का अधिक-से-अधिक कल्याण किया जाए। अच्छी किस्म के माल का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उत्पादन करके लाभ-अर्जन होना चाहिए, न कि कृत्रिम रूप से मूल्यों में हेराफेरी करके उसे दिखाया जाए।

सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य

जहाँ तक सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्यमों की कार्यप्रणाली का संबंध है, हम नहीं चाहते कि बड़े सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर उनमें अकुशलता और अकर्मण्यता बढ़े। राष्ट्र के रूप में कुछ सामाजिक उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं और उनके लिए निरंतर काम करते रहेंगे। लेकिन उन उद्देश्यों को इन उद्यमों की लाभकारिता से नहीं जोड़ा जाएगा और लाभकारिता को कम नहीं किया जाएगा। इन उद्यमों के कार्य का आकलन करते समय तथा अर्थव्यवस्था के

विकास में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए इन सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर होनेवाले खर्च को अलग समझना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए जिस समाज की परिकल्पना की है, उसमें समाज के सभी वर्ग सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्यमों में अधिक-से-अधिक लाभ कमाते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएँगे।

विदेशी पूँजी

भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीय क्षेत्र, अर्थात् निजी तथा सरकारी--दोनों क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। घरेलू अर्थव्यवस्था (उद्योग, माल, स्थानीय प्रतिभा और श्रमिक बल के हितों) को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता होनी चाहिए। तथापि भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है कि जिन क्षेत्रों में देश के प्रयास कमजोर रहे हैं, उनमें विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी का स्वागत किया जा सकता है। ऊर्जा-संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, कोयला प्रक्षालन प्रौद्योगिकी आदि कुछ क्षेत्रों के नाम यहाँ गिनाए जा सकते हैं। विदेशी निवेश के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रवैया निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है--

- उच्च प्रौद्योगिकी, निर्यात-उन्मुख और आयात-प्रतिस्थापन के क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति देनी चाहिए;
- उपभोक्ता और उपभोक्ता ड्यूरेबल वस्तुओं के लिए विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए; और
- इस समय जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपना नियंत्रण कम करना होगा। इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के ऐसे मामलों में वर्तमान भारतीय कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पूर्ण रोजगार तथा औद्योगिक संबंध

हम फिर बेरोजगारी की समस्या पर आते हैं। इस बारे में स्थिति सचमुच निराशाजनक है। 1978-1988 के बीच जहाँ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो गई, वहीं रोजगार की वृद्धि-दर 2.8 प्रतिशत से गिरकर 1.3 प्रतिशत रह गई। यह गिरावट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। कृषि में रोजगार की वृद्धि-दर 1.5 प्रतिशत से कम होकर 0.07 प्रतिशत तक रह गई और उद्योग के मामले में यह दर 4.7 प्रतिशत से कम हो कर 2.2 प्रतिशत पहुँच गई (सेवा क्षेत्र में ही कुछ वृद्धि नजर आई)। एक और कठोर

तथ्य यह है कि 1.3 प्रतिशत की विकास-दर उस दर से केवल आधी है, जिस दर पर श्रम-शक्ति बढ़ रही है। अब इस बात की आशंका है कि सरकार जो संरचनात्मक समायोजन कर रही है, उससे 1992-94 में बेरोजगार होनेवाले व्यक्तियों की संख्या 40 लाख और 80 लाख के बीच हो जाएगी। सरकार की आर्थिक नीति रोजगारोन्मुख नहीं रही है।

रोजगार के अवसर उत्पन्न करना

गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों पर 7 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद रोजगार की स्थिति बिगड़ गई है। इससे पता चलता है कि इन कार्यक्रमों में कितना घपला रहा है। इन कार्यक्रमों से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इनमें जो त्रुटियाँ हों, उन सभी को दूर किया जाए। इसके अलावा यदि ग्रामीण गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम पंचायत समितियों को सौंप दिए जाएँ तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। यह भी जरूरी है कि इन कार्यक्रमों में अधिक संख्या में स्वैच्छिक संगठनों और एजेंसियों को शामिल किया जाए। कृषि आधारित उद्योगों को ग्रामों में रोजगार पैदा करने का मुख्य क्षेत्र मानना चाहिए। प्राप्त अनुभवों के आधार पर समुचित संशोधन करते हुए तथा क्षेत्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देशभर में रोजगार गारंटी योजना शुरू की जानी चाहिए।

जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का संबंध है, दो बातों पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। एक तो बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों के जरिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने इसे कोई खास महत्त्व नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि अनेक श्रम-कानूनों और कर-लाभों के बावजूद बड़े और छोटे उद्योग अधिक मजदूर लगाने की बजाय महँगी तथा स्वचालित मशीनें लगाना अधिक लाभकारी समझते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति में वास्तविक रूप से श्रम-बहुल उद्योग लगाने की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

रोजगार तथा अपूर्ण रोजगार के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक पूर्ण रोजगार राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए, जो देश के लिए एक ऐसी रोजगार नीति तैयार करे, जिससे उचित श्रमिक हितों को नुकसान पहुचाए बिना देश में रोजगार को बढ़ावा मिले। यह आयोग अधिक रोजगार प्रदान करने हेतु विशेष उपायों और सुविधाओं का भी सुझाव देगा। आयोग उन लघु उद्योग हस्तशिल्पों तथा कुटीर उद्योगों के लिए विशेष उपाय सुझाएगा, जिनमें और अधिक रोजगार पैदा करने की संभावना है। नीति में प्रशिक्षण द्वारा निपुणता बढ़ाने के उपायों को भी शामिल किया जाए। श्रम-उत्पादकता के ऊँचे स्तर प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है।

निर्गमन-नीति

सरकार ने अपनी निर्गमन-नीति के समर्थन के लिए एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है। वास्तव में हमें प्रवेश नीति को अधिक महत्त्व देना चाहिए, ताकि अधिकाधिक औद्योगिक एकक स्थापित हो सकें। उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा रुग्णता का निर्णय ले लिये जाने के पश्चात् ही कार्मिकों को बड़ी रकम देने के बाद कार्यमुक्त करके कारखाने को बंद किया जाए। निर्गमन-नीति के लिए कार्यक्रम और नीतियाँ तैयार करते समय हमें बेरोजगारी के पहलू तथा हमारी प्रशिक्षित जनशक्ति के व्यर्थ हो जाने की संभावना को ध्यान में रखना होगा। यह सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र को सुचारु बनाए जाने के नाम पर श्रमिकों और कर्मचारियों का शोषण करने तथा अनुचित लाभ उठाने का साधन नहीं बनना चाहिए। कर्मचारियों की संख्या को बहुत अधिक कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि बंद की जानीवाली रुग्ण इकाइयों को बीच भँवर में ही न छोड़ दिया जाए। उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे और इसके लिए समुचित तंत्र स्थापित करना होगा। रोजगार की नीति को युक्तिसंगत बनाए जाने के सकारात्मक पहलुओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मूल्य और मजदूरी का परस्पर संबंध एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। जैसा कि सामाजिक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में हुआ है, श्रमिकों को फुसलाने के लिए सरकार द्वारा उनके लिए दी जानेवाली सामाजिक सुरक्षा जिसकी बात की जा रही है, को एक और मृगतृष्णा नहीं बनने देना चाहिए। नीति में यथार्थवाद तथा कार्यान्वयन में उदासीनता बरतना हमेशा से ही सरकार की प्रवृत्ति रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए उत्सुक है कि निर्गमन-नीति पूर्ण रोजगार की राष्ट्रीय नीति तथा सामाजिक न्याय के साथ विकास-संबंधी राष्ट्रीय उद्देश्यों के ढाँचे के अनुरूप होनी चाहिए।

औद्योगिक संबंध

- भारतीय जनता पार्टी श्रमिकों को केवल उत्पादन का एक घटक ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास में बराबर का साझीदार समझती है। उनसे भरसक प्रयास की अपेक्षा किए जाने के साथ-साथ उनके यथोचित अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
- संगठित, असंगठित तथा स्वरोजगार क्षेत्र में लगे श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तथा उनकी निपुणता को बढ़ाकर मानव-संसाधन के तरीकों के बारे में निरंतर प्रयास करते रहना होगा।
- वर्तमान सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करते समय अथवा समूची अर्थव्यवस्था को नया रूप देते समय कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी।
- राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार की जाएगी।

- प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- उद्योग बंद होने की स्थिति में कर्मकारों को उद्योग चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- गुप्त मतदान से प्राप्त मतों के आधार पर श्रम संघ को मान्यता प्रदान की जाएगी।

सहकारी आंदोलन

एक-दूसरे की आर्थिक गतिविधियों में सहयोग भारतीय संस्कृति का एक अनोखा पहलू है। वास्तव में छोटी जोतोंवाले किसान मौटे तौर पर सहकारिता की भावना के आधार पर खेती कर रहे हैं। निस्संदेह स्वाधीनता के बाद इस अनोखे पहलू को एक सरकारी आंदोलन का रूप देने का कुछ प्रयास किया गया है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आंदोलन को राजनीतिक रंग दिए जाने के परिणामस्वरूप यह आशाओं के अनुकूल आगे नहीं बढ़ सका है। भारतीय जनता पार्टी सहकारी आंदोलन को साफ और मजबूत बनाना चाहेगी तथा इसे यथासंभव आर्थिक गतिविधियों के अधिक-से-अधिक क्षेत्रों तक फैलाना चाहेगी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सहकारी आंदोलन को 'जन आंदोलन' बनाना चाहेगी। आरंभ में, पार्टी निम्नलिखित क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन पर जोर देना चाहेगी।

कृषि सहकारी समितियाँ

भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है कि छोटी जोतों को सहकारिता आंदोलन के माध्यम से, तथा छोटे किसानों के प्रयासों को सही दिशा देकर और अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। इससे ऋण-सुविधाओं, बेहतर आदानों, सिंचाई, विपणन, भंडारण के संबंध में और प्रबंध में (जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है) उनके प्रयास और मजबूत होंगे।

शिल्पियों की सहकारी समितियाँ

कुटीर उद्योग एक अन्य ऐसा क्षेत्र है, जिसमें आंदोलन का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए—प्रत्येक हस्तशिल्प के लिए (जैसे—हथकरघा अथवा हीरे की कटाई करनेवाले शिल्पियों को) एक पृथक् समूह के रूप में एकत्र किया जा सकता है। इस प्रणाली के अधीन एक जैसे शिल्प के कारीगर इकट्ठे हो जाएँगे, इकट्ठे कार्य करेंगे और एक साथ रहेंगे। ऋण की आवश्यकता, डिजाइन, विपणन और किसी विशेष प्रकार के प्रबंध करने के साथ-साथ इस समूह के सदस्यों की आधारभूत सुविधाओं के बारे में भी प्रबंध हो जाएगा।

महिलाओं की सहकारी समितियाँ

महिलाओं को औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी विशेष समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक है कि महिला-समूह बनाए जाएँ। महिला सहकारी समितियाँ इसमें सहायक हो सकती हैं और उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन तथा सहायता दे सकती हैं। ये सहकारी समितियाँ औद्योगिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों और परिधान उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ी-निर्माण यूनिटें, खाद्य-संसाधन, हीरा काटने आदि उद्योगों को शामिल कर सकती हैं।

अनुसूचित जाति तथा जनजातीय सहकारी समितियाँ

भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लोगों के कौशल को बढ़ावा देना चाहेगी और इन सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी आजीविका में सुधार लाना चाहेगी। इन सहकारी समितियों से न केवल जनजातीय कौशल को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी, बल्कि ये इन जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने में भी सहायक होंगी। मंडियों के साथ संबंध की व्यवस्था करने के अतिरिक्त ये सहकारी समितियाँ देश के अन्य भागों तथा वर्गों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में सहायक होंगी।

मत्स्यपालन सहकारी समितियाँ

तटवर्ती क्षेत्रों में भारी संख्या में मछुआरे अपनी रोजी-रोटी के लिए समुद्र की लहरों में अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। इनमें से अधिकतर को बहुत कम मजदूरी के साथ और बिना किसी सुरक्षा के कार्य करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी सहकारी आंदोलन के माध्यम से मछुआरों के कौशल का लाभ उठाना चाहेगी। इससे न केवल मछुआरों को आधुनिक नौकाओं और जालों जैसे बेहतर आदानों के साथ अधिक कमाई करने का अवसर मिलेगा, बल्कि इससे उनकी आवास-संबंधी आवश्यकताएँ भी पूरी होंगी, और इसके अतिरिक्त खतरनाक व्यवसाय में उनके लिए बीमे की भी व्यवस्था की जाएगी। गहरे समुद्र वाले मत्स्यपालन उद्योग के विकास में सहकारी समितियों की प्रभावकारी और बेहतर भूमिका हो सकती है।

आवास सहकारी समितियाँ

आवास एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी आवश्यकता शहरी और ग्रामीण-सभी लोगों को होती है, परंतु प्रायः यह अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी का मत है कि सहकारी प्रयास ही वर्तमान आवास-समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। इसलिए आवास सहकारी समितियों को यथासंभव अधिकतम सहायता दी जाएगी।

दुग्ध-उत्पादन सहकारी समितियाँ

ग्रामीण लोगों की आय तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने में ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी विकास महत्त्वपूर्ण है। यह ऐसा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समझा जाता है जहाँ सहकारी समितियाँ दुग्ध-उत्पादकों के हितों की रक्षा करने में प्रभावकारी भूमिका निभा सकती हैं और विपणन, चारा उपलब्ध कराने, पशु-चिकित्सा आदि में अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।

फल और सब्जी की सहकारी समितियाँ

फल और सब्जियों के उत्पादन, संरक्षण, पैकेजिंग, संसाधन, विपणन आदि गतिविधियों में सहकारी समितियाँ सार्थक भूमिका निभा सकती हैं। सहकारी समितियाँ आदानों, समान सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती हैं शीत-भंडारण सुविधाओं तथा विपणन-संबंधी सूचना द्वारा सहायता भी प्रदान कर सकती हैं। इससे उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि किसानों को अधिक लाभ भी प्राप्त होगा।

आधारभूत संरचना

ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि आधारभूत संरचनाएँ अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शहरी तथा ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत आधारभूत संरचना की स्थापना को अत्यधिक महत्त्व देगी।

ऊर्जा-नीति

देश में ऊर्जा की भारी कमी है। स्वाधीनता-प्राप्ति के 44 वर्षों के बाद भी पूरे देश में, विशेष रूप से गाँवों में, ऊर्जा का कोई विश्वसनीय साधन नहीं है। इस स्थिति के साथ युद्ध-स्तर पर निपटना होगा। भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित काररवाई चाहती है—

- तेल, कोयले तथा प्राकृतिक गैस के और भंडारों का पता लगाने के प्रयासों में तेजी लाना तथा उनके इस्तेमाल में किफायत बरतना;
- पहले ही जिन लघु, मध्यम और बड़े तेल गैस क्षेत्रों का पता लग चुका है और जो इस समय उपेक्षित पड़े हैं, उनके उपयोग के बारे में तुरंत काररवाई करना;
- गैस के व्यर्थ ही जलते रहने की क्रिया को बंद करना और इसका मितव्ययितापूर्ण उपयोग करना;
- शोध करना तथा समुद्री ऊर्जा में परिवर्तन करने की संभावनाओं का पता लगाना;

- विद्युत संयत्रों के जो इस समय अपनी आधी क्षमता से कार्य कर रहे हैं, कार्य-निष्पादन में सुधार करना;
- बिजली की भारी चोरी को रोकना;
- घरों और कारखानों में ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू करवाना, जिनसे बिजली की खपत कम होती हो तथा ऊर्जा की बचत होती हो;
- वनों का क्षेत्रफल अभी के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर वांछित स्तर 33 प्रतिशत तक लाना;
- आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों में माइक्रो हाईडल विद्युत् संयत्र स्थापित करना;
- गैस पर आधारित विद्युत् सयंत्रों को बढ़ावा देना;
- विद्युत्-उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना;
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, जैसे—पवन, जल, बायो-गैस, सौर विद्युत् और महासागर ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना;
- कोयला-प्रक्षालन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना; एवं
- ऊर्जा-संरक्षण को प्राथमिकता देना।

परिवहन-नीति

चूँकि भारतीय जनता पार्टी परिवहन व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भली-भाँति समझती है, अतः हमारा यह प्रयास होगा कि हम एक सफल परिवहन व्यवस्था विकसित करें।

- माल की ढुलाई और लोगों के आवागमन को सुगम बनाने की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में संपूर्ण देश को एक ही क्षेत्र समझा जाएगा और देश-भर में आवागमन में आनेवाली बाधाओं को दूर किया जाएगा;
- महानगरों और अन्य नगरों में बेहतर परिवहन प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी;
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार किया जाएगा, ताकि निजी वाहन रखने की ज्यादा आवश्यकता न रहे। इससे ऊर्जा की माँग को घटाने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ, पर्यावरणीय प्रदूषण को भी रोका जा सकेगा;
- गाँवों के लिए एक सफल परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने के उद्‌देश्य से बैलगाड़ियों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाएगा;
- जल-परिवहन के इस्तेमाल को संभव बनाने के प्रयास किए जाएँगे, यथा अंतरदेशीय जल-परिवहन और तटीय जहाजरानी;
- विशेषतः घरेलू और विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इंटर मॉडल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा।

संचार-नीति

- एक आधुनिक संचार-व्यवस्था विकसित करने के प्रयास किए जाएँगे;
- संचार क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

आम आदमी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी

आम आदमी की सेवा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की परिकल्पना को वास्तविकता प्रदान करने हेतु नवीन तथा कल्पनाप्रवण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। इस महान राष्ट्रीय कार्य के लिए वैज्ञानिक समुदाय को प्रेरित करना होगा तथा उनका योगदान प्राप्त करना होगा। ऐसा करके ही हम उस समस्या को हल कर सकेंगे, जिसका सामना आजकल हमें अकसर करना पड़ता है, जैसे—पारिस्थितिकी के साथ विकास की समस्याएँ हैं, जिनके कारण हमारे संसाधनों तथा हमारी ऊर्जा की बरबादी होती है। नए संबंध स्थापित करने होंगे, ताकि आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों को संतोषजनक तरीके से पूरा किया जा सके तथा आम आदमी के भार को कम करने के लिए अनेक मशीनें तथा उपकरण उपलब्ध हो सकें। मौलिक अनुसंधान तथा प्रायोगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बीच समुचित तालमेल नहीं है। वाहनों के लिए ईंधन की कम खपतवाली डिजाइन तैयार करने या वाहनों को (पेट्रोल के स्थान पर) वैकल्पिक पदार्थों, अल्कोहल या गैस से चलाने हेतु प्रयोग किए जाने की दिशा में हम कोई सार्थक प्रयास नहीं कर पाए हैं। ऊर्जा की बचत करने के लिए विकल्पों के बारे में अभी तक केवल कोरी बातें ही होती रही हैं। इस दिशा में अधिक ठोस, सार्थक तथा प्रभावी काररवाई करना अभी शेष है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित हमारी नीति के व्यापक ढाँचे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसे अपेक्षित समर्थन मिलना चाहिए, ताकि यह हमारे राष्ट्रीय विकास और प्रगति में सहायक सिद्ध हो। भारतीय जनता पार्टी विज्ञान का इस्तेमाल गरीबों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए करेगी तथा ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करेगी, जो मानव-कल्याण के लिए हितकर सिद्ध हो। इस संदर्भ में हमारी नीति यह होगी कि—

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल उत्पादकता बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाए;
- जीवन-स्तर बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान का एक बड़ा कार्यक्रम लागू किया जाए;
- ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु केंद्रों की व्यवस्था की जाए। प्रयोगशाला से भूमि तक के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाए तथा कम लागतवाला एक मजबूत कृषि एवं औद्योगिक आधार

विकसित किया जाए;

- राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को नया जीवन प्रदान किया जाए और उन्हें प्रायोगिक अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए;
- इन प्रयोगशालाओं को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने का निर्देश दिया जाए;
- 'टेक्नॉलोजी पार्कों', जिनका रखरखाव उद्योगों द्वारा किया जाए, की स्थापना करके राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं औंर उद्योगों को एक साथ लाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किया जाए। ये पार्क प्रतिभा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के बीच के अंतर को दूर करने तथा उद्योगों के संसाधनों और प्रयोगशालाओं में विशेषज्ञता के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।
- इसके अतिरिक्त घरेलू शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 का पुनरीक्षण किया जाए और उसे सुदृढ़ किया जाए।

मुद्रा और बैंकिंग नीति

भारतीय जनता पार्टी पूर्ण नियोजन, मूल्य-स्थिरता और संतुलित आर्थिक प्रगति जैसे सामाजिक-आर्थिक उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा-संबंधी प्राधिकरणों की भूमिका को महत्त्व देती है। इस संदर्भ में हमारी मान्यता है कि—

- भारतीय रिजर्व बैंक को कार्यप्रणाली की दृष्टि से स्वायत्त होना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण लेने पर कानूनी नियंत्रण होना चाहिए।
- बैंकिंग संस्थाओं का उद्‌देश्य सामाजिक दायित्वों को पूरा करना होना चाहिए और इसके साथ-साथ उन्हें जनता की सेवा करने में व्यावसायिक रूप से कुशल तथा प्रभावी होना चाहिए।
- बैंकिंग प्रणाली को व्यापार-आधारित प्रणाली बनाना होगा और व्यावसायिक नैतिकता तथा सिद्‌धांतों का पालन करना होगा। बैंकिंग गतिविधियों को अपने दायरे में कड़ाई से सीमित रखना होगा।

वाणिज्यिक बैंक

सरकार ने भारतीय बैंकिंग पद्धति के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए नरसिंहन समिति का हाल में गठन किया था। रिपोर्ट में कुछ बैंकों के विलय तथा 'ग्लोबल बैंकों' और 'जोनल बैंकों' आदि के रूप में उनके पुनर्गठन का सुझाव दिया गया है। तथापि इसमें भारतीय बैंकों की केंद्रीय समस्या, अर्थात् बहुत से बैंकों के रुग्ण

हो जाने और उनमें 5000 करोड़ रुपए के अशोध्य ऋण हो जाने की समस्या को छुआ भी नहीं गया है। सरकार ने अभी तक इसकी बहुत सी महत्त्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, जबकि सभी प्रकार के विकास के लिए बैंकों में सुधार बहुत आवश्यक है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है कि–

- भारतीय बैंकों का स्वास्थ्य बहाल करना चाहिए। उनके प्रबंध को व्यावसायिक रूप देकर उनके कार्यक्रम में सुधार करने का प्रयास किया जाए। राष्ट्रीयकृत बैंकों में इक्विटी का कुछ अंश जनता तथा कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए।
- और अधिक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाए तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए।

विदेशी बैंक

भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत में विदेशी बैंकों की संख्या बहुत कम थी। आज उनकी कहीं अधिक शाखाएँ हैं। सभी प्रतिष्ठित खाते इन्हीं बैंकों में हैं तथा बहुत अधिक धन बाहर भेजा जाता है। इसे देखते हुए नए विदेशी बैंक निम्नलिखित शर्तों पर ही खोले जाएँ–

- भारत में प्रवेश करनेवाले किसी भी नए विदेशी बैंक को लाइसेंस शुल्क देना चाहिए।
- भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों से कहना चाहिए कि वे भी प्राथमिकतावाले क्षेत्र को ऋण प्रदान करें, जैसी भारतीय बैंकों से अपेक्षा की जाती है। सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के संबंध में विदेशी बैंकों को भी भारतीय स्वदेशी के समान कार्य करना चाहिए।
- इसी प्रकार विदेशी और भारतीय बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में कुछ समानता होनी चाहिए। हालाँकि इस बारे में पूर्ण समानता व्यवहार्य नहीं हो सकती, फिर भी थोड़े से व्यक्तियों के लिए उच्च वेतन को बढ़ावा देना सामाजिक संतुलन के हित में नहीं होगा।

विकास बैंक

विकास बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका अदा करते हैं। दुर्भाग्यवश ये संस्थाएँ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पा रही हैं।

- सावधिक ऋण देनेवाली संस्थाओं को स्वयं को विकास कार्यों तक ही सीमित रखना चाहिए;

- इन संस्थाओं को स्वयं को निगमित झगड़ों से दूर रखना चाहिए;
- सावधि ऋण देनेवाली संस्थाओं को निस्संदेह ऋण की अदायगी सुनिश्चित करनी होती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इससे उनको निगमित निर्णय किए जाने संबंधी कुछ शक्ति भी मिल जाएगी; और
- स्वदेशी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए पृथक विकास बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की जाएगी।

सहकारी बैंक

सहकारी बैंक असंगठित क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अतः भारतीय जनता पार्टी सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करेगी और उन्हें राजनीतिक शिंकजे से छुटकारा दिलाएगी। सहकारी बैंकों के प्रबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि कमजोर वर्गों तथा किसानों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

आवास बैंक

विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्गों की आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए आवास कार्यों के लिए वित्त-पोषण में पूर्ण रूप से सुधार करने की आवश्यकता है। हालाँकि इस क्षेत्र में बहुत सी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है, फिर भी वे अधिकांशतः ऐसे बाजारतंत्र के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, जो कमजोर वर्गों की आवास-निर्माण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवास-संबंधी वित्त-पोषण का आकलन पुनः करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय नीतियाँ

सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीतियाँ सरकार के हाथ में महत्त्वपूर्ण औजार हैं। लेकिन हाल में सरकार ने उनके महत्त्व को कम करके उन्हें राजस्व जुटानेवाला उपाय बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस आर्थिक नीति विवरण में वर्णित नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय उपायों को मजबूत करेगी और उन्हें नया रूप देगी।

ऋण-प्रबंधन

भारत सरकार ने उत्पादक निवेश के लिए नहीं, बल्कि चालू खर्च को पूरा करने के लिए विशेष रूप से अस्सी के दशक से ऋण लेना आरंभ किया। यह

कोई स्वस्थ वित्तीय प्रवत्ति नहीं है। इसलिए आज सरकारी राजकोष पर सबसे अधिक भार ब्याज के भुगतान का है। सन् 1980 में यह राशि 4,000 करोड़ रु. से कम थी, जो 1990-91 में बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए हो गई। इस ऋण को धीरे-धीरे कम करके नियंत्रणाधीन सीमा तक लाना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए—

- घाटे की वित्त-व्यवस्था में भारी कटौती करनी चाहिए। इससे मूल्यों को नियंत्रण में रखने में भी मदद मिलेगी;
- इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणों का उपयोग किसी राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उत्पादक कार्यों के लिए ही किया जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 का समुचित संशोधन किया जाना चाहिए;
- सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग ऋण को कम करने के लिए करना चाहिए; तथा
- ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए रेलवे की या अन्य सरकारी अधिशेष भूमि को पट्टे पर देना चाहिए।

सरकारी व्यय

प्रशासनिक व्यय में किफायत करने के लिए कड़ाई से जाँच करनी चाहिए। लोक-लेखा, सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन आदि से संबंधित विभिन्न समितियों के अनेक प्रतिवेदनों के अनुसार मंत्रालयों का प्रशासनिक पुनर्गठन तथा पुनर्रचना किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में—योजना आयोग का विलय योजना मंत्रालय में और राष्ट्रीय विकास परिषद् व क्षेत्रीय परिषदों का अंरराज्यीय परिषद् में विलय किया जा सकता है।

स्टाफकारों के इस्तेमाल, एस.टी.डी. सुविधाओं तथा अतिथिगृहों को अनुलाभ के रूप में न लेकर, उनका सीधा संबंध नीतियों व कार्यक्रमों को सुगम बनाने तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने के साथ जोड़ा जाना चाहिए। व्यय में किफायत करने के व्यापक मुद्दे की वैज्ञानिक तथा सकारात्मक जाँच किए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी व्यय आयोग की स्थापना का समर्थन पहले ही कर चुकी है। प्रशासन में कुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिए राज्यों में ही नहीं, बल्कि केंद्रीय सरकार तथा स्वायत्तशासी संगठनों व सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिए।

कराधान उपाय

आर्थिक विकास, कीमतों में स्थिरता, रोजगार के सृजन तथा राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकसंगत उपयोग तथा पुनर्वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कराधान-उपायों

में समुचित परिवर्तन किया जाए। यह भी वांछनीय है कि कराधान-उपायों में स्थिरता हो, राजकोषीय नीति न्यायसंगत अवधि के लिए बनाई जाए तथा उसमें आजकल की तरह प्रतिवर्ष उतार-चढ़ाव नहीं आते रहना चाहिए।

- भारतीय जनता पार्टी काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए बड़े कड़े और साहसिक उपाय करेगी। यह एक कराधान जाँच आयोग नियुक्त करेगी, जो भावी विकास के अनुरूप दीर्घावधि कराधान के लिए दिशा सुझाएगा।
- वर्तमान कर-संरचना को सुव्यवस्थित तथा सरल बनाएगी। आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 48,000 रु. कर देगी और 1990-91 में दी जानेवाली सभी कर-कटौतियाँ लागू रखेगी।
- कमानेवाले सदस्य के आश्रितों, जैसे—बुजुर्ग माँ-बाप, अविवाहित बहनों आदि की संख्या को ध्यान में रखते हुए कर कटौतियों का प्रावधान किया जाएगा।
- अनुमोदित संगठनों, चाहे वे सरकारी हों या निजी, में किए गए सभी निवेशों को धन-कर से छूट देगी।
- गैर-नगरीय क्षेत्रों में लगाए गए रोजगारोन्मुख उद्योगों को निगमित आय-कर से छूट देगी।
- चुंगी शुल्क को समाप्त करेगी तथा नगरपालिकाओं को होनेवाले नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकारों को समझा बुझाकर राजी करेगी।
- देश-भर में बिक्री-कर की एक समान दरों की व्यवस्था करेगी; राजस्व की हानि की भरपाई केंद्र द्वारा की जाएगी।
- निगम-कर में राज्यों की हिस्सेदारी करेगी।
- उचित राजकोषी उत्प्रेरण के माध्यम के निगमित क्षेत्र को रोजगार के सृजन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों के वितरण की ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें राष्ट्रीय और राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक समान तथा उचित विभाजन की प्रणाली तैयार की जा सके।
- निगम-कर से प्राप्त राजस्व का वितरण राज्यों में करेगी।
- जहाँ केंद्र और राज्यों में करों का वितरण होता है, उनमें अधिभार शुल्क नहीं लगाएगी और यदि यह अधिभार शुल्क लगाया जाता है तो कर के आधार पर ही इसका वितरण भी राज्यों में होगा।
- खनिज पदार्थों की रॉयल्टी का संशोधन करके उसे न्याययुक्त बनाया जाए, ताकि राज्य के साधनों को बढ़ाया जा सके और वे अपने विकास-कार्यों का निर्वाह अधिक दक्षतापूर्वक कर सकें।

भुगतान-संतुलन

देश के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्याओं में से एक भुगतान-संतुलन का संकट है, जिसका मुख्य कारण स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद अपनाई गई दोषपूर्ण आर्थिक नीति है। इसके परिणामस्वरूप यदि मित्र राष्ट्रों से ठीक समय पर कर्ज नहीं मिलता तो मई, 1991 में बाजारों में देश को 'वादाखिलाफ' घोषित किया जानेवाला था। देश के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के बाहरी कर्ज का भार है। पुराने कर्जों की अदायगी के लिए देश को उधार लेना पड़ता है। आज आर्थिक प्रबंध का काम कर्जदाता संस्थाओं के आदेशों पर किया जाता है। यदि यही स्थिति बेरोकटोक चलती रही, तो वह दिन दूर नहीं है, जब हम न केवल कर्ज के जाल में, बल्कि उन्नत देशों के राजनीतिक चंगुल में भी फँस जाएँगे।

यद्यपि नरसिंहराव सरकार भुगतान-संतुलन के संकट से उबरने का श्रेय लेने का दावा करती है, (यह सत्य है कि विदेशी मुद्रा का भंडार 12000 करोड़ रु. से अधिक हो गया है) यह नए ऋणों की मदद से ही संभव हुआ है। व्यावहारिक नीति को (विशेषकर विदेशी व्यापार तथा अनिवासी भारतीयों के संबंध में) हम जितना शीघ्र अपना लेंगे, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।

विदेशी व्यापार

हमारी व्यापार-नीतियों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर जोर देना चाहिए, जिनमें हमारा देश गुणवत्ता और कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसी प्रकार आयात ऐसा हो जो मूल्यवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप में सहायक हो। संक्षेप में, व्यापार-नीतियों की भूमिका रोजगार-सृजन तथा भुगतान-समस्या के समाधान जैसे राष्ट्रीय हितों के संरक्षण में उत्प्रेरणात्मक होनी चाहिए।

- निर्यात संवर्धन पर जोर दिया जाएगा और वैकल्पिक बाजारों तथा विशेष माँगवाली वस्तुओं की पहचान करने के लिए गहन प्रयास किए जाएँ।
- जिन वस्तुओं के निर्यात की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, उन वस्तुओं के निर्यात-संवर्धन के लिए वस्तु-क्रम में अलग अलग निर्यात-संवर्धन बोर्ड बनाए जाएँ और उनकी विशेष समस्याओं पर ये बोर्ड ध्यान दें। जहाँ पहले ही ऐसे बोर्ड बने हुए हैं, उन्हें और दृढ़ किया जाए और उनके काम को कारगर बनाया जाए। इस तरह के बोर्ड कॉफी, नारियल और काजू के विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।
- इसके साथ, आयात को सुव्यवस्थित बनाया जाए तथा इसे केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित किया जाए, जो नितांत आवश्यक हों।

- निगमित क्षेत्र को अपने निर्यात दायित्व पूरे करने होंगे, विशेष रूप से तब, जब उत्पादन-आयात बहुत हो।
- आयात के लिए एक युक्तियुक्त नीति तैयार की जाए तथा जहाँ आवश्यक हो, आवश्यक आयातों की सुविधा के लिए आयात-शुल्क घटाया जाए, परंतु गैर-जरूरी आयात को बढ़ावा न दिया जाए।
- निर्यातों के कम बीजक बनाए जाने तथा आयातों के अधिक बीजक बनाए जाने पर कड़ी काररवाई की जाए।
- निर्यात-निष्पादन में उत्कृष्टता को विशेष महत्त्व दिया जाए।

अनिवासी भारतीय

सन् 1986 के वक्तव्य में तथा चुनाव घोषणा-पत्र में भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात का समर्थन करती रही है कि अनिवासी भारतीयों के अनुभवों, संसाधनों तथा राष्ट्रीय हित में योगदान करने की उनकी इच्छा का पूरा लाभ उठाना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाए हैं। किंतु यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनकी प्रतिभाओं तथा संसाधनों का उपयोग करने के लिए और क्या किया जा सकता है। इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि अनिवासी भारतीयों को विदेशों में रहते हुए भी विदेशी मुद्रा में बैंक-खाता चलाने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, क्योंकि सरकार जिसे 'आंशिक परिवर्तनीयता' कहती है, उसकी तो अनुमति दी ही जा चुकी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस बात पर जोर देती है कि बेईमान तत्त्वों को सुविधाओं तथा छूटों के गलत अर्थ लगाने या उनका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- ऐसा अनुमान है कि 100 से अधिक देशों में बसे 12 मिलियन भारतीय प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन अमरीकी डालर की बचत करते हैं। इन बचतों के बड़े हिस्से को आकर्षित करने के लिए योजनाएँ बनाई जाएँ।
- यदि अनिवासी भारतीय औद्योगिक एकक स्थापित करना चाहें तो उनका स्वागत किया जाए। 'विज्ञान पर आधारित औद्योगिक पार्क' स्थापित किए जाएँ, जो न केवल अनिवासी भारतीयों के औद्योगिक एककों के लिए अपेक्षित अवसंचरनात्मक सुविधाओं से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगें, बल्कि शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, रक्षा, मनोरंजन आदि मूलभूत सुविधाओं से भी परिपूर्ण होंगे। इससे न केवल हमें संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे प्रतिभा-पलायन को भी रोका जा सकेगा।

पर्यटन

विदेशी मुद्रा के अर्जन में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएँ हैं अतः इसे एक महत्त्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। इस उद्योग को बढ़ाने के लिए जबरदस्त

प्रयास किए जाएँ। हमारी समृद्ध विरासत और देश के विभिन्न भागों में मनोहरी दृश्यावली के कारण भारत के पास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है। पर्यटकों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थलों के विकास, तीव्र परिवहन और पर्यटन-स्थलों पर कुशल संचार-सुविधाओं सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करने को प्राथमिकता दी जाए। पर्यटन-स्थलों और वहाँ उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विशेष प्रचार-अभियान चलाया जाए। यह माना गया है कि निजी क्षेत्र भी पर्यटन-संवर्धन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाए।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग

भारतीय जनता पार्टी आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने में विश्वास रखती है। किंतु हम एक ऐसी नवीन विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के हामी हैं जिसमें विकासशील देशों को अधीनस्थ भूमिका न निभानी पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में प्रस्तुत डंकल प्रस्तावों पर गौर किया जाना चाहिए।

गैट वार्ता — डंकल प्रस्ताव

डंकल प्रस्तावों में व्यापार तथा तटकर-संबंधी सामान्य समझौता (गैट) का क्षेत्र विस्तृत करने तथा एक बहुपक्षीय व्यापार संगठन बनाने का प्रस्ताव है।

गैट का उद्देश्य जहाँ मुक्त व्यापार को सुविधाजनक बनाना था वहीं डंकल प्रस्तावों के लक्ष्यों के परिणामस्वरूप सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति में असंतुलन उत्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त जहाँ गैट के अंतर्गत केवल सामान (कृषि-उत्पादों को छोड़कर) आते थे, डंकल प्रस्तावों में सामान के अलावा व्यापार से संबंधित निवेश उपायों, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबद्ध पक्ष तथा सेवाओं, जिनमें बैंकिंग और बीमा सेवाएँ शामिल हैं, को भी शामिल किया गया है। नए प्रस्तावों में एक अन्य मूल परिवर्तन यह है कि गैट के अंतर्गत विकसित, विकासशील तथा अत्यल्प विकसित देशों की तीन श्रेणियाँ थीं, जिनके लिए विभेदक व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी जबकि डंकल प्रारूप में दूसरी श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है, और इस प्रकार इसने भारत जैसे विकासशील देश को अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक असमान प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर दिया है।

व्यापार-संबंधी निवेश (ट्रिम्स) में हमसे अपेक्षा की गई है कि हम विदेशी कंपनियों को भी वही अधिकार और सुविधाएँ दें, जो हम अपनी कंपनियों को देते हैं। इससे असमान प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, जो भारतीय उद्योग के हितों के प्रतिकूल होगी। साथ ही विदेशी पूँजी निवेश विदेशी मुद्रा निष्प्रभाविता के आधार पर होना

चाहिए, अर्थात् कम-से-कम कुछ समय तक विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह और अंतर्वाह समतुल्य होना चाहिए।

इसी प्रकार, सीमा-शुल्कों में अत्यधिक कटौती के प्रस्ताव को भी बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सीमा-शुल्क मात्र राजस्व कमाने का साधन नहीं है। यह कतिपय सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण राजकोषीय साधन भी है। सीमा-शुल्कों का निर्धारण तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पृथक्-पृथक् मामले के आधार पर करना चाहिए।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष (ट्रिप्स) में पेटेंट को शामिल किया जाएगा। हमारे यहाँ का जो पेटेंट कानून है, जिससे हमारा काम उचित व अच्छे ढंग से चलता रहा है, उससे औषधियों के दाम कम हुए हैं। हालाँकि देश में औषधियों, फार्मास्यूटिकलों, रसायनों तथा कृषि के लिए प्रक्रिया पेटेंट मौजूद हैं, डंकल उत्पाद-पेटेंट चाहते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में हैं तथा जिनका प्रचार-अभियान विश्वव्यापी है। डंकल सुधरी किस्म के बीजों का भी पेटेंट चाहते हैं। यह एक ऐसा प्रयास है, जिसके परिणामस्वरूप बीजों की कीमतें बढ़ेंगी, बीजों का आयात लाजमी हो जाएगा और कृषि-सुधार की गति धीमी हो जाएगी। भारत में जहाँ पेटेंट की अवधि सात वर्ष है, वहीं डंकल 20 वर्षीय पेटेंट अधिकार चाहते हैं। इसके अलावा डंकल प्रारूप में अनिवार्य लाइसेंस हटा देने के कारण पेटेंटधारियों से उत्पादन करने की अपेक्षा नहीं की गई है। दूसरे शब्दों में, यह विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति में बाधक होगा।

डंकल प्रारूप का कृषि पर बुरा असर पड़ेगा। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों ने राष्ट्र को चेतावनी दी है कि इन प्रस्तावों का कृषि पर बुरा असर पड़ेगा। आज सरकार अनाज, उर्वरकों, सिंचाई और नलकूपों के लिए बिजली के वास्ते राजकीय सहायता देती है। इसी प्रकार उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई गई है। डंकल प्रस्तावों के कारण खाद्य आपूर्ति और खाद्य-मूल्य बाजार की अनिश्चिता पर निर्भर करेंगे।

सेवा क्षेत्र में एक ओर तो सेवाओं को इसके अंतर्गत लिये जाने का प्रस्ताव है वहीं दूसरी ओर प्रवास-संबंधी कानूनों में उपयुक्त संशोधन करके इन सेवाओं को प्रदान करनेवाले तकनीकी और व्यावसायिक व्यक्तियों और श्रमिकों को बेरोकटोक आने-जाने की अनुमति दिए जाने के संबध में कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे ठीक करने की जरूरत है।

भारतीय जनता पार्टी सरकार से अनुरोध करती है कि विशेषकर निम्नलिखित बातें सुनिश्चित किए जाने हेतु डंकल प्रस्तावों पर फिर से बातचीत की जाए—

- कृषि के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति संबंधित देशों के पास हो, जैसा इस समय होता है;

- कपड़ा कोटा प्रणाली को प्रस्तावित 10 वर्ष की बजाय 3 वर्ष के भीतर क्रमिक रूप से समाप्त कर दिया जाए;
- मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीमा-शुल्क कम करने का निर्णय अलग-अलग मामले में उसके गुण-दोषों के आधार पर लिना जाना चाहिए;
- औषधियों, फार्मास्यूटिकलों, रसायनों, कृषि आदि क्षेत्रों पर उत्पाद पेटेंट का विस्तार नहीं होना चाहिए;
- पेटेंटों के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस लिये जाने का उपबंध होना चाहिए;
- पेटेंट की 20 वर्ष की अवधि पर फिर से बातचीत किए जाने की जरूरत है। पेटेंटधारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों में तालमेल बैठाने के लिए छोटी अवधि का होना अधिक अच्छा रहेगा;
- सेवाओं के विस्तार की अनुमति दिए जाने को सेवाएँ प्रदान करनेवाले तकनीकी तथा व्यावसायिक व्यक्तियों और श्रमिकों के बेरोकटोक आने जाने के साथ जोड़ना चाहिए;
- डंकल प्रस्तावों को टोटल पैकेज के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए; और
- बहुपक्षीय व्यापार संगठन की नई व्यवस्था पर जोर न दिया जाए। गैट तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को अपने-अपने क्षेत्रों में बने रहने दिया जा सकता है।

मूल्य-नियंत्रण और कल्याणकारी उपाय

मूल्य-नियंत्रण

मुद्रास्फीति का भार आम आदमी पर पड़ रहा है। इससे विशेष रूप से निश्चित आय वर्ग के लोगों की क्रयशक्ति का ह्रास हो रहा है, और इस कारण उनके जीवन स्तर पर असर पड़ता है। अभी इतने वर्षों तक जो गलत आर्थिक नीतियाँ अपनाई जाती रही हैं उन्हीं का परिणाम है कि मूल्य आसमान को छू रहे हैं। यहाँ दी गई आर्थिक नीति में इस महत्त्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखा गया है और तदनुसार न्यायसंगत स्तर पर मूल्यों को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपायों का सुझाव है—

- अधिक-से-अधिक उत्पादन करना और सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना;
- प्रौद्योगिक स्तर को निरंतर ऊँचा करने पर बल देना, ताकि लागत को

कम-से-कम किया जा सके तथा उत्पादन को अधिक-से-अधिक बढ़ाया जा सके;

- मुद्रा-आपूर्ति पर नियंत्रण करके माँग को नियंत्रित रखना;
- ऋण लेने पर नियंत्रण रखकर बजट के घाटे को नियंत्रित करना; तथा
- अप्रत्यक्ष करों को युक्तियुक्त बनाना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जनता के गरीब वर्गों के संरक्षण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के बारे में बहुआयामी प्रयत्नों को जारी रखते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था है, उन्हें आवश्यक वस्तुएँ तथा अन्य लाभ मिलते रहें। नाम मात्र को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करते रहने का तब तक कोई लाभ नहीं है, जब तक लोगों को ठीक किस्म की आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध न कराई जा सकें। गाँव-देहातों, कस्बों, नगरों और जनजातीय क्षेत्रों पर और जहाँ गरीब और मजदूरी पेशा लोग रहते हैं, वहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए स्थानीय रूप से अगर कोई नई व्यवस्था की जा सकती है तो उसपर भी विचार करना चाहिए। देहातों में उचित मूल्य की दुकानों को सप्ताह में दो दिन लगनेवाले बाजारों के साथ जोड़ा जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जिन आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है, उनकी निगरानी बदलती हुई बाजार की परिस्थिति के अनुसार की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जन-समुदाय को इस कार्य में सम्मिलित करना आवश्यक है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से महिलाओं को इसकी निगरानी के काम में शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्य में इस वर्ग का उचित व सक्रिय सहयोग चाहती है।

उपभोक्ता संरक्षण

भारतीय जनता पार्टी न्यायसंगत, सामंजस्यपूर्ण तथा सत्य पर आधारित समाज की पक्षधर है। अतएव हम यह चाहते हैं कि उपभोक्ता-संरक्षण आंदोलन और आगे बढ़े और इसका आधार व्यापक हो, ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सही किस्म की वस्तुएँ उपलब्ध हों। अर्थव्यवस्था को उदार बनाए जाने के साथ-साथ इस बात की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं पर नियंत्रण हो।

- प्राप्त अनुभव के आधार पर उपभोक्ता-संरक्षण कानूनों को सुदृढ़ बनाया जाए और उनके क्रियान्वयन को दोषरहित बनाया जाए;

- उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने में शीघ्रतापूर्वक निर्णय किए जाएँ। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को बनाया जाए;
- जो सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उपभोक्ता वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्रदान करते हैं, उन्हें पूरी तरह उपभोक्ता संरक्षण विधियों की समीक्षा के दायरे में लाया जाए;
- आई.एस.आई. मार्क, एगमार्क जैसे भारतीय मानकों का प्रयोग बढ़ाया जाए और उनके क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए तथा इन मानकों का निर्धारण करनेवाली संस्थाओं को और व्यापक भूमिका अदा करने के लिए सक्षम बनाया जाए;
- उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागृति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फैलाई जाए;
- इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे उपभोक्ता आसानी से उन तक पहुँच सकें;
- इस क्षेत्र में महिलाएँ बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं, अतएव उपभोक्ता परिषदों में हर स्तर पर कानूनी तौर से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए;
- मूल्यों में जब भी परिर्वतन करने की आवश्यकता हो तब एक स्वतंत्र स्वायत्त आयोग मूल्य निर्धारण करे। आयोग उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों से परामर्श करेगा और इस प्रकार मूल्य निर्धारण-नीति में समुदाय के हितों को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं के बारे में नीति

भाजपा ईमानदारी से यह विश्वास करती है कि किसी भी स्वस्थ और गतिशील समाज में किसी भी वर्ग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आर्थिक विकास कार्यक्रम का तभी कोई अर्थ होगा जब इस में समाज के सभी वर्गों का भली-भाँति ध्यान रखा गया हो और सभी को बराबर के अवसर प्रदान किए गए हों। समाज में सामाजिक समानता बहाल करने के लिए समुदाय के अभी तक उपेक्षित वर्गों के लिए विशेष उपाय करना अनिवार्य है। इसी प्रकार महिलाओं की विशिष्ट और खास समस्याओं के कारण उन्हें विशेष सहायता देना अपेक्षित है। भाजपा असमान विकास और अनुपाती न्याय के इस पहलू पर लगातार विचार करती रही है। इस दृष्टिकोण के बारे में आर्थिक नीति के हमारे सभी वक्तव्यों में उल्लेख किया गया है और जोर दिया गया है। इस प्रसंग में जो प्रमुख कदम सुझाए गए हैं उदाहरणस्वरूप उनका उल्लेख किया जा रहा है—

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को कुटीर

उद्योगों तथा लघु उद्योगों और ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में संवर्धन के लिए विशेष सहायता;

- रोजगार में आरक्षण;
- उपभोक्ता संरक्षण परिषदों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी विभिन्न निगरानी करनेवाली समितियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व;
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त धन की व्यवस्था।

आवास नीति

भाजपा गाँवों और शहरों में आवास को उच्च प्राथमिकता देती है। आवास मानव की आधारभूत आवश्यकता है और आवास संबंधी गतिविधियों में रोजगार पैदा करने की बहुत संभावनाएँ भी हैं। किंतु कम लागत के आवास तैयार करने को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और स्थानीय परिस्थितियों, जलवायु, पर्यावरण और वहाँ की आवश्यकताओं के अनुकूल डिजाइनों को बढ़ावा देना आवश्यक है। आवास निर्माण के रास्ते में आनेवाली सभी बाधाओं को हटाया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए उचित शर्तों पर पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम नगरीय भूमि सीमा और किराया नियंत्रण अधिनियम जैसे कानूनों, नियमों और विनियमों की समीक्षा की जाएगी, ताकि ये आवास निर्माण की गतिविधियों में सहायक हों और इनमें किसी तरह की अड़चन उपस्थित न हो।

जनसंख्या-नीति

गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के पीछे मुख्य कारण यह है कि स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या की बेरोकटोक बढ़ोतरी हुई है। भाजपा का यह विश्वास है कि जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावकारी बनाना और छोटे परिवार के सिद्धांत को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय और राज्य नीति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पिछले चार दशकों से अपनाई गई नीति सफल नहीं हो रही है, क्योंकि इसे एक सरकारी कार्यक्रम, और वह भी केवल एक विभागीय गतिविधि के रूप में ग्रहण किया गया है। देश में एक लोकप्रिय आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, राजनीतिक, पार्टियाँ, धार्मिक नेता, सलाहकार, स्वैच्छिक संस्थाएँ और समाज के सभी वर्ग शामिल हों। इस कार्यक्रम को और अधिक व्यापक बनाया जाए और इसमें महिलाओं की निरक्षरता को

समाप्त करना, महिलाओं की स्थिति को ऊँचा उठाना, विवाह की आयु को बढ़ाना, शिशुओं की मृत्यु-दर कम करना, माँ और बच्चे की देखभाल पर ध्यान, साज-सामान व सुविधाएँ उपलब्ध कराना शामिल होना चाहिए। यह सर्वमान्य हो कि इस मामले में शिक्षा और सूचना प्रसार की पर्याप्त भूमिका है। समग्र रूप से राष्ट्र को इस विकट समस्या से निपटने के लिए तैयार करना चाहिए और इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति बनानी होगी। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रोत्साहन देना और जो कर्म नहीं किए जाने चाहिए, उनसे लोगों को रोकना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, और इस बारे में संपूर्ण राष्ट्र को स्वीकार्य सिद्धांत तैयार करने होंगे। विकास के सभी प्रयास तब तक स्वयं ही निष्फल रहेंगे जब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावकारी ढंग से काररवाई नहीं की जाती है।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास आर्थिक वृद्धि, सामाजिक परिवर्तन और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और हमारी विकास रणनीति में इसकी प्रमुख भूमिका है। दुर्भाग्यवश मानव संसाधन विकास को उतनी प्राथमिकता और वांछित समर्थन नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना है। हमारी साक्षरता का स्तर बहुत नीचे तक गिरा हुआ है। 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 52.11 है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि महिलाओं में साक्षरता का स्तर केवल 39.42 प्रतिशत है। इसके अलावा क्षेत्रीय और नगरीय-ग्रामीण असंतुलन काफी अधिक है। निरक्षरता मिटाने, शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास के प्रयासों में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि हमारे अधिकांश लोग अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तथा अपने वातावरण के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। वर्तमान में डिग्रियों के प्रति बढ़ती जा रही लक्ष्यहीन चाह को रोकने की आवश्यकता है। शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने पर अधिक बल देना होगा तथा मानव संसधान विकास के हमारे प्रयासों में विभिन्न शिल्पों के कुशल प्रशिक्षण को महत्त्व प्रदान करना होगा। शिक्षा एक समय में पूरी होनेवाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए शिक्षा प्रणाली में निरंतर प्रशिक्षण देने और उच्च निपुणता प्राप्त करने की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और यह प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे जिन वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा प्रौद्योगिकी और नई खोजें आती हैं, उन्हें हमारी

प्रणाली में समाहित कर लिया जाए, इनके बारे में सूचना का प्रसार करते हुए इन्हें संबंधित क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके तथा शिक्षा प्रक्रिया में इनका समावेश किया जा सके। भाजपा महसूस करती है कि मानव संसाधन विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्य को स्वैच्छिक अभिकरणों और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर प्रमुख भूमिका निभानी है।

मानव संसाधन विकास का एक महत्त्वपूर्ण पहलू जनसंख्या के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना भी है। जिस ढंग से पिछले चार दशकों में इस पहलू पर काररवाई हुई है, उससे 'सभी के लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य बहुत दूर दिखाई पड़ता है। हमारी विशाल ग्रामीण जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ नगण्य सी हैं। शहरी क्षेत्रों में भी ये सुविधाएँ अपर्याप्त और विषम हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को फिर से परिष्कृत करने और आधुनिक पद्धति के साथ चिकित्सा की देशी पद्धति को समन्वित करने की आवश्यकता है। यह समझना होगा कि देशी पद्धतियों की पहुँच, विस्तार और व्याप्ति, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कही अधिक है। इन पद्धतियों में वृद्धि, विकास ओर अनुसंधान के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं को जुटाने और इनके बारे में आवश्यक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इन पद्धतियों की प्रैक्टिस करने वालों को यथोचित मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। निवारणकारी पहलुओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में एलोपैथी चिकित्सा तथा देशी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों, पैरामेडिकल कार्मिकों और स्वैच्छिक संगठनों को सक्रिय रूप से सहभागी बनाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य स्तर सुधारने के लिए प्रसव पूर्व और प्रसव के पश्चात्, दोनों ही स्थितियों में माँ व बच्चे को रोगमुक्त करने और बच्चे की देखभाल, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ वातावरण तैयार करने के बारे में ध्यान देना हमारी रणनीति का भाग होना चाहिए। चूँकि सूचना और शिक्षा इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित प्रत्येक जनसंचार माध्यम का उपयोग स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी वर्तमान आधारभूत सामग्री और सुविधाओं में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, नगर की गंदी बस्तीवाले क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा मानव संसाधन विकास में चरित्र निर्माण और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ प्रबुद्ध नागरिकता की भावना बढ़ाने के प्रति ध्यान देना चाहिए। पहले ही आर्थिक विकास के स्वदेशी मॉडल-आर्थिक विकास के लिए मानववादी दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, जिसमें 'वर्ग सहयोग' और सामाजिक सामंजस्य पर विश्वास किया गया है। वस्तुतः संपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम मानव विकास संसाधन कार्यक्रम की गुणवत्ता और शक्ति पर निर्भर करता है। नीति निर्माण की सभी स्थितियों में देश के भविष्य के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए राष्ट्रीय संपदा के रूप में पुरुषों और महिलाओं की निवेश

क्षमता को प्रभावकारी ढंग से पहचानना आवश्यक है। राष्ट्रीय लक्ष्य को सामने रखते हुए मानव संसाधन विकास के व्यापक, सकारात्मक और संपूर्ण चरित्र की संकल्पना को समझना होगा तथा दीर्घकालीन आधार पर उसके प्रचालन के लिए जुटना होगा।

अंत्योदय की ओर बढ़ते कदम

भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक सिद्धांत हमारे सामाजिक तथा आर्थिक यथार्थ एवं ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित हैं। किंतु भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती कि देश अस्थायी आर्थिक झंझावातों के कारण उखड़ जाए और उसकी जड़ें ही कट जाएँ। आंतरिक नीतियों को तैयार करना राष्ट्र का परमाधिकार है। हम इस परमाधिकार का उन विदेशी अभिकरणों के आदेश पर त्याग नहीं कर सकते जिनके पास आर्थिक मुक्ति के संबंध में अपनी ही नीतियाँ हैं और अपने ही नुस्खे हैं। हमारी यह भी मान्यता है कि निरंकुश उपभोक्तावाद से हमारी संस्कृति की जड़ों पर आघात पहुँचेगा, और यह भी हो सकता है कि उसके कारण भारत में दीर्घकालिक विकास असंभव हो जाए। यही कारण है कि हम उन नीतियों पर बल देते हैं जो गांधीजी और दीनदयालजी की विचारधाराओं का सुखद संगम हैं। भारत का अपना ही इतिहास और अपनी ही समस्याएँ, विशेषताएँ और संभावनाएँ हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि किसी शक्तिशाली विकसित देश के अंधानुकरण से हमारे देश के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि विकास के सभी कार्यक्रमों की सफलता के लिए जनसमुदाय की भागीदारी और उसकी अभिरुचि अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यदि देश को प्रगति करनी है तो विकास के विभिन्न चरणों में जनता को गंभीरतापूर्वक विश्वास में लेना होगा। विगत वर्षों में जनता की भागीदारी के महत्त्व का जो बखान किया जाता रहा है वह नाटक मात्र रहा है। इसके स्थान पर हमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक रूप से प्रयास करने होंगे। अतः विकेंद्रीकरण केवल राजनीतिक और प्रशासनिक उपाय नहीं है। यह एक जीवन-दर्शन है। योजना आयोग की भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा और इस के लिए अत्यंत आवश्यक है कि शक्ति तथा अधिकार का तेजी से विकेंद्रीकरण किया जाए। यदि विकास को गति देनी है तो राज्यों को उचित सम्मान देना होगा और वित्तीय शक्तियों का तेजी से विकेंद्रीकरण करना होगा। राज्यों को इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में अपनी उचित भूमिका निभा सकें।

भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्यान्वयन पर वैज्ञानिक रूप से निगरानी रखना परम आवश्यक

है। विगत में सरकार द्वारा जो वचन दिए जाते रहे हैं उनके अनुरूप कार्य-निष्पादन नहीं हुआ है, योजनाएँ और कार्यक्रम रास्ते में ही धराशायी हो गए हैं और विफलताओं पर परदा डालने के लिए उन्हें नए-नए नाम देकर पुनर्जीवित किया गया है। सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर रहा है उससे जनता में कुंठा और हताशा उत्पन्न हुई है। इस अंतर को हम तभी दूर कर सकते हैं जब जन समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने और उनकी समीक्षा करने के लिए समुचित तंत्रों की स्थापना की जाए।

जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए भारत एक विशाल देश है और अत्यधिक सरल व सामान्य समाधानों के द्वारा या बने-बनाए एकमुश्त नुस्खों के द्वारा हम अपने अभीष्ट गंतव्य पर नही पहुँच सकते। हमारी समस्याएँ इतनी जटिल और इतनी अधिक हैं कि आर्थिक नीति संबंधी कोई वक्तव्य इतना व्यापक नहीं हो सकता कि वह स्वयं में पूर्ण हो। वास्तव में ऐसे वक्तव्य में परिवर्तन और संशोधन की आवश्यकता पड़ती रहेगी। कई सुझाव और समाधान ऐसे हो सकते हैं जो अलग-अलग देखने पर परस्पर-विरोधी प्रतीत हों। एक ओर इनमें कुछ अति सामान्य प्रतीत हो सकते हैं तो दूसरी ओर कुछ अन्य आवश्यकता से अधिक महत्त्वाकांक्षी प्रतीत हो सकते हैं। अतः उनमें जो भावना और भविष्य दृष्टि निहित है वही नीति की समग्रता को प्रासंगिकता और सार्थकता प्रदान करती है। दृष्टिकोण की स्पष्टता, कार्य के प्रति निष्ठा और साहस के द्वारा हम अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों की देशभक्तिपूर्ण निष्ठा और साहस पर गर्व है जो भारत पर शिकंजा कसनेवाले विदेशियों द्वारा आर्थिक ढाँचे में किए गए हेर-फेर से और उधार पर ली गई वेश-भूषा को आकर्षक बनाने के लिए किए गए परिवर्तनों से सम्मोहित नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि भारत अब निद्रामग्न नहीं है बल्कि वह राष्ट्र के रूप में पुनः जाग उठा है और वह अपने अभिलक्षित आर्थिक गंतव्य की ओर बढ़ रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत ये ही हैं। उसने इस बात पर बल दिया है कि स्वदेशी और स्वावलंबन एवं समयोचित आत्मविश्वास के द्वारा पूर्ण रोजगार और मूल्यों की स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाए। हमें अपनी खिड़कियों को खोलना होगा, किंतु यह भी देखना होगा कि हमारी छतें उड़कर हवा में ही कहीं न खो जाएँ। हमारा विश्वास है कि समूचे राष्ट्र की इच्छाशक्ति, क्षमता, ऊर्जा, संसाधन, आत्म-विश्वास एवं गर्व को और जनता की भागीदारी सहित राष्ट्र के प्रयास को उत्प्रेरित करके और उसे अधिकाधिक गति प्रदान करके ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में स्वदेशी की इसी भावना से और व्यापक एवं श्रमसाध्य विकास कार्यों के प्रति निष्ठा और उन्हें पूरा करने की आशा का संबल लेकर आज हमारा देश अन्य देशों का अंधानुकरण न करके अपना रास्ता स्वयं तय करेगा।

इसके साथ ही हम रामराज्य की ओर अग्रसर होने का वचन देते हैं और जनता जनार्दन की स्वीकृति और समर्थन के लिए अपनी कार्य नीति प्रस्तुत करते हैं।

हमारी आर्थिक नीति स्वदेशी और स्वावलंबन पर आधारित है। इसके द्वारा प्रत्येक आँख से आँसू पोंछना तथा अंत्योदय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। अंत्योदय की अवधारणा राष्ट्रीय सामंजस्य के दर्शन और राष्ट्रीय विकास में निहित है, जो भाजपा की अद्वितीय विशेषता है। हमारे लिए न तो यह शब्दाडंबर है और न ही लोगों को बहकानेवाला कोई नारा मात्र। यह केवल निर्धनता दूर करने की रणनीति भी नहीं है। यह हमारा प्रयास है और साथ ही हमारा आदर्श भी है। हम एक ऐसे समाज में विश्वास करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति और समाज के प्रत्येक वर्ग की ओर ध्यान देता है और जो प्रत्येक व्यक्ति तथा वर्ग के उत्थान और उसे समान स्तर पर लाने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है। हम एक ऐसे समाज में विश्वास करते हैं जिसमें अधिक समानता, भागीदारी की भावना, पारस्परिक सहयोग और स्वतंत्रता रहती है। यह वह समाज है जो उस व्यक्ति तक पहुँचता है जो सबसे नीची सीढ़ी पर है, ताकि जो सबसे आखिर में है और जो सबसे पहले है, इन दोनों के बीच का भेद समाप्त हो जाए। गांधीजी के रामराज्य और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सम्मिश्रण से स्वतः ही अंत्योदय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। निश्चय ही यह हमारे 1991 के चुनाव घोषणा-पत्र में निहित 'राम, रोटी और इंसाफ' के सिद्धांत से प्रेरित है। 'राम' देश और लोगों की एकता के प्रतीक हैं। इसलिए वे हमारे लक्ष्यों और प्रयासों का संपूर्ण प्रतिबिंब हैं। 'राम' हमारे अंदर और लोगों में भरे विश्वास का प्रतीक हैं। 'राम' भूख, निर्धनता, व्याधि और मलिनता के विनाश के द्योतक हैं। 'रोटी' जन-जन के जन-जन द्वारा और जन-जन के लिए विकास और प्रगति को दरशाती है। 'इंसाफ' का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक—सभी प्रकार का न्याय। भाजपा के लिए "इंसाफ" मस्तिष्क में छाई हुई ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति अभिरुचि है, जिसमें सभी नागरिकों को समान समझा जाता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव के प्रति भी उतनी ही घृणा की जाती है। यह कोई मात्र यांत्रिक अथवा विधिक संकल्पना नहीं है। अंत्योदय का लक्ष्य केवल सामंजस्यपूर्ण और समाज का समृद्ध निर्माण नहीं है और न ही ऐसा है कि वह मात्र आज का समाज हो, बल्कि वह आनेवाले कल का भी समाज है। जहाँ तक ऐसे लोगों का संबंध है जो अधिकार-विहीन हैं, जिन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जो सुविधाहीन हैं, दीन-हीन हैं अथवा ऐसे लोग जो ऐतिहासिक कारणों या भौगोलिक बाधाओं के कारण विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं इन सभी के बारे में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। भाजपा एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के पक्ष में हैं, जिसमें भय, अभाव अथवा भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं

है। हमारा नीति दस्तावेज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और सामाजिक रूप से उपेक्षित लोगों की ओर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से ही तैयार किया गया है। कमजोर वर्ग के नर और नारी, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हों, सबकी ओर आवश्यक ध्यान देना है, ताकि हम तेजी से अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

इसके साथ ही हम रामराज्य की ओर अग्रसर होने का वचन देते हैं और जनता जनार्दन की स्वीकृति तथा समर्थन के लिए अपनी कार्यनीति प्रस्तुत करते हैं।

□

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

जयपुर 31 जनवरी-3 फरवरी, 1991

कार्यकारी दल की रिपोर्ट

1985 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने श्री कृष्णलाल शर्मा, महासचिव, को संयोजक बनाकर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की थी, जिसे दल के कार्यक्रम की समीक्षा करने और उसे सभी मोर्चों और स्तरों पर मजबूत करने के लिए एक पाँच वर्षीय कार्य-योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समिति ने बहुत सारी सिफारिशें कीं। इनमें से बहुत सारी सिफारिशों को समुचित रूप से स्वीकार कर लिया गया और लागू किया गया, जिसके कारण पार्टी को 1990 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा के चुनावों में महत्त्वपूर्ण सफलता मिलने में मदद मिली।

5, 6, 7 अप्रैल को कलकत्ता में हुई बैठकों में 11 सदस्यों का एक कार्यकारी समूह गठित किया गया। जिसका संयोजक उपाध्यक्ष श्री सुंदर सिंह भंडारी को बनाया गया। उस समूह को '90 के दशक की चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से चुनावी लाभ प्राप्त करने और अधिक क्षेत्रों और समाज के विस्तृत वर्गों तक अपने प्रभाव को बढ़ाने के तरीके सुझाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस कार्यकारी समूह के दस सदस्य थे—

डॉ. एम.एम. जोशी
प्रो. विष्णुकांत शास्त्री
श्री के.एल. शर्मा, संसद् सदस्य
श्री जसवंत सिंह, संसद् सदस्य
श्री वी.के. मल्होत्रा, संसद् सदस्य
श्री के.आर. मलकानी
श्री ओ. राजगोपाल

श्री बंगारू लक्ष्मण
श्री नरेंद्र मोदी, और
श्री गोविंदाचार्य

समिति की एक दर्जन बैठकें हुईं। पहले ही महीने में उसने 20 सूत्रीय प्रश्नावली जारी कर दी और उसके सैकड़ों उत्तर उसे मिले। इसने राज्य में अपने पदाधिकारी नियुक्त किए और अपने मुख्यमंत्रियों—श्री भैरों सिंह शेखावत, श्री सुंदरलाल पटवा और श्री शांता कुमार, के साथ मामलों की चर्चा की। समिति के सदस्यों ने कई राज्यों का दौरा भी किया और कई राज्यों के नेताओं से मुलाकात की। हमने संगठन संबंधी सभी प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की और कतिपय निष्कर्षों पर पहुँचे। हमने अपने प्रतिवेदन में उन सभी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ भाग एक में हम लोग चाहेंगे कि उन चुनौतियों के बारे में विचार करें, जो कि हमारे सामने उम्मीद से पहले उपस्थित हो गई हैं।

भाग-१

वी.पी. सरकार की आत्महत्या के बाद और दूसरी कांग्रेस सरकार के आ जाने के बाद, आज जो भारत की स्थिति है उसमें महज एक सरकार होने का ढोंग मात्र किया जा रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि केंद्र बिगड़ती स्थिति को सँभालने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। भाजपा, जो कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान में विश्वास रखनेवाली पार्टी है, को आगे आकर इस शून्य को भरना होगा।

अभी तक भारत में सरकारें कांग्रेसियों द्वारा या भूतपूर्व कांग्रेसियों द्वारा चलाई गई हैं। आज इन सभी लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। पूरा देश भाजपा की ओर आशा के साथ देख रहा है। आज राष्ट्रीय राजनीति में यह पार्टी केंद्रीय स्थान पर है। आज भाजपा किसी भी अन्य दलों की तुलना में राष्ट्रीय मुख्यधारा और राष्ट्रीय मनोविज्ञान के अधिक नजदीक है। लोकसभा के चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं। हमें इस महान चुनौती पर, जो कि एक महान अवसर भी है, पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा। हमें अभी से देश की पहली पार्टी के रूप में उभरने के लिए कार्य शुरू करने पड़ेंगे।

भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही स्व. श्री दीनदयालजी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत से प्रेरणा लेती रही है। और इस पार्टी को अपनी सैद्धांतिक नीतियों और अपने कार्यकर्ताओं के कीमती मूल्यों के कारण जाना जाता रहा है।

गत दस महीनों के दौरान देश ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकारों को देखा है। किसी पेड़ का महत्त्व उसके फल से होता है और किसी पार्टी का मूल्यांकन उसके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। भाजपा को कई बार परखा गया है और वह हमेशा कसौटी पर खरी उतरी है, वह अच्छी और मजबूत पार्टी बनी रही है। जब कांग्रेस अपने ही मुख्यमंत्रियों को बदल रही थी और जनता दल को यह भी पता नहीं था कि इसके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जनता दल में हैं या नहीं, या फिर इस जनता दल में हैं या उस जनता दल में हैं, वहीं भाजपा की राज्य सरकारें स्थायित्व, अर्थव्यवस्था और अच्छे प्रदर्शन के रूप में एक आदर्श बनी रही हैं और उन्होंने कई नई परियोजनाएँ शुरू की हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों पर 600 करोड़ से अधिक रुपए के ऋणों को माफ कर दिया है। वर्तमान में यह एक लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण करवा रही है। राजस्थान में पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए गोपाल योजना शुरू की गई है। एक भागीरथ योजना शुरू की गई है, जिसमें अधिकारियों द्वारा गाँवों का नियमित रूप से दौरा किया जा रहा है, ताकि विकास कार्यों पर निगरानी रखी जा सके और ग्रामीणों की शिकायतों का उसी स्थान पर निपटान किया जा सके। संपूर्ण ग्राम विकास के लिए 'अपना गाँव अपना काम' योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश ने रोजगार और विस्तृत वानिकी के लिए वन संरक्षण योजना शुरू की है। बड़े पैमाने पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया है और विद्यालयों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। जिस तरीके से इन सरकारों ने कानून और व्यवस्था बनाए रखी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है और व्यय को कम किया है तथा गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ लागू की हैं वह अन्य राज्यों के लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय है। वे सरकारें अन्य राज्य सरकारों द्वारा अनुकरणीय कार्य करने के लिए मॉडल हैं।

इन सभी ने भाजपा को आज भारतीय राजनीति में एक महान् शक्ति बना दिया है। रामरथ यात्रा की बड़ी सफलता भाजपा की इस नई उभरती शक्ति का प्रमाण है। तथापि ज्यों-ज्यों भाजपा बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों उस पर विरोधियों के ओर से अधिक तीखे हमले हो रहे हैं और आलोचना की जा रही है। भाजपा इन सबसे विचलित होनेवाली नहीं है। यह अपने चुनाव घोषणा-पत्र को पूरी तरह से लागू करेगी और भारत के संविधान से नीति निर्देशक तत्त्वों, जिसकी लंबे समय से अपेक्षा की गई है, को शब्दशः प्रभावी बनाएगी। यह देश की एकता व अखंडता की रक्षा करेगी, कानून और व्यवस्था सुदृढ़ करेगी तथा शांति और समृद्धि लाएगी। यह राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को नहीं रोकेगी। यह रामराज्य, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक—सभी क्षेत्रों में न्यायसंगत और नैतिक व्यवस्था है, की स्थापना करने के लिए प्रयास जारी रखेगी।

हमारे कुछ विरोधी हमारे मुसलिम भाइयों को भाजपा के विरोध में भड़काते रहे हैं। मुसलिमों में इन लोगों की रुचि केवल उनके वोटों के लिए है और वे लोग सिर्फ कुछ अफवाहों का उपहार लेते रहते हैं। यदि मुसलिम इस स्थिति से खुश हैं तो उनका स्वागत है। यदि नहीं, तो उन्हें बैठकर नए सिरे से सोचना चाहिए। भाजपा उन लोगों को सलाह देना चाहेगी कि वे लोग स्वयं को भय से मुक्त करें। हम लोग न तो किसी की तुष्टि करना चाहेंगे और न ही किसी के साथ अन्याय होने देंगे। वे लोग मुसलिम शब्द में जो 'एम' आया है उसके अनुरूप देश के प्रति सच्चे व्यक्ति यानी 'मैन' बनें। भारतीय के रूप में हमारी संस्कृति सांझी है और इस तरह से उनके साथ कोई समस्या नहीं होगी। वे अन्य लोगों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर देश का पुनर्निर्माण करें।

आजादी के बाद से लेकर देश के गरीबों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से बहुत वायदे किए गए हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम को पूरा किया गया। भाजपा को गरीबों की आँखों के आँसू पोंछने की योजना बनानी चाहिए। भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में बहुत कुछ कर चुकी हैं। हमें बहुत कुछ करना बाकी है।

हाल ही में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने के लिए वायदा किया गया। यहाँ स्थिति ऐसी है कि पिछड़ों में जो अगड़े हैं, खुली प्रतियोगिता का सामना करने में काफी सक्षम हैं। सही मायने में जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को निस्संदेह नौकरियों में सहायता किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए भाजपा ने पिछड़ों में जो गरीब हैं, उनके लिए आर्थिक मानदंड के साथ नौकरी में आरक्षण करने की वकालत की है। तथापि भाजपा का यह मत है कि गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को मेधा के आधार पर नौकरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। हम लोग यह सुझाव इसलिए देते हैं कि सभी जातियों और समुदायों के गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों की कम उम्र में पहचान की जानी चाहिए। उन बच्चों की शिक्षा और लालन-पालन राज्य के खर्चे पर किया जाना चाहिए। हमारा यह सुझाव है कि सभी नवोदय विद्यालयों को गरीब परिवारों के प्रतिभावान बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

हमें केवल यही करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 10 प्रतिशत लोग ही निजी, सार्वजनिक या सरकारी सेवा में नियोजित हैं। शेष 90 प्रतिशत लोग स्वनियोजित हैं। भाजपा को इन लोगों को अपने-अपने संबंधित शिल्प या व्यवसाय में पुनः प्रशिक्षित करने में ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उन लोगों की आर्थिक दशा सुधर सके। राज्य को भी उन लोगों को ब्याज-मुक्त ऋण देना चाहिए, ताकि वे लोग अपने उपक्रम और औजारों को आधुनिक बना सकें।

आज देश के अंदर जो असंतोष और तनाव फैला हुआ है उसका मूल कारण आर्थिक विकास की दर का कम होना है। हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद तेजी से

नहीं बढ़ रहा है जिससे कि हमारी बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस बात का कोई कारण नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया की तरह तेजी से क्यों नहीं बढ़ती है। भाजपा ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की है, जो कि वर्ष 2000 तक हमारी विकास दर को दुगुना करने के लिए व्यावहारिक, संस्थागत और संरचनात्मक अर्थोपाय करने का सुझाव देगी। वस्तुतः हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और अपनी राजनीति को इतना सफल बना देना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश भी एक साझा बाजार और अन्य साझे प्रयासों में हमारा साथ देना चाहें। हम दुःख के साथ यह नोट करते हैं कि हमारे प्यारे देश को राष्ट्रों के समूहों में निरंतर गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, हम खाड़ी के संकट से संबंधित संकल्प में कोई भूमिका नहीं निभा पाए हैं। न तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और न ही सार्क कोई विशेष कार्य कर पाए हैं। अतः राष्ट्रीय निर्भरता के कारण हम भारत में सत्य की अवधारणा और यथार्थ को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। इसके परिणामस्वरूप हम अपनी नियति को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और अपनी राजनीति को सुव्यवस्थित करना होगा, ताकि हमारा देश भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरे और उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी स्थान प्राप्त हो। संक्षेप में, हमें भारत के बहुत सारे लोगों के लिए योजना बनानी चाहिए, देश के लिए शक्ति जुटानी चाहिए और सभी के लिए न्याय प्राप्त करना चाहिए।

हम पार्टी के नेताओं और कैडरों को इन सभी कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिससे हम भाजपा को राष्ट्रीय आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त साधन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। भाजपा को सभी क्षेत्रों में ध्यान देना होगा। हमें सभी ऊर्जावान व्यक्तियों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। हमें इस महत्त्वपूर्ण वर्ष में आदर्श पुरुष और महिलाओं को आगे आकर भाजपा में रहकर एक वर्ष या उससे अधिक समय तक देश की सेवा करने के लिए कहना चाहिए। हमें कुछ इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे कि लोकसभा में हमारे 500 उम्मीदवार जीतकर आएँ और हम देश की प्रथम पार्टी के रूप में उभर सकें।

भाग-२

1. व्यापक आधार प्राप्त करने और समाज के विभिन्न वर्गों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए बनी समिति ने पार्टी को ग्रामीण युवकों के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया है—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों को आकर्षित करने के लिए पार्टी की प्रत्येक जिला इकाई का सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें ग्रामीण समस्याओं को दरशाने के साथ-साथ पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करना चाहिए। इन सम्मेलनों को आकर्षक बनाने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद, लोक नृत्य और नाटक आदि का भी आयोजन किया जाना चाहिए।

(ख) खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(ग) युवा मोरचा को, विशेषकर रात्रि में वयस्क साक्षरता कक्षा लगानी चाहिए। फिल्म शो के माध्यम से शिक्षा और मनोरंजन का समावेश किया जाना चाहिए।

(घ) जिला और मंडल स्तरों पर युवा मोरचा समितियों में कम-से-कम 50 प्रतिशत पुलिस और महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों से होनी चाहिए।

(ङ) जिला मुख्यालयों में स्कूल और कॉलेज के हॉस्टलों में रहनेवाले छात्रों से संपर्क किया जाना चाहिए जिससे कि ये छात्र भाजपा के संदेश को छोटे-छोटे शहरों तथा गाँवों तक पहुँचा सकें—जब वे छुट्टियों में घर जाएँ।

(च) स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थानीय मंदिर, बाजार, बस स्टैंडों आदि की साफ-सफाई करके और स्थानीय मेलों और त्योहारों का बेहतर प्रबंधन करके ग्रामीण समाज की सेवा करनी चाहिए।

2. इस तथ्य की स्थापना करने के लिए भी गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए कि भाजपा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए और सामाजिक न्याय के लिए काफी चिंतित है—

(क) उन लोगों को भी सभी मामलों में बराबर समझा जाना चाहिए।

(ख) उन लोगों के घरों के आस-पास सामाजिक सभा, त्योहार और जयंतियाँ मनाई जानी चाहिए, जिसमें क्षेत्र के पार्टी और सभी मोरचों के महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों का भाग लेना अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए।

(ग) वयस्क शिक्षा केंद्र, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल केंद्र एवं पुस्तकालय उन लोगों की बस्तियों में चलाए जाने चाहिए।

(घ) खेलकूद, नाटक, लोक नृत्य, पेंटिंग और हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई जानी चाहिए, और उनका पुरस्कार वितरण किया जाना चाहिए।

(ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कुछ सदस्यों को स्थानीय भाजपा में शामिल किया जाना चाहिए। पार्टी के पोस्टर, हैंड बिल, जुलूसों, प्रदर्शनियों में यह तथ्य दिखना चाहिए।

(च) दौरे पर आनेवाले हमारे नेताओं को समय-समय पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ताओं के घर में ठहराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी समय-समय पर उनके घरों में की जानी चाहिए।

3. पिछड़े वर्ग

(क) अल्पसंख्यकों और निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों, विशेषकर बुनकरों, बढ़इयों, लोहारों, नाइयों, पशुपालकों, सफाई कर्मचारियों, पासियों, ठेलेवालों, कुम्हारों, निर्माण मजदूरों, धोबियों और अन्य लोगों के लिए व्यवसायवार सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देने के लिए पार्टी मंचों का गठन किया जाना चाहिए।

(ख) इन मंचों के माध्यम से पेयजल, बिजली आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई जैसी समस्याओं को निपटाया जाना चाहिए। इन लोगों को सरकारी अधिकारियों की परेशानी तथा उपेक्षा से बचाया जाना चाहिए।

(ग) हमें उन लोगों को सहकारी समितियों का गठन करने, कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था करने और अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए भी सहायता देनी चाहिए।

(घ) जिला और राज्य स्तरों पर समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि उनकी माँगों को उठाया जा सके और उनके समाधान की काररवाई की जा सके।

4. महिलाएँ

(क) मंडल स्तर तक महिला मोरचा इकाइयों का गठन किया जाना चाहिए। राज्य स्तर समिति की बैठक तीन महीने में एक बार तथा जिले स्तर पर बैठकें एक माह छोड़कर दूसरे माह में आयोजित की जानी चाहिए। मंडल स्तर पर प्रत्येक तीन महीने में महिला सभा का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें महिला नेता को सभा में उपस्थित रहकर वर्तमान राजनीतिक मुद्दों और उन पर पार्टी के रुख के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। कीर्तन और वीडियो कैसेट को कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

(ख) वयस्क शिक्षा, हस्तशिल्प, बुनाई, प्राथमिक सहायता और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए रचनात्मक गतिविधि केंद्र की स्थापना करने के लिए समर्पित वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता नियुक्त की जानी चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय नेताओं और समाज-सुधारकों के जन्मदिवसों और त्योहारों के अवसर पर महिलाओं के लिए सामाजिक सभा का आयोजन किया जाना चाहिए।

(घ) महिलाओं को कम-से-कम जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण फोरम आयोजित करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य गुणवत्ता पर नियंत्रण बना रहे।

(ङ) भाजपा के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा महिला नेतृत्व विकसित किया जाना चाहिए।

(च) राज्य स्तर पर पूर्णकालिक महिला कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होनी चाहिए, जो जिला स्तर और उससे नीचे के स्तर पर गतिविधियों का समन्वय कर सकें।

(छ) अब चूँकि सभी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है इसलिए प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त महिला उम्मीदवार तैयार करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. (क) राज्य और केंद्रीय सरकारों द्वारा चलाए जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके सफल कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

(ख) हमें गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन और कोचिंग की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ग) समता सम्मेलन और सामुदायिक रात्रि भोज का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें सभी महत्त्वपूर्ण भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ शामिल हों।

(घ) प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का घर सामाजिक एकता और समता का एक उदाहरण होना चाहिए।

(ङ) हमें अपनी कार्यकारिणी समितियों, पार्टी के पदाधिकारियों और चुनाव के उम्मीदवारों में समाज के उन सभी वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

(च) जहाँ किसी व्यवसाय में किसी कामगार को वर्ष भर के लिए नहीं लगाया जाता, वहाँ एक वर्ष में उसके दो या तीन महीने का अतिरिक्त समय का उपयोग उसके व्यावसायिक सहयोगियों के बीच पार्टी के कार्य के लिए किया जाना चाहिए।

पार्टी के कार्य का विस्तार निम्न क्षेत्रों में किया जाना है—

(अ) जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और पंजाब,

(ब) चार दक्षिणवर्ती राज्य,

(स) आठ उत्तर-पूर्वी राज्य।

1. इन क्षेत्रों के लिए सांसदों के विभिन्न दलों को लगाया जाना चाहिए; तीन सांसदों का एक दल क्षेत्र (अ) के लिए, चार सांसदों का एक दल क्षेत्र (ब) के लिए, और पाँच सांसदों का एक दल क्षेत्र (स) के लिए।
2. इन सांसदों को अपने संसद् सत्र से बचे समय का कम-से-कम दस प्रतिशत समय इन राज्यों के विस्तृत भ्रमण में, उनकी समस्याओं के अध्ययन करने में और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्थापित करने में समर्पित करना चाहिए।
3. इन क्षेत्रों के लोगों की गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करने हेतु अधिकाधिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए।
4. विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए—
   (अ) पाक समर्थित आतंकवादी तत्त्वों पर।
   (ब) साम्यवादी और नक्सलवादी खतरों पर।
   (स) बाँग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं पर।
   (द) आदिवासी लोगों की स्थानीय जरूरतों पर।
5. चाय, कॉफी, रबर, नारियल एवं जूट से संबंधित दक्षिणवर्ती राज्यों की समस्याओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।
6. बड़े सम्मेलन प्रत्येक राज्य में आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के नेता उपस्थित होने चाहिए।
7. दूसरे राज्यों से पूर्णकालिक कार्यकताओं को संगठन के आधार को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए भेजा जाना चाहिए।
8. उस समय तक, जब तक इन क्षेत्रों का अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं हो, दूसरे भाजपा राज्यों द्वारा इनके लिए कुछ प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पार्टी के मोरचे और मंच

1. पार्टी में पाँच मोरचे होंगे—
   (अ) जनता युवा मोरचा
   (ब) जनता महिला मोरचा
   (स) जनता किसान मोरचा
   (द) जनता अनुसूचित जाति मोरचा
   (इ) जनता अनुसूचित जनजाति मोरचा,
2. उपर्युक्त मोरचों का गठन पार्टी संविधान में निहित नियमों के आधार पर होगा।
3. विभिन्न स्तर के भाजपा अध्यक्षों को पार्टी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करने के दौरान संबंधित उपर्युक्त मोरचे के अध्यक्ष के नाम की

भी घोषणा करनी चाहिए।

4. सभी मोरचा अध्यक्ष अपने स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों की सभा में स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे।
5. पार्टी मंचों (प्रत्येक श्रेणी के लिए एक) का गठन समाज के विभिन्न व्यावसायिक वर्गों की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक समस्याओं की देखभाल करने के लिए किया जाना चाहिए।
6. अखिल भारतीय भाजपा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अखिल भारतीय पार्टी पदाधिकारी मंचों के कार्यों का समन्वय करेंगे।
7. राज्य भाजपा अध्यक्ष अखिल भारतीय मंच संयोजक की सलाह से विभिन्न मंचों के लिए राज्य स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति करेंगे।
8. जिला स्तर के मंच संयोजक की नियुक्ति जिला स्तर के भाजपा अध्यक्ष द्वारा राज्य स्तरीय मंच संयोजक की सलाह से की जाएगी।
9. सभी मंच संयोजक पार्टी के सक्रिय सदस्य भी होंगे।
10. सभी मंच संयोजक उपर्युक्त स्तर की कार्यकारी समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे।
11. प्रत्येक मोरचे और मंच को प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक कार्य परियोजना अवश्य ही पूरी करनी चाहिए।

पार्टी कार्यालय

पार्टी के विस्तृत होते वर्णक्रम और जनता की बढ़ती आशाओं पर खरा उतरने के लिए हमारे कार्यालयों को, केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर, पूरी तरह से उन्नतिशील बनाना होगा।

1. केंद्रीय कार्यालय

(अ) के पास इसकी आंतरिक संस्था से संबंधित विषय, पार्टी चुनाव, जनता चुनाव, आम पत्राचार और शिकायतों की पूरी फाइल होनी चाहिए।

(ब) के पास उपयुक्त कार्यालय संस्थापन युक्त शोध, नीति प्रतिपादन, प्रकाशन (आर.पी.एफ.पी.) कक्ष की सुविधा होनी चाहिए। आर.पी.एफ.पी. को एक मानक मासिक पार्टी प्रकाशन प्रस्तुत करना चाहिए।

(स) दिल्ली में उपलब्ध केंद्रीय पार्टी पदाधिकारियों को प्रतिदिन एक घंटा राष्ट्रीय स्थिति का जाएजा लेने के लिए मिलना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें अपने विचार विषय-वस्तु पर प्रस्तुत करना चाहिए।

2. राज्य कार्यालय

(अ) को राज्य की नागरिक संस्थाओं, सक्रिय पंचायती राज, स्थानीय सभाओं तक की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

(ब) को आम पत्राचार, संघटनात्मक और जनता की शिकायतों की फाइल कायम रखनी होती है।

(स) उपस्थित राज्य पार्टी पदाधिकारियों को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर मिलना चाहिए। नियमित विचार-विमर्श के बाद वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर वक्तव्य जारी करना चाहिए।

(द) समय-समय पर केंद्रीय पर्यवेक्षक को राज्य कार्यालय का निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि वे लोग केंद्रीय कार्यालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे हैं।

3. जिला कार्यालय

(अ) एक जिला पार्टी कार्यालय होना चाहिए और पार्टी का काम यहीं पर किया जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के दफ्तर या आवास पर।

(ब) एक पूर्णकालिक कार्यालय सचिव होगा।

(स) जिला कार्यालय को प्रत्येक मंडल के लिए अलग से फाइल कायम रखनी होगी और जिले में स्थित सहकारी समाजों, पंचायतों और नगरपालिकाओं की पूरी जानकारी रखनी होगी। मतदाता सूची की एक पूर्ण प्रति रखनी चाहिए।

(द) जिला कार्यालय पदाधिकारियों को एक पखवाड़े में एक बार मिलना होगा और आपस में परामर्श करना होगा।

4. पार्टी के सभी कार्यालय, केंद्रीय, राज्य और जिला, रविवार तथा अन्य छुट्टियों सहित सभी दिवसों पर खुले रहेंगे।

5. केंद्र और राज्य तथा वे शहर, जिनकी आबादी पाँच लाख या इससे अधिक है, अपना कार्यालय बना या खरीद सकते हैं।
ऐसी सभी संपत्तियों पर पार्टी के एक न्यास का अधिकार होगा। यह न्यास पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

समन्वयन

1. भाजपा के राज्य पार्टी पदाधिकारियों और विधायकी के पदाधिकारियों को वर्तमान राजनीतिक स्थिति का जायजा लेने हेतु अकसर बैठकें करनी चाहिए और उन्हें पार्टी के सर्वाधिक हितों के लिए पार्टी और विधायी

कार्यों में समन्वय स्थापित करना चाहिए।

2. राज्य स्तर पर तीन सदस्यों की एक मार्गदर्शक समिति और उतनी ही संख्या में विधायिका के सदस्यों को प्रत्येक मास पार्टी रणनीति बनाने के लिए मिलना चाहिए।
3. केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों को औपचारिक रूप से संसद् के तीन या चार वरीय सदस्यों के साथ राष्ट्रीय स्थिति का आकलन करने के लिए अकसर विचार-विमर्श करना चाहिए।
4. निर्वाचित विधायकों और सांसदों को पार्टी कार्यालयों में बैठकें करनी चाहिए और संबद्ध स्तर पर कार्यकारिणी समिति की बैठक करनी चाहिए।

संघटनात्मक विषय-वस्तु

1. विभिन्न निर्वाचित और मनोनीत समितियों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को शामिल करने की नीतियों (व्यवस्थाओं) का सख्ती से अनुसरण करना चाहिए तथा संस्थाओं के अनुरूप उनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए।
2. स्थानीय, मंडल और जिला समितियों के चुनाव में नए निर्वाचित अध्यक्ष को अपने समिति के सदस्यों की घोषणा का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
3. नामांकन प्राप्त करने, कागजात की जाँच करने एवं नामांकन वापस लेने तथा गुप्त मतदान कराने आदि की चुनावी प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
4. जैसे ही चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, क्षेत्र के सभी सदस्यों को अपनी सदस्यता पंजीयित कराने की सुविधा तथा सक्रिय सदस्यों की सूची सुगमता से प्राप्त होनी चाहिए।
5. उम्मीदवार और मतदाता को पार्टी चुनाव के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए।
6. पार्टी संघटनों का उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर द्वितीय पंक्ति के नेतृत्वकर्ताओं का विकास करना तथा युवाओं को अधिकाधिक अवसर प्रदान करना होना चाहिए।

सक्रिय सदस्य

सक्रिय सदस्य संघटन में मुख्य व्यक्ति होता है। उसके पंजीयन और विकास के लिए अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

1. सक्रिय सदस्य को कम-से-कम दो वर्ष के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए।

2. प्रत्येक सत्र के लिए सक्रिय सदस्यता शुल्क सौ रुपए होना चाहिए।
3. उसे भाजपा द्वारा विगत दो वर्षों में किए गए रचनात्मक कार्यों में से किसी एक का सक्रिय हिस्सेदार होना चाहिए।
4. सक्रिय सदस्यों की सूची उस सत्र के चुनाव के लिए सदस्यता की कट ऑफ की तिथि के आधार पर तैयार की जानी चाहिए और उसे राज्य पार्टी कार्यालय में स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए।
5. स्थानीय समिति चुनाव के चुनावी कार्यक्रम से एक सप्ताह पहले राज्य स्तर पर अनुमोदित सूची में संकल्पों को अनुच्छेद 12 (7) के तहत सम्मिलित किया जा सकता है।
6. उस तिथि के बाद संकलनों को केवल केंद्रीय जाँच समिति की स्वीकृति से अनुच्छेद 12 (7) के तहत ही किया जाएगा।
7. सक्रिय सदस्यों की अंतिम सूची मंडल समिति की चुनाव तिथि के पहले अवश्य प्रकाशित की जानी चाहिए।
8. सक्रिय सदस्यों के शुल्क की पूरी राशि राज्य कार्यालय में जमा की जाएगी और उसका 25 प्रतिशत केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

संघटन (संवर्ग) निर्माण

पार्टी संघटन निर्माण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए—

1. हमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर अध्ययन शिविर आयोजित करने चाहिए। हमें नियमित प्रशिक्षण शिविर न केवल बैठकों और भाषणों के लिए बल्कि मुद्दों पर गंभीर परिचर्चा के लिए भी आयोजित करने चाहिए।
2. जिला स्तरीय वार्षिक शिविर, जिसमें भाग लेनेवालों की पूरी संख्या 150 से अधिक न हो, का कार्य पूरे दो दिनों का होना चाहिए।
3. राज्य स्तरीय वार्षिक शिविर, जिसमें भाग लेनेवालों की पूरी संख्या 200 से अधिक नहीं हो, का कार्य तीन दिनों का होना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने जिला शिविर में भाग लिया है, केवल वे ही राज्य शिविर के लिए योग्य होंगे।
4. अखिल भारतीय वार्षिक शिविर का कार्यकाल चार दिनों से कम का नहीं होना चाहिए और उसमें भाग लेनेवालों की संख्या 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने पहले एक राज्य स्तरीय शिविर में भाग लिया हो, केवल वे राष्ट्रीय शिविर में भाग ले सकते हैं।
5. राष्ट्रीय शिविर में कार्यकर्ताओं के वृहद् समूह की अपनी भाषा में विशेष सामूहिक परिचर्चा आयोजित की जानी चाहिए।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसान, युवा और महिला मोरचा

के लिए अध्ययन शिविर दो या तीन दिनों का आयोजित किया जाना चाहिए।

(1) जिला स्तर पर सौ कार्यकर्ताओं तक।

(2) राज्य स्तर पर 150 से अधिक कार्यकर्ता नहीं हों।

(3) अखिल भारतीय स्तर पर 200 से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं हों।

7. दो दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक अध्ययन शिविर का भी आयोजन अल्पसंख्यकों और व्यावसायिक वर्गों, जैसे दस्तकारों, बुनकरों इत्यादि के संबद्ध मंचों द्वारा किया जाना चाहिए।
8. निर्वाचित प्रतिनिधियों का वार्षिक शिविर निम्न के लिए दो या तीन दिवसों का आयोजित किया जाना चाहिए—
    1. जिला स्तर पर पंचों और सरपंचों का
    2. राज्य स्तर पर ब्लॉक और जिला परिषद् के सदस्यों का
    3. मंडल/प्रमंडल स्तर पर नगर निगम के सदस्यों का
    4. राष्ट्रीय स्तर पर निगमों/परिषद् सदस्यों/महापौरों का
    5. राज्य स्तर पर राज्य के विधायकों का
    6. राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों का

मनाए जाने वाले दिवस

1. हम एक बार फिर निम्नलिखित दिवसों या सप्ताहों को मनाने की बात दोहराना चाहेंगे, जिनको पहले भी 1985 में कार्यकारी समूह ने मनाने पर जोर दिया है :

अप्रैल 6 से 13	:	संस्थापन दिवस और अप्रैल 14 समता दिवस (डॉ. अंबेडकर का जन्मदिवस)
23 जून से जुलाई 7	:	राष्ट्रीय एकीकरण पखवाड़ा (डॉ. मुखर्जी का बलिदान दिवस और जन्मदिवस)
25 सितंबर से 2 अक्तूबर	:	अंत्योदय सप्ताह (दीनदयालजी का जन्मदिवस और गांधीजी का जन्मदिवस)
11 फरवरी	:	समर्पण दिवस (दीनदयालजी का शहीद दिवस)

2. सभी इकाइयों द्वारा पहले से समुचित आयोजनों की पूरी तैयारी के साथ देश भर में समर्पण दिवस मनाया जाना चाहिए। उस दिन पार्टी के प्रत्येक प्राथमिक सदस्य को पार्टी के लिए फिर से समर्पण व्यक्त करना चाहिए और उससे कम-से-कम एक दिन की आमदनी का अंशदान करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।
3. समर्पण दिवस पर एकत्र की गई धनराशि का पार्टी की रसीद में उल्लेख

होना चाहिए और उसका समुचित लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए। इस धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा मंडल, 25 प्रतिशत जिला, 15 प्रतिशत राज्य और 10 प्रतिशत केंद्र को जाएगा। केंद्र और राज्य स्तर पर जमा की गई इस धनराशि के साथ-साथ सदस्यों से प्राप्त की गई सहायता राशि को संबंधित अध्यक्षों द्वारा गठित की गई वृक्षारोपण समिति की संगठनात्मक जरूरतों पर खर्च किया जाएगा।

वित्तीय अनुशासन

1. आय और व्यय का वार्षिक बजट केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर तैयार किया जाना चाहिए। इसमें कर्मचारियों के वेतन, किराया, पत्रिकाओं, पुस्तकों, स्टेशनरी, प्रकाशन सामग्री, पोस्टेज, यात्रा, बैठकों, सम्मेलनों, वाहन, कार्यालय उपकरण जैसी वस्तुओं की खरीद और विविध खर्चों को शामिल किया जाना चाहिए।
2. लेखाओं का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए और संबंधित समिति में प्रस्तुत करना चाहिए।
3. अध्ययन शिविर और सम्मेलन आयोजित करने में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भाग लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति से शुल्क वसूल करना चाहिए।
4. राज्य और केंद्रीय स्तरों पर एक पृथक् चुनाव निधि की स्थापना की जानी चाहिए।
5. पार्टी के विधायी और संसदीय कार्यालयों के लेखाओं का भी वार्षिक लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए और उसे प्रतिवर्ष भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए। उनके बजट प्रस्तावों को भी पार्टी अध्यक्ष और केंद्र या राज्य के कोषाध्यक्ष के परामर्श के साथ अंतिम रूप से तैयार किया जाना चाहिए।
6. मोरचा का लेखा भाजपा की समिति के लेखों का समुचित भाग होना चाहिए। मोरचा भाजपा के इकाई कोषाध्यक्ष द्वारा जारी रसीद बुक पर धनराशि को एकत्रित करेगा और सभी लेखाओं को उसे प्रस्तुत करना होगा। मोरचा की धनराशि को केवल मोरचा के अध्यक्ष द्वारा मोरचा के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए।
7. मंचों को पार्टी इकाई से सीधे वित्त पोषण मिलना चाहिए।

सामान्य दिशा-निर्देश

1. पार्टी की गतिविधियों और कार्यक्रमों में सरलता, न्यूनतम व्यय, धन आधारित प्रयासों के स्थान पर कार्यकर्ता आधारित प्रयास को कार्यक्रमों

की सफलता के मूल्यांकन का आधार बनाया जाना चाहिए।

2. भाजपा कार्यकर्ताओं के सामाजिक और पारिवारिक समारोहों में पूरी सादगी झलकनी चाहिए।
3. कैडरों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए।
4. मेमोरियल व्याख्यानों, अध्ययन गोष्ठियों के माध्यम से विचारधारा संबंधी गतिविधियों पर जोर दिया जाना चाहिए।
5. गरीबों और शोषित जन के दृष्टिकोण से उनके मुद्दों से संबंधित अधिक-से-अधिक गतिविधियाँ चलाई जाने की जरूरत है। स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
6. पार्टी नेताओं, विधायकों और संसद् सदस्यों को मिलाकर बनाई गई अध्ययन टीम को सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित सामाजिक क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए।
7. पार्टी दस्तावेजों और संकल्पों के मामले में केंद्र से जिला स्तर तक द्विपक्षीय संचालन और चर्चा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
8. पार्टी द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर शुरू किए गए कार्यक्रमों का अधिकारिक तौर पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
9. पार्टी नेताओं और विधायकों को विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कृषि, उद्योग, वित्त, रक्षा, समाज, विदेश, कार्य, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मास मीडिया आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए।
10. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लघु समन्वय समिति होनी चाहिए जहाँ हम अपने सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकर देश की समग्र स्थिति और उसके सामने आ रही समस्याओं की समीक्षा कर सकें, योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार कर सकें, जिनसे हमें देश और लोगों की बेहतर रूप में सेवा करने में मदद मिलेगी।
11. भाजपा कार्यकर्ताओं को सामाजिक, व्यावसायिक, वोकेशनल एसोसिएशनों/ संगठनों फेडरेशनों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
12. विधायकों और संसद् सदस्यों को अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों की रेख-देख करने की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।

•

पार्टी कार्य का विस्तार

पार्टी के समर्थन में नए वातावरण के अनुरूप कार्यक्रम से देश के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों में संगठनात्मक आधार को व्यापक बनाने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा हम राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों के समक्ष इन बातों को पहुँचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव देना चाहेंगे—

1. हमें शहरी क्षेत्रों में भाजपा के समर्थकों का एक क्लब गठित करना चाहिए। इन क्लबों की बैठक महीने में एक बार बारी-बारी से एक-एक सदस्य के घर में आयोजित की जानी चाहिए।
2. इन क्लबों में भाग लेनेवाले मित्रों को विभिन्न मोरचों पर चल रही परियोजनाओं के साथ समुचित रूप से जोड़ा जाना चाहिए।
3. वार्षिक मेमोरियल व्याख्यानों का आयोजन बड़े शहरों में किया जाना चाहिए, जहाँ भाजपा के नेता स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ विचार-विमर्श कर सकें।
4. हमारे यहाँ पहले से ही अधिवक्ता फोरम बना हुआ है; हमें लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों आदि के लिए ये फोरम प्रायोजित करने चाहिए।
5. हमारे यहाँ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक समस्याओं से निपटने के लिए चार अध्ययन समूह होने चाहिए। यहाँ हमें समर्थक विशेषज्ञों और पार्टी के विशेषज्ञों के बीच संपर्क कराने की कोशिश करानी चाहिए। इससे एक छाया कैबिनेट को विकसित करने में मदद मिल सकती है।
6. हमारे यहाँ भाजपा इंटरनेशनल का गठन होना चाहिए, जिसमें भाजपा के साथ सहानुभूति रखनेवाले उसके समर्थकों, चाहे वे भारतीय हों या किसी भी देश के नागरिक हों, विश्व के कहीं के भी रहनेवाले हों, को शामिल किया जाना चाहिए। इन सब कदमों से पार्टी का आधार व्यापक होगा, सभी स्तरों पर मजबूती आएगी और हम नई ऊँचाइयों को छू सकेंगे।

□

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

चंडीगढ़ 4 जनवरी, 1986

शिक्षा नीति पर वक्तव्य

गत आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 5 जनवरी, 1985 को राष्ट्र के नाम अपने प्रथम प्रसारण में देश को एक नई शिक्षा नीति देने का वायदा किया था। उन्होंने 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसी वादे को फिर दोहराया था। कुछ महीनों तक शिक्षा मंत्रालय में इस संबंध में खलबली मची रही और उसके विभिन्न विभाग गतिशील हो गए। शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों ने एन.सी.ई.आर.टी., एन.आई.ई.पी.ए., विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन जैसी संस्थाओं द्वारा इकट्ठे किए गए बहुत सारे आँकड़ों और जानकारी संबंधी सामग्री का गहन विश्लेषण किया। इसके बाद नई शिक्षा नीति के स्वरूप के बारे में समय-समय पर इस प्रकार के मोटे संकेत किए गए—जैसे 'सरकार डिग्रियों को नौकरियों से अलग करने पर सक्रियता से विचार कर रही है', 'केंद्रीय क्षेत्र में प्रत्येक जिले में आदर्श स्कूल खोले जाएँगे', 'संपूर्ण देश में एक समान राष्ट्रीय मूलभूत पाठ्यक्रम लागू करने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने के सुझावों पर विचार किया जा रहा है', और 'सरकार 1990 तक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए वचनबद्ध है।'

देश की शिक्षा पद्धति में गत लगभग 150 वर्षों से जो जाले लग गए हैं, उन्हें साफ करने में नए शासन की गंभीरता प्रकट करने के लिए विभिन्न कार्यकारी दल गठित किए गए। संपूर्ण देश में, विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग में, बड़ी-बड़ी आशाएँ जाग्रत् हुईं कि एक ऐसी शिक्षा नीति आनेवाली है जिससे शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। किंतु अंततोगत्वा यह सारा उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया जब 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज, जिसमें शिक्षा संबंधी नीति का दिग्दर्शन किया गया था, संसद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। जबकि राष्ट्र

बड़ी उत्सुकता से अंतिम नीति संबंधी वक्तव्य की प्रतीक्षा कर रहा था, तो इस देश में शिक्षा की हालत के संबंध में एक बहुत ही नीरस एवं निस्सार दृष्टिकोण मिला। इस दस्तावेज में कोई नीति निर्धारित नहीं की गई थी, अपितु इसका उद्देश्य केवल यह था कि 'एक राष्ट्रव्यापी बहस का आधार प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि नई शिक्षा नीति का निर्माण करने में सुविधा हो सके।'

वस्तुतः चुनौती का यह दस्तावेज ऐसा टाँय-टाँय-फिस्स साबित हुआ कि इससे देश में शिक्षा नीति के पुनर्नवीकरण के संबंध में कोई गंभीर विचार-विमर्श पैदा ही नहीं हो सका। इसके पहले तीन अध्यायों में शिक्षा पद्धति की विद्यमान त्रुटियों एवं विकृतियों का उल्लेख है, जिनका या तो राधाकृष्णन और कोठारी आयोग की रिपोर्टों में अथवा अन्य नीति संबंधी दस्तावेजों में पहले ही विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है, अथवा मूल्यों, समाज एवं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में थोथे सामान्य सिद्धांतों का वर्णन है। चौथे अध्याय में शिक्षा नीति के पुनर्नवीकरण के तरीके का उल्लेख मात्र है; किंतु इस विषय में कोई दिशा-निर्देश नहीं किया गया है।

इस दस्तावेज में इकीसवीं सदी में शिक्षा कार्यक्रमों में दूरदर्शन एवं उपग्रहों तथा कंप्यूटर के प्रयोग की भी बातें तो की गई हैं, लेकिन गरीबी और उसके उन्मूलन में शिक्षा की भूमिका के सरसरी तौर पर उल्लेख के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं की गई है। चुनौती संबंधी दस्तावेज में एवं अन्यत्र इस संबंध में जो आँकड़े बिखरे पड़े हैं, उनके आधार पर 1980 के अंत तक भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति को निम्नलिखित रूप में संक्षेप में बताया जा सकता है—

- शिक्षा संस्थाओं की संख्या 2.3 से बढ़कर 6.9 लाख हो गई (5.04 लाख प्राथमिक, 1.23 लाख माध्यमिक, 52279 उच्चतर माध्यमिक, 5246 कॉलेज और 140 विश्वविद्यालय)।
- अध्यापकों की संख्या 7.5 लाख से बढ़कर 32 लाख तक पहुँच गई है, जिनमें से 22 लाख प्राथमिक विभाग में काम करते हैं।
- हमारे लगभग 50 प्रतिशत स्कूलों के पास न तो भवन हैं, न ही पीने के पानी की सुविधा है और न ही ब्लैकबोर्ड हैं। 30 प्रतिशत स्कूलों में 3-4 श्रेणियों के लिए केवल एक अध्यापक है।
- (6-14) विशिष्ट आयु वर्ग के जितने छात्र भर्ती होते हैं, उनमें से लगभग 23 प्रतिशत ही बाकी रह जाते हैं और इस प्रकार इनमें से 77 प्रतिशत बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इनमें से अधिकांश लड़कियाँ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे होते हैं।
- शिक्षा पर व्यय हमारी समग्र राष्ट्रीय आय के 7.2 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत रह गया है। यहाँ यह याद दिला दिया जाए कि कुछ राष्ट्र जैसे अफगानिस्तान, बर्मा और पाकिस्तान आदि को छोड़कर शेष अधिकांश

राष्ट्र अपनी समग्र राष्ट्रीय आय का लगभग 8 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करते हैं।

- एक के बाद दूसरी योजना में प्राथमिक शिक्षा पर पूँजी विनियोग एवं व्यय निरंतर कम होता जा रहा है। शिक्षा के लिए कुल नियत राशि 56 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत तक पहुँच गई है। यद्यपि उच्चतर शिक्षा के संबंध में इसमें प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की कमी आई है, किंतु व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में इसमें लगभग 50 प्रतिशत की कमी हुई है जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है।
- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगभग 60 प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं और कम-से-कम 20 प्रतिशत कॉलेज आर्थिक रूप से अक्षम हैं।
- काम करनेवाले लगभग 24.4 करोड़ लोगों में से 60 प्रतिशत अनपढ़ हैं।
- सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करनेवाले कारीगरों में से 58 प्रतिशत को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी गई।
- भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि-दर समग्र राष्ट्रीय आय का लगभग तीन गुना रही है।
- शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का यह विशुद्ध परिणाम हुआ है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के लिए कुछ जनशक्ति उपलब्ध हो जाती है और गरीबों तथा पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा के नाम पर कुछ मृगतृष्णा का आभास हो जाता है। भारत में अमीरों की शिक्षा के लिए अनपढ़ गरीबों की गाढ़े पसीने की कमाई खर्च की जाती है।
- शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार मैट्रीकुलेशन और उससे ज्यादा पढ़े हुए बेरोजगारों की संख्या 37 लाख होने का अनुमान है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसमें 13 लाख की और वृद्धि हो जाएगी। अगर इसमें प्राथमिक और उससे ज्यादा शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या भी जोड़ दी जाए तो यह आँकड़ा 150 लाख से भी ऊपर पहुँच जाएगा।
- पढ़े-लिखे लोगों का बाहर जाना बराबर जारी है। सरकार एक डॉक्टर तैयार करने पर 2 लाख 50 हजार रुपए और एक इंजीनियार तैयार करने पर लगभग 1 लाख 50 हजार रुपए खर्च करती है। उनके समृद्ध देशों में चले जाने का मतलब वस्तुतः यह है कि एक गरीब देश कम लागत पर विशेषज्ञ तैयार करके अमीर देशों को भेज देता है।
- देश में शिक्षा की दो धाराएँ हैं, एक तो विशिष्ट वर्ग के लिए और दूसरी आम जनता के लिए। शिक्षा में इस द्वैध पद्धति से सामाजिक न्याय एवं सबको शिंक्षा का समान अवसर प्रदान करने की विचारधारा से आम

आदमियों को वंचित कर दिया जाता है और इस प्रकार समतामय समाज की स्थापना में अवरोध पैदा होता है।

निस्संदेह, इस दस्तावेज के द्वारा सरकारी तौर पर सरकार की विफलता को स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान शासन शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान गड़बड़झाले को खत्म करने के लिए एक साहसपूर्ण एवं कल्पनाशील शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने में सर्वथा अक्षम है, यह बात इस दस्तावेज से बिलकुल साफ हो गई है। इस दस्तावेज के अंतिम अध्याय में शिक्षा नीति के पुनर्नवीकरण में बाधक अनेक बातों का जिक्र किया गया है और उनमें कुछ का स्पष्ट रूप से उल्लेख भी है। यह बात सर्वविदित है कि शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सबसे बड़ी बाधा उन लोगों में राजनीतिक इच्छा-शक्ति का अभाव और शिक्षा की प्रबंध व्यवस्था में उनकी अयोग्यता है जो एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के ध्येय-प्राप्ति के लिए निष्ठा अथवा समर्पण की भावना से रहित हैं। वस्तुतः यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस दस्तावेज में इस पहलू का जिक्र तक नहीं किया गया और इसमें सारा दोष अन्य लोगों पर डालने की कोशिश की गई है। इसमें यह कहा गया है कि स्वार्थी अध्यापक अथवा निहित स्वार्थी प्रकाशक शिक्षा में परिवर्तन का विरोध करते रहे हैं। इसमें एक अकुशल शिक्षा पद्धति को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के परस्पर संबंधों के बारे में संवैधानिक व्यवस्था को भी दोषी ठहराया गया है; इसमें वित्तीय बाधाओं पर बहुत बल दिया गया है; इसमें शिक्षा पद्धति के राजनीतिकरण की बात की गई है; इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शिक्षा के व्यावसायीकरण और कारोबारोन्मुख बनाने की गति में सांस्कृतिक पक्षपात की भावनाएँ भी रोड़े अटका रही हैं। लेकिन एक निकम्मी नौकरशाही द्वारा, जो सारे प्रशासन को अपने हाथ में केंद्रित करना चाहती है और जिसे शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है, शिक्षा पद्धति को जो नुकसान पहुँचाया गया है, उसकी कहीं चर्चा तक नहीं है। शिक्षा नीति के पुनर्नवीकरण के लिए इस दस्तावेज में केवल निम्नलिखित तीन नई बातें सुझाई गई हैं—

1. प्रत्येक जिले में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना,
2. कुछ कॉलेजों को स्वायत्त बनाना, और
3. एक राष्ट्रीय मूलभूत पाठ्यक्रम तैयार करना।

इस प्रकार इस दस्तावेज में न केवल एक असमान शिक्षा पद्धति पर फिर से बल दिया गया है, अपितु उच्च वर्ग को एक ऐसा अवसर भी प्रदान किया गया है, जिससे वे शिक्षा को अपने शासन के विशेषाधिकार तथा उन मूल्यों को चिरस्थायी बनाने के साधन के रूप में प्रयोग कर सकें, जिन पर यह अब तक आश्रित रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राय में यह दस्तावेज उस शिक्षा पद्धति का विकल्प प्रस्तुत करने में बुरी तरह असफल रहा है, जो हमें पुराने उपनिवेशवाद से विरासत में मिली है और जो आज भी अपनी संपूर्ण त्रुटियों सहित विद्यमान है।

भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि शिक्षा मानव समाज में परिवर्तन लाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है और इसलिए वह हमेशा एक ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने का अनुरोध करती रही है, जो हमें विरासत में मिली प्रतिभा और हमारे युवकों की असंदिग्ध क्षमता के सर्वथा अनुरूप हो।

शिक्षा का आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से गहरा संबंध है। यदि भारत निस्सीम भौतिक समृद्धि पर ही आधारित ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करे जो मानव एवं प्रकृति के बीच विद्यमान संतुलन को बिगाड़ती है, मानव के आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप में एकरूपता लाने की आवश्यकता की उपेक्षा करती है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी का चुनाव करती है, जिसके द्वारा पर्यावरण को दूषित कर दिया गया है तथा असीमित सामाजिक तनाव एवं परमाणु विभीषिका का खतरा पैदा हो गया है और जिसके द्वारा अत्यधिक शोषणकारी विश्व व्यवस्था की स्थापना हुई है, तो इसे एक विशेष शिक्षा पद्धति एवं निश्चित मूल्यों का वरण करना होगा। इसके विपरीत यदि देश एक ऐसे प्रतिमान का चुनाव करता है जो ऐसे पवित्र एवं एकात्म मार्ग पर आधारित हो, जिसके द्वारा मानव एवं उसके चहुँ ओर विद्यमान व्यवस्था के बीच संतुलन रखा जाता है, तथा पिंड एवं ब्रह्मांड के बीच निहित एकता को स्वीकार किया जाता है तो इसे एक ऐसी वैकल्पिक टेक्नोलॉजी, भिन्न शिक्षा पद्धति तथा मूल्योन्मुखी नीति की खोज करनी होगी, जिससे शोषणमुक्त एवं समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके। इस दस्तावेज के लेखक इस असली चुनौती का सामना करने में विफल रहे हैं जो एक उपयुक्त सामाजिक दर्शन का चुनाव न कर पाने के परिणामस्वरूप पैदा हुई है।

भारतीय जनता पार्टी का यह दृढ़ विश्वास है, और वह जोरदार शब्दों में इस बात को कहना चाहती है, कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जो एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास करे जो ब्रह्मांड को स्वीकार करता हो और जो संपूर्ण मानव समाज की भलाई के लिए समर्पित हो। शिक्षा से लोगों में यह समझने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए कि सार्माजिक जीवन अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना मात्र नहीं है, अपितु परस्पर सहयोग एवं विश्वव्यापी भ्रातृभाव का महान् अनुभव है।

अतः शैक्षणिक कार्यक्रम को पूर्ण विकास में सहायक होना चाहिए जिससे व्यक्ति की गरिमा एवं स्वाधीनता में आस्था पैदा हो।

भारतीय जनता पार्टी ने 1981 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में अपने रवैये के बारे में एक मसौदा तैयार किया था। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर पर इसके द्वारा विभिन्न संगठनों तथा सरकारी एजेंसियों को भेजे गए उस राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज में निहित कुछ सुझावों को फिर से दोहराना चाहती है।

भारतीय जनता पार्टी यह सिफारिश करती है कि शिक्षा नीति निम्नलिखित रीति से बनाई जाए—

1. गरीबी और निरक्षरता का चोली-दामन का साथ है, अतः राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन दोनों का एक साथ उन्मूलन होना चाहिए।
2. शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार केवल 26 देश ऐसे हैं जिनमें भारत से भी ज्यादा अनपढ़ लोग रहते हैं। युगांडा, पैराग्वे, फिलीपीन, चिली, क्यूबा और जायरे में भी साक्षर लोगों की संख्या की दर भारत से अधिक है, चीन का तो कहना ही क्या। यदि वियतनाम में भारत के 36 प्रतिशत के मुकाबले वयस्क साक्षरता की दर 87 प्रतिशत हो सकती है तो हमारी कम साक्षरता की दर के लिए धन की कमी या अधिक जनसंख्या को बहाना नहीं बनाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का यह सुझाव है कि शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का उद्देश्य 1995 तक अवश्य पूरा हो जाना चाहिए और इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएँ—
    i. सातवीं पंचवर्षीय योजना को संशोधित करके शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए नियत किए जाएँ।
    ii. एक व्यापक अध्यापकोन्मुख शिक्षा विस्तार कार्यक्रम आरंभ किया जाए जो भारतीय परिवेश एवं परंपराओं के अनुरूप हो।
    iii. शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त किया जाए।
    iv. ग्रामों की महिलाओं को भर्ती करने और अध्यापिका प्रशिक्षण देने के लिए विशेष योजनाएँ तैयार की जाएँ, ताकि पुरुष एवं महिलाओं में साक्षरता के विषय में जो अंतर विद्यमान है उसे शीघ्रता से पाटा जा सके। आप एक माँ को पढ़ाइए और वह अपने सारे परिवार को पढ़ाएगी।
    v. आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों में जानेवाले अध्यापकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
    vi. ऐसे 'अंधकारमय' गाँवों का पता लगाया जाए जहाँ साक्षरता की दर 10 प्रतिशत से भी कम है और उन्हें औसत राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए।
    vii. ऐसी वैकल्पिक अध्यापन विधा तैयार की जाए जिसमें कागजी काम घट जाए। भवनों एवं उपकरणों आदि के संबंध में समृद्ध देशों के मानदंडों का अंधानुसरण करने से हम संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं कर पाएँगे।

viii. शिक्षा के अनौपचारिक एवं असंस्थागत तरीकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जाए।

ix. प्राथमिक शिक्षा स्थानीय विद्यार्थियों के जीवन में सीधे तौर पर संबद्ध होनी चाहिए।

3. वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को शिक्षा के क्षेत्र में चिरस्थायी नहीं बनने देना चाहिए। एक समतामय समाज की स्थापना के लिए समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। प्रत्येक जिले में एक आदर्श स्कूल की स्थापना से वर्तमान स्कूल पद्धति में केवल एक नया आयाम जुड़ जाएगा, जो कि बच्चों को आपस में बाँटनेवाली प्रवृत्तियाँ पैदा करती है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का यह सुझाव है कि सामान्य स्कूल पद्धति को परीक्षण के तौर पर स्वीकार किया जाए और अच्छी किस्म के सामान्य स्कूलों का एक जाल बिछा दिया जाए, ताकि पब्लिक स्कूलों जैसी अधिक खर्चीली संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों का रुझान खत्म हो जाए। इस द्वैध शिक्षा पद्धति को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार खत्म किया जाना चाहिए।

4. शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता न केवल सुरक्षित रखी जाए अपितु मजबूत भी बनाई जाए। इस संबंध में स्वस्थ परंपराएँ पनपने दी जाएँ। अध्यापकों को इस शिक्षा पद्धति को विनियमित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें इसके लिए जवाबदेह बनाया जाए।

5. गैर–सरकारी एजेंसियों को शैक्षणिक कार्यक्रम के अधिकार एवं शीघ्रतम विकास के लिए योगदान करने की इजाजत दी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए आयकर आदि में छूट जैसे आवश्यक प्रोत्साहन दिए जाएँ। व्यावसायिक एवं टेक्निकल शिक्षा के विकास में विद्यमान अंतर को पाटने के लिए उद्योगों को भागीदार बनने के लिए कहा जाए।

6. शिक्षा के लिए नियत राशि को बढ़ाकर समग्र राष्ट्रीय आय का 8 प्रतिशत कर दिया जाए।

7. भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन भाषाई एवं धार्मिक दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जानेवाली बहुत सारी संस्थाएँ काफी समय से चल रही हैं। इन उपबंधों के द्वारा राज्य पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि वह इन संस्थाओं में प्रचलित समुचित रोजगार की प्रथाओं संबंधी नियमों के बारे में अथवा शैक्षणिक स्तर के बारे में न्यूनतम सिद्धांत निर्धारित न कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का यह सुझाव है कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंत में एक व्याख्यात्मक खंड निविष्ट

कर दिया जाए जिसमें यह कहा गया हो कि इस अनुच्छेद के अधीन स्थापित संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा प्रशासन की योजना वही होंगी जो अन्य संस्थाओं पर लागू होती हैं।

8. भारत ने विश्व में सभ्यता के विकास के लिए जो योगदान किया है उससे प्राप्त अति समृद्ध विविध अनुभव स्कूलों के पाठ्यक्रम में समुचित रीति से आत्मसात् किए जाने चाहिए। व्यायाम प्रशिक्षण, योगाभ्यास तथा खेल आदि की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही शुरू करने के लिए योजनाएँ आरंभ की जाएँ। पर्यावरण के अध्ययन एवं जनसंख्या संबंधी शिक्षा के बिना कोई भी पाठ्यक्रम अधूरा रहेगा। एक केंद्रीय एजेंसी के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण भारतीय आचार नीति के अनुरूप नहीं है।

9. भारत अपने विकास के लिए विज्ञान के प्रयोग में किसी से पीछे नहीं रह सकता। विज्ञान की शिक्षा एवं कार्य का अनुभव स्कूल के पाठ्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अंग होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को सामान्य एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए।

10. शिक्षा संस्थाओं के प्रबंध पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है और शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार राज्यस्तरीय एवं जिला शिक्षा बोर्डों के काम में तालमेल रखने के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड का गठन किया जाए।

11. देश के सामने विद्यमान तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उच्च शिक्षा संबंधी केंद्रों को शामिल करने की नीति का अनुसरण किया जाए। विश्वविद्यालयों को वर्तमान समाज व्यवस्था की अच्छाइयों और कमजोरियों का तथ्यपरक मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

12. जहाँ कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था हो सकती हो वहाँ डिग्री को नौकरियों के लिए जरूरी होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

13. अध्यापकों के वेतन तुलनात्मक दृष्टि से उनके समान शैक्षणिक योग्यता एवं कर्तव्योंवाले सरकारी नौकरों के बराबर होने चाहिए। विश्वविद्यालयों में अधिकतम वेतन असैनिक सेवाओं के उच्चतम अधिकारियों को मिलनेवाले अधिकतम पारिश्रमिक के बराबर होने चाहिए।

14. प्रत्येक छात्र अपने आप छात्रसंघ का सदस्य बन जाना चाहिए और उसे छात्रों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की व्यवस्था से संबद्ध किया जाना चाहिए।

15. शिक्षा नीति इस सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए कि लोगों को शिक्षित होने और अपने प्रशासन को अपनी भाषा में चलाने का अधिकार है। प्रत्येक भाषाई प्रदेश में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापन के लिए

पर्याप्त व्यवस्था करना केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

संस्कृत एवं उन अन्य भारतीय भाषाओं के, जो किसी राज्य या प्रदेश की भाषा नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने भारतीय संस्कृति के निर्माण में अंशदान किया है, विकास एवं अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त सहायता देने की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि अंग्रेजों के इस देश पर कब्जा जमाने से पहले भारत में एक सशक्त शिक्षा पद्धति विद्यमान थी। लाखों विद्यालय चलते थे, जो पूर्णतया स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करते थे और उनके पाठ्यक्रमों में भारतीय विद्वत्ता की समृद्ध विविधता झलकती थी। इन ग्रामीण पाठशालाओं से भारत में उन्नीसवीं सदी में आवश्यक लेखापाल, चिकित्सक, पुरोहित एवं अन्य व्यवसाय विशेषज्ञ शिक्षा प्राप्त करके निकलते थे। उन्नीसवीं सदी का भारत बीसवीं सदी के भारत की अपेक्षा अधिक सुशिक्षित था। एक नई शिक्षा नीति को आरंभ करने से पहले इन सब चीजों का गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यदि वर्तमान रुख बना रहा तो इस शताब्दी के अंत तक विश्व के अनपढ़ लोगों का 54 प्रतिशत भारत में होगा।

इस रुझान की दिशा मोड़ने के लिए और एक ऐसे समाज की रचना करने के लिए जिसमें ज्ञान, विज्ञान एवं आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण हो, भारत के सामने एक चुनौती और अवसर दोनों ही विद्यमान हैं।

□

राष्ट्रीय परिषद्

नई दिल्ली 9-11 मई, 1986

आर्थिक नीति पर वक्तव्य-1986

भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे लोकतांत्रिक, समृद्धिशाली, प्रगतिशील, समतावादी और प्रबुद्ध भारत की कल्पना करती है जिसे अपनी विरासत पर गर्व हो तथा जिसे विश्व के महान् राष्ट्रों में अपनी समुचित भूमिका अदा करने का पूरा विश्वास हो। मानव-समाज आज एक ऐसे अभूतपूर्व विश्वव्यापी संकट से ग्रस्त है, जिसने हमारी समूची सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं और जीवन-मूल्यों को प्रभावित कर दिया है। आधुनिक मस्तिष्क इस बात से परेशान है कि विशेषज्ञों के पास विश्लेषण के उत्तम उपकरणों के बावजूद भी वर्तमान विश्व के सामने मुँह बाए खड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करने में यह निष्फल क्यों हो रहा है। लोगों में यह भावना जड़ पकड़ती जा रही है कि यह परिस्थिति सामाजिक, आर्थिक, जैविकीय अथवा भौतिक समस्याओं को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटकर देखने के कारण उत्पन्न हुई है। इस दृष्टिकोण की सीमाएँ अब अधिकाधिक अनुभव की जा रही हैं और विश्व की समस्याओं का कोई स्पष्ट निदान प्रस्तुत करने में इसकी विफलता को देखते हुए किसी नए मॉडल को खोजना जरूरी समझा जाने लगा है। अब यह अनुभव किया जा रहा है कि नया तर्कसंगत विकल्प एकात्म अथवा समग्र दृष्टि अपनाने से मिल सकता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने का सीधा परिणाम यह है कि मानवीय समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश के परस्पर संबंधों को सदा ध्यान में रखना होगा। यह विचारधारा भारतीय मानस के भी सर्वथा अनुकूल है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने भी इसे प्रतिपादित किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही यह अनुभव कर लिया था कि व्यक्ति एवं समाज में तथा मानव और प्रकृति में कोई विरोध नहीं है। वस्तुतः ये दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं और परस्पर पूरक भी। मानव-व्यक्तित्व

के विभिन्न आयामों के समुच्चय रूप चारों पुरुषार्थों की साधना से जीवन का संतुलित विकास सुनिश्चित होता है तथा ऐसे समाज का विकास संभव है जिसमें शोषण के बिना आर्थिक समृद्धि तथा उच्छृंखलता के बिना आनंद प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी यह समझती है कि यद्यपि हमें वैज्ञानिक उन्नति से बहुत-कुछ सीखना है, किंतु आधुनिक तकनीकी को उसी हद तक स्वीकार करना है जिस हद तक वह हमारी आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्रकृति के अनुकूल हो, क्योंकि केवल इसी तरीके से हम आधुनिक औद्योगीकीकरण के हानिकारक पहलुओं से बच सकते हैं और उन मूलभूल संकटों का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्होंने मानवता को परेशान कर रखा है।

संभवतः पूँजीवाद 'आर्थिक मानव' की पुरानी और घिसी-पिटी विचारधारा में आज विश्वास नहीं करता है, किंतु एक ऐसी अर्थव्यवस्था ने, जिसका एकमात्र ध्येय मुनाफाखोरी हो, जिस पर प्रतिद्वंद्विता के अतिरिक्त और कोई अंकुश न लगा हो ओर जिसमें श्रम की बचत के नाम पर मनुष्य को विस्थापित किया जा रहा हो, एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है जो विसंगतियों एवं शोषणों से भरपूर है। कम्यूनिज्म पूँजीवाद की बुराइयों के प्रतिक्रियास्वरूप पैदा हुआ, किंतु उसने भी केवल मालिकों को ही बदला।

कोई भी ऐसी व्यवस्था, जिसके द्वारा आर्थिक शक्ति को थोड़े से हाथों में केंद्रित होने में मदद मिलती हो—चाहे वे हाथ व्यक्तियों के हों अथवा राज्य के अधिकारियों के—और जो मनुष्य को मशीन का एक ऐसा पुरजा मात्र बनाकर रख देती हो जिससे उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता हो, भारतीय मानस को स्वीकार नहीं है।

स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के अनेक पहलुओं के बारे में गांधीजी के विचार पूर्णतया उपयुक्त हैं। उन्होंने विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था तथा लोकतंत्र के महत्त्व पर बल दिया था। उन्होंने 'अंत्योदय' के 'दर्शन' का प्रतिपादन किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी एक ऐसी प्रणाली विकसित करना चाहते थे जिसमें अत्यधिक विकेंद्रित राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की स्थापना में लोकसत्ता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करे। चारों पुरुषार्थों के सिद्धांत पर आधारित पं. दीनदयाज जी के एकात्म मानववाद में भी समाज द्वारा नियमित ऐसी विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था, एकात्म मानववाद और गांधीवादी समाजवाद एक ही विचारधारा की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। केवल इसी विचारधारा पर आधारित किसी समाज-व्यवस्था से ही रोटी-रोजी, स्वतंत्रता और समानता की बुनियादी आवश्यकताएँ सुनिश्चित रूप से पूरी हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि गरीबी और बेरोजगारी मानव

की स्वतंत्रता में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किए बिना दूर की जा सकती हैं। हमारी पार्टी-संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित आर्थिक उद्देश्यों को संविधान द्वारा नागरिकों के लिए प्रत्याभूत मूल अधिकारों का हनन अथवा उनमें किसी प्रकार का ह्रास किए बिना प्राप्त करने का वायदा करती है।

उपाय

भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी आर्थिक एवं विकास-संबंधी नीति गांधीजी तथा दीनदयालजी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ाना और विकसित करना है। राष्ट्रीय आर्थिक नीति की ज्वलंत समस्याओं पर सावधानी से पुनर्विचार करने के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित स्थापनाएँ एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत करती है—

भारतीय जनता पार्टी की राय में भारत द्वारा अपनाए गए किसी भी आर्थिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण आधार को मजबूत बनाकर पूर्ण रोजगार, एवं गरीबी हटाना तथा स्वदेशी की भावना को पुनः जाग्रत करना होना चाहिए। हमारी पार्टी किसानों, विशेष रूप से सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और बँधुआ मजदूरों के सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने का प्रबल समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि देश का शीघ्र और संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए सभी आर्थिक तथा विकास संबंधी गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी काले धन की विभीषिका, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला बना रही है, को समाप्त करने तथा आसमान छूनेवाली मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए कठोर उपाय बरतने की आवश्यकता पर बल देती है। वितरण में न्याय को गतिशील करने हेतु क्षेत्रीय तथा आमदनी की विषमताओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत दूर किया जाना जरूरी है। हमारी पार्टी राष्ट्र को भुगतान-संतुलन के बढ़ते हुए घाटे और ऋण के फंदे में फँस जाने के खतरे के प्रति सचेत करना चाहती है, क्योंकि इनका दुष्प्रभाव आत्मनिर्भरता के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न कर देगा। भारतीय जनता पार्टी विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के लाभों को गरीबों की दहलीज तक पहुँचाना चाहती है तथा एक जनकल्याणी एवं प्रदूषण-रहित उपयुक्त टेक्नोलॉजी के विकास पर बल देना चाहती है।

गरीबी की समस्या और इसका व्यापक रूप

सरकार ने एन.एस.एस. के आँकड़ों (38वाँ चक्र) के आधार पर यह दावा किया है कि 1984-85 में गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवालों की संख्या घटकर 27 करोड़ 30 लाख, अर्थात् कुल आबादी का 37 प्रतिशत, हो गई है। यह वस्तुतः बड़ी अजीब बात है कि छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में बताया

गया था कि गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों की संख्या 1979–80 के 33 करोड़ 90 लाख से घटकर 1981–82 में 28 करोड़ 20 लाख रह गई है। इस दावे को स्वर्गीय प्रो. राजकृष्ण और प्रोफेसर एस. तेंदुलकर जैसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों ने गंभीर चुनौती दी थी और यह समझा जाता था कि अत्यधिक उदार अनुमानों के अनुसार भी गरीबी की रेखा को पार करनेवालों की संख्या 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक होगी। अतः अर्थशास्त्रियों का यह कहना था कि 1981–82 में गरीबों की संख्या योजना आयोग के दावों के अनुसार 41.5 प्रतिशत अथवा 28 करोड़ 20 लाख की बजाय 46.5 प्रतिशत अथवा 22 करोड़ 90 लाख होगी। इस बात की पड़ताल करना संभव हो सका था, क्योंकि योजना आयोग ने उन धारणाओं का उल्लेख किया था जिनके आधार पर गरीबी में कमी होने के अनुमान लगाए गए थे। लेकिन सातवीं योजना में, जिसमें इस बार ज्यादा सतर्कता बरती गई है, केवल यह कहा गया है कि 1977–78 में 30 करोड़ 70 लाख गरीबों के मुकाबले 1884–85 में उनकी संख्या घटकर 27 करोड़ 30 लाख रह गई है, अर्थात् इसमें 3 करोड़ 40 लाख की कमी आई है और गरीबी का अनुपात घटकर 37 प्रतिशत हो गया है जबकि मध्यावधि मूल्यांकन में 1969–70 में गरीबों की संख्या 33 करोड़ 90 लाख मानी गई थी। किंतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1977–78 के उन आँकड़ों को लिया गया है, जिनसे 1981 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर बाद में मध्यावधि मूल्यांकन द्वारा संशोधन कर लिया गया था। यदि हम मान भी लें कि 1979–80 में गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों की संख्या 33 करोड़ 90 लाख थी और यह भी मान लें कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हर साल औसतन 50 लाख लोगों ने गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों की संख्या 31 करोड़ 40 लाख थी, वह 27 करोड़ 30 लाख नहीं थी, जैसा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि हम गरीबों की आबादी में शून्य प्राकृतिक वृद्धि की दर भी मान लें तो भी कुल आबादी का 42.6 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे रहता है। यह भी वास्तविक अनुमान से कम है। यदि गरीबी को आँकड़ों की हेराफेरी से कम किया जा सके तो योजना आयोग बड़े आराम से अपनी उपलब्धियों पर डींगें मार सकता है।

बेरोजगारी—एक विकट समस्या

बेरोजगारी की स्थिति में सुधार के बारे में योजना आयोग के दावे को भी छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की पृष्ठभूमि में देखना होगा जिसमें यह कहा गया है कि—

"योजना के प्रथम दो वर्षों में रोजगार के लगभग 1 करोड़ 20 लाख मानक व्यक्ति वर्षों के रोजगार के सृजन का अंदाजा लगाया गया है, जोकि योजना के समस्त रोजगार लक्ष्य का लगभग 34 प्रतिशत होता है। इससे इस क्षेत्र में कुछ कमी

का आभास होता है···इसके अतिरिक्त वर्ष 1982–83 में वृद्धि में और कमी होने की आशंका है, जिसका मुख्य कारण फसल का खराब होना है। इस सबको ध्यान में रखते हुए 1982–83 में योजना के रोजगार लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण कमी होने की आशंका है।

परंतु छठी पंचवर्षीय योजना के पुनरीक्षण से, जो कि सातवीं योजना के दस्तावेज में किया गया है, पता लगता है कि रोजगार का लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य से भी ज्यादा पूरा हो गया है, यहाँ तक कि बेरोजगारी का लक्ष्य पूरा करने में पहले जो कमी हो गई थी उसको भी कुछ हद तक खत्म कर दिया गया है। सातवीं योजना के अनुसार—

"जहाँ तक रोजगार के सृजन की व्यवस्था का संबंध है, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 3 करोड़ 90 लाख मजदूरों को काम दिलाने का जो अंदाजा लगाया गया था, उसके विपरीत सातवीं योजना में यह अंदाजा लगाया गया है कि 4 करोड़ 3 लाख 60 हजार मानक व्यक्ति वर्षों के अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सकेगा। इस प्रकार से योजना के अंत में बेरोजगारों की कुल संख्या, आरंभ में जितनी उनकी संख्या थी उससे भी कम हो जाएगी।"

दो साल के अंदर 1982–83 में महत्त्वपूर्ण कमी की आशंका के स्थान पर 1984–85 में लक्ष्य से भी आगे बढ़ने की छलाँग किसी की समझ में नहीं आ सकती। इस बात की पुष्टि रोजगार दफ्तरों के आँकड़ों से भी होती है जो बताते हैं कि 1985–86 की पहली छमाही में इन दफ्तरों में पंजीकरण की दर औसत 7.65 प्रतिशत रही, और यह तब हुआ जबकि जनशक्ति नियोजन की निगरानी करने के लिए अतिरिक्त पूँजी–विनियोग के साथ मानव–संसाधन विकास मंत्रालय नामक नए मंत्रालय की स्थापना हो चुकी है।

सितंबर 1985 में कुल 2 करोड़ 56 लाख 50 हजार लोगों ने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराए जबकि सितंबर 1984 में 2 करोड़ 35 लाख 20 हजार ने ही अपने नाम दर्ज कराए थे। इसके मुकाबले सितंबर 1985 में 64000 रिक्तियों की सूचना दी गई जबकि सितंबर 1984 में केवल 55000 रिक्तियों की सूचना दी गई थी। इनमें से केवल 50 प्रतिशत रिक्तियों को ही वस्तुतः भरा जा सका। इस भयंकर स्थिति को देखते हुए यह दावा करना कि बेरोजगारी घट रही है, मूर्खों वाली बात करना होगा।

निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति

एक बहुत ही गंभीर समस्या, जिसका दुष्प्रभाव हमारे समाज के लाखों गरीब और निम्न–मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन पर पड़ता है, निरंतर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की है। सरकार का यह कहना कि मुद्रास्फीति को काबू में कर लिया गया है, हाल में की गई नियंत्रित मूल्यों (administered prices) में वृद्धि को

नजरअंदाज करके जनमानस को दिग्भ्रमित करना है। कोयला, अनाज, उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों और बस के भाड़े में की गई वृद्धि का जनसाधारण पर बहुत गहरा असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त पैट्रोलियम पदार्थों में की गई वृद्धि पूरी तरह अन्यायपूर्ण है, क्योंकि सारी दुनिया में पैट्रोलियम की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। सरकार की यह चाल, कि पहले तो कीमतें काफी बढ़ा दो और बाद में उनमें थोड़ी सी कमी कर दो, एक धोखाधड़ी मात्र है। इसी प्रकार से अनाज के निर्गम मूल्यों में की गई वृद्धि, जो कि खरीद मूल्य में की गई वृद्धि से भी कहीं ज्यादा है, अत्यधिक अन्यायपूर्ण है। सरकार का पब्लिक सैक्टर के एकाधिकार की स्थिति से लाभ उठाकर उसमें बनी चीजों की कीमतों को बढ़ाना और इस प्रकार के उपक्रमों को चलाने में होनेवाली प्रशासनिक अकुशलता को लोगों पर थोपना अत्यधिक शोषणकारी है। पामोलिन, जो देश में 6 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से आती है, 14 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेची जाती है। सीमेंट जो 25 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से आयात किया जाता है, 60 रुपए से भी ज्यादा प्रति बोरी के हिसाब से बेचा जाता है। चीनी जो 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी जाती है, यहाँ 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ग्राहकों को दी जाती है। गेहूँ के खरीद मूल्य में जो 5 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, उसके मुकाबले उपभोक्ता से 210 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत वसूल की जाती है। इस सबसे सरकार को इस वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। अतः यह आवश्यक है कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार-प्रथाएँ अधिनियम (एम. आर.टी.पी.ए.) के उपबंध इन सरकारी उपक्रमों पर भी लागू किए जाएँ, जैसा कि सच्चर कमेटी ने सुझाव दिया था।

कांग्रेस (इ) की नई आर्थिक नीति और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव

सरकार की आर्थिक नीति द्वारा आधुनिकीकरण और नवीनतम टैक्नोलोजी के प्रयोग के नाम पर विकास के ढाँचे में एक अत्यधिक पूँजी-गहन व्यवस्था को लाया जा रहा है। यद्यपि भारी उद्योगों, मशीन टूल्स तथा इंजीनियरिंग उद्योग में उत्पादन की प्रणालीवाले कतिपय क्षेत्रों में लागत को कम करने तथा नई तकनीक को लाने के लिए आधुनिकीकरण और नई टैक्नोलोजी का प्रयोग आवश्यक होगा, किंतु इसके अंधाधुंध प्रयोग से (1) आयात के उदारीकरण में आँख मूँदकर 'खुले दरवाजे' की नीति को अपनाने से, 1985-86 में व्यापार के भुगतान संतुलन में 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का भयंकर घाटा पड़ गया है, जो कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की अवधि में घाटे का एक कीर्तिमान है।

आधुनिकीकरण और उच्च तकनीकी को प्रोत्साहन देने के नाम पर सरकार की आयातों के अंधाधुंध उदारीकरण नीति का यह परिणाम हुआ है जिसे आमतौर

पर 'पेचकश औद्योगीकरण' के नाम से जाना जाता है। अंधाधुंध आयात की उदारीकरण नीति से वहीं छलाँग तो क्या, मेढक की छलाँग भी नहीं लगी है। सरकार को सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने का जो अनियंत्रित अधिकार मिला हुआ है उसकी वजह से देश पर सार्वजनिक ऋण का एक लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कुल सार्वजनिक ऋण लाद दिया गया है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सरकार की कुल आस्तियाँ ऋण तथा जमा राशि से उत्पन्न होनेवाले इसके कुल दायित्वों से कहीं कम हैं। अतः सरकार को अच्छी सलाह की ओर ध्यान देकर देश को भुगतान-संतुलन के और घाटे से बचाने के लिए कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही आयात के उदारीकरण की नीति जारी रखनी होगी अन्यथा देश ऋण के फंदे में फँस जाएगा अथवा इसे अपमान सहकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आई. बी. आर. डी., आई. डी. ए. के सामने किसी बड़े कर्जे के लिए हाथ फैलाने होंगे अथवा रुपए के एक और अवमूल्यन की घोषणा करनी पड़ेगी।

नई आर्थिक नीति में टैक्नोलोजी को उच्च बनाने की प्रक्रिया को ध्येय मान लिया गया है, किंतु उसमें इस बात को समझने की कोशिश नहीं की गई कि आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास का अंतिम लक्ष्य ऐसी स्थिति पैदा करना है जिसमें मानव के व्यक्तित्व का पूर्णतया विकास हो सके। इसके लिए स्वाभाविक रूप से यह आवश्यक है कि विकास की नीतियों के साथ गरीबी को हटाने और रोजगार पैदा करने की नीतियों में सामंजस्य रखा जाए। यदि विज्ञान के साथ-साथ निरंतर कीमतें चढ़ती जाएँ। (छठी योजना में मूल्यों में कुल वृद्धि 45 प्रतिशत रही) जैसा कि अब तक हुआ है, यहाँ तक कि तथाकथित सफल छठी योजना के दौरान भी यही हुआ है, तो इसके फलस्वरूप अमीर ज्यादा अमीर हो जाएँगे और गरीब ज्यादा गरीब।

यद्यपि सरकार ने 1985-86 के बजट में प्रत्यक्ष करों में काफी कमी की घोषणा की थी, किंतु इससे बजट के संशोधित अनुमानों में घाटे में कोई विशेष कमी नहीं हुई। इसके बजाय 1985-86 के बजट में रखा गया 3316 करोड़ रुपए का घाटा संशोधित अनुमानों में बढ़कर 4490 करोड़ रुपए हो गया। 1986-87 में इससे एक कदम और आगे बढ़कर 3560 करोड़ रुपए के घाटे की अर्थव्यवस्था की योजना बनाई जा रही है। घाटे की अर्थव्यवस्था का निरंतर आश्रय लेने के फलस्वरूप मुद्रास्फीति की आग और भड़क उठती है। यद्यपि कर-राजस्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसी अनुपात में गैर-योजना खर्च को कम करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

असह्य गरीबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और चढ़ती हुई कीमतों के कुचक्र को आर्थिक नीति और उसके ढाँचे में कठोर परिवर्तन करके तोड़ना होगा। नई नीति का बुनियादी लक्ष्य पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, अधिकांश जनसंख्या को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना और मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना होना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है और इसे निम्नलिखित नीतियाँ अपनाकर रोका जाना चाहिए—

1. धन की पूर्ति की वृद्धि की दर को वार्षिक विकास दर के अनुपात में सख्ती से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जब कभी ऋण पर प्रतिबंध लगाए जाएँ तो ये पाबंदियाँ गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू होनी चाहिए।
2. लगातार कई वर्षों तक घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेने के पश्चात् अब यह जरूरी हो गया है कि कुछ वर्षों तक संतुलित बजट बनाए जाएँ। अधिकांश घाटा सरकार द्वारा अधिक फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार, विशेष रूप से, गैर-विकास संबंधी खर्च की वजह से होता है। अतः किसी अत्यावश्यक अथवा उत्पादनशील गतिविधि को नुकसान पहुँचाए बिना खर्च से समग्र रूप से 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है, और अवश्य की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार को एक व्यय आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए जो राज्य के व्यय की योजना एवं गैर-योजना दोनों तरह की विभिन्न परियोजनाओं की लागत में होनेवाली वृद्धि के कारणों की जाँच करे और उन्हें कम करने के उपाय सुझाए। यह केवल घूसखोरी को कम करके, विभिन्न मंत्रालयों में अधिक तालमेल लाकर, समय-सीमा का कठोरता से पालन करके और पंचतारा संस्कृति के स्थान पर गांधीवादी स्वदेशी की नीति को अपनाकर ही किया जा सकता है। अस्थायी तौर पर कुछ लोगों को हटाकर, कुछ टेलीफोनों की कमी आदि करके सरकार द्वारा अपनाई गई बनावटी नीति खर्च को कम करने में बुरी तरह विफल रही है।
3. हमें रोजगार बढ़ाने और ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाने के लिए तैयार माल का अधिक-से-अधिक और कच्चे माल का कम निर्यात करना चाहिए। आपूर्ति-प्रबंध को व्यवस्थित करने की संगठित योजना द्वारा देश को हमेशा से चले आनेवाले अभावों से मुक्त किया जा सकता है।
4. अंत में देश में अल्प-आयवाले उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकता की चीजें उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण-प्रणाली का विस्तार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में अनाज, दालें, तेल, मिट्टी का तेल, नमक, चीनी आदि मुहैय्या करने के लिए उचित मूल्य की और दुकानें खोली जाएँ। इस प्रकार की चीजों की पूर्ति का अल्प-आयवाले वर्गों के लिए राशन कर देने से, जो कि इस समय आय का ध्यान रखे बिना समाज के सभी वर्गों को आँख मूँदकर

उपलब्ध कराई जाती हैं, राज-सहायता को कमर कसने में भी मदद मिलेगी।

5. इन नीतियों से और विशेष रूप से संतुलित बजट एवं निर्यात पर आवश्यक प्रतिबंध लगाकर मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सकता है।

विकास

कृषि क्षेत्र

भारत गाँवों में बसता है जहाँ इसकी 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समस्याएँ सीधे कृषि-क्षेत्र की अभिवृद्धि और विकास पर निर्भर करती हैं। जब तक कृषि एवं कृषि-आधारित उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान एक मृगतृष्णा ही बना रहेगा। इन क्षेत्रों पर बल देकर ही भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। कृषि का विकास भारत के विकास का पर्यायवाची है।

1983-84 के बाद के तीन वर्षों में अनाज का उत्पादन जहाँ का तहाँ ठहरा हुआ है और 1983-84 में प्राप्त किए गए 15 करोड़ 20 लाख टन के लक्ष्य को पार नहीं कर सका है। हरित क्रांति को मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा जैसे नए क्षेत्रों में फैलाने की जरूरत है जो कृषि के विकास में पिछड़े हुए हैं। मोटे अनाजों को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए, जिनके उत्पादन के बारे में हमारी प्रगति काफी धीमी रही है।

अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता को बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि खेती के काम में आनेवाली चीजों में वृद्धि की दर को कायम रखा जाए। किंतु हमें इस प्रकार के खतरे के प्रति सावधान रहना चाहिए कि कहीं विदेशी लोग अपने हितसाधन के लिए हमारे देश में अपना हानिकारक माल न पटक दें और भारतीय किसान की मेहनत का फल स्वयं न हड़प लें।

किसानों को अपनी सभी फसलों की निश्चित रूप से लाभप्रद कीमतें मिलनी चाहिए जिससे उनकी पूरी उत्पादन-लागत वसूल हो जाए, जोकि सभी बातों, जैसे खेती में काम आनेवाली चीजें, जीवन-निर्वाह निदेशांक आदि, का ध्यान रखकर तय की जाती हैं। सरकार को बड़े पैमाने पर उनकी खरीद करनी चाहिए और इसकी व्यवस्था इतनी कुशल होनी चाहिए जिससे कि सभी किसानों, खास तौर से छोटे किसानों को उचित मूल्य की गारंटी हो और उन्हें बाध्य होकर कौड़ियों के मोल अपनी फसल न बेचनी पड़े। कृषिजन्य वस्तुओं के अंधाधुंध आयात को निरुत्साहित करना चाहिए जिससे स्वदेश में उत्पादन को हानि न पहुँचे।

छोटे और सीमांत किसानों को सस्ती दरों पर खेती के काम आनेवाली चीजें उपलब्ध कराई जाएँ जिसमें कम ब्याज पर ऋण भी शामिल है। इससे कृषि उत्पादन

को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषक गरीबी की रेखा से ऊपर भी उठ जाएँगे।

यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी लागू करने का कोई भी प्रयत्न तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और छद्म बेरोजगारी बनी रहेगी। न्यूनतम मजदूरी को लागू करने की कुंजी प्रशासनिक कार्यान्वयन में निहित नहीं है, अपितु फसल की सघनता को बढ़ाकर और कृषि-भिन्न क्षेत्र में विकेंद्रित ग्रामीण उद्योगों को फैलाकर अधिक रोजगार पैदा करके प्राप्त की जा सकती है।

कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर एक नई व्यापक संस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें विशेषज्ञ तथा किसानों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हों। सभी बड़ी-बड़ी फसलों के समर्थन मूल्य, उत्पादन लागत व्यय को ध्यान में रखकर तथा किसानों को उचित लाभ की सुनिश्चित व्यवस्था करवाकर, फसल बोने से बहुत पहले ही घोषित कर दिए जाने चाहिए।

पशु एवं फसल बीमा योजना की व्याप्ति एवं क्षेत्र को शनैः-शनैः बढ़ाया जाए। अधिकाधिक भूमि में लघु सिंचाई के लिए नदियों और नालों के किनारे बिजली की व्यवस्था की जाय।

संविधान में निर्धारित गोरक्षा एवं गोसंवर्धन तथा पशुपालन की नीति को दुग्धशालाओं के विकास तथा पशु-पालन की उन्नति के लिए कार्यान्वित किया जाए जिससे देश में श्वेत-क्रांति लाई जा सके।

कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास

यह कैसी विडंबना है, और कितना भयावह भी, कि एक तरफ तो देश में अनाज का भंडार जमा होता जा रहा है और दूसरी तरफ लाखों लोग भूखे पड़े रहते हैं। यह विसंगति बढ़ते हुए ग्रामीण और शहरी द्वंद्व की द्योतक है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों को उद्योगों से वचित रखा जा रहा है और शहरों का धड़ाधड़ उद्योगीकरण किया जा रहा है। उपभोग की वस्तुओं के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक पूँजी लगाने की जड़ में यही द्वैत भाव विद्यमान है।

अकेले खेती में ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाली संपूर्ण फालतू आबादी को काम पर नहीं लगाया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में कृषि-भिन्न व्यवसायों की व्यवस्था न करने से हम केवल गरीबी, बेरोजगारी और नगरों की ओर पलायन की समस्या को और अधिक बढ़ा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें अधिक पूँजीवाले उद्योगों के बजाय ऐसे उद्योगों को अपनाना होगा जिसमें अधिक मजदूरों को काम मिल सके। उच्च लागतवाली टैक्नोलोजी की निर्बाध रूप से वृद्धि उस द्वंद्व को और बढ़ाएगी। अतः इस समय पूँजी-प्रधान उत्पादन-प्रणाली के स्थान पर कम लागतवाले कृषि उद्योगों के जाल को तेजी से फैलाने की आवश्यकता है। कृषि और उद्योग में लगी पूँजी में असंतुलन के अतिरिक्त समाज-सेवाओं पर

लगाई गई कुल पूँजी का 80 प्रतिशत से अधिक शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है और बेचारे ग्रामीण गरीबों को उनके उचित हिस्से से वंचित रखा जा रहा है। अतः सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे के विकास पर लगाई जानेवाली राष्ट्रीय पूँजी की संपूर्ण व्यवस्था को कठोरता से नया रूप देने की आवश्यकता है।

यदि ईमानदारी से निम्नलिखित नीतियाँ अपनाई जाएँ तो न्यायपूर्ण वितरण को अधिक तेजी से लाया जा सकता है।

1. फालतू भूमि, जिसका लगभग 55 लाख एकड़ क्षेत्र के रूप में पहले ही पता लगाया जा चुका है, एक विस्तृत व्यवस्था के माध्यम से अधिकतम तीन वर्षों में भूमिहीनों को वितरित कर दी जाए। कानूनी और प्रशासनिक खामियों को दूर करके और अधिक फालतू जमीन का पता लगाया जाए।
2. जमीन को जोतनेवाले सभी लोगों को जमीन के स्वामित्व का पट्टा दे दिया जाए, जिससे उन्हें उस भूमि का मालिकाना हक मिल जाए जिसे कि वे जोतते हैं। यह कार्य सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थान पर ही जाकर पूछताछ करने के आधार पर जल्दी किया जाए। इस तरह आजकल जमीन को जोतनेवाले सभी काश्तकारों का पता लगाकर उन्हें अधिकतम तीन वर्ष के भीतर जमीन का मालिक या पट्टेदार काश्तकार बनाया जा सकता है। हर साल के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए।
3. किसानों द्वारा लगाए गए सभी निजी नलकूपों को बिजली देकर छह महीने के अंदर चालू कर दिया जाए। इन कामों के लिए अपेक्षित बिजली सुरक्षित रखी जाए। सभी अंतरराज्यीय जल-विवाद शीघ्रता से निपटा लिये जाएँ।
4. अधिकतम खेतों को सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तथा उपलब्ध जल का समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जाए। बारानी खेती के नए-नए तरीके निकाले जाएँ।
5. भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी भूमि सुधार लागू करने के लिए खंडस्तरीय समितियों और न्यायाधिकरणों की नियुक्ति की जाए, जिसमें काश्तकारों और भूमिहीन श्रमिकों का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो।
6. भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण गरीबों को संगठित करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। न्यायपूर्ण वितरण में तेजी लाने के लिए ग्रामीण मजदूरों की रक्षा हेतु वैधानिक उपाय किए जाएँ।
7. संस्थागत ऋण में छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और कारीगरों का हिस्सा एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत शनैः-शनैः बढ़ा दिया जाए।
8. भावी रोजगार कार्यक्रम की बुनियादी योजना के रूप में अगले 10 वर्षों के भीतर सातवीं और आठवीं योजनाओं द्वारा देश के सभी प्रदेशों में

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। सभी खंडों के लिए कुशलतापूर्वक पूर्ण रोजगार योजनाओं को तैयार करने हेतु सभी जिलों और खंडों में तकनीकी एवं आर्थिक परियोजना निर्माण ब्यूरो की स्थापना की जाए। यह योजना अंत्योदय के नमूने पर विशेष रूप से प्रत्येक निर्धन को एवं अल्प-रोजगारवाले परिवार पर लागू हो।

9. ज्यों ही किसी खंड के लिए पूर्ण रोजगार की कोई योजना तैयार हो जाती है और उसे स्वीकृति मिल जाती है, त्यों ही वहाँ पर काम की गारंटी की घोषणा कर दी जाए।
10. कलक्टरों (जिला विकास अधिकारियों) और/अथवा निर्वाचित निकायों को पूर्ण रोजगार की जिला एवं खंड स्तरीय योजनाओं को तैयार करवाने और उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन तथा अधिकार दिए जाएँ।
11. प्राथमिक ढाँचे और समाज-सेवा की निम्नलिखित चीजों को प्राप्त करना, जो राज्य द्वारा मुहैय्या की जाती हों अथवा जिनके लिए राज-सहायता दी जाती हो, ग्रामीण एवं शहरी समुदायों का और विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों और शहरी मलिन बस्तियों में रहनेवाले समुदायों का पहला हक माना जाए :
    (क) पर्याप्त एवं स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था।
    (ख) ऊर्जा (बिजली, लकड़ी, कोयला, बायोगैस और/ अथवा डीजल, मिट्टी का तेल)।
    (ग) बारहमासी पक्की सड़कें।
    (घ) आरामदेह नागरिक परिवहन।
    (ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार-नियोजन का ज्ञान, आपूर्ति एवं सेवाएँ।
    (च) व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने और गरीबों को वर्तमान अन्यायों, उनके हकों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करने के लिए साक्षरता एवं अनवरत अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था।
    (छ) सफाई, जिसमें कूड़े-करकट गंदगी को यांत्रिक विधियों द्वारा ढककर ठिकाने लगाया जाए और उनका दोबारा उपयोग किया जाए।
    (ज) गरीबों के लिए आवास-व्यवस्था।
12. भारतीय जनता पार्टी औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास, कृषि संबंधी सेवाओं एवं देश की आवास समस्याओं के समाधान के लिए सहकारिता सिद्धांत को स्वीकार करती है। यह विशेष रूप से दुग्ध-उत्पादन, ग्रामीण ऋण तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के क्षेत्रों में सहकारिता की कार्यकुशलता मे विश्वास करती है। किंतु इस आंदोलन को भ्रष्टाचार, तीव्र निहित स्वार्थों, और अनावश्यक सरकारी पक्षपात से मुक्त रखना

होगा तथा सच्चे अर्थों में स्वयंसेवी और आत्मनिर्भर बनाना होगा।

13. बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों से प्रतिवर्ष ग्रामीण लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए अपने धन का कुछ हिस्सा खर्च करने के लिए कहा जाए। सरकार को इस संबंध में पथ-प्रदर्शक सिद्धांत तैयार करने चाहिए।
14. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी ऋणों, नौकरियों और शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणात्मक अवसर प्रदान कराने के लिए महिलाओं (और/अथवा महिला-प्रधान संस्थाओं), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाए।

औद्योगिक क्षेत्र

नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं, कंप्यूटरों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में उत्पादन को प्रोत्साहित करती है जो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयरकंडीशनर, कंप्यूटर तथा अन्य सुख-सुविधाएँ प्रदान करनेवाले यंत्रों के रूप में समाज के अधिक संपन्न वर्गों को पूरा करते हैं। इस नीति से (1) उपभोग की ऐसी चिरस्थायी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, जो संपन्न वर्ग की माँगों को अधिकांशतया पूरा करते हैं, (2) इससे हमारे औद्योगिक उत्पादन का अंश भी बढ़ गया है और इस प्रकार हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं, (3) इससे हमारे उद्योंगों के ऐसे क्षेत्रों में भी जो किसी भी रूप में अत्यावश्यक नहीं कहे जा सकते, अंधाधुंध विदेशी सहयोग को अनावश्यक प्रोत्साहन मिला है, तथा (4) इसके द्वारा इस देश की आम जनता के लिए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा की गई है। इन नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करके उन्हें देश की आम जनता के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। अतः हमारा यह सुझाव है कि—

1. विकेंद्रीकृत औद्योगीकरण

   भारत के विकास को सभी आर्थिक एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों के विकेंद्रीकरण से बहुत लाभ हो सकता है। यद्यपि राज्य को एक पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, किंतु राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से असली सत्ता लोगों के हाथों में पहुँचेगी जिससे विकास की बाधाएँ दूर होंगी तथा कार्यकुशलता में सुधार होगा। औद्योगिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण से, जहाँ कहीं व्यावहारिक हो, राज्य अथवा निजी व्यक्ति के एकाधिकार का प्रभुत्व कम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप संसाधनों का क्षरण घटेगा और उनका अधिक अच्छा उपयोग हो सकेगा। उद्योगों के विकेंद्रीकरण से प्रदूषण का प्रभाव घटेगा, शहरीकरण में कमी आएगी और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में लगनेवाली वास्तविक लागत की मात्रा कम हो जाएगी।

2. गरीबों की सेवा के लिए उच्च तकनीकी

गत 15 वर्षों में उच्च तकनीकी के लाभ अधिकांशतया अमीरों ने हड़प लिये हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आधुनिकीकरण और टैक्नोलोजी को ऊँचा उठाने के नाम पर 21वीं सदी में प्रवेश करने के नारे से इस प्रवृत्ति को अधिक बल मिला है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति को बिना रोक-टोक जारी रहने दिया गया तो कुछ थोड़े से भाग्यशाली लोग ही 21वीं सदीं में प्रवेश कर सकेंगे, किंतु अधिकांश लोगों की ऐसी अधोगति होगी और उन्हें ऐसा घोर दारिद्र्य भोगना पड़ेगा जो 19वीं सदी की याद ताजा कर देगा। उच्च टैक्नोलोजी के तरीकों, सामग्री और यंत्रों ने हाल में इतनी उन्नति की है कि अब पहले की अपेक्षा यह अधिक संभव हो गया है कि उच्च तकनीकी का गरीबों की सेवा के लिए प्रयोग किया जा सके। अब आधुनिकीकरण के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों तथा गरीबों के जीवन में पहुँचने के लिए उच्च तकनीक द्वारा अल्पसुविधा-प्राप्त लोगों के लिए ऊर्जा, संचार-साधन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उनकी उत्पादकता और काम के तरीकों को सुधारा जा सकता है जिससे उनकी मजदूरी और आमदनी बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि यह केवल तभी किया जा सकता है जब अमीरों के फायदे के लिए प्रयोग की जानेवाली मोहक उच्च तकनीक (उदाहरणार्थ कार, टेलीफोन, कैसेट और वीडियो) की लीक से हटकर ऐसी उच्च तकनीक को अपनाएँ जो गरीबों की सेवा के लिए काम में लाई जा सके, जैसे विकेंद्रीकृत उत्पादन-प्रणाली के लिए छोटी-छोटी मशीनें बनाई जा सकें, नई सामग्री और टैक्नोलोजी के आधार पर उन्नत किस्म के औजार तैयार किए जा सकें और विकेंद्रीकृत ऊर्जा के स्वतंत्र संसाधन जुटाए जा सकें।

3. उद्योग नीति को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक बल देना चाहिए, जो मजदूरी कमाने में सहायक हों। इस संबंध में पहले सरकार द्वारा जनता कपड़ा तैयार करने का सारा बोझ राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर डालने और बाद में उसे हथकरघा क्षेत्र को सौंप देने की नीति को बदलकर निजी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी मिलों को जनता कपड़ा तैयार करके अपनी सामाजिक जिम्मेवारी पूरा करने के लिए कहा जाना चाहिए। इस कपड़े में कृत्रिम रेशों से बना सस्ती कीमत का कपड़ा तैयार करना भी शामिल है।
4. विदेशी सहयोग केवल सामाजिक एवं बहुत उच्च कोटि की उत्पादन-प्रणालीवाले क्षेत्र तक ही सीमित रखने की इजाजत होनी चाहिए।
5. कंप्यूटरीकरण की गति धीमी कर देनी चाहिए और इसे केवल उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों तक ही सीमित रखना चाहिए तथा इसे अंधाधुंध

प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन एवं संचालन—
सार्वजनिक क्षेत्र में लगी अधिकांश पूँजी पर आय की दर बहुत कम है। यह विशेष रूप से राज्य क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के बारे में, खासतौर से राज्य बिजली बोर्डों, सिंचाई विभागों और राज्य सार्वजनिक परिवहन के बारे में, सच है। सरकार इन उद्योगों द्वारा लाभ दिखाने के लिए इनके द्वारा तैयार किए जानेवाले माल और दी जानेवाली सेवाओं के नियंत्रित मूल्यों को बढ़ाने की नीति का अनुसरण करती है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकुशलता का परिणाम 'ऊँची कीमतों' के रूप में लोगों को चुकाना पड़ता है। अब समय आ गया है कि उपभोक्ताओं पर इस प्रकार के 'अप्रत्यक्ष करारोपण' के तरीके को समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए—

(क) सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों का प्रबंध अधिक स्वायत्तशासी और व्यावसायिक बना दिया जाए। इनमें नौकरशाही तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम-से-कम कर दिया जाए।
सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबंध-व्यवस्था का व्यवसायीकरण किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के लिए व्यावसायिक प्रबंधक कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण और विनियोजन के लिए 'भारतीय प्रबंध सेवा' नाम से एक केंद्रीय सेवा बनाई जाए। इन्हें नियत अवधि के लिए नियुक्त किया जाए, जिससे यदि उनका कार्य अच्छा हो तो उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ख) उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में प्रबंध का काम स्वदेशी फर्मों को एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाना चाहिए।

(ग) आयुध उपकरण के उत्पादन को छोड़कर शेष में सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों को बनाए रखने की एक तर्कसंगत नीति अपनाने की आवश्यकता है जिससे कि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के कारखाने सभी लोगों के लिए निम्नतम संभव लागत पर बढ़िया किस्म की चीजें और सेवाएँ भरपूर मात्रा में प्रदान कर सकें। उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के सभी संभव प्रयत्न किए जाएँ। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अधिक कार्य-कुशलता से चलाने की भरसक कोशिश की जाए जिससे वे अर्थव्यवस्था के और विकास के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन पैदा कर सकें।

(घ) गैर-सरकारी और सरकारी कारखानों पर कुछ सामान्य एवं न्यूनतम आवश्यक सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। आर्थिक गतिविधि के विभिन्न स्तरों पर ऐसे नौकरशाही एवं प्रशासनिक नियंत्रणों को

खत्म कर देना चाहिए जिनसे भ्रष्टाचार स्थायी बन जाता हो। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को कुटीर, लघु एवं बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में पुनः बाँटे जाने संबंधी नीति को संवैधानिक रूप से मंजूरी दी जाए और उसे कारगर तरीके से लागू किया जाए।

7. लघु उद्योगों के लिए संरक्षण–

कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए उत्पादन की एक रेखा खींच दी जानी चाहिए। लघु एवं कुटीरोद्योगों के उत्पादन के विपणन की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भावी योजनाओं को निश्चित करते समय प्रत्येक क्षेत्र द्वारा किस अनुपात से उत्पादन किया जाता है और रोजगार पैदा किया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, राज-सहायता और रियायतें देने के लिए विस्तार नहीं। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े उत्पादकों को सामूहिक उपभोक्ताओं के नाम पर माल-भाड़े और बिजली की दरों में कमी करने के बजाय ये सुविधाएँ लघु उद्योगों के उत्पादकों को मिलनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी को यह देखकर गहरी चिंता हुई है कि नई कपड़ा नीति के अंतर्गत उन 200 चीजों को, जो लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखी गई थीं, उस सूची में से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से गरीब हथकरघा बुनकरों के हितों पर बुरा असर पड़ा है।

कपड़ा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1985-86) में अपनी नीति की विफलता को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है।

बीमार उद्योगों की समस्या खत्म होती नजर नहीं आती। वित्तीय कठिनाइयों, मजदूरों के असंतोष और बिजली में कटौती की वजह से बंद होनेवाली कुल मिलों की संख्या दिसंबर 1984 की 77 से बढ़कर दिसंबर 1985 में 78 हो गई। तदनुसार तकुओं की संख्या भी 17.9 लाख से बढ़कर 19.6 लाख हो गई और बेकार तकुओं की संख्या 18,400 से बढ़कर लगभग 19,300 हो गई। इसके फलस्वरूप बेरोजगार होनेवाले लोगों की संख्या 8,000 से बढ़कर 1,07,200 हो गई। यह अनुमान लगाया गया है कि 1985-86 में मिलों द्वारा उत्पादित कुल कपड़े में कमी आई है, जबकि हथकरघा क्षेत्र और विद्युत् करघा क्षेत्र दोनों में ही उत्पादन थोड़ा सा बढ़ा है। इस बात को देखते हुए राष्ट्रीय कपड़ा नीति को इस ढंग से बदलने की आवश्यकता है जिससे कि विद्युत्करघा और हथकरघा क्षेत्रों को अधिक प्रोत्साहन मिले।

8. अनुसंधान एवं विकास को औद्योगिक विकास में सजीव भूमिका दी जानी चाहिए।

9. प्राथमिक बुनियादी सुविधाएँ उन्मुक्त रूप से उपलब्ध कराई जाएँ जिससे अर्थव्यवस्था का निर्बाध रूप से विकास हो सके।
10. उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए।
11. देश के औद्योगीकरण में स्थानीय एवं पर्यावरण-संबंधी बातों का उचित खयाल रखा जाए तथा अदूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप भावी पीढ़ी के लिए प्रदूषण का खतरा न पैदा किया जाए। अतीत में हमारी वन-संपदा का जो अंधाधुंध विनाश किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जंगल लगाने की ईमानदारी से कोशिश की जाए।
12. बीमार मिलों को अपने हाथ में लेने की नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक धन के व्यर्थ नाश और सिद्धांतहीन उद्योगपतियों द्वारा अपने बीमार कारखानों को सरकार पर लाद देने को रोकने के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ पथ-प्रदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएँ।
13. विदेशों में रहनेवाले भारतीयों को भारत में पूँजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा इसके लिए सभी आवश्यक प्रोत्साहन जिसमें विदेशी मुद्रा विनियोजन से प्राप्त होनेवाली अपनी आय के उचित अंश को लौटाना भी शामिल है, दिए जाएँ। इस संबंध में पथ-प्रदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएँ तथा उन्हें विदशों में रहनेवाले भारतीयों की जानकारी के लिए विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों के पास भेज दिया जाए। किंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि भारतीय उद्‌गम का काला धन गैर-निवासी भारतीयों द्वारा 'सफेद' बनाकर फिर न लगा दिया जाए जो बाद में विदेशों को फिर भेज दिया जाता हैं, जैसा कि आजकल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि शेयरों में हेराफेरी करके गैर-भारतीय हमारी विदेशी मुद्रा को हानि न पहुँचा पाएँ। भारतीय जनता पार्टी का यह विचार है कि गैर-निवासी भारतीयों की झूठी फर्में भारत के महत्त्वपूर्ण और सामरिक महत्त्व के उद्योगों के हिस्से न खरीद लें।
14. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में जनता को 49 प्रतिशत तक समानांश पूँजी लगाने की सुविधा दी जाए।

श्रम एवं मजदूरी

1. औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि संगठित क्षेत्र में मजदूरी संविदा के संबंध में राष्ट्रीय पथ-प्रदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएँ जिसे मजदूरी में वृद्धि के कार्य के यथार्थ में वृद्धि और उसके

साथ ही विशेषज्ञ निकायों द्वारा अनुमानित निर्वाह-व्यय में वृद्धि के साथ जोड़ दिया जाए। श्रमिक वर्ग के सूचकांक को वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया जाए।

2. मजदूरों को इस बात का भरोसा दिलाने की आवश्यकता है कि सरकार ईमानदारी से भविष्यनिधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा में दिए जानेवाले अंशदान और सुरक्षा के नियमों के संबंध में मालिकों द्वारा किए जानेवाले नियमों के उल्लंघन को प्रभावी रूप से रोकेगी और मजदूरों के हितों की रक्षा करेगी। जब कभी सामूहिक सौदेबाजी द्वारा कोई झगड़ा तय न हो सके तो उसे राष्ट्रीय पथ-प्रदर्शक सिद्धांत के अनुसार अनिवार्य किंतु शीघ्र मध्यस्थता के लिए सौंप दिया जाए। श्रमिकों संबंधी समस्याओं के उचित हल के लिए स्वायत्त औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण नियुक्त किए जाएँ।

3. भारतीय जनता पार्टी यह भी सिफारिश करती है कि मजदूरों को अंश-पूँजी में 2 प्रतिशत तक अंशधारी के रूप में भाग लेने का हक दिया जाए। प्रत्येक उपक्रम कर्मचारियों का अपना है। उनमें इस भावना को पैदा करने के लिए यह पहला कदम हो सकता है। और इस उपक्रम में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए रास्ता खुल जाएगा।

4. प्रत्येक कंपनी को विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजदूरों को भागीदार बनाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि मजदूरों में यह भावना पैदा हो जाए कि वह उपक्रम उनका अपना है और उनमें उसके प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा हो। इसके फलस्वरूप मजदूर हड़ताल को अपना केवल आखिरी हथियार समझने लगेंगे।
   जो कंपनियाँ अपने कुल लाभ के कुछ हिस्से में से स्थायी कर्मचारियों को कंपनी का अंशधारक (शेयरहोल्डर) बनाएँ उन्हें करों में तथा करों से भिन्न प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जाएँ। इस दिशा में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अगुवाई करनी चाहिए। श्रमिकों के लिए क्वार्टरों के निर्माण तथा अन्य कल्याण-संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिए अपेक्षित कानून बनाया जाए।

5. एक निश्चित न्यूनतम संख्या में शिक्षित युवकों की बैंकों तथा जिला उद्योग केंद्रों द्वारा दी जानेवाली वित्तीय, तकनीकी तथा विपणन की सहायता के आधार पर हर साल स्व-रोजगार लगाने में मदद दी जाए। एक राष्ट्रीय रोजगार नीति विशेष रूप से युवकों के बारे में बनाई जाए। शिक्षित बेरोजगारों को 5 वर्ष के अंदर इस योजना के अंतर्गत लाया जाए। ऐसा न होने पर उन्हें कुछ न्यूनतम गुजारा-भत्ता दिया जाए।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में संरक्षण नीति को संविधान की व्यवस्थानुसार अक्षरशः तथा उसमें निहित भावना के अनुसार कार्यान्वित किया जाए।

सुसमन्वित मजदूरी मूल्य एवं लाभांश संबंधी नीति मूल्यों को बढ़ने से रोकेगी, मजदूरों की क्रय-शक्ति का संरक्षण करेगी और लाभांश को नियंत्रण में रखेगी। देश में विभिन्न उपक्रमों में मजदूरों के अलग-अलग वर्ग हैं। राज्य की नीति का पथ-प्रदर्शक सिद्धांत यह होना चाहिए कि एक ही अथवा लगभग एक जैसी योग्यतावाले व्यक्ति को एक जैसी मजदूरी मिलनी चाहिए और एक जैसा काम करनेवाले व्यक्तियों का वेतन समान होना चाहिए। बोनस एवं अन्य सुख-सुविधाओं के वितरण के लिए सभी उपक्रमों को राष्ट्र द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उच्च मजदूरी वाले क्षेत्रों में मजदूरी का स्तर अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ाना चाहिए जिससे कि अन्य उद्योगों एवं स्थापनाओं के मजदूर उनके बराबर पहुँच सके।

उपभोक्ता संरक्षण

आर्थिक पद्धति की कार्यप्रणाली का फल उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए जो अपनी गाढ़ी कमाई से इन चीजों और सेवाओं को खरीदते हैं। 'कैवीएटएंपटर' (ग्राहक सावधान रहे) जैसी उपनिवेशवादी कहावत को बदलकर 'कैवीएटवैडिटर' (विक्रेता सावधान रहें) कर देने की आवश्यकता है। व्यापार तथा उद्योग के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को शोषणकारी व्यापारिक हथकंडों अथवा अनुचित व्यापार-प्रथाओं का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपभोक्ता आंदोलन को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक निष्पक्ष प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में विकसित किया जाए। इस दिशा में अपभोक्ता संरक्षण कानूनों को भी मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। एकाधिकार प्रतिबंधित व्यापार-प्रथाएँ अधिनियम जैसे आर्थिक कानून तथा अन्य कानून इस दिशा में अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं और उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

उत्पादन लागत, लाभांश तथा उपभोक्ता से ली जानेवाली कीमत में परस्पर संबंध होना चाहिए। औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को मूल्य-निर्धारण पद्धति का अनुसरण करना चाहिए जिससे कि व्यापारिक कंपनियाँ ज्यादा लाभ न कमा सकें और उचित कीमतें लें। इस ब्यूरो को उपभोक्ता के हितों की रक्षा करनी चाहिए और उसे जो चीजें दी जाती हैं उनकी उत्तमता एवं मूल्य के औचित्य को भी सुनिश्चित करना चाहिए। इसे एक संविहित निकाय घोषित कर दिया जाए। ओ.

एम.आर.पी. आयोग के साथ जोड़ दिया जाए। कम-से-कम अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में तो इसे कार्यान्वित करना ही चाहिए।

ट्रस्टीशिप—हमारा उद्देश्य

भारतीय जनता पार्टी उद्योगों में अधिक अच्छे मजदूर-पूँजी संबंधों को प्राप्त करने के लिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अंतिम ध्येय मानती है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में किसी उपक्रम के बाँटने योग्य फालतू धन अथवा लाभांश में पूँजी श्रम एवं समाज को बराबर का हकदार माना गया है, यद्यपि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या वर्ग-विशेष अपने अधिकारों को दूसरों का सौंप दे और इसमें सत्ता, संपदा एवं ज्ञान की मूलभूत पिपासा को शांत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। ट्रस्टीशिप का उद्देश्य सत्ता को एक मानवीय चेहरा प्रदान करना और इसे नैतिक वैधरूप देना है।

काला धन और इसकी समाप्ति

काले धन का निर्माण बहुत ही भंयकर सीमा तक पहुँच चुका है जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में गंभीर विकृतियाँ पैदा हो गई हैं। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के चलते कोई वांछनीय राष्ट्रीय आर्थिक नीति संभव नहीं है। काला धन पैदा करने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार पर है, जिसकी लाइसेंस देने तथा नियामक शक्तियों और प्रक्रियाओं को बेशर्मी से प्रयोग करके सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया जाता है। राष्ट्रीय ठेके बहुत सा पैसा लेकर दिए जाते हैं। अंततोगत्वा इस सबका बोझ बेचारे गरीब आदमी पर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इन सब नीतियों को सुधारने का वादा करती है और भारत के सभी ईमानदार और चिंतित नागरिकों का राष्ट्रव्यापी आह्वान करती है कि वे इस आतंक का दृढ़ता से मुकाबला करें।

एक समानांतर और भूमिगत अर्थव्यवस्था को पैदा करनेवाली दूसरी महत्त्वपूर्ण बात तर्कहीन कर-व्यवस्था को अपनाना है जिस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि करारोपण नीति को तर्कसंगत बनाया जाए। करारोपण एवं उसका ढाँचा इस ढंग का हो जिससे कि—

1. यह राज्य के संसाधनों को उत्पादक व्यय के लिए जुटाए,
2. यह पूँजी-विनियोग की धाराओं में बाधक न हो और पूँजी-विनियोग के लिए प्रोत्साहन को नष्ट न करे,
3. इससे लोगों में बचत की भावना पैदा हो,
4. इससे लोग करापवंचन अथवा करों से बचने के लिए प्रेरित न हों, और
5. इससे ईमानदार करदाता को परेशानी न हो।

इस उद्देश्य के लिए–

(क) आयकर से छूट की सीमा 25,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए और प्रत्यक्ष कर की दर निम्नतम खंड के लिए घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए।

(ख) बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए। राज्यों को इसके फलस्वरूप तथा बिक्रीकर में प्रतिवर्ष वृद्धि के आधार पर मिलनेवाले अतिरिक्त धन की कमी को भी केंद्र सरकार पूरा-पूरा मुआवजा देकर पूरा करे।

(ग) आर्थिक अपराधों को जिनमें तस्करी तथा विदेशी मुद्रा की हेराफेरी और चोरबाजारी भी शामिल है, जल्दी से मुकदमा चलाकर निबटाया जाए। यदि आवश्यकता हो तो आर्थिक अपराधों को गैर-जमानती बना दिया जाए और विशेष न्यायालयों द्वारा दंडित किया जाए। सजा ऐसी दी जाए जो औरों को सबक सिखानेवाली हो तथा आर्थिक अपराध करनेवालों को अपने अपराधों द्वारा की गई कमाई को अपने पास रखने की इजाजत न दी जाए।

(घ) कुल कर व राजस्व के प्रति अप्रत्यक्ष करों का अनुपात शनैः-शनैः घटाया जाए। आम उपभोग की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों तथा नियंत्रित मूल्यों पर बोझ कम-से-कम रखा जाए।

जनसंख्या नीति

जनसंख्या भारत की मुख्य आर्थिक समस्या बनी हुई है। इस समय प्रचलित, केवल पैसे के लालच और नौकरशाही की अकुशलता के साथ पुराने घिसे-पिटे असफल परिवार-नियोजन के तरीकों को अपनाना बिलकुल अपर्याप्त है।

भारतीय जनता पार्टी यह समझती है कि जनसंख्या देश की एक बहुत गंभीर समस्या है और यह राजनीतिक पक्षपात का शिकार नहीं होनी चाहिए। अतः जनसंख्या की नीति राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर तय होनी चाहिए। इस प्रकार की जनसंख्या नीति में नए-नए तरीके अपनाए जाने चाहिए, जिसमें प्रोत्साहन भी हो और निरुत्साहन भी। इस नीति के अंतर्गत लोगों को शिक्षित करना तथा बड़े पैमाने पर उन्हें शामिल करना भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि भारतीय लोकतंत्र समाज में लोगों की नए विचारों तथा तरीकों को स्वेच्छा से अपनाने की क्षमता को देखते हुए एक शक्तिशाली एवं कारगर जनसंख्या-कार्यक्रम बनाना संभव है।

दरिद्रनारायण राष्ट्रीय कोष

गरीबों के लिए एक दरिद्रनारायण राष्ट्रीय कोष बनाया जाए जिसमें जनता एवं

केंद्र बराबर का अंशदान करें। इस कोष के लिए धन जुटाने हेतु शहरी एवं ग्रामीण संपन्न वर्ग पर एक विशेष शुल्क लगाया जाए। प्रत्यक्ष कर की सीमा में कमी करने तथा कर के ढाँचे को तर्कसंगत बनाने के लिए अन्य पग उठाने के बाद राष्ट्र सहर्ष इस महान् कार्य के लिए स्वेच्छा से अंशदान करेगा। वह राशि उन लोगों की मदद करने के लिए अलग रखी जाए जो सबसे अधिक गरीब हैं। गरीबी हटाने के लिए अंत्योदय, काम के बदले अनाज, बड़े पैमाने पर साक्षरता-अभियान जैसे कार्यक्रम तेजी से चलाए जाएँ। इस कोष से प्रशासन पर कोई व्यय न किया जाए। इस कोष के अधीन कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं की रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य विधानमंडलों व संसद् के समक्ष रखी जाए तथा उस पर चर्चा हो।

संपन्न वर्ग को इस संबंध में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए और ऐश्वर्य का भोंडा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी समृद्धि-अनुपात से न्याय करने के लिए तैयार रहना चाहिए। करोड़ों भूखे लोग अब चुपचाप रहकर अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर सकते।

भारतीय जनता पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः इसी दिशा में ले जाना चाहेगी। जब तक कि संपूर्ण राष्ट्र इस बात पर सहमत न हो कि सरकार वर्तमान उपभोग व्यवस्था पर रोक लगाने, बचत को बढ़ाने, पूँजी-विनियोग को प्रोत्साहित करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयत्न करने और सबके साथ न्याय करने के लिए कठोर कदम उठाने हेतु अपनी राजनीतिक इच्छा-शक्ति को दिखाने के लिए तत्पर है तब तक देश को भावी आर्थिक अराजकता से बचाया नहीं जा सकता।

भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है—

1. काम का अधिकार लोगों का मूलभूत अधिकार बनाना।
2. राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक स्तरों का विकेंद्रीकरण।
3. छोटे या बड़े सभी खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना।
4. किसानों को सभी फसलों के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाना।
5. खेती के काम आनेवाली चीजें सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना, जिसमें छोटे किसानों को कम ब्याज पर ऋण भी शामिल है।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा करने के लिए कम लागतवाले कृषि पर आधारित उद्योग-क्षेत्रों का तेजी से जाल बिछाना।
7. सभी गाँवों, मलिन बस्तियों तथा झुग्गी-झोंपड़ियों के झुंड को पीने का पानी तथा सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
8. महिलाओं में साक्षरता को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, स्त्री-पुरुष में भेदभाव किए बिना समान मजदूरी सुनिश्चित करना और महिला-उद्यमियों को ऋण में प्राथमिकता दिलाना। सरकारी विभागों तथा उपक्रमों में महिलाओं की

भर्ती के लिए आयु-सीमा बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी जाए।

9. हरिजन बस्तियों, मलिन बस्तियों तथा दुर्बल वर्ग के निवास क्षेत्रों में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अधीन मकान बनाना और अन्य सामाजिक सुविधाएँ प्रदान करना।
10. अंत्योदय एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करना, जिनमें हरिजनों तथा आदिवासियों को रोजगार देने पर विशेष बल दिया जाए।
11. पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने तथा वृक्षारोपण के लिए जोर-शोर से अभियान चलाना।
12. बिक्री-कर तथा चुंगी-कर को समाप्त करना।
13. लघु तथा कुटीरोद्योगों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण कानूनी रूप से सुरक्षित करवाना।
14. मजदूरी समान क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था करके कम पूँजीवाली उपयुक्त टेक्नोलोजी के प्रयोग के लिए स्वदेशी की भावना को पुनः जाग्रत करना तथा केवल जटिल उत्पादन प्रणालीवाले तथा सामरिक महत्त्ववाले उत्पादन के लिए अत्यधिक पूँजी-गहन टेक्नोलॉजी के प्रयोग की व्यवस्था करना।
15. उच्च तकनीकी का गरीबों की सेवा के लिए प्रयोग करना।
16. औद्योगिक लागत एवं मूल्य-ब्यूरो को कानून-सम्मत बनाना तथा एक आर.टी.पी. आयोग के साथ जोड़ देना, जिससे कि व्यापारिक फर्मों द्वारा ली जानेवाली अधिक कीमतें उचित सीमा में रखी जाएँ।
17. एकाधिकार प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएँ अधिनियम (एम.आर.टी.पी.ए.) को राज्य उपक्रमों पर भी लागू करना, ताकि राज्य इसकी एकाधिकार की शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें।
18. आयात का अंधाधुंध उदारीकरण बंद करके उसके स्थान पर बढ़िया किस्म के और सामरिक महत्त्व के उत्पादन के लिए कुछ चुनी हुई चीजों के आयात की नीति बनाना।
19. विभिन्न योजनाओं एवं योजनेतर परियोजनाओं की लागत बढ़ने के कारणों की छानबीन करने के लिए व्यय आयोग की नियुक्ति करना।
20. ट्रस्टीशिप के अधीन किसी कारखाने को पंजीकृत कारखाना कराने के लिए संसद् में एक कानून लाना। सरकार द्वारा ऐसे कारखानों पर एक सपाट और विशेष दर पर करारोपण की व्यवस्था करना।
21. विस्थापित अथवा बेरोजगार मजदूरों को पुनः काम पर लगाने तथा उनके पुनर्वास के लिए उद्योगों द्वारा मूल्य के 1.5 प्रतिशत अंशदान द्वारा एक राष्ट्रीय श्रम पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना करना।
22. मजदूरों में 'कारखाना उनका अपना है', इस प्रकार की भावना पैदा करने

तथा उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्णय करने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना।

23. मजदूरों को अंश पूँजी में 25 प्रतिशत तक अंशों में हिस्सेदारी का हक दिलाना।
24. खेतिहर मजदूरों सहित सबको न्यूनतम मजदूरी दिलाना।
25. मजदूरों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार देना तथा प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता देना।
26. सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों तथा पत्रकारों के वेतन तथा सेवा की शर्तों और भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन में समय-समय पर वृद्धि करना।
27. विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण करना।

□

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

भोपाल 19–21 जुलाई, 1985

आरक्षण का मामला

आरक्षण—एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता

गुजरात के मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण 1975 में शुरू किया गया था। जनता शासन के दौरान कैरी फॉरवर्ड प्रणाली, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच सीटों की अंतरपरिवर्तनीयता और रोस्टर प्रणाली वर्ष 1977 में शुरू की गई थी, ताकि आरक्षण को प्रभावी बनाया जा सके। मेडिकल के छात्रों ने 5 जनवरी, 1981 को अपना पहला प्रदर्शन करते हुए कैरी फॉरवर्ड प्रणाली एवं अंतरपरिवर्तनीयता प्रणाली समाप्त करने की माँग की थी। गुजरात में कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों की माँग आसानी से स्वीकार कर ली और 8 जनवरी, 1981 को इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए।

गुजरात में मेडिकल शिक्षा में स्नातकोत्तर कक्षाओं से संबंधित कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। इस वर्ष वहाँ स्नातकोत्तर कक्षाओं में 857 छात्रों का नामांकन हुआ जिनमें से 217 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन केवल 37 आरक्षित उम्मीदवारों ने दाखिला लिया और इन 37 छात्रों के विरुद्ध भी इतना जोरदार विरोध हुआ। गुजरात में मेडिकल साइंस के 117 प्रोफेसरों में से केवल एक अनुसूचित जाति का है और वह भी उस पद को इंग्लैंड में योग्यता हासिल करने के बाद प्राप्त कर पाया था। अनुसूचित जनजाति का कोई प्रोफेसर नहीं है। 625 असिस्टेंट प्रोफेसरों और ट्यूटरों में से केवल 21 अनुसूचित जाति के हैं। (7 प्रतिशत आरक्षित कोटा के चलन की तुलना में 3 प्रतिशत) मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत 679 कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी अनुसूचित जाति का नहीं है तथा केवल 2 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के हैं।

उपर्युक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन उचित सोच पर आधारित न होकर गलत मंशा से किया गया था और वह अनावश्यक था। यह कुछेक स्थानों पर कुछ नौकरियों का ही प्रश्न नहीं है, इसका महत्त्व आंदोलन की मानसिकता को लेकर है। मराठवाड़ा में नौकरियों या सीटों का कोई मुद्दा नहीं था। वही लोग भारतीय संविधान के निर्माता (बाबा साहब डॉ. बी.आर. अंबेडकर) के नाम को विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करने को तैयार नहीं हैं।

गुजरात के मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने की सरकारी नीति के विरुद्ध जोरदार और खूनी विरोध करने से पूर्व मेडिकल के छात्र उस मुद्दे को गुजरात उच्च-न्यायालय ले जा चुके थे। उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने कहा, 'अनुच्छेद 64 का उद्देश्य काफी सराहनीय है।' इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा हमारे कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना है जिससे उन लोगों को हमारे समाज के शिक्षित वर्गों के समकक्ष रखा जा सके। अनुच्छेद 64 द्वारा निर्धारित अनुदेश को राज्य द्वारा पूरी तरह लागू किया जाए, तो निश्चिय ही शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ होनेवाले विभिन्न प्रकार के अन्याय को दूर करने और सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने में हमारे समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने में लंबा समय लगेगा···· इस नीति के अंतर्निहित उद्देश्य पर कभी भी प्रश्नचिह्न खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें न सिर्फ इस देश में सामाजिक जुड़ाव लाने की मंशा है, बल्कि हमारे सभी वर्गों के लोगों को जानकारी से परिपूर्ण और शिक्षित बनाने का भी उद्देश्य है।'

रोस्टर प्रणाली पर टिप्पणी करते हुए एस.एच. सेठ, जिन्होंने डिवीजन बेंच की ओर से बोला था, ने कहा :

आवश्यक नहीं है कि हम स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा की किसी विशेष शाखा के संदर्भ में ही रोस्टर की जाँच करें बल्कि हमें संपूर्ण स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा के संदर्भ में जाँच करनी है।

(डॉ. अरुण प्रकाश और 73 अन्य बनाम गुजरात राज्य 181 XXII जी एल आर 41) हालाँकि गुजरात आंदोलन से कतिपय प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, जैसे—

1. क्या कैरी फॉरवर्ड, अंतरपरिवर्तनीयता और रोस्टर प्रणाली से सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत उनके लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक हो जाएगा?
2. क्या आरक्षण के कारण मेधा और कुशलता दाँव पर हैं?
3. क्या प्रोन्नति में आरक्षण जारी रहना चाहिए?
4. क्या तथाकथित संपन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाना चाहिए?

5. आरक्षण कब तक जारी रहना चाहिए?

मैं उपर्युक्त प्रश्नों को एक-एक करके लूँगा।

1. स्थायी आदेशों के अनुसार खाली पड़े आरक्षित पदों को आगे भर्ती के तीसरे वर्ष के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच आंतरिक तौर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। निम्नलिखित चित्रण से स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जाएगी। मान लें कि किसी कार्यालय में प्रतिवर्ष 100 लिपिकों के पद बनते हैं। उस कार्यालय में 4 वर्षों के बाद भर्ती की स्थिति यह रहेगी।

भर्ती का पहला वर्ष (1980)

कुल पद				वस्तुतः किए गए			कैरी फॉरवर्ड
	अन्य	अ.जा.	अ.ज.	अन्य	अ.जा.	अ.ज.	अ.जा. अ.ज.
100	78	15	8	88	10	2	15-10 = 8 5-2 = 6

भर्ती का दूसरा वर्ष (1981)

कुल	अन्य	अ.जाति	अ.जनजाति	
100	78	15	8.......	सामान्य पाठ्यक्रम में
78-10=68	15+5=20	8+6=14		कैरी फॉरवर्ड के कारण
68+19=87	12	3		वस्तुतः भरे गए

दूसरा कैरी फॉरवर्ड

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
10-12 = 8	14-3 = 11 (6 + 5)

भर्ती का तीसरा वर्ष (1982)

कुल	अन्य	अ.जाति	अ.जनजाति
100	78-19=59	15+8=23	8+11=19
59+25=84	13		वस्तुतः भरे जा चुके।

तीसरा कैरी फॉरवर्ड

अनुसूचित जाति/	अनुसूचित जनजाति
10-5 वर्ष पहले	पहले वर्ष के 15-6
पहला वर्ष = 5	पहला वर्ष = 9
(अर्थात् 1980)	(अर्थात् 1980)

भर्ती का चौथा (1983)

कुल	अन्य	अ. जाति	अ.जनजाति
100	78-14=64	15-5=20	8+9=17
	64+18=82	14	5 वस्तुतः भरे गए

चौथी बार कैरी फॉरवर्ड

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
6	1981–82 के 7+5

उपर्युक्त विवरण के अनुसार वर्ष 1982 में अनुसूचित जाति के 5 पदों और अनुसूचित जनजाति के 9 पदों की अदला–बदली की गई और 1983 में भी अनुसूचित जाति के 6 पदों और अनुसूचित जनजाति के 9 पदों की पारस्परिक तौर पर अदला–बदली की जा सकती थी, किंतु अंतरपरिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों ही मामलों में दोनों ही समूहों के लिए उम्मीदवार ही उपलब्ध नहीं थे। ऐसा 95 प्रतिशत से अधिक मामलों में हुआ। लेकिन यदि पदों की अदला–बदली होती भी है, तो आरक्षित पदों की संख्या निर्धारित कोटा से आगे नहीं बढ़ती है।

आगे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में जारी सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार किसी भी मामलों में कैरी फॉरवर्ड किए गए पदों सहित 45 प्रतिशत से अधिक पद एक समय में आरक्षित नहीं किए जा सकते।

उपर्युक्त मामलों में 400 पदों में से तीनों समूहों के लिए निम्नलिखित संख्या निर्धारित की गई थी।

अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
302 के स्थान पर 340	60 के स्थान पर 45	32 के स्थान पर 14

रोस्टर सिस्टम और कुछ नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति के दौरान स्थित निर्धारित करने की प्रक्रिया है। इसमें कुल 40 नियुक्तियों में से अनुसूचित जाति के लिए 1ला, 2रा, 8वाँ, 14वाँ, 22वाँ और 36वाँ स्थान रखा गया। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि 40 पदों में से 9 पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जाने चाहिए और इससे यह संकेत मिलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से वस्तुतः कितने पदों को भरा गया है।

कैरी फॉरवर्ड, अंतरपरिवर्तनीयता और रोस्टर प्रणाली सबका उद्देश्य 22.5 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी बनाना है। किसी भी रूप में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत को बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है। इन प्रणालियों का विरोध करनेवाले लोग या तो इनके निहितार्थ को नहीं समझते हैं या फिर वे जानबूझकर चाहते हैं कि आरक्षित कोटा का बैकलॉग या कमी संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाए जिससे किसी प्रकार की कमी दूर किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठे।

(ii) मेधा और कुशलता

लोगों के मन में आमतौर पर यह धारणा होती है कि आरक्षण अयोग्य उम्मीदवारों को दिया जाता है, हालाँकि यह धारणा पूरी तरह से गलत अनुमान पर आधारित है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश अथवा सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक या योग्यता निर्धारित होती है। बाद में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी अन्य समुदायों के छात्रों के साथ विभिन्न जाँचों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। प्रवेश के चरण के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कोई रियायत या छूट नहीं प्रदान की जाती है। अकसर कई बार द्वितीय श्रेणी से बी.ए. उत्तीर्ण छात्र एम.ए. प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेता है और प्रथम श्रेणी से बी.ए. उत्तीर्ण छात्र एम.ए. की परीक्षा पास भी नहीं कर पाता। इसलिए इस संदर्भ में यह मानना एकदम गलत है कि कम अंक के साथ प्रवेश पानेवाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अकुशल होंगे। यहाँ यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि गुजरात सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में यह मानना एकदम गलत है कि कम अंक के साथ प्रवेश पानेवाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अकुशल होंगे। यहाँ यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में मेडिकल कॉलेजों में कम अंकोंवाले धनी छात्रों द्वारा 50,000 या 2 लाख रुपए तक कैपिटेशन शुल्क देकर प्रवेश लिये जाने के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं होता। कैपिटेशन शुल्क संभवतः मेधा और कुशलता से ऊपर है।

"संविधान के अनुच्छेद 335 में निर्दिष्ट है कि केंद्रीय सरकार के कार्यों से संबंधित सेवा और पदों में नियुक्त करते समय प्रशासन की कुशलता बनाए रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाए।"

देवदासन मामले में न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने निम्नलिखित टिप्पणी की—

"आरक्षण के स्वरूप में यह अवश्यंभावी है कि कुछ हद तक मानक नीचे गिरेगा। लेकिन उसके कारण इस उपबंध को खराब नहीं माना जा सकता। आखिरकार राज्य ने न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है और उपर्युक्त योग्यतावाले उम्मीदवारों से ही आखिरकार नियुक्तियाँ की गई हैं।"

उच्चतम न्यायालय के हाल ही के एक निर्णय में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने निम्नलिखित टिप्पणी की है—

"कुशलता और अकुशलता संबंधी तर्क शब्दिक रूप से आडंबरपूर्ण हैं, क्योंकि उच्च स्तरों पर हरिजन गिरिजन लोगों की नियुक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होता है और तृतीय और चतुर्थ पद के मामलों में भी यह प्रतिशतता नगण्य होती है। अधिकतर लोग गैर आरक्षित समुदाय से आते हैं जिन्हें कुशल माना जाता है और थोड़े से प्रतिशत में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रवेश हो जाने से प्रशासनिक कुशलता पर समग्र रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वस्तुतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि विभिन्न वर्गों में 5 से 10 प्रतिशत उम्मीदवारों के थोड़े कम कुशल होने के कारण पूरा प्रशासन चरमरा जाएगा। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि सेवाओं में थोड़े से हरिजन गिरिजन आ जाने से सरकारी कर्मियों की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी। आधुनिक भारत की समरूपता और दूसरी चीजों में है। और मेधा की बात करनेवाले लोगों को कम जानकार आदिवासियों तथा थोड़े से बेहतर स्थितिवाले निम्न जातियों के लोगों की अपेक्षा अन्य मामलों में कहीं अधिक जोखिम है।

मूलभूत प्रश्न यह है कि मेधा और उपयुक्तता क्या है। अभिजात वर्गों के मन में आम जनता के प्रति सहानुभूति नहीं है। वे लोग भारतीय मानकों के अनुसार सरकार चलाने के लिए कम-से-कम उपयुक्त हैं तथा राज्य काज को निपटाने के लिए उनमें कम-से-कम मेधा मौजूद है यदि हम सेवा राज्य के बारे में विचार करें, जिसमें लाखों की संख्या में उपभोक्ता हैं। संवेदनशील हृदय और प्रखर मस्तिष्क जिनमें लोगों के दुःख-दर्द को समझने की क्षमता होगी। निश्चय ही देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं जिनमें ग्रामीण योजनाएँ और गंदी बस्तियाँ भी शामिल हैं, को तेजी से निपटाया जा सकेगा और उनमें प्रतिबद्धता और बौद्धिक क्षमता मौजूद होगी। वस्तुतः ये सब मेधा और उपयुक्तता संबंधी कुछ प्रमुख संगठक हैं। और इसमें ऑक्सफोर्ड या कैंब्रिज से प्राप्त डिग्री शामिल नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारी चयन प्रक्रिया के आधार को इतना अधिक तोड़-मरोड़ दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों जो कि अपने जन्म के बाद से ही भारत की घरेलू स्थिति को समझने लगते हैं और एक अर्थ में वे लोग उन लोगों से ज्यादा सक्षम हैं, जो संपन्न परिस्थितियों में पले-बढ़े हैं। और अपने आसपास रहनेवाले बहुत से लोगों के प्रति उनमें संवेदन का अभाव होता है। सबसे बड़ी बात, हमारी परीक्षा प्रणाली मेधा को तो याद रखती है लेकिन सृजनात्मक क्षमता को भुला देती है।

(iii) पदोन्नति में आरक्षण

1959 तक आरक्षण केवल प्रवेश के चरण तक ही दिया जाता था। रेलवे ने चयन आधार पर किए जानेवाली पदोन्नति में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर दिया। रेल मंत्रालय के इस निर्णय को चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए उपबंध को सही ठहराया। उपयुक्त मामले में मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने यह टिप्पणी की। 'सामाजिक, शैक्षणिक व पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए सिर्फ सेवाओं के न्यूनतम स्तर में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है बल्कि उन्हें सेवाओं में चयनित पदों में भी प्रतिनिधित्व प्रदान करना होगा। हमारा यह मत है कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन राज्यों को आरक्षण देने की जो शक्ति प्रदान की गई है उसका उपयोग राज्य द्वारा सिर्फ नियुक्तियों में ही आरक्षण देकर नहीं किया जाएगा बल्कि चयनित पदों में भी आरक्षण किया जाएगा। इस विपरीत राय से हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा को प्रभावी बनाया जा सकेगा और पिछड़े वर्गों की प्रगति को पर्याप्त ढंग से संरक्षित किया जा सकेगा तथा वे लोग सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकेंगे।

रंगाचारी के ए.आई.आर. 1962 ए सी 36 अद्यतन निर्णय में नवंबर 80 में उच्चतम न्यायालय ने फिर टिप्पणी की "स्पष्टतः अनुच्छेद 16(4) का उद्देश्य हरिजनों को सिर्फ सफाई कर्मियों और झाड़ू लगानेवाले कर्मी के रूप में सरकारी सेवा में लाना नहीं है, बल्कि अधिकारी तथा बॉस बनाना है ताकि प्रशासनिक शक्ति उच्च और निम्न दोनों वर्गों के लोगों की साँझी संपत्ति हो और उसमें समानता हो तथा एक समुदाय के रूप में समन्वित करने की क्षमता मौजूद हो।"

(iv) संपन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संबंध उत्पीड़ित वर्गों से है, और यह कहना कि कतिपय नौकरी प्राप्त करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अभिजात वर्ग के लोग बन जाते हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

अनुसूचित जाति के लोगों, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों न हो, के साथ उनके जन्म से ही कलंक जुड़ा होता है उच्चतम न्यायालय ने ब्रम के मामले में निम्नलिखित शब्दों में इस तर्क को अस्वीकार कर दिया है कि आरक्षण के लाभ कुछेक संपन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के द्वारा ही प्राप्त किए जा रहे हैं। "यदि आवश्यक आँकड़े जुटाने के बाद यह पाया जाता है कि कोई जाति

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है, तो हमारी राय में ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षण इस तथ्य के बावजूद जारी रहना चाहिए कि उस समूह में कुछ एक व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक दोनों ही रूप में सामान्य औसत से ऊपर हैं।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर (उच्चतम न्यायालय) ने भी अपने हाल के निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणी की है, "यह तर्क दिया है कि कुछ एक हरिजनों की स्थिति बेहतर है इसलिए उनमें से अधिकतर लोगों को ऊपर उठाने का उपबंध नहीं होना चाहिए। इसकी जाँच की जानी चाहिए। एक पपीहा से ही ग्रीष्म का मौसम नहीं आ जाता है। तथाकथित संपन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की मौजूदगी के बावजूद इन समुदायों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं भरा जा सका है। 1974, 1976 और 1977 के दौरान आरक्षित पदों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आँकड़े इस माँग के खोखलेपन को उजागर करते हैं। यदि उनमें से कुछ लोगों को आरक्षण के लाभों से वंचित कर दिया जाता है तो उन पदों पर लंबे समय से रहनेवाले बैकलॉग को भरने की बजाय उन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा। नीचे दिए गए आँकड़े केवल केंद्रीय सेवाओं से संबंधित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को राज्यों ने वे संबद्ध आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।

जिनकी अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर ये बातें कही गई हैं।

आरक्षित रिक्तियों को गैर आरक्षित करने के मामले को दर्शानेवाला विवरण—

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2			श्रेणी 3			श्रेणी 4		
	एस.सी.	एस.टी.	कुल	एस.सी	एस.टी.	कुल	एस.सी.	एस.टी.	कुल	एस.सी	एस.टी.	कुल
1974	107	87	194	15	32	47	389	748	—	3	3	
	भर्ती के माध्यम से				पदोन्नति के माध्यम से							
62	35	97	443	336	779	730	959	1689	26	49	75	
कुल	1169	122	291	458	368	825	1119	1318	2437	26	52	78
1976	116	95	211	462	410	872	1045	1524	2569	19	44	63
1977	174	126	300	451	362	813	1059	1275	2335	26	46	72
1978	254	190	444	604	487	1091	305	1606	3001	46	120	166

वर्ष 1978–79 के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन के पृष्ठ 11–12

(v) आरक्षण कब तक जारी रहना चाहिए

यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर पूरी योजना के अनुरूप विस्तृत रूप से गौर किए जाने की जरूरत है। शासकों और नौकरशाहों में जो लोग आरक्षण नीति को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहे हैं उनके रवैये को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

आरक्षण को धक्का पहुँचाया जाना

औपचारिक आरक्षण एक समझौता था, जिसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूरा पैक्ट के नाम से जाना जाता है और जिसे बी.आर. अंबेडकर द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक् निर्वाचन की माँग छोड़ देने के एवज में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164, 330, 334 और 335 में उपयुक्त समझौते की भावना अंतर्विशिष्ट है। जबकि अनुच्छेद 16(4) सामान्य खंड है, अनुच्छेद 330, 332 और 334 में संसद् और विधानसभाओं में राजनीतिक आरक्षण के उपबंध है तथा अनुच्छेद 335 का संबंध सेवाओं में आरक्षण से है।

सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं है, किंतु प्रारंभिक स्तर पर राजनीतिक आरक्षण के लिए दस वर्षों के लिए समय सीमा थी, जिसे तीन बार अगले 10-10 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा चुका है।

डॉ. अंबेडकर राजनीतिक आरक्षण के लिए भी दस वर्षों के लिए किसी भी समय सीमा के विरोधी थे। संविधान सभा में कुछ अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देते हुए डॉ. अंबेडकर ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी :

"मैं अनुसूचित जातियों के सदस्यों जिन्होंने इस अनुच्छेद के द्वारा लगाई गई सीमा पर भावनात्मक रूप से और प्रखर रूप से अपनी बात कही है, की टिप्पणियों पर कुछ एक शब्द कहूँगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि उन लोगों द्वारा शिकायत किए जाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इन चीजों को दस वर्षों तक के लिए सीमित किए जाने का निर्णय वस्तुतः उन लोगों की सहमति से लिया गया था। निजी तौर पर मैं और अधिक वर्षों के लिए सीमा तय करने की माँग कर रहा था क्योंकि मेरा यह मानना है कि जहाँ तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, उन लोगों के साथ अन्य अल्पसंख्यकों के समान बर्ताव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था 1882 में शुरू की गई थी। यह कह सकते हैं कि उस समय शुरुआत की थी। इसलिए व्यवहारिक रूप से मुसलिम इन विशेषाधिकारों को 60 वर्षों से लंबे समय से भोगते आए हैं। ईसाइयों को 1935 के संविधान के अधीन यह विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। विशेष आरक्षण का लाभ 1937 में अधिनियम लागू होने के बाद शुरू हुआ। दुर्भाग्यवश उन लोगों के लिए यह लाभ केवल दो वर्षों तक ही कायम रहा क्योंकि वर्ष 1939

से लेकर वर्तमान समय 1946 तक व्यावहारिक तौर पर संविधान निलंबित रहा है और अनुसूचित जातियों के लोग 1931 के अधिनियम के अधीन उन्हें दिए गए विशेषाधिकार का लाभ उठाने में समर्थ नहीं थे और यह उनके लिए उचित होता यदि यह सभा अनुसूचित जातियों के लिए इन आरक्षणों के संबंध में और अधिक उदारता दिखाती। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इन सभी बातों को सभा के द्वारा स्वीकारा जा चुका है। इसे श्री नगप्पा और श्री मुन्निसामी पिल्ले तथा इन सभी सदस्यों ने स्वीकार किया था। यदि मैं कहूँ कि मैं इस बारे में कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं दूसरे पक्ष की ओर से कार्य करता हुआ माना जाऊँगा। और मेरे विचार से इन उपबंधों पर अब वापस कदम खींचना सही नहीं होगा। यदि दस वर्षों के अंत में अनुसूचित जातियों के लोग यह पाते हैं कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है या फिर इस अवधि को और आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा करना उनकी क्षमता से बाहर की चीज नहीं होगी। या फिर उन लोगों को जो फिर संरक्षण देने का वायदा किया जा रहा है उसे प्राप्त करने के लिए नए तरीके ढूँढ़ने की बुद्धिमत्ता मौजूद रहेगी।

आरक्षण पर प्रहार

आरक्षण पर पहला प्रहार वर्ष 1961 में किया गया था जब संसद् और विधानसभाओं दोनों के लिए दोहरी सदस्यता निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया था। दूसरे आम चुनाव, जो 1957 में हुए थे, में स्व. श्री बी.बी. गिरि दोहरी सदस्यतावाले निर्वाचन क्षेत्र में हार गए थे और दोनों ही अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार सामान्य तथा आरक्षित सीटों पर चुनाव जीत गए थे। तदनुसार फरवरी 1961 में लोकसभा में सरकार ने दोहरी सदस्यतावाले निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करनेवाला एक विधेयक पुनःस्थापित किया था। यह जानना रोचक होगा कि कतिपय प्रखर संसद् सदस्यों ने लोकसभा में उपयुक्त विधेयक के बारे में क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ दी थीं। श्री महावीर त्यागी—पहली बार मैंने बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों को पृथक् करने के बारे में सुना जब हमें बताया गया कि एक हिंदू मंत्री चुनाव हार गया है और निर्वाचन क्षेत्र में दोनों ही सीटों पर अनुसूचित जाति के सदस्यों का कब्जा हो गया है। वर्तमान नियम के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को इस मायने में विशेषाधिकार प्राप्त है कि दोहरी सदस्यतावाले निर्वाचन क्षेत्रों में यदि वे बहुत लोकप्रिय हैं तथा बेहतर कार्य करते हैं तो वे दोनों ही सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसा एक बार हो चुका है। और जब ऐसा हुआ तभी मुझे यह आशंका थी कि संभवतः हिंदू जाति के लोग इस संबंध में कुछ प्रस्ताव लेकर आगे आएँगे।

उपसभाध्यक्ष—क्या वे लोग समान निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे?

श्री महावीर त्यागी—वे लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पहले एक ही प्रयास में वे लोग दोनों सीटों पर कब्जा कर सकते थे और जब उन लोगों ने ऐसा किया तब ही कुछ आशंका पैदा हो गई। निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों को संविधान के द्वारा यह अतिरिक्त विशेषाधिकार दिया गया था। अब वे लोग उस विशेषाधिकार से वंचित हो जाएँगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या केवल 10 से 12 प्रतिशत है। दोहरी सदस्यतावाले निर्वाचन क्षेत्र में वे लोग 20–20 प्रतिशत दोनों ही पक्षों से जुटा कर 40 प्रतिशत मतदान करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। लेकिन यदि उनकी प्रतिशतता बराबर ही हो तो भी अनुसूचित जातियों के रूप में उन्हे सौदेबाजी करने का लाभ प्राप्त था क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई थी। अब वे लोग वह शक्ति खो देंगे। यदि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से जिसमें 80 प्रतिशत संख्या हिंदू जाति की है में से कोई अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि आता है तो वह अनुसूचित जाति की माँ के गर्भ से जन्मा हुआ अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो सकता है, किंतु वास्तविक तौर पर वह 80 प्रतिशत हिंदू जाति का प्रतिनिधि होगा, और उसे अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि कहना हास्यास्पद होगा क्योंकि 80 प्रतिशत व्यक्तियों ने, जो कि अनुसूचित जाति से नहीं हैं, उसे चुना है। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से जो सदस्य आते हैं मूलतः वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के प्रतिनिधि होते हैं।

श्री बी.सी. कामले—सीटों के आरक्षण का अर्थ यह है कि यदि बहु सदस्यवाली सीटें हैं, अर्थात् यदि दो या तीन से अधिक सदस्यवाली सीटें हैं तो चार सीटों में से दो सीट या तीन सीटों में से एक सीट को आरक्षित किया जाना है। वस्तुतः यह पूरा पैक्ट, जिसके परिणामस्वरूप सीटों के आरक्षण का सिद्धांत स्वरूप सामने आया आरक्षण की भावना के विरोध में है। इसलिए यदि आप इतने लंबे समय के बाद, जब गांधी जी का उपवास समाप्त हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, यह कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एकल सदस्यवाले पृथक् निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए तो इसका अर्थ यह होगा कि संभवतः हम पृथक् निर्वाचन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री खादिलकर—इसलिए विधि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि यदि इस दृष्टिकोण से आप इस विधेयक पर गौर करेंगे तो यह विधेयक हानिरहित लगेगा। लेकिन यदि आप दोहरी सदस्यतावाले निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करना चाहते हैं तो उसकी तार्किक परिणति आरक्षण समाप्त करने जैसी होगी। (लोकसभा वाद विवाद खंड 114–20 फरवरी, 1961; कॉलम 428)

संविधान के अनुच्छेद 438 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित पर गौर करने के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाने का प्रावधान है। 18 नवंबर, 1950 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उक्त विशेषाधिकारी को नियुक्त किया गया जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के रूप

में पदनामित किया गया। ओर उस आयुक्त ने राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न गतिविधियों का महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन और अति बहुमूल्य सिफारिशें थीं। 1967 तक आयुक्त के पास दिल्ली स्थित कर्मचारी के अलावा 17 क्षेत्रीय अधिकारी थे अर्थात् प्रत्येक राज्य के लिए एक अधिकारी और साथ ही आवश्यक संख्या में पर्यवेक्षण लिपिकीय और अन्य कर्मचारी थे।

एक दिन अचानक 3 जून, 1967 को आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को समाप्त कर दिया गया। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा करने के लिए संविधान में उपबंधित एक संस्थापक सरकार द्वारा किया गया हमला था। तत्कालीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयुक्त श्री एस.सी. सेनगुप्ता को अपने विरोध की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें पद सँभालने के आठ महीने बाद ही हटा दिया गया, जब कि उन्हें तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कल्याण समिति और संसदीय समिति ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया था। नवंबर 1969 में उन्होंने अपने पहले प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणी की थी।

समिति का यह मत है कि आयोग के क्षेत्रीय संगठनों को समाप्त करके सरकार ने आयुक्त के संगठन को पंगु बना दिया है, बल्कि उसे देश में अपने साधनों से भी वंचित कर दिया गया है। साथ ही संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए तैनात उसके कार्यालय, उसके पद, उसके प्राधिकार और उसकी क्षमता का भी अवमूल्यन कर दिया गया है। सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को बहाल किए जाने की संसदीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया।

जनता सरकार ने स्थिति में सुधार करने की कोशिश की। उसने विशेष अधिकारी के दर्जा में परिवर्तन करने के लिए 1979 में लोकसभा में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पदनाम को परिवर्तित करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया था और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को बहाल कर दिया गया था। लेकिन यह विधेयक पारित होता उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विरोधी व्यक्तियों को सरकार द्वारा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना

वर्ष 1966 में केंद्रीय सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री एन.के. बोस ने गुवाहाटी (असम) में एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण समाप्त करने की माँग की। असम से लोकसभा कांग्रेस के सदस्य श्री डी. बसुमति ने उसी वर्ष लोकसभा में यह मुद्दा उठाया और

श्री बोस के विरोध में अनुशासनिक कारवाई करने की माँग की। तथापि श्री बोस के विरुद्ध कोई कारवाई करने के स्थान पर बड़े ही विचित्र ढंग से 1 जून, 1967 को श्री एस.सी. सेनगुप्ता के स्थान पर श्री बोस को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया। श्री एन.के. बोस ने वर्ष 1968 में श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में दो आश्चर्यजनक सिफारिशें की। उन्होंने लिखित में यह सुझाव दिया कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद आगे अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सभी क्षेत्रों से आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। इन सिफारिशों को गुप्त रख दिया गया था, किंतु मैंने किसी तरह से उनकी एक प्रति प्राप्त कर ली। सभी राजनीतिक दलों से संबंधित संसद् के 80 सदस्यों ने वर्ष 1969 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर श्री बोस को इन अनुचित सिफारिशों के लिए अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पद से बरखास्त करने की माँग की। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि श्री बोस को आयुक्त के पद से हटाने की बजाय उनके द्वारा तीन वर्ष की अवधि पूरी कर लेने के पश्चात् उन्हे सेवा विस्तार देकर पुरस्कृत किया गया।

लोकर समिति

भारत सरकार के सचिव श्री बी.एन. लोकर की अध्यक्षता में 1.6.1965 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने से संबंधित एक समिति का गठन किया गया और उसके दो अन्य सदस्य भी सरकारी अधिकारियों को बनाया गया। अध्यक्ष और उनके दो अन्य सदस्यों को अपने मंत्रालयों और विभागों में पूर्ण ड्यूटी को निभाने के साथ-साथ इस कार्य को पूरा करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। समिति को सरकार द्वारा प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विद्यमान सूची में संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना था और अपने गठन की तिथि से तीन महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। तीनों में से कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी का नहीं था। उन लोगों ने अपनी सामान्य पूर्णकालिक ड्यूटी को निभाने के लिए साथ-साथ निर्धारित अवधि से एक सप्ताह पहले ही एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। समिति ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दशाओं पर बगैर गौर किए ही सूची में से 50 अनुसूचित जातियों और 60 अनुसूचित जनजातियों को निकाल बाहर करने की सिफारिश कर दी।

लोकर समिति के पैरा 50 में कहा गया है कि—यह अनिवार्य है कि सूची में से अपेक्षाकृत विकसित समुदायों को धीरे-धीरे बाहर निकाला जाए। जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची पूरी तरह से खाली हो जाए तो

उनका फिर से पुनर्निर्धारण करने के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की जा सकती है।

1967 में मैंने लोकसभा में इस प्रतिवेदन की निंदा की थी और सौभाग्य से संसद् द्वारा प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया गया।

सरकार का अपनी ही समिति के प्रति बेरुखी दिखाना

27 अप्रैल, 1965 को केंद्रीय सरकार द्वारा श्री एल. येलायपेरुमल की अध्यक्षता में छुआछूत संबंधी एक उपसमिति का गठन किया गया था, जिसके अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य सर्वश्री बी.के. गायकवाड़ संसद् सदस्य, श्री सी. दास, संसद् सदस्य, श्री एस.एम. सिदैया संसद् सदस्य थे। समिति को एक प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था कि भारत में छुआछूत मौजूद नहीं रह गया है और तब से लेकर अनुसूचित जाति की आर्थिक दशा वांछित स्तर पर पहुँच गई है। लेकिन समिति ने सरकार की उम्मीद के विपरीत बड़े आकार का 431 पन्नोंवाला मुद्रित एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयारकर दिया। तैयार किए जा रहे प्रतिवेदन के स्वरूप के बारे में स्पष्ट रूप से संकेत मिल जाने के पश्चात् सरकार ने उसके सभी कर्मचारियों और सभी कार्यालय सहायकों को वापस ले लिया और यहाँ तक कि समिति कार्यालय पर ताला लगा दिया और उसे सील बंद कर दिया। प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने 30.1.69 को प्रतिवेदन की प्रस्तावना में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया।

अंत में हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि समिति का गठन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया था लेकिन व्यावहारिक तौर पर विभाग से बहुत कम सहयोग प्राप्त हुआ है। विभाग की उदासीनता और गैर सहयोगात्मक रवैया धीरे-धीरे शत्रुतापूर्ण व्यवहार में बदलता गया। विभाग ने समिति के कार्यालय को बंद कर दिया और यहाँ तक कि कमरों को सील कर दिया गया। वस्तुतः हमें अपनी बैठकें एक सहयोगी के निवास पर करनी पड़ीं और अपने निजी खर्चे से प्रतिवेदन के महत्त्वपूर्ण अंशों को निजी तौर पर सैक्लोस्टाइल करना पड़ा।

तथापि मामला वहीं समाप्त नहीं हो गया। इस समिति के एक सदस्य आर. अच्यूतन को केरल से दिल्ली हवाई जहाज से लाया गया और उन्हें एक विद्यालय के नाम पर दो लाख रुपए का अनुदान देने का वादा करके उनसे एक असहमतिकारक टिप्पणी, जिसे एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने लिखाया था। और उसे सरकारी स्टेनोग्राफर द्वारा अपनी मशीन पर टाइप किया गया था और उसमें वही तिथि अर्थात् 24 जनवरी, 1969 लिखा हुआ था, तैयार कराया गया। असहमति कारक टिप्पणी के प्रारंभिक पैरा में कहा गया है कि मैं समिति में अपने सहयोगियों की इन समुक्तियों से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि देश में छुआछूत की

भीषण समस्या मौजूद है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विकास में यह एक सबसे बड़ी बाधा है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि देश में छुआछूत बिलकुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास प्रमुख समस्या है और छुआछूत की समस्या महज गौण है।

इस संदर्भ में यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि श्री अच्यूतन शुरू से ही समिति के सदस्य थे और श्री येलायपेरुमल के शब्दों में, "किसी भी अवसर पर वह समिति के विचारों और प्रस्तावों से असहमत नहीं दिखे। जब अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया गया था उस समय भी स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि कई राज्यों में छुआछूत का संकट मौजूद है। और उस समय भी उस प्रतिवेदन पर बिना कोई असहमति प्रकट किए हुए उन्होंने हस्ताक्षर किए थे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति

लोकसभा में भारी गहमागहमी के वर्ष 1968 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति नामक एक संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सराहनीय कार्य करते हुए कई बहुमूल्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें दलित उत्थान के लिए विभिन्न सिफारिशें शामिल थीं। चौथी लोकसभा के भंग होने के बाद इस समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। चुनाव के बाद जहाँ जून 1971 की शुरुआत में अन्य संसदीय समितियों का गठन कर दिया गया वहीं इस समिति के लिए कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई। एक बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को इस समिति को फिर से बहाल कराने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन एक बड़े ही महत्त्वपूर्ण मद अर्थात् "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण, जो कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सहित केंद्रीय सरकार के दायरे में आता है से संबंधित सभी मामलों पर गहराई से विचार करने और दोनों सभाओं में प्रतिवेदन देने" को उसकी कार्य सूची से निकाल दिया गया था।

इन सभी कृत्यों के माध्यम से सरकार ऐसा प्रतिवेदन तैयार कराना चाहती थी जिसमें आरक्षण को समाप्त करने की मंशा जाहिर की जाए, लेकिन अब तक वह इसमें विफल रही है। उपयुक्त दिए गए ये सारे विवरण दर्शाते हैं कि सरकार आरक्षण को लागू करने के मामले में कभी गंभीर नहीं है। सरकार का रुख इस कटु सत्य से स्पष्ट हो जाता है कि आजादी के 33 वर्षों के बीत जाने के बाद भी केंद्र और राज्य दोनों की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बिलकुल नगण्य है।

आंध्र, असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयुक्त को आवश्यक सूचना देने की जहमत नहीं उठाई

जिनके अद्यतन प्रतिवेदन से ये आँकड़े उद्धृत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री का आरक्षण विरोधी रवैया—दिनांक 14.1.80 के उर्दू दैनिक हिंद समाचार के पृष्ठ 3 और पंजाब के जालंधर से प्रकाशित हिंदी दैनिक पंजाब केसरी में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है। प्रधानमंत्री ने गैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संगठन के शिष्ट मंडल के नेता श्री हरिस्वामी को यह आश्वासन दिया है कि वह पदोन्नति में आरक्षण वापस लेने को तैयार हैं बशर्ते कि विपक्षी दल उस पर सहमत हों। उन्हीं दिनों केरल के मलयालम समाचार-पत्रों में भी उसी आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है। प्रधानमंत्री ने या उनके सचिवालय ने प्रेस में उन खबरों का खंडन नहीं किया है।

25.2.81 को राज्यसभा में गुजरात मुद्दे पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा—

"समाज के गरीब वर्गों विशेष कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास करना हमारा नैतिक दायित्व तथा संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन स्वाभाविक है कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मेधा के साथ अन्याय न हो और कोई भी वर्ग यह महसूस न करे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है।" फिर 16 मार्च, 1981 को संसद् में अपनी पार्टी के अधिवक्ता सदस्यों की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "आरक्षण नीति अपने आप में कोई अच्छी चीज नहीं है। इसे इस तरीके से लागू किया जाना चाहिए कि मेधावी छात्रों के साथ अन्याय न हो और उनके विरोध में कोई भेदभाव न हो। यदि मेधावी लोगों को यहाँ मौका नहीं मिलेगा तो वे लोग विदेश चले जाएँगे। इससे बड़ी समस्या आएगी। राष्ट्र को इससे अंततः घाटा होगा और हमें विदेश के लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा।"

—इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 17.3.1981

प्रधानमंत्री के उपयुक्त वक्तव्य ने गुजरात के आंदोलनकारियों को नई ऊर्जा प्रदान कर दी है। आंदोलनकारी डॉक्टरों की कार्यसमिति के अध्यक्ष डॉ. मुरुगेश वैष्णव ने कहा, "हम लोग आरक्षण मुद्दे पर उनके द्वारा लिये जा रहे साहसपूर्ण रवैये पर उनको बधाई देना चाहेंगे और हम लोग विशेष कर इस टिप्पणी का स्वागत करते हैं कि आरक्षण के कारण मेधावी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और यह कि यह नीति अपने आप में अच्छी नहीं है।"

—इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 18.3.1981

राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही विरोधी पक्षों की ओर से प्रधानमंत्री के इन वक्तव्यों का कड़ा विरोध किया गया। 18 मार्च, 1981 को लोकसभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह घोषणा की कि प्रधानमंत्री का उपर्युक्त वक्तव्य

चालाकी से भरा हुआ प्रयास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का शासन चालाकी से नहीं बल्कि चरित्र और मूल्यों से चलता है। उन्होंने यह घोषणा की कि सत्ताधारी दल को सभी के सहयोग से मुद्दे पर साहसपूर्ण तरीके से निर्णय लेना पड़ेगा। उन्होंने कोचीन में हाल ही में हुई भाजपा की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक के अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि कमजोर वर्गों के साथ न्याय होना चाहिए। यह कहने से कि मेधा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, कोई समाधान नहीं निकलेगा। आरक्षण के पीछे यह तर्क है कि जिन वर्गों को सदियों तक शोषित किया गया और जिनकी उपेक्षा की जाती रही है उनके साथ इस तरीके से बर्ताव होना चाहिए कि वे समाज के शेष वर्गों के स्तर तक उठ सकें और इसलिए कुछ समय के लिए और कुछ हद तक मेधा से संबंधित त्रुटियों की अनदेखी करनी होगी। यह बहुत ही दयनीय स्थिति होगी कि हम गुजरात में बढ़ते आंदोलन के कारण इस गंभीर समस्या पर उदासीन हो जाएँ। आग लगने पर कुएँ खोदने की नीति अपनाने की बजाय हमें राष्ट्रीय महत्त्व के इस प्रश्न के संबंध में एक दीर्घकालीन योजना तैयार करनी चाहिए।

भाजपा का यह दृढ़ मत है कि संविधान सभा ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का समर्थन जिन कारणों से किया था वह अभी मौजूद हैं। आरक्षण एक ऐतिहासिक, आवश्यक, संवैधानिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, और यह जारी रहनी चाहिए और केंद्रीय सरकार को इसके त्वरित व समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम पारित कराना चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की नीति हर राज्य में अलग-अलग है। पूरे देश में आरक्षण की एक समान नीति बनाने के लिए तत्काल काररवाई करनी चाहिए।

□

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

गांधीनगर 9 अक्तूबर, 1985

कार्यकारी दल की रिपोर्ट

कार्यकारी दल के सदस्य

1. श्री कृष्णलाल शर्मा
2. श्री भैरोंसिंह शेखावत
3. श्री शांता कुमार
4. श्री मकरंद देसाई
5. श्री प्रमोद महाजन
6. श्री विजय कुमार मल्होत्रा
7. श्री सुंदर लाल मल्होत्रा
8. श्री के. जन कृष्णमूर्ति
9. डॉ. मुरली मनोहर जोशी
10. श्री सूरजभान
11. श्री आरिफ बेग
12. श्रीमती मृदुला सिन्हा

भारतीय जनता पार्टी

सैद्धांतिक

संगठनात्मक

संघर्षात्मक

रचनात्मक तथा

चुनाव रणनीति

कार्यकारी दल की रिपोर्ट

राष्ट्रीय कार्यकारिणी को प्रस्तुत
भोपाल 20 जुलाई, 1985

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गत 15, 16, 17 मार्च, 1985 को कलकत्ता में हुई अपनी बैठक में एक बारह सदस्यीय कार्यकारी दल गठित करने का निर्णय किया। इस कार्यकारी दल को यह कार्य सौंपा गया कि वह दल की गत 5 वर्षों की उपलब्धियों एवं त्रुटियों की समीक्षा करे तथा आगामी पाँच वर्षों के लिए सैद्धांतिक, संगठनात्मक, संघर्षात्मक, रचनात्मक तथा चुनावी रणनीति आदि—सभी मोरचों पर एक कार्य-योजना तैयार करे। कार्यकारी दल को 15 मई, 1985 तक रपट प्रस्तुत करने को कहा गया था। किंतु कार्यकारी दल ने रपट का संकलन करने के लिए जो व्यापक पद्धति अपनाई उसके लिए अधिक समय लेना अनिवार्य हो गया था।

कार्यकारी दल की पहली बैठक दिल्ली में 2, 3, अप्रैल को हुई। इस बैठक में एक प्रश्नावली (परिशिष्ट-1) तैयार की गई, जिसे दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भेजने का निर्णय किया गया। तदनुसार सभी प्रदेश केंद्रों को प्रश्नावली की लगभग चार हजार प्रतियाँ प्रमुख कार्यकर्ताओं तक पहुचाने के लिए भेजी गईं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों तथा अन्य कुछ कार्यकर्ताओं को यह प्रश्नावली केंद्रीय कार्यालय से सीधी ही भेजी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार डाक तथा अन्य किसी गड़बड़ी के कारण कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं तक प्रश्नावली प्रतियाँ नहीं पहुँच पाईं।

प्रश्नावली के अतिरिक्त दल ने देश के सभी राज्यों में प्रत्यक्ष दौरा करने का कार्यक्रम निश्चित किया। सभी राज्यों को चार भागों में बाँटा गया तथा इसी प्रकार कार्यकारी दल को भी चार छोटे गुटों में बाँटा गया। इस योजना के अनुसार देश के सभी राज्यों में कार्यकारी दल ने प्रदेश भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों तथा सहयोगियों से प्रत्यक्ष भेंट की।

कार्यकारी दल को प्रश्नावली के 549 उत्तर प्राप्त हुए। बीस बंधुओं ने अपने अलग नोट भेजे। विभिन्न राज्यों के विस्तृत प्रवास में लगभग एक हजार प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों से प्रत्यक्ष भेंट हुई। यहाँ यह कहना उचित होगा कि प्रश्नावली का उत्तर भेजनेवाले कार्यकर्ताओं की संख्या संतोषजनक नहीं है।

प्रश्नावली तैयार करने से लेकर रपट को अंतिम रूप देने तक कार्यकारी दल की दिल्ली में कुल पाँच बैठकें हुईं। इन बैठकों के दौरान पार्टी अध्यक्ष तथा अन्य कुछ वरिष्ठ नेताओं से कार्यकारी दल ने व्यक्तिशः चर्चा की। कार्यकारी दल क्षमाप्रार्थी है कि समयाभाव के कारण यह अन्य कुछ केंद्रीय पदाधिकारियों से व्यक्तिशः भेंट नहीं कर सका।

कार्यकारी दल यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता है कि उसने यह रपट प्रश्नावली के उत्तर, प्राप्त नोट तथा कार्यकारी दल की सभी प्रदेशों में अनेक लोगों से हुई प्रत्यक्ष भेंटों से प्राप्त सुझावों के आधार पर परस्पर विस्तृत चर्चा के बाद तैयार की है। अतः इस रपट को दल के अंदर तथा बाहर भाजपा के संबंध में उठनेवाले अनेक प्रश्नों के उत्तर एवं दल के भविष्य की दृष्टि से कार्यकारी दल के सुझाव के रूप में ही देखा जाए। यह रपट कार्यकर्ताओं अथवा जनता के स्तर पर किया गया कोई मतसंग्रह नहीं है, किंतु यह प्रयास अवश्य किया गया है कि यह रपट कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की भावनाओं का अधिक प्रतिनिधित्व कर सके।

भारत के राजनीतिक दलों के इतिहास में शायद यह पहला तथा अद्वितीय उदाहरण होगा कि किसी राजनीतिक दल ने आत्मनिरीक्षण एवं आत्मविश्लेषण के लिए कभी कोई इतना व्यापक तथा विस्तृत प्रयास किया हो। भारतीय जनता पार्टी को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने यह साहसिक निर्णय लिया तथा कार्यकारी दल को खुले मन से विचार करने और अपनी रपट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय की दल के कार्यकर्ता तथा दल से बाहर अनेक लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की है। ऐसा कहा गया है कि कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में किस प्रकार खेलता है इससे उसके चरित्र का थोड़ा-बहुत पता चलता है। किंतु वह पराजय का सामना किस मनःस्थिति में करता है, इससे उसके चरित्र की पूरी जानकारी मिलती है।

भारतीय जनता पार्टी ने गत लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनावों में हुई अपनी पराजय को सम्मान-पूर्वक स्वीकार किया है। किंतु पराजय से हताश होकर मैदान से भागने का भारतीय जनता पार्टी का न स्वभाव है और न ही चरित्र। अतः पराजय की चुनौती को स्वीकार कर उसे विजय में बदलने के दृढ़ संकल्प से हम पुनः अग्रसर हो सकें, इसी भावना से यह व्यापक विचारमंथन किया गया है।

इस पृष्ठभूमि के साथ अपनी अनेक सीमा-मर्यादाओं का अनुभव करते हुए कार्यकारी दल अत्यंत विनम्रता के साथ अपनी रपट, जिसमें विश्लेषण, सैद्धांतिक पक्ष, चुनाव रणनीति, संगठनात्मक एवं अन्य विषय सम्मिलित हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की सेवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

अंत में मैं कार्यकारी दल के सभी सदस्यों की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतना महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा। हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद हमारी ओर से अनेक कमियाँ रह जाना स्वाभाविक है, जिसके लिए मैं सादर क्षमाप्रार्थी हूँ।

कार्यकारी दल की ओर से उन सभी बुद्धिजीवियों एवं विशेषज्ञों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करना मेरा कर्तव्य है, जिन्होंने अपनी अत्यंत व्यस्तता के बावजूद हमें अपने विचारोत्तेजक सुझावों से लाभान्वित किया।

कार्यकारी दल की ओर से मैं उन सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिनका हमें इस प्रयास में मूल्यवान् सहयोग प्राप्त हुआ और उन सबसे क्षमाप्रार्थी हूँ कि जिनके सुझावों को उनके ही शब्दों में हम रपट में सम्मिलित करने में असमर्थ रहे।

व्यक्तिगत रूप में कार्यकारी दल के सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर अतीव तन्मयता से इस रपट को पूर्ण करने के लिए अथक परिश्रम किया और मुझे मेरी न्यूनताओं का आभास तक नहीं होने दिया।

भवदीय,
कृष्ण लाल शर्मा,

भोपाल

20 जुलाई, 1985
संयोजक
कार्यकारी दल,

रिपोर्ट

अध्याय-एक

1. पार्टी अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कलकत्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान इस कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी। इस कार्यकारी दल के गठन से कुछ लोंगों ने यह समझा था कि इसकी स्थापना हाल के चुनाव परिणामों की पृष्ठभूमि में की गई है। पार्टी अध्यक्ष ने कलकत्ता की उक्त बैठक में अपने आरंभिक भाषण में ही इस बात को बिलकुल साफ कर दिया था कि उनकी इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए कि "पार्टी के 1980 में बंबई में हुए अधिवेशन में यह अनुभव किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस (इ) के एक विकल्प के रूप में विकसित किया जाना चाहिए; किंतु आज पाँच साल पश्चात् हम अपने इस ध्येय से अभी कोसों दूर हैं" पार्टी को अपनी असफलता के कारणों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए तथा अपनी त्रुटियों एवं कमियों को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
2. राष्ट्रीय कार्यकारणी ने अपने प्रस्ताव में बड़े स्पष्ट रूप से यह बात कही थी, "6 अप्रैल, 1985 को भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व के पाँच वर्ष पूरे होंगे। वह अपने आत्म-निरीक्षण का उपयुक्त अवसर होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय के एक कार्यकारी दल गठित करने के

प्रस्ताव का स्वागत करती है, जो पार्टी की उपलब्धियों एवं कमियों की समीक्षा करेगा तथा उनके सुधार के उपायों की सिफारिश भी करेगा। इस कार्यकारी दल को सभी मोरचों, संगठनात्मक, आंदोलनात्मक, रचनात्मक तथा चुनाव संबंधी विषयों पर एक पंचवर्षीय कार्य-योजना भी तैयार करनी चाहिए, जो पार्टी को एक नया रूप दे दे तथा इस राजनीतिक एवं सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण बना दे।"

3. पार्टी के अध्यक्षीय अभिभाषण तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संकल्प, दोनों से ही यह भ्रांति दूर हो जानी चाहिए कि इस कार्यकारी दल को हाल में हुए चुनावों की शव-परीक्षा करने का काम सौंपा गया था। वस्तुतः इसे गत पाँच वर्षों के अनुभव की पृष्ठभूमि में ऐसे उपाय सुझाने का काम सौंपा गया था जो पार्टी को विभिन्न चुनौतियों का, जिसमें चुनाव की चुनौती भी शामिल है, सफलतापूर्वक सामना करने के लिए एक शक्तिशाली एवं सजीव राजनीतिक साधन का रूप दे सके।

   सच तो यह है कि यह अभ्यास बहुत पहले ही उस समय किया जानेवाला था जब नेताओं ने विशेष रूप से यह देख लिया था कि 1983 के पश्चात् पार्टी की प्रगति का ग्राफ और ऊपर नहीं जा रहा है। किंतु उस समय मध्यावधि चुनाव का खतरा निरंतर बने रहने के कारण इस काम को पहले नहीं किया जा सका।

अध्यक्ष के दो प्रश्न

श्री वाजपेयी ने अपने आरंभिक भाषण में निम्नलिखित दो प्रश्न उठाए थे—

1. क्या पार्टी की पराजय का कारण 1977 में जनसंघ को जनता पार्टी में मिला देने और 1980 में जनता पार्टी से अलग हो जाने के हमारे निर्णय थे? क्या ये दोनों निर्णय गलत थे?
2. क्या भारतीय जनता पार्टी को पुनः वापस लौट जाना चाहिए और भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित कर देना चाहिए?

कार्यकारी दल का यह विचार है कि इन दो प्रश्नों के बारे में आरंभ में ही सफाई हो जानी चाहिए।

स्व. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में 1951 में भारतीय जनसंघ के निर्माण के इतिहास को सारी दुनिया जानती है। 1953 में डॉ. मुखर्जी के कश्मीर में शहीद हो जाने के बाद पार्टी का मार्गदर्शन करने का दायित्व पं. दीनदयालजी पर आ गया था। पं. दीनदयाल जी के नेतृत्व एवं निदेशन में भारतीय जनसंघ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता गया और उसने भारतीय राजनीति में अपने लिए एक ऐसा स्थान बना लिया कि इसे समर्पित एवं अनुशासित कार्यकर्ताओं की एक राष्ट्रीय पार्टी माना जाने लगा। 1968 में पं. दीनदयाल जी के देहावसान

के पश्चात् यह प्रगति निरंतर जारी रही। किंतु 1971 के बाद राजनीतिक स्थिति में एक गुणात्मक परिवर्तन होने लगा। पार्टी का तत्कालीन नेतृत्व भी इन नए परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिए उपाय ढूँढ़ने में प्रयत्नशील था। इसी बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की इस 20 महीनों की अवधि ने, और इन दिनों में जो कुछ घटित हुआ उसने, तथा जिस प्रकार सरकार ने हमारे संविधान के मूलभूत तत्त्वों तथा उसकी सारी भावनाओं को अपने पैरों तले रौंद डाला उसने, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में इतना व्यापक परिर्वतन ला दिया कि लोकतंत्रात्मक प्रकिया के द्वारा देश की व्यवस्थित प्रगति के लिए खतरा पैदा हो गया।

यह सर्वविदित है कि इसी पृष्ठभूमि में, तथा आपातकाल द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए जनता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बनानी पड़ी। जाहिर है, दोहरी सदस्यता का मुद्दा उन कारणों की शृंखला में आखिरी कड़ी था।

इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाने का निर्णय दिल्ली में विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए बुलाए गए प्रतिनिधियों के अधिवेशन में लिया गया था और भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए जनता पार्टी छोड़ देने का निर्णय भी दिल्ली में ही विशेष रूप से बुलाए गए सम्मेलन में लिया गया था। यह बात भी ध्यान देनें योग्य है कि बाद के अधिवेशन में प्रतिनिधियों से पार्टी के लिए कोई नाम भी बताने के लिए कहा गया था। जिन्होंने इस बारे में अपने उत्तर भेजे थे उनमें से दर्जन से कुछ कम ही सदस्यों ने पार्टी का नाम फिर से जनसंघ रखने के लिए कहा था।

इन सब बातों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए यदि हम पार्टी के अध्यक्ष के प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़े तो इस कार्यकारी दल का यह सुविचारित मत है कि पार्टी ने जब जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाने का निर्णय लिया था तो यह एक उचित निर्णय था, जब इसने भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए जनता पार्टी छोड़ने का निश्चय किया था तो यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था और जब इसने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी रखने का निर्णय किया था तो यह भी एक ठीक निर्णय था।

कार्यकारी दल यहाँ इस बात पर बल देना चाहता है कि हमें जनसंघ के उत्तराधिकारी होने का गर्व है, जनता पार्टी के रूप में हमारे अनुभव लाभकारी रहे और हम भारतीय जनता पार्टी को अधिकाधिक शक्तिशाली बनाते हुए अपने मनोवांछित ध्येय की ओर आगे बढ़ते जाएँगे।

1980 की स्थिति

आइए, हम आपको अप्रैल 1980 की भारतीय राजनीतिक स्थिति की ओर ले चलें। उस समय लोक सभा के जो चुनाव हुए थे उनके फलस्वरूप कांग्रेस (इ)

पुनः सत्तारूढ़ हो गई थी। 1977 में जनता पार्टी ने 405 स्थानों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 295 सीटें जीती थीं तथा वैध मतों का 42.1 प्रतिशत प्राप्त किया था। उस पार्टी ने 1980 में 431 स्थानों पर चुनाव लड़ा और उसे वैध मतों का केवल 18.93 प्रतिशत प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप 31 सीटें उसके हाथ लगीं, जिनमें से जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो 14 सदस्य इधर शामिल हुए। इस प्रकार 1980 के चुनावों में सब विरोधी दलों का सफाया हो गया। उस समय प्रेस और जनता की यह राय थी कि अगली एक या दो शताब्दियों तक कोई विश्वसनीय विरोधी दल नहीं बन सकता और उसके परिणामस्वरूप उनका यह भी विचार था कि अगले 20 या 25 वर्षों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। उस समय इस प्रकार की राजनीतिक मनोभावना बन गई थी।

(क) उपलब्धियाँ

आशा की किरण

देश की ऐसी मनोभावना के दौर में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और यह समझा जाने लगा कि इसने जो समय खो दिया है उसको यह जल्दी ही पूरा कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के अनथक प्रयत्नों से पार्टी का संदेश देश के कोने-कोने और विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुँचाया गया। 8 मास की अल्पावधि में ही संगठनात्मक चुनाव करवा लिये गए तथा विधिवत् निर्वाचन समितियाँ एवं नेता गण कार्य करने लगे। बंबई के अधिवेशन ने मित्रों एवं समालोचकों दोनों को ही आश्चर्यचकित कर दिया। एक ऐसा विरोधी दल समझी जानेवाली पार्टी को, जिसके दौड़ में जीतने के कोई आसार नहीं थे, जिसके बारे में लोगों की यह धारणा थी कि उसे एक चुनौती के रूप में उभरने में वर्षों लग जाएँगे, विराट् रूप में देखकर लोगों के मन में आश्चर्य एवं आदर पैदा हो गया। इस अधिवेशन की भारी सफलता से श्री एम. सी. छागला के शब्दों में भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीतिक रंगमंच पर 'एक आशा की किरण' के रूप में उदय हो गई। 27 अप्रैल, 1981 को कोचीन में राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में जब हमने यह कहा था कि "हमारी पार्टी के समालोचकों एवं प्रशंसकों दोनों ने ही हमारे बंबई अधिवेशन को बड़े ध्यान से देखा था, इसे हाल के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर बताया था और इस बात को स्वीकार किया था कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत शक्तिशाली दल बनेगी," तो बंबई अधिवेशन के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया के संबंध में हमारी पार्टी का अंदाजा सही था।

'1981 की चुनौती' नामक विचार गोष्ठी में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे रिव्यू (दिनांक 18 जनवरी, 1981) में प्रकाशित हुई थी, श्री छागला ने लिखा था— "आशा की एक छोटी सी किरण है जो दिखाई दे रही है और यही असाधारण शक्ति है जो इस नई भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रकट हुई है और यदि यह पार्टी दिनोंदिन शक्तिशाली बनती जाए और इसे देश के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो तो कम-से-कम हमें एक ऐसा लोकतंत्रवादी विकल्प मिल सकता है जो इंदिरा सरकार का स्थान ले सके।"

इस प्रकार आठ मास की अल्पावधि में ही भाजपा समस्त विरोधी दलों के प्रति लोगों की मनोवृत्ति में एक मूलभूत परिवर्तन लाने में सफल हो गई। विशेष रूप से विरोधी दलों के बारे में जो निराशा और अवसाद की मनोभावना बन गई थी उसे एक 'आशा की किरण' और संभवतः श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के एक लोकतंत्रवादी विकल्प के रूप में बदल देने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई। वस्तुतः यह भारतीय जनता पार्टी की एक महान् उपलब्धि थी।

उप-चुनाव

अनेक राज्यों में होनेवाले उप-चुनावों में अकेले दम पर प्राप्त विजय को भारतीय जनता पार्टी की सफलता मानना पड़ेगा। बड़ौदा नगर (गुजरात), हीरा नगर (जम्मू-कश्मीर), इंदौर, सागर व जबलपुर (तीनों म. प्र.) और गुजरात में लिंबड़ी व नरोड़ा तथा बिहार में आदिवासियों की सीट खूटीं हमने जीती। आंध्र में तेलगू देशम को हराकर, जो अभी-अभी सारे प्रदेश में व्यापक रूप में जीत कर सत्तारूढ़ हुआ था, हैदराबाद नगर की हिमायत नगर सीट को जीतना भी हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण था।

दक्षिण की ओर

भारतीय जनता पार्टी की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि न केवल इसके संगठन के जाल को दक्षिणी राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में फैलाना है अपितु, कर्नाटक तथा आंध्र में हमारी चुनावी सफलता प्राप्त करना भी है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत का एक दल समझा जाता था, किंतु दक्षिणी प्रदेश के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के अनथक प्रयत्नों के फलस्वरूप अब इस पार्टी को उत्तर भारत की ही पार्टी नहीं कहा जा सकता।

बढ़ता हुआ आधार

भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार अनेक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलाया है। इसी प्रकार इसने समाज के विभिन्न वर्गों में प्रवेश किया है।

एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी युवकों में विशेष

रूप से लोकप्रिय हुई है। विरोधी दलों में यह एक मात्र पार्टी है, जिसकी ओर बहुत से युवक आकर्षित होते हैं, जिसके नेतृत्व और झंडे के नीचे शिक्षित एवं अशिक्षित, शहरी एवं ग्रामीण युवा वर्ग बड़ी संख्या में एकत्र होता है।

आंतरिक लोकतंत्र

जबकि अन्य सभी पार्टियों में मनोनीत तदर्थ समितियाँ काम करती हैं, एक मात्र भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जिसके आरंभ से ही संगठनात्मक चुनाव नियमित रूप से कराए जाते हैं और जिसमें पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विधिवत् नेतागण और समितियाँ काम करते हैं। तदर्थवाद को समाप्त करके सभी स्तरों पर निर्वाचित संगठनात्मक ढाँचा खड़ा करके इसने देश के राजनीतिक परिदृश्य को नई प्रेरणा प्रदान की है।

उपलब्धियों की श्रृंखला

इन पाँच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ऐसे एकमात्र संगठित दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने में सफल रही है जो विभिन्न परिस्थितियों के दबाव से सहज रूप से उबरने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जिसने विधानसभाओं एवं संसद् में चुने गए अपने प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इस बात पर आग्रह किया है कि संबंधित व्यक्ति इसका बड़ी कठोरता से पालन करें। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सभी संसद् सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के लिए, चाहे वे किसी भी दल के हों, एक सर्वसम्मत आचार संहिता स्थापित करने में सहयोग देने के लिए की गई अपील के बावजूद अन्य दलों, जिसमें कांग्रेस (इ) भी सम्मिलित है, से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जिसने संसदीय लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ठोस योगदान किया है। एक मात्र भारतीय जनता पार्टी ही दल-बदल की बीमारी से मुक्त है, जो कि अपने आप में, खास तौर से जबकि दल-बदल घटनाएँ आमतौर पर होने लगी हैं, एक विशेष उपलब्धि है।

(ख) कमियाँ

कार्यकारी दल को अपने इस कार्यसंपादन के दौरान अपनी कई कमियों का पता लगा है। जब तक पार्टी इन त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देगी और इन्हें दूर करने के लिए कदम नहीं उठाएगी तब तक पार्टी के लिए पूर्णतया व्यवस्थित होकर अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना बहुत कठिन होगा।

त्रुटियाँ निम्न हैं—

1. नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच संप्रेषण की एक खाई पैदा हो गई है।
2. कार्यकर्ताओं को राजनीतिक, आर्थिक, सैद्धांतिक एवं संगठनात्मक विषयों में नियमित रूप से राजनीतिक प्रशिक्षण दिए जाने का अभाव रहा है।
3. पंजाब के संबंध में हमारे रुख, अर्थात् आनंदपुर प्रस्ताव का दृढ़तापूर्वक विरोध, आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी काररवाई का सतत आग्रह, अमृतसर में फौजी काररवाई का समर्थन, किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों पर की गई हिंसा की तीव्र भर्त्सना को न तो संबंधित क्षेत्रों के हिंदू ही समझ सके और न ही सिख। यद्यपि यह दृष्टिकोण युक्तिसंगत एवं देशभक्ति से ओत-प्रोत था और पूर्णतः राष्ट्रीय हितों से ही प्रेरित था, किंतु चुनावों में काफी महँगा भी साबित हुआ।
4. 1982 में हिमाचल प्रदेश में तथा 1983 में दिल्ली में सत्ता प्राप्त करने में हमारी असमर्थता से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया और उत्साह ठंडा पड़ गया।
5. अन्य लोकतंत्रवादी विरोधी दलों के साथ हमारे सहयोग संबंधी समझौते के प्रयत्नों का, विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोरचे का गठन का, यह अर्थ लगाया गया कि हम अन्य दलों के सहयोग के बिना कुछ अधिक नहीं कर सकते और इसलिए हमने सरल मार्ग अपनाया है। इसका अर्थ यह भी समझा गया कि हम अवसरवादी और अव्यावहारिक गठबंधन करना चाहते हैं।
6. कश्मीर पुनर्वास विधेयक इत्यादि जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय आंदोलन का अभाव रहा।
7. महिलाओं का हमारे प्रति कम रुझान रहा और पार्टी की इकाइयाँ उनकी ओर विशेष ध्यान देने और सावधानी बरतने में विफल हुईं।
8. हिमाचल प्रदेश में जनता पार्टी के हमारे प्रति नकारात्मक रवैये की पृष्ठभूमि में कर्नाटक में जनता पार्टी का समर्थन करने के हमारी पार्टी के निर्णय से यह आभास होता है कि हम दल के हितों को भुलाकर भी येन-केन-प्रकारेण कांग्रेस (इ) को सत्ता से हटाना चाहते हैं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि इस वजह से आज की भारतीय राजनीति में अपनी शक्ति के अनुपात में लाभ उठाने से हमने स्वयं को ही वंचित कर लिया।

(ग) ध्यान देने योग्य बातें

पार्टी के प्रथम पाँच वर्षों का विश्लेषण करने के पश्चात् अब हम आगे के पाँच वर्षों पर विचार करेंगे। हमें मुख्यतया यह सोचना है कि भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में हमें आगे कैसे बढ़ना है। परंतु ऐसा करने से पहले कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

भारत की प्रतिमूर्ति

हमारा देश एक विशाल देश है। 70 करोड़ से अधिक इसकी जनसंख्या है। इसमें विभिन्न धर्मों को माननेवाले, विभिन्न भाषाओं को बोलनेवाले लोग, हजारों नगरों और कस्बों में तथा लाखों गाँवों में रहते हैं, तथा अलग-अलग जलवायु और इसी प्रकार की अनेक विविधताओं से भरा जीवन बिताते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को नेतृत्व प्रदान करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना ताकि वे सुखी रहें और उनकी आकांक्षाएँ और आशाएँ पूरी हो सकें, संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति के लिए वे अपना पूरा-पूरा योगदान दे सकें, और देश में उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण बनाए रखना, ताकि व्यक्ति एवं उस समाज का, जिसको कि वह अविभाज्य अंग है, अधिकतम विकास हो सके, एक बहुत बड़ा कार्य है। यदि इस काम को हमें पूरा करना है तो हम अनुभव कर सकते हैं कि इसके लिए समर्पित लाखों लाख व्यक्तियों को कितना भारी प्रयत्न करना होगा। यह तभी संभव हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी स्वयमेव एक लघु भारत की प्रतिमूर्ति-वर्तमान भारत की नहीं जो अनेक समस्याओं और कठिनाइयों से ग्रस्त है, अपितु हमारे स्वप्न के कल के भारत की प्रतिमूर्ति बना सकेगी। इससे यह पता लग सकता है कि इस ध्येय की प्राप्ति के लिए एक सर्वव्यापी संगठन का निर्माण करना कितना कठिन कार्य है।

मतदाताओं का स्वरूप-परिवर्तन

एक राजनीतिक दल के रूप और विशेष रूप से एक ऐसे दल के रूप में जो वयस्क मताधिकार पर आधारित संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहा हो, हमारे लिए यह बिलकुल आवश्यक हो जाता है कि हम न केवल मतदाताओं की बदली हुई प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखें अपितु उनके स्वरूप एवं संरचना के परिवर्तन का भी ध्यान रखें। 1952 से 1967 तक के आम चुनावों में मतदाताओं में केवल वही व्यक्ति शामिल थे जो स्वतंत्रता से पूर्व की पीढ़ी के थे। परंतु 1971 में आम चुनावों में स्वतंत्रता के पश्चात् पैदा होनेवाले व्यक्तियों ने पहली बार अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद से आजादी

के बाद जनमे इन मतदाताओं का प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है और यह कहा जा सकता है कि अगले आम चुनावों तक देश में उनकी संख्या कुल मतदाताओं के 50 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी। इस प्रकार निश्चय ही भारतीय मतदाता के स्वरूप में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। अतः यदि भारतीय जनता पार्टी को इस निरंतर बढ़नेवाले मतदाता वर्ग का साथ व सहयोग प्राप्त करना है तो उन बातों का पता लगाना होगा तथा विश्लेषण करना होगा जो उन्हें सुहाती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सैद्धांतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक, चुनावी एवं भावनात्मक अपील ऐसी होनी चाहिए जो कि मतदाताओं की इस नई पीढ़ी की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

मतदाताओं का रवैया

अगली बात जिस पर हमें गौर करना है जनसंघ के दिनों और भारतीय जनता पार्टी के दिनों में हमारे द्वारा प्राप्त की गई चुनाव संबंधी सफलता है। इससे हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा कि अगले 50 या इससे कुछ अधिक महीनों में हमें कितनी भारी चहुँमुखी कोशिश करनी होगी। इसके लिए हमारी पार्टी को इस बात का अध्ययन करना होगा कि जनसंघ के रूप में 1952 से 1971 तक तथा 1977 और 1980 में जनता पार्टी के एक हिस्से के रूप में तथा 1984 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमें कितने प्रतिशत मत मिले थे। भारतीय जनसंघ को 1952 में 3.1 प्रतिशत, 1957 में 5.9 प्रतिशत, 1962 में 6.44 प्रतिशत, 1967 में 9.4 प्रतिशत तथा 1971 में 7.4 प्रतिशत मत मिले थे। जनता पार्टी को 1977 में 42.1 प्रतिशत मत मिले थे और उसने 2958 सीटों में से लगभग 103 सीटें प्राप्त कर ली थीं, अतः यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसने 42.1 प्रतिशत का 33-1/3 प्रतिशत मत भी प्राप्त किए थे। इस आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूतपूर्व भारतीय जनसंघ ने 1977 में कुल मतों का न्यूनतम 14 प्रतिशत प्राप्त किया था। 1980 में जनता पार्टी ने 18.33 प्रतिशत मत प्राप्त किए थे। यदि उपरोक्त तरीके को ही इस्तेमाल किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि पूर्व भारतीय जनसंघ को 1980 में 8.6 प्रतिशत मत मिले थे। 1984 में भारतीय जनता पार्टी को 7.66 प्रतिशत मत मिले थे जो अन्य विरोधी दलों से अधिक थे। प्रसंगवश, यह रोचक बात ध्यान देने योग्य है कि हमें 1980 में 8.6 प्रतिशत मत मिले थे जबकि हवा जनता पार्टी के खिलाफ चल रही थी और 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के कारण सारे देश में सहानुभूति की आँधी चल रही थी तो इस अत्यधिक असाधारण स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी ने मोटे तौर पर केवल 1 प्रतिशत मत खोये थे। भारतीय जनता पार्टी को इस समय उतने ही अर्थात् 7.6 प्रतिशत मत मिले थे जितने कि भारतीय जनसंघ को 1971 में, अर्थात् 7.4 प्रतिशत मिले थे। इससे एक और रोचक बात पता लगती है कि यह विचार

कि हमारे मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है, बिलकुल सही नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे मत घटे हैं परंतु भारतीय जनता पार्टी को मिले नए मतदाताओं के मतों ने इसकी क्षति पूर्ति कर दी है। यद्यपि सीटों की दृष्टि से हम 1952 को पहुँच गए हैं, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से हम 1971 में हैं। अतः यदि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से असाधारण परिस्थिति पैदा न हुई होती और उसके फलस्वरूप सहानुभूति की लहर न चली होती, तो हमसे सहानुभूति रखनेवालों एवं समर्थकों के बढ़ते हुए क्षेत्र को देखकर अर्थात् अनेक उप-चुनावों में हमारी सफलता को ध्यान में रखते हुए हमें 10 से 15 प्रतिशत के बीच मत मिल सकते थे।

इस प्रकार से यह मानकर चलने में कि डाले गए कुल मतों में से प्राप्त करने की हमारी अधिकतम क्षमता 15 प्रतिशत तक निर्धारित हो गई है, यह देखा जा सकता है कि यदि हमें सत्ता प्राप्त करनी है तो चाहे हम 1984 में कांग्रेस को मिले 49 प्रतिशत मत न भी पा सकें तब भी हमें कुल मतदान का कम-से-कम 42 प्रतिशत प्राप्त करना होगा, जो कि 1977 में जनता पार्टी को मिला था। यदि चुनाव के समय विभिन्न कारणों से होनेवाली 10 प्रतिशत मतों में घट-बढ़ को छोड़ भी दिया जाए तो भी हमें 20 से 25 प्रतिशत तक अधिक मत प्राप्त होंगे। हमें आगामी पाँच वर्षों में अपने सैद्धांतिक, संगठनात्मक तथा चुनाव संबंधी रवैया को तय करते समय निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखना होगा कि 20 से 25 प्रतिशत तक मत किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं।

(घ) विचारधारा

किसी राजनीतिक दल की विशेषता उसके संगठनात्मक ढाँचे, कार्य-शैली, उसके कार्यकर्ताओं की आदर्शवादिता की मात्रा और दल की सिद्धांतवादिता पर निर्भर करती है। विचारधारा ही किसी राजनीतिक कार्यकर्ता में आवश्यक उत्साह पैदा करती और किसी ध्येय के प्रति आदर्शवाद और वचनबद्धता को कायम रखती है। इस प्रकार से किसी पार्टी के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उसकी विचारधारा की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। सच तो यह है कि जब तक कोई पार्टी अपनी पृथक् विचारधारा को कायम रखने में समर्थ रहती है तभी तक वह अपनी अलग पहचान बनाए रख सकती है। 'पार्टी की अपनी अलग पहचान है'—कहने का मतलब है कि उसके पास ऐसी विचारधारा है जो अन्य पार्टियों की विचारधारा से पूरी तरह मेल नहीं खाती। अंततोगत्वा किसी राजनीतिक दल की शक्ति एवं उसका विस्तार भी सैद्धांतिक लोकप्रियता पर निर्भर करता है। अतः पार्टी को इस बात पर निरंतर विचार करते रहना चाहिए कि क्या उसकी

विचारधाराओं के मूलभूत सिद्धांत तत्कालीन समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हैं या नहीं और उसके सिद्धांतों को वे लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं या नहीं जिनके लिए वे बनाए गए हैं। इसी उद्‌देश्य से कार्यकारी दल ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की कि (क) पार्टी के कार्यकर्ता गत पाँच वर्षों में किस हद तक पार्टी की विचारधारा को आत्मसात् कर सके और वे आम जनता को कहाँ तक अपने साथ ले जा सकते हैं, और (ख) मूलभूत नीति संबंधी दस्तावेजों को अद्यतन करने सहित अन्य कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि समाज के विभिन्न वर्ग पार्टी की विचारधारा को और अधिक रूप में समझ सकें?

कार्यकारी दल के समक्ष प्रस्तुत विचारों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि मूलभूत दस्तावेजों अर्थात् पंचनिष्ठाओं एवं आर्थिक नीति संबंधी वक्तव्य को स्वीकार कर लेने के बाद उनके तात्पर्य को सुदूर कार्यकर्ता तक पहुँचाने पर बहुत कम ध्यान दिया गया। कुछ राज्यों को छोड़कर, बुनियादी विचारों में स्पष्टता लाने के लिए आवश्यक नियमित सैद्धांतिक चर्चाएँ बहुत कम जगह आयोजित की गईं। इन दो दस्तावेजों की पृष्ठभूमि में विभिन्न मुद्‌दों के बारे में पार्टी की स्थिति को सरल भाषा में बतानेवाला साहित्य भी उपलब्ध नहीं था। इसके फलस्वरूप पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की विचारधारा को हमारे समर्थकों एवं हमेशा सहानुभूति रखनेवालों तक पहुँचाने के लिए पूर्णतया सक्षम नहीं थे।

कार्यकारी दल की राय में यह एक बड़ी त्रुटि रही है और हम यह सिफारिश करते हैं कि केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर नियमित रूप से अध्ययन शिविर लगाए जाएँ। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि केंद्र तथा राज्यों के स्तर पर एक प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाए जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं स्थिति-पत्रों के तैयार किए जाने की व्यवस्था कर सके।

पार्टी के मुख्य सैद्धांतिक प्रतिपादन संबंधी तथा मूलभूत दस्तावेजों (पंचनिष्ठाओं एवं आर्थिक नीति संबंधी वक्तव्य) को अद्यतन बनाने की आवश्यकता संबंधी प्रश्नों के उत्तर में बहुत ही व्यापक विचार व्यक्त किए गए हैं। यह सुझाया गया है कि कुछ और निष्ठाएँ, जैसे अंत्योदय, शोषणमुक्त एवं समतायुक्त समाज की स्थापना, आधुनिकीकरण, गरीबी उन्मूलन, दीनजनों के उद्धार, गरीबी हटाने के लिए विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग आदि को भी निष्ठाओं में सम्मिलित किया जाए। इस दृष्टिकोण का, कि वर्तमान पंचनिष्ठाएँ तो पर्याप्त हैं, किंतु दस्तावेजों (पंचनिष्ठाओं एवं आर्थिक नीति संबंधी वक्तव्य) को अद्यतन करने की आवश्यकता है, अधिकतर लोगों ने समर्थन किया है। कुछ ऐसे भी सुझाव आए हैं कि राष्ट्रीयता को छोड़कर बाकी सब निष्ठाओं को समाप्त कर दिया जाए। सामान्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि इस पार्टी को एकात्म मानववाद को अपना दर्शन बना लेना चाहिए। इस बात पर भी बल दिया गया है कि पार्टी अपनी विचारधारा

को, जिसमें पंचनिष्ठाएँ भी सम्मिलित हैं, इस ढंग से प्रतिपादित करे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता परिलक्षित होती हो।

इस प्रश्न का एक और पहलू भी है। वह यह कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता पार्टी के प्रयोग को एक बदलती हुई राजनीतिक स्थिति का तर्कसंगत परिणाम मानकर उसके बनने के औचित्य को स्वीकार कर लिया तथा इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के गठन को भी सही दिशा में उठाया गया कदम मान लिया। किंतु उस राजनीतिक आंदोलन के समर्थक, जिसकी परिणति भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुई, पार्टी की विचारधारा को उसी राजनीतिक दर्शन के, जिसका निर्धारण उन्होंने अत्यंत मनोयोगपूर्वक किया था, विकास के रूप में पहचानने में असमर्थ रहे। सैद्धांतिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एकात्म मानववाद को सम्मिलित कर लेने से इस रिक्तता को भरने में काफी मदद मिलेगी।

पाँच वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी बनाई गई थी तो इसने पूरी गंभीरता से राष्ट्रीय ऐतिहासिक भूमिका अदा करने का दृढ़ संकल्प किया था। इसने भारतीय समाज में विद्यमान संकटों का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने हेतु अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जुट जाने का आह्वान किया था। संसद् में सत्तारूढ़ दल के प्रचंड बहुमत के बावजूद प्रतिदिन संकट और गहरे होते जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय विकल्प बनाने की आवश्यकता अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। इसी प्रकार एक वैकल्पिक विचारधारा, जिसके चारों ओर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जा सके, के विकास की भी उतनी ही आवश्यकता है। कहना न होगा कि इस पार्टी की विचारधारा देश के समक्ष विद्यमान आज के इन बहुमुखी संकटों को हल कर सकेगी। इस पृष्ठभूमि में कार्यकारी दल का यह सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विचारधारा निम्नलिखित बातों पर निर्भर होनी चाहिए—

परिदृश्य

आज मानवता अभूतपूर्व संकटों में घिरी हुई है। एक विश्वव्यापी संकट ने मानव जीवन एवं पर्यावरण के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर दिया है। यह हमारी अर्थव्यवस्था और परिवेश, हमारी सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं तथा हमारी राजनीति एवं आचार नीति, सभी पर छा गया है। वस्तुतः आज मानव के सामने सभ्यता के विनाश और यहाँ तक कि इस ग्रह पर प्राणिमात्र के विनष्ट हो जाने का वास्तविक भय पैदा हो गया है। मानवता को यह खतरा जो कि बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं, भयंकर सामाजिक एवं नैतिक विकृतियों से पैदा हुआ है, इस बात से और भी बढ़ जाता है कि यदि औद्योगिक एवं कृषि संबंधी उत्पादन, प्रदूषण, जनसंख्या तथा पुनः पैदा न किए जा सकनेवाले संसाधनों के अंधाधुंध दुरुपयोग का वर्तमान क्रम जारी रहा और अभी से सुधार के गंभीर प्रयत्न न किए गए तो

संभव है कि सौ सालों के अंदर हमारी सामाजिक व आर्थिक प्रणाली नष्ट-भ्रष्ट हो जाए।

विश्व का कोई भी देश, चाहे वह अमीर हो या गरीब, इन तनावों और चिंताओं से मुक्त नहीं है। विश्व के सभी राष्ट्र एक तरह से परेशानी के भँवर में फँसे हैं। वे अपनी समस्याओं का न तो निदान कर सकते हैं और न ही उनका कारण जान पा रहे हैं। ऐसी समस्याएँ, जैसे प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का विनाश, आय एवं धन का असमान वितरण, जिसके फलस्वरूप संपन्नता में भी गरीबी और विशाल अट्टालिकाओं के नीचे झुग्गी-झोपड़ियों जैसे विरोधाभास दिखाई देते हैं, मूल्यों, परंपराओं एवं संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ जाना, भयंकर मुद्रास्फिति जैसी आर्थिक अव्यवस्था पैदा होना, बेरोजगारी का बेहिसाब बढ़ना, अपराध, हिंसा, मद्यपान, नशीले पदार्थों का सेवन जैसी समाज को विच्छिन्न करनेवाली असंख्य बीमारियाँ होना, दुनिया भर में पाई जा रही हैं। आज मानव हैरान और परेशान है कि सभी क्षेत्रों की इतनी जानकारी एवं विश्लेषण के अत्युत्तम संसाधनों के बावजूद भी विशेषज्ञ लोग इन समस्याओं का हल निकालने में असमर्थ हैं।

आदर्श एवं उसकी सफलता

संभवतः समस्याओं के कारगर समाधान प्राप्त करने में विफलता का कारण यह है कि अधिकांश आधुनिक विचारक समस्याओं का पृथक्-पृथक् विश्लेषण एवं परीक्षण करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि 'संपूर्ण' केवल अपने हिस्सों का योग मात्र नहीं होता और समस्याओं के जाल में किसी एक घटक में परिवर्तन से अन्य घटकों में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है।

अब लोग इस बात को अधिकाधिक महसूस करने लगे हैं कि इस विश्वास से कि सभी पेचीदा सामाजिक, जैविक एवं आर्थिक समस्याएँ टुकड़ों में बाँटकर तथा ब्रह्मांड को एक मशीन समझकर सुलझाई जा सकती हैं, यह उलझाव पैदा हुआ है। प्रकृति को अंतिम विश्लेषण में एक मशीन समझना एक खंडित दृष्टिबोध को जन्म देता है और अंततोगत्वा प्रकृति एवं दुर्बल वर्गों के शोषण की स्वीकृति प्रदान करता है। वस्तुतः शोषक समाज और इसे स्थायी रूप देनेवाली विभिन्न सामाजिक व आर्थिक पद्धतियों एवं संस्थाओं का विकास इसी दोषपूर्ण विचारधारा से हुआ है। यह विचार, कि समाज में जीवन का अर्थ अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष है, भी इसी दृष्टिकोण से पैदा होता है और उत्पादन में बेहिसाब वृद्धि के लिए होड़ भी इसी रवैये का सीधा परिणाम है।

पूँजीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही प्रणालियों में असीमित विकास के लिए जो होड़ मची है उसने उनकी बहुत सी विशेषताओं को धूमिल कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से अलग-अलग दिखाई देनेवाली इन दो प्रणालियों में जो अंतर था वह

धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अधिकांश सामाजिक व आर्थिक उदाहरण, चाहे वे गैर-मार्क्सवादी हों अथवा मार्क्सवादी, विखंडित दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। अधिकांश आधुनिक द्वंद्वों को सुलझाने के लिए ये दोनों अपर्याप्त हो गए हैं।

एकात्म दृष्टिकोण

वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिकों ने यह अनुभव करना शुरू किया कि प्रकृति को मशीन समझने में अनेक दोष है। आधुनिक विज्ञान अब अपने बहुत से सिद्धांतों की गंभीरता से समीक्षा करने पर लगा हुआ है। इन प्रयत्नों से उपजी दृष्टि एक ऐसी 'अखंडित संपूर्णता' की ओर इशारा करती है जो परमाणु से आकाशगंगाओं तक सभी में विद्यमान है। इस 'समग्रवादी' विचार का तात्पर्य है कि प्रत्येक 'अंश' संपूर्ण के गुणों से भरपूर है। इस विचारधारा के अनुसार यह भौतिक जगत् इस सिद्धांत पर बना है कि "संपूर्ण अपने अंश में अभिव्यक्त होता है।" अतः 'संपूर्ण' एवं 'अंश' में परस्पर कोई टकराव नहीं है। प्रत्येक भाग को उसकी स्वायत्तता प्राप्त है; जबकि सभी भाग संपूर्ण के अंश के रूप में कार्य करते हैं और एक व्यापक पूर्ण के प्रति समर्पित रहने के अर्थ में वे एक अंश रूप में भी कार्य करते हैं। इस प्रकार जीवन, समाज, संस्थाएँ एक-दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था में गतिशील संतुलन बना रहता है।

एकात्म मानववाद—एक विकल्प

विश्व संकट की व्यापकता और विखंडित दृष्टि द्वारा उसके समाधान की असफलता से यह सिद्ध होता है कि इस संकट को दूर करने के लिए किसी नए सिद्धांत की आवश्यकता है। इसलिए 'समग्रता' का मार्ग ही एकमात्र ऐसा विकल्प बाकी रह जाता है जिस पर नई सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक खड़ा किया जा सकता है। प्रकृति के यांत्रिक दृष्टिकोण के विपरीत इस चित्र में व्यष्टि, समष्टिरूपी किसी मशीन का हिस्सा नहीं है, अपितु वह मानव समाज का प्रतिनिधि है। व्यष्टि तथा समष्टि सर्वदा आपस में और प्रकृति से परस्पर क्रिया करते हैं। अतः इस मॉडल में मानव व्यक्तित्व का केंद्रीय स्थान होगा। पंडित दीनदयालजी द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म मानववाद', मनुष्य तथा ब्रह्मांड के बीच विद्यमान इस 'अविखंडित संपूर्णता' का सही दिग्दर्शन कराता है। इस दृष्टिकोण का परिणाम यह है कि कोई भी समस्या समाज एवं पर्यावरण की समग्रता को ध्यान में लिये बिना हल नहीं की जा सकती।

भारतीय संस्कृति का सार ब्रह्मांड में विद्यमान विविधता में मूलभूत एकता को स्वीकार करना है। अति प्राचीनकाल में भारतीय ऋषि-मुनियों ने "यत् पिंडे तद् ब्रह्मांडे" इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। (जो संपूर्ण में है वही उसके अंश में

है, अथवा 'अंश' तथा 'पूर्ण' एक ही यथार्थ के द्योतक हैं)। इस प्रकार एकात्म मानववाद भारतीय संस्कृति के सर्वथा अनुकूल है। यह समय को समझने की भारतीय दृष्टि की पुष्टि करता है, और भारतीय दर्शन पर आधारित एक ऐसी समाज व्यवस्था के निर्माण का उपक्रम है जो आधुनिक द्वंद्वों को सुलझाने में समर्थ है।

एकात्म मानववाद सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त समाज व्यवस्था की आश्वस्ति प्रदान करता है। एकात्मता के मार्ग के अनुसार समष्टि (संपूर्ण) तथा व्यष्टि (अंश) में परस्परजीवी संबंध है। वे एक-दूसरे को पुष्ट करते हैं। चूँकि प्रत्येक अंश में संपूर्ण का अंश होता है, अतः संपूर्ण द्वारा अंश का शोषण अथवा एक अंश द्वारा दूसरे अंश का शोषण भी वर्जित होगा। इस मॉडल में सभी घटकों की परस्पर समरूपता अथवा बराबरी और समाज को धारण करनेवाले बंधुभाव के दृढ़ बंधन बड़ी आसानी से पहचाने जा सकते हैं।

एकात्म मानववाद में विश्वास का तात्पर्य है ऐसी सामाजिक व्यवस्था में विश्वास जो समतायुक्त एवं शोषणमुक्त सिद्धांत पर आधारित हो।

लोकतंत्र एवं विकेंद्रीकरण एकात्म मानववाद के स्वाभाविक परिणाम हैं। समग्रतावादी दृष्टि के अनुसार प्रत्येक घटक को उसके निजी क्षेत्र में स्वायत्तता तो है, परंतु वह घटक समग्र व्यवस्था के साथ गतिशील संतुलन भी बनाए रखता है। और यही समग्र दृष्टि की जीवनी शक्ति है। अतः समूह या सामाजिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिए प्रत्येक घटक द्वारा समान भागीदारी इस नए मॉडल की अंतर्निहित विशेषता है। एकात्म मानववाद द्वारा प्रस्तुत लोकतांत्रिक व्यवस्था घटकों को राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति के पूर्ण विकेंद्रीकरण की ओर ले जाएगी। इस नमूने से बिलकुल स्वाभाविक रूप से मूलभूत अधिकारों एवं उनके क्षेत्र का भी प्रतिपादन किया जा सकता है।

मानव समाज विभिन्न राष्ट्रों से बना है, जो कि अपने आप में अनेक सामाजिक वर्गों, जातियों तथा व्यक्तियों से निर्मित हैं। अतः राष्ट्र विशाल मानव परिवार का 'अंग' है जो व्यक्तियों के लिए 'संपूर्ण' के रूप में काम करता है। समग्र दृष्टि के अनुसार वह राजनीतिक अनिवार्यताओं की उपज नहीं है बल्कि मानव के नैसर्गिक एकत्रीकरण की देन है जिसके द्वारा 'मानव मात्र की संपूर्णता' अधिक गहरे और व्यापक अर्थों में देखी जा सकती है। विभिन्न राष्ट्र इस 'समग्रता' के विविध पहलुओं में से किसी एक को विशेष रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अतः राष्ट्रों को संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए आपस में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना से अपने राष्ट्रजनों के विकास के लिए तथा मानवमात्र की प्रगति के लिए कार्य करने की अत्यधिक शक्ति मिलती है।

विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों के बीच आध्यात्मिक स्तर पर होनेवाले आदान-प्रदान के फलस्वरूप अनेक प्रकार के अनुभव पाए जाएँगे जो कि कभी-कभी एक-दूसरे से बिलकुल भिन्न भी हो सकते हैं। अतः उपासना पर आधारित कोई भी समाज

व्यवस्था इस विविधता को एक ही विश्वात्मा की विविध अभिव्यक्तियों के रूप में स्वीकार करेगी। इसका एक अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए।

यही धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक पहलू है और सर्व-धर्म-समभाव की भारतीय परंपरा का पर्यायवाची है। इसी अर्थ में भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है।,

विश्व के संकट का एक बड़ा भाग वर्तमान आर्थिक अव्यवस्था है, जिसके साथ पर्यावरण के ह्रास का संकट जुड़ा है। इन विकृतियों के समाधान एकात्म मार्ग के ढाँचे के अंदर ही निकाले जा सकते हैं, बशर्ते कि इस बात को समझ लिया जाए कि एक सीमित परिवेश में असीमित विस्तार नहीं हो सकता। अतः एक तरफ विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों में और दूसरी तरफ हमारे उपग्रह के सीमित स्वरूप के पर्यावरण में परस्पर संतुलन बनाए रखना मानव को विद्यमान संकटों से मुक्त करने के लिए जरूरी है। एक-तिहाई से भी कम दुनिया की आबादी में असीमित विकास तथा तीसरी दुनिया में असाधारण दारिद्र्य एवं चीजों का अभाव तथा चारों तरफ विद्यमान प्रदूषण की समस्याएँ इस आर्थिक संकट का समाधान नहीं है। तकनीकी का फायदा केवल धनी राष्ट्रों को ही नहीं होना चाहिए जिसके फलस्वरूप कुछ लोग अनेक लोगों का शोषण करते रहें। एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास, जो करोड़ो भूखे लोंगों को रोजी, रोटी दे सके और जीवन के उन्नयन के लिए ऐसी अर्थव्यवस्था कायम कर सके जो शोषण से मुक्त हो, करना परमावश्यक है। भारतीय संदर्भ में गांधीवादी अर्थव्यवस्था, जिसका उद्‌देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है, एकात्म मानववाद की बुनियादी विशेषताओं को प्रकट करती है। स्वतंत्रता, रोटी और रोजी इसके साथ ही शोषण-रहित समाज पर बल, यह एकात्म मानववादी आर्थिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण हैं।

अलग-अलग देशों में समाजवाद के अलग-अलग अर्थ लगाए जाते हैं। भारत में इसे सामाजिक न्याय का पर्यायवाची मान लिया गया है। भारतीय संविधान में यह निहित समाजवाद इस रूप में गरीबों एवं पददलितों के उद्धार का सिद्धांत है। इस अर्थ में समाजवाद एकात्म मानववाद के सर्वथा अनुरूप है।

शोषणमुक्त व्यवस्था में विश्वास का मतलब है एक ऐसे समाज की व्यवस्था करना जो कुछ सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित हो। मूल्यों से रहित मानव गतिविधि समाज व्यवस्था को नष्ट कर देती है। एकात्म मानववाद मूल्यों पर आधारित समाज में विश्वास करता है। सिद्धांतों एवं मूल्यों में निष्ठा के बिना राजनीतिक गतिविधि स्वार्थपरता का खेल मात्र रह जाती है।

आधुनिक राज्य-तंत्र समाज में परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बन गया है। यदि मानव जीवन को सुधारना है तथा सामाजिक न्याय को सुरक्षित करना है

तो राज्य को जनहितकारी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। लोकतंत्र तथा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था एवं मानव मूल्यों में विश्वास पर लोक-कल्याणकारी राज्य एक ऐसा सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन ला सकता है जिसकी भारत और विश्व के अधिकांश भागों में अत्यधिक आवश्यकता है।

संस्तुतियाँ

अतः कार्यकारी दल यह संस्तुति करता है कि—

(क) एकात्म मानववाद पार्टी का आधारभूत दर्शन होना चाहिए।

(ख) पार्टी का उद्देश्य भारतीय 'संस्कृति' एवं परंपरा, जो मूलतः एकात्म दृष्टिकोणवाली है, के आधार पर देश के निर्माण के लिए कार्य होना चाहिए, और एक ऐसे राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए जिसमें समान अवसर तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सभी नागरिकों के धार्मिक विश्वास की आजादी की गारंटी हो ताकि भारत एक समृद्ध, शक्तिशाली तथा संगठित राष्ट्र—जो प्रगतिशील, आधुनिक एवं ज्ञानवान हो—के रूप में विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रों के समुदाय में अपनी सक्रिय भूमिका को कुशलता से निभा सके।

(ग) पार्टी को निम्नलिखित निष्ठाएँ स्वीकार करनी चाहिए—

1. राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय अखंडता।
2. लोकतंत्र।
3. गांधीवादी सामाजिक, आर्थिक नीति अर्थात् ऐसे समाज की स्थापना जो समतायुक्त और शोषण-मुक्त हो।
4. सकारात्मक सेक्युलरिज्म अर्थात् सर्वधर्मसमभाव।
5. मूल्यों पर आधारित राजनीति।

(घ) इस पृष्ठभूमि में पार्टी के दस्तावेजों (पंचनिष्ठाएँ तथा आर्थिक नीति वक्तव्य) को अद्यतन किया जाए।

(ङ) चुनाव रणनीति

भारतीय जनता पार्टी ने अपने निर्माण के समय ही एक यथार्थवादी चुनाव रणनीति की घोषणा की थी और सतत रूप से उस पर चलती रही। तदनुसार अपने अलग अस्तित्व को बनाए रखते हुए चुनाव के समय अन्य राष्ट्रीय एवं लोकतांत्रिक दलों के (कांग्रेस इ, कम्युनिस्ट एवं मुसलिम लीग को छोड़कर) सीटों के आदान-प्रदान के लिए प्रयास तथा विशेष मुद्दों पर संसद् एवं विधानसभाओं के अंदर तथा बाहर विरोधी दलों मे परस्पर सहयोग के लिए भाजपा ने प्रामाणिकता से व्यवहार किया है।

प्रश्नावली के उत्तर में कार्यकर्ताओं से प्राप्त अनेक सुझावों तथा व्यक्तिगत भेंट के अनुभवों के आधार पर गत पाँच वर्षों में दल की चुनाव रणनीति में निम्नलिखित न्यूनताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है—

1. विरोधी दलों की एकता के प्रश्न को लेकर चलनेवाली गतिविधियों से जनता एवं कार्यकर्ताओं में यह आशंका बनी रही कि शायद हम विलय की संभावना को पूरी तरह रद्द नहीं करते।
2. चुनाव तालमेल की सतत एवं लंबी चर्चा, किंतु समझौतों में अपेक्षित सफलता न मिलना, तथा कहीं समझौता, कहीं झगड़ा—इस स्थिति ने जनता एवं कार्यकर्ताओं में गहरा रोष एवं भ्रम उत्पन्न किया।
3. 1982 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोक दल से समझौता प्रयासों एवं उसमें विफलता से हानि हुई है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था।
4. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोरचे के गठन से कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में नाराजगी का भाव उत्पन्न हुआ। अनुभवों की कसौटी पर यह निर्णय गलत सिद्ध हुआ।
5. कर्नाटक में जनता पार्टी को हमारी ओर से बिना शर्त सहयोग दल के लिए हानिकर सिद्ध हुआ।
6. मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान जैसे भाजपा के प्रभाव क्षेत्रों में अपेक्षित सफलता न मिलने से दल के अंदर निराशा तथा आम लोगों में हमारे प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न हुआ। अपने प्रभाव क्षेत्रों में चुनाव सफलता के लिए जितनी गंभीरता से समय रहते पूर्व योजना बननी चाहिए थी, चुनाव में जितनी शक्ति व साधन जुटाए जाने चाहिए थे, और मतदान से मतगणना तक जैसी दृढ़ व्यवस्था की जानी चाहिए थी, उसमें प्रदेशों एवं केंद्र की ओर से अनेक कमियों के बारे में भी कहा गया है।

1984 के लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की क्रूर हत्या के कारण एक असाधारण स्थिति में हुए हैं, इसलिए इनसे असाधारण निष्कर्ष निकालकर भाजपा को मिली असाधारण पराजय के कारण पराभूत मनोवृत्ति से ग्रस्त होकर हताश होने की आवश्यकता नहीं। लोकसभा चुनाव में दूसरी महत्त्व की बात यह थी कि विपक्षी दलों की आपसी कलह के कारण केंद्र में एक संयुक्त सरकार प्रदान करने की घोषणा के प्रति तनिक भी विश्वसनीयता प्रस्थापित नहीं हो सकी। किंतु सारा दोष परिस्थिति के मत्थे मढ़कर यदि हम अपनी कमियों का विश्लेषण नहीं करेंगे तो दल के भावी विकास के लिए यह हितकर नहीं होगा।

कार्यकारी दल का सुविचारित मत है कि देश के मतदाताओं में परिवर्तन की तीव्र इच्छा विद्यमान है। सत्तारूढ़ दल को मिले भारी बहुमत के बावजूद राजनीति में रिक्तता का आभास बना हुआ है। यह भी स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि जिन

प्रदेशों में विपक्षी दल एक सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट विकल्प के रूप में अपनी साख बना पाए हैं वहाँ मतदाताओं ने विपक्षी दलों को सत्ता प्राप्त करने में पूरा समर्थन दिया है। जहाँ तक केंद्र का संबंध है, मतदाता की यह मनः स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि देश की एकता के लिए केंद्र में एक दृढ़, स्थायी शासन के प्रश्न पर वह कोई संकट मोल लेने को तैयार नहीं है।

वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के समय से ही देश की जनता ने हमारे दल से सत्ता परिवर्तन का वाहक बनने एवं एक सिद्धांतवादी स्थायी एवं सुदृढ़ विकल्प के रूप में विकसित होने की हार्दिक अपेक्षाएँ की हैं। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम उनकी अपेक्षाओं पर पूरे नहीं उतरे। हमें यह भी स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि कमी जनसमर्थन की नहीं, अपितु परिवर्तन का केंद्र-बिंदु बनने के लिए पहल करने में हमारे दृढ़ संकल्प की है। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में उत्पन्न रिक्तता को भरने तथा एक व्यापक एवं विश्वस्त विकल्प प्रस्तुत करने का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में अग्रसर होने का तेजी से प्रयास करे, यही समय की माँग है।

इस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी की आगामी चुनाव रणनीति की दृष्टि से कार्यकारी दल के सुझाव इस प्रकार हैं—

1. देश के सभी 542 लोकसभा क्षेत्रों से संपर्क कर उन्हें आगामी चुनाव के लिए संगठित करने का काम तत्काल प्रारंभ किया जाए।
2. देश के कुछ प्रदेशों का चयन करके उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में विकसित करने तथा शक्तिशाली विकल्प के रूप में जनता में स्थान बनाने की दृष्टि से संबंधित प्रदेशों एवं केंद्र की ओर से भरसक प्रयास किया जाए।
3. भविष्य में ऐसी कोई चर्चा किसी भी स्तर पर न की जाए जिससे दल के पृथक् अस्तित्व पर किसी प्रकार के समझौते का आभास मिले।
4. अपने दल के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में आदान-प्रदान के आधार पर निर्णय लिये जा सकते हैं। कर्नाटक के हमारे अनुभव ने सिद्ध किया है कि राजनीति में उदारता के लिए कोई स्थान नहीं है।
5. केंद्र एवं प्रदेश स्तर पर सक्रिय एवं दक्ष चुनाव सेल स्थापित किए जाएँ।
6. कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव संचालन संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
7. प्रत्याशियों के चयन, चुनाव रणनीति के निर्धारण, चुनाव अभियान के संचालन तथा चुनाव विवादों को तत्काल निपटाए जाने की दृष्टि से केंद्रीय चुनाव समिति एवं प्रदेश चुनाव समिति को निरंतर सतर्क एवं सक्रिय रहना चाहिए।

अध्याय-दो
(क) संगठन

काडर पर आधारित जन-जन की पार्टी

प्रत्येक पार्टी चाहती है कि वह इस प्रकार का संगठन बनाए जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध हो सके। भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं का संगठन है।

हम काडर पर आधारित पार्टी बनाने में सफल हुए हैं। किंतु केवल इस काडर पार्टी के आधार पर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। काडर पर आधारित होने के कारण हमारा आधार वहीं तक सीमित हो जाएगा। यदि हमें अधिक व्यापक आधार बनाना है तो वह भी इसी काडर की सहायता से ही बन सकेगा। हमें 'काडर पर आधारित व्यापक दल बनने के लिए व्यापक जन-समर्थन पर आधारित' शब्द परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु इन दोनों में एक सुखद सामंजस्य बैठाया जा सकता है। काडर को अपना आधार व्यापक बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे आम जनता को नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हो सकें। अतः अपने आपको जन-जन से अधिकाधिक जोड़ने के लिए काडर को सजग प्रयत्न करते रहने होंगे। प्रत्येक स्तर पर जन-समस्याओं को उठाना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं आंदोलनों आदि में जनता अधिक-से-अधिक संख्या में भाग ले।

सदस्यता

भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय के बाद कि उसे व्यापक आधार बनाना है और जन-जन को अपने पीछे चलाना है, समाज के सभी वर्गों से सदस्य भर्ती करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने होंगे। बड़े पैमाने पर सदस्यों को भर्ती करने के काम में दो बातों का ध्यान रखना होगा। इस समय हमारी पार्टी के संविधान के अनुसार सदस्यता दो वर्ष की होती है और इसके लिए 1 रुपया शुल्क देना पड़ता है। सदस्यों की भर्ती चुनाव वर्ष के दौरान प्रथम चार मास में की जाती है। यद्यपि वर्ष भर सदस्यों की भर्ती करने की लिखित रूप से कोई मनाही नहीं है, किंतु अनेक इकाइयों ने व्यवहार में अपने ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगा लिया है। इस कार्यकारी दल का यह सुझाव है कि अपने आधार को तेजी से बढ़ाने के लिए सदस्यों की भर्ती का काम कुछ नियत अवधि तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु पूरे साल भर चलते रहना चाहिए। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि दलीय चुनावों के लिए इसकी अंतिम तिथि क्या होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी दल का यह सुझाव है कि—

1. सदस्यों की सदस्यता स्थायी होगी।
2. जो प्राथमिक सदस्य संगठनात्मक चुनाव के लिए सक्रिय सदस्य या मतदाता बनना चाहेंगे उन्हें अपनी सदस्यता का हर चार वर्ष बाद नवीकरण कराना चाहिए।
3. चार वर्ष की अवधि के लिए सदस्यता-शुल्क दो रुपए होगा।
4. सदस्यता पंजिका सदा खुली रहेगी। जब कोई नया सदस्य भर्ती किया जाएगा तो उसका नाम पंजिका में लिख दिया जाएगा।
5. किंतु संगठनात्मक चुनाव पूर्ववत् दो वर्ष में एक बार ही होंगे।
6. राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा इस बात का निश्चय किया जाएगा कि चुनाव के अवसर पर संगठनात्मक चुनाव के लिए सदस्यता की अंतिम तारीख क्या हो।

इससे दो वर्ष में एक बार बड़े पैमाने पर सदस्य भर्ती करने की जिम्मेदारी से संगठन मुक्त हो जाएगा और उसे नए क्षेत्रों तथा समाज के विभिन्न वर्गों में अपने आपको फैलाने तथा उनमें से नए सदस्य भर्ती करने के लिए आवश्यक समय और अवसर मिल जाएगा। चार वर्षों की अवधि के बीच संगठनात्मक चुनाव नई सदस्य-पंजिका को पूरा करने पर निर्भर नहीं करेंगे। इस समय चुनाव करवाने में लगभग आठ मास लग जाते हैं। इसे घटाकर केवल तीन मास या चार मास तक किया जा सकता है, जबकि किसी नई सदस्य-पंजिका की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार जब मूल सदस्य-पंजिका तैयार हो जाएगी तो किसी के त्याग-पत्र देने, देहावसान हो जाने अथवा हटाए जाने के बाद उसके नाम को जोड़ा या हटाया जा सकता है और इस प्रकार किसी भी निश्चित तारीख की पंजिका तैयार मिलेगी।

गतिशील कौन है?

संगठन में यह भावना बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जिनमें ठहराव आ गया है, और उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है।

जिस प्रकार बहते पानी में काई नहीं लगती उसी प्रकार बढ़ते हुए संगठन में इस प्रकार जड़ता का निर्माण नहीं होता। कुछ लोग यह समझते हैं कि पार्टी में अधिकाधिक युवा रक्त को लाने से इसका प्रतिकार हो जाएगा, जब कि कुछ का विचार यह है कि जो लोग लंबे समय से संगठन में चले आ रहे हैं उन्हें नए लोगों के लिए अपना स्थान खाली कर देना चाहिए। कार्यकारी दल का यह विचार है कि इस विषय को हमें आयु की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारे जैसे बढ़ते हुए संगठन को लोगों के अनुभव, विशेष ज्ञान, चातुर्य एवं उपयुक्त राजनीतिक

सूझ-बूझ की, जो उन्होंने वर्षों तक पार्टी की सेवा करते हुए प्राप्त की है, बहुत जरूरत है। अतः प्रतिभा, उपयोगिता, पार्टी द्वारा सौंपे गए किसी भी काम को करने के लिए सक्रियता और हमेशा तैयार रहने की भावना ही इस बात की कसौटी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति पार्टी में एक पद पर काम कर रहा है वह उसके योग्य है या नहीं। इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति नया आया है इसलिए उसे संगठन में उसके उपयुक्त स्थान से वंचित नहीं रखना चाहिए, परंतु इसके साथ ही किसी व्यक्ति को केवल नएपन के आधार पर ही किसी पुराने और अनुभवी सदस्य का स्थान लेने के लिए अधिक अच्छा नहीं समझा जा सकता। किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, न ही किसी की प्रतिभा का सदुपयोग किए बगैर रहना चाहिए। यह 'प्रतिभा की तलाश' की प्रक्रिया संगठन में सभी स्तरों पर हमेशा चलती रहनी चाहिए और प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति को संगठन में सभी स्तरों पर अपना उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए तथा उसे अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए पर्याप्त अवसर भी मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि संगठन के कार्य की गति बढ़ा दी जाए तो स्वाभाविक रूप से जो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते वे पिछड़ जाएँगे और शनैः-शनैः लुप्त हो जाएँगे। इस संगठन में अनुभव एवं यौवन का सुखद सम्मिश्रण होना चाहिए।

विभिन्न स्तरों की समितियों में 35 वर्ष से कम आयुवाले युवाओं को स्थान देने पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रयत्न होना चाहिए कि इनमें युवाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम न रहे। कार्यकारी दल का यह विचार है कि प्रत्येक समिति के स्तर पर इस बात का ध्यान रखने की हर कोशिश की जानी चाहिए कि समितियों के 20 प्रतिशत सदस्य नए हों, ताकि इन समितियों में ठहराव न पैदा हो जाए।

नेता के रूप में कार्यकर्ता

समाज के विभिन्न वर्गों के अधिक सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने मात्र से ही उस वर्ग को कोई विशेष महत्त्व नहीं मिल जाता। भारतीय जनता पार्टी में या तो विभिन्न वर्गों के नेताओं को शामिल किया जाना चाहिए अथवा जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों उन्हें अपने वर्ग का नेता बनाए जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इन दोनों ही दिशाओं में कार्य किया जाना चाहिए। प्रायः विभिन्न सामाजिक वर्गों के अधिकांश लोग किसी व्यवसाय विशेष से संबंधित होते हैं। यदि उस व्यवसाय विशेष के बारे में समस्याएँ पैदा हों तो हमारी पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा वे समस्याएँ उठाई जानी चाहिए। इस तरह से उस वर्ग के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को अपनी समस्याओं को हल करनेवाले नेता के रूप में ग्रहण कर सकेंगे।

(ख) मोरचे आवश्यक

इसी संदर्भ में विभिन्न प्रकोष्ठों अथवा मोरचों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। एक विचार यह व्यक्त किया गया था कि हमें कोई मोरचे नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि यह एक जन की हमारी बुनियादी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। यह दृष्टिकोण अपने आप में सही हो सकता है, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की सारी जनता को एक राष्ट्र समझती है। एक देश तथा एक राष्ट्र—यह हमारा सदा ही मूलमंत्र रहा है। इसके बावजूद भी यदि हम मोरचे चलाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में फूट डालना चाहती है अथवा उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर देखती है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 70 करोड़ लोग रहते हैं और वे अनेक जातियों, समुदायों और व्यवसायों आदि में बँटे हुए हैं। हमारा प्रयत्न उन सब में एकता स्थापित करने का है। ऐसा करते समय इन वर्गों की जो समस्याएँ हों अथवा एकता स्थापित करने में जो बातें बाधक हों उनका हल ढूँढ़ा जाना चाहिए। यह कार्य संपूर्ण संगठन द्वारा करना संभव नहीं होता, क्योंकि तब संगठन को बहुत से काम एक साथ करने पड़ेंगे। परंतु उस काम को वे लोग अवश्य कर सकते हैं जिन्हें उन क्षेत्रों का विशेष अनुभव है या जो इन कामों के लिए विशेष दक्षता-संपन्न हैं। अतः अगर यह मोरचे न रहें तो संगठन को हानि होगी। इसके विपरीत अधिकाधिक वर्गों की ओर ध्यान देने के लिए अधिकाधिक मोरचों की आवश्यकता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पार्टी जो कोई भी प्रकोष्ठ अथवा मोरचा स्थापित करती है वह पार्टी का अभिन्न अंग होता है। इन प्रकोष्ठों एवं मोरचों की कार्यविधि ऐसी होनी चाहिए जिससे न तो पार्टी के साथ और न ही अन्य प्रकोष्ठों एवं मोरचों में आपस में कोई टकराव उत्पन्न हो सके।

वस्तुतः ये मोरचे विभिन्न वर्गों में प्रवेश करने के लिए पार्टी का स्थापन मात्र हैं और इनकी स्थापना संबंधित वर्गों की समस्याओं के निराकरण मात्र के लिए नहीं की गई है, अपितु उनमें पार्टी का प्रभाव और छवि बनाने के लिए भी। ये प्रकोष्ठ और मोरचे पार्टी को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटने के लिए नहीं हैं, अपितु ऐसी धाराएँ तैयार करने के लिए हैं जिनसे होकर विभिन्न वर्गों के लोग पार्टी में प्रवेश कर सकें। अतः यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि ये सब मोरचे और प्रकोष्ठ अपने में स्वतंत्र, समानांतर अथवा स्वायत्त नहीं हैं, अपितु पार्टी का ही अंग हैं।

किसान मोरचा

जब हम यह कहते हैं कि किसान और खेतिहर मजदूर न केवल हमारे समाज अपितु हमारी अर्थव्यवथा की भी रीढ़ हैं तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हमारे समाज का यह बहुत बड़ा वर्ग मौसम के थपेड़ों का सामना करते हुए इसलिए दिन-रात मेहनत करता है, ताकि सारे राष्ट्र को भोजन दिया जा सके, किंतु उसकी समस्याओं तथा कष्टों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। जब तक किसानों की बहुत सारी उपयुक्त माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाता तब तक उनमें विद्यमान असंतोष से राष्ट्र को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।

इन परिस्थितियों में पार्टी अब किसानों की ओर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकती और इस काम के लिए कोई अलग मोरचा न हो तो पार्टी के लिए किसानों तक पहुँचना और उनकी समस्याओं का अध्ययन करना तथा उन्हें हल करने के लिए संघर्ष करना मुश्किल होगा। अतः कार्यकारी दल यह सिफारिश करता है कि किसानों के लिए एक अलग मोरचा स्थापित किया जाए।

श्रमिक मोरचा

इसी प्रकार श्रमिकों के लिए भी एक मोरचा अवश्य होना चाहिए। कार्यकारी दल के दौरे के दौरान जब वे श्रमिकों के प्रतिनिधियों से मिले थे तो दल के सदस्यों को यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का श्रमिक वर्ग पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि लोगों को यह पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी श्रमिकों के प्रश्न को उठाया है, या उसने श्रमिकों की समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया है, अथवा उनका कभी साथ दिया है। अतः एक श्रमिक मोरचा बनाना बहुत जरूरी है, जो वर्तमान ट्रेड यूनियनों के साथ संपर्क बनाए रखे, श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके बारे में प्रस्तावों का मसौदा तैयार कर तत्संबंधी पार्टी के विचारों को व्यक्त करे तथा संगठित मजदूरों के बीच पार्टी की छवि का निर्माण करने के लिए उपाय सुझाए।

कार्ययोजना के विचार के साथ-साथ वर्तमान मोरचे, उनके क्रियाकलापों तथा कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

(ग) प्रशिक्षण

जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर पर आधारित जन-जन की पार्टी है तो काडर को न केवल पार्टी के विषय में प्रशिक्षण देना अपितु पार्टी की अभिवृद्धि के लिए विभिन्न अन्य सुसंगत विषयों के बारे में

प्रशिक्षित करने का काम भी अवश्य होना चाहिए। इस समय ऐसी कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। इन पाँच वर्षों में केवल कुछ एक राज्यों ने ही राज्य स्तर पर कुछ प्रशिक्षण वर्ग या शिविर लगाए और कुछ राज्यों ने ये भी नहीं लगाए। पार्टी अपने काडर के प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं कर सकती, अन्यथा इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ये शिविर जिला स्तर पर तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्ष में एक बार अवश्य लगाए जाने चाहिए। जिला स्तर के शिविर दो दिन के हों, राज्य स्तर के तीन दिन के और अखिल भारतीय स्तर के पाँच दिन के होने चाहिए। पार्टी अध्यक्ष द्वारा इन प्रशिक्षण शिविरों को न केवल पथ-प्रदर्शक सिद्धांत उपलब्ध कराने, अपितु इन शिविरों के पश्चात् की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी एक छोटी सी समिति अथवा प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए।

अध्ययन दल

विभिन्न संगठनों, प्रकोष्ठों, मोरचों तथा संस्थाओं के अतिरिक्त, जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, पार्टी के विभिन्न विषयों का गहराई से अध्ययन करने के प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। विदेशों से संबंध, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था, ग्राम विकास, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बेरोजगारी, केंद्र-राज्य संबंध आदि विषयों का अच्छी तरह अध्ययन करने की आवश्यकता है। इन विषयों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई जानी चाहिए। पार्टी के नेताओं की मदद तथा इन क्षेत्रों में घटनेवाली घटनाओं से पार्टी को अच्छी तरह अवगत रखने के लिए समय-समय पर टिप्पणी तैयार की जानी चाहिए। इसमें इन विषयों संबंधी प्रस्तावों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा के समय पर गहराई से तथा विस्तार से चर्चा की जा सकेगी। अतः कार्यकारी दल का यह विचार है कि इसका श्रीगणेश राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकोष्ठ अथवा अध्ययन दल स्थापित करके किया जा सकता है जिनमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लगभग सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। राज्यों में बाद में इसका अनुकरण किया जा सकता है।

सक्रिय सदस्य

पार्टी के अब दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो साधारण सदस्य और दूसरे सक्रिय सदस्य। कार्यकारी दल का यह विचार है कि ये दोनों ही प्रकार के सदस्य सक्रिय बने रहने चाहिए। जो लोग हर चार साल बाद दो रुपए चंदा देंगे वे भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य माने जाएँगे। पार्टी के संविधान में सक्रिय सदस्य की कसौटी पहले ही बताई जा चुकी है। इसमें एक या दो बातें जोड़कर इनको बरकरार रखा जा सकता है। एक सक्रिय सदस्य को जो 25 सदस्य भर्ती करने होते हैं उनमें से कम-से-कम पाँच महिलाएँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अथवा अल्पसंख्यकों के सदस्य होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त सक्रिय सदस्य के लिए एक और कसौटी यह होनी चाहिए कि उसने पार्टी द्वारा चलाए जानेवाले आंदोलनों, शिविरों तथा कार्यक्रमों आदि में भाग लिया हो। जिन सदस्यों को सक्रिय सदस्य का दर्जा दिया जाना है उन पर इन कसौटियों को कठोरता से लागू किया जाए और उनकी सूची उपयुक्त ढंग से रखना जैसी कि पार्टी के संविधान में व्यवस्था है, बहुत आवश्यक है। इस सुझाव पर उचित विचार किया जाना चाहिए कि सक्रिय सदस्यों को उपयुक्त पहचान-पत्र दिए जाएँ।

पूर्णकालिक कार्यकर्ता

पूर्णकालिक सदस्यों के प्रश्न पर कार्यकर्ताओं के सभी स्तरों पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि राजनीति अब बहुत ही श्रम-साध्य हो गई है और इसके लिए अधिकाधिक समय चाहिए। जितने ज्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ता कार्यक्षेत्र में लगाए जाएँगे उतना ही ज्यादा काम निम्न स्तर पर बढ़ेगा। परंतु पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के चुनाव और उनको सौंपे जानेवाले दायित्व के बारे में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को कभी भी वेतनभोगी कर्मचारियों के समान नहीं समझा जा सकता। केवल उन्हीं व्यक्तियों को, जो पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित हों तथा पार्टी के विचारों से पूर्णतया सहमत हों और पार्टी के प्रति भी निष्ठावान् हों, जो सदाचारी एवं निष्कंलक रूप से ईमानदार हों, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में चुना जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को, वे जब कभी और जहाँ कहीं भी उपलब्ध हों, पूर्णकालिक सदस्य बना लेना चाहिए तथा उन्हें संगठनात्मक काम सौंप देना चाहिए। कार्यकारी दल की राय में इस प्रयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी के संविधान अथवा नियमों को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष के सिवाय अन्य सभी पद नाम-निर्देशन द्वारा भरे जाते हैं। अतः इस प्रकार के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को 'सचिव-संगठन' मनोनीत किया जा सकता है। इस दल का यह विचार है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक महामंत्री तथा जिला स्तर पर एक मंत्री को 'महामंत्री संगठन' तथा 'मंत्री संगठन' का यथास्थिति, पदनाम दे देना चाहिए।

प्रतिभा का उपयोग

पार्टी को प्रतिभा का उपयोग करने के प्रश्न को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। प्रतिभा तब तक प्रकाश में नहीं आती जब तक उसे अवसर प्राप्त न हो। यदि पार्टी में विभिन्न स्तरों पर ऐसी कोई पद्धति विकसित की जाए जिससे समिति का प्रत्येक सदस्य पार्टी के किसी-न-किसी पहलू से, किसी-न-किसी रूप में संबद्ध हो सके तो उसके अंदर संगठन को अपना समझने की भावना पैदा हो सकेगी और वह

संगठन की अधिक अच्छे तरीके से सेवा करने के लिए अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकेगा और इस काम से उसे संतोष भी मिलेगा। इस प्रकार की पद्धति कैसे विकसित की जाए, यही एक बड़ी चुनौती है। कार्यकारी दल की राय में निम्नलिखित पद्धति को परीक्षण के तौर पर उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है।

पार्टी में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक पदाधिकारी को कोई विशेष काम सौंपा जाना चाहिए और उसे उस काम के लिए न केवल जिम्मेदार ठहराया जाए, अपितु वह उसके लिए पार्टी के प्रति जवाबदेह भी हो। इससे उसमें पार्टी के काम के प्रति रुचि भी उत्पन्न होगी और वह पार्टी का काम मन लगाकर करने लगेगा।

पार्टी में उपयुक्त अनुभव प्राप्त करने के बाद ही किसी को विभिन्न कार्य समितियों में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। उसने उस समय तक जो योगदान किया होता है उसे तथा भविष्य में अंशदान करने की उसकी सतत क्षमता को ध्यान में रखकर ही उसे इन समितियों का सदस्य बनाया जाता है। अतः समिति के प्रत्येक सदस्य को किसी-न-किसी रूप में कुछ खास भूमिका अदा करनी है और कुछ विशेष कार्य करना है। इस प्रकार से जनशक्ति एवं प्रतिभा का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।

(घ) पार्टी की कार्य-प्रणाली

कार्य-प्रणाली पार्टी को चलाने का तरीका होता है। प्रश्न यह है कि हम पार्टी के मुख्य तत्त्वों जैसे—संगठन, विचारधारा, नेतृत्व एवं काडर आदि को किस ढंग से समन्वित करें जिससे कि पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अग्रसर हो सके। पार्टी को सही ढंग से कुशलतापूर्वक और समन्वित तरीके से चलाने के लिए इन सब तत्त्वों का ठीक ढंग से प्रयोग करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अपनी अच्छाइयों का प्रचार नहीं करना चाहिए और हमारी कमजोरियाँ भी इतनी न बढ़ जाएँ कि वे हमारी सारी ताकत को ही खत्म कर दें। हमें अपने पास विद्यमान प्रतिभा, जनशक्ति तथा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। कार्य-प्रणाली में पार्टी को चलाने के सभी पहलू आ जाते हैं। हम केवल उन समन्वयकारी तथा व्यवस्था संबंधी तत्त्वों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो पार्टी को सुचारु रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

हम अपने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को अपनी मूलभूत शक्ति समझते हैं। हमें अपने काम करने के तरीकों को व्यावसायिक एवं आधुनिक रूप देना होगा तथा संगठन को अपने उद्देश्य की पूर्ति का साधन समझना होगा।

किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए 'सहानुभूतिपूर्ण' वर्गों से संपर्क बनाना और उनसे तालमेल रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के बहुत सारे वर्गों में हमारे समर्थक भरे पड़े हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हित इसी में है कि वह इन समर्थन देनेवाले वर्गों से सभी स्तरों पर तालमेल कायम करे।

पार्टी की कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्य करने की सिफारिश की जाती है—

1. पार्टी को सामूहिक रूप से यह निर्णय करना होगा कि उसकी प्रगति के लिए परिवर्तन आवश्यक हैं। और इस प्रकार के प्रत्येक परिवर्तन को, जो कि हमारे अत्यधिक प्रिय आदर्शों और मूल्यों के अनुकूल हो, अधिक कुशलतापूर्वक अपने ध्येय की प्राप्ति में पार्टी को अधिक सक्षम बनाने का साधन मात्र समझना चाहिए।
2. निम्न स्तर की इकाइयों को उनके क्षेत्राधिकार में आनेवाले विषयों के संबंध में स्वयं निर्णय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
3. निर्णयों को सुनिश्चित रूप से कार्यान्वित करने के लिए उनका अनुसरण करने की प्रणाली अपनाई जाए।
4. पार्टी को चलाने की विभिन्न कार्य-प्रणालियों को अधिक व्यावसायिक और कार्यकुशल बनाया जाए। यह काम राष्ट्रीय कायकारिणी से आरंभ होकर पार्टी के निम्न स्तर तक पहुँचना चाहिए और पार्टी की अन्य गतिविधियों में भी इसे लागू करना चाहिए।
5. विभिन्न कोष्ठों को अपने कार्य-संचालन में मदद देकर उनमें विद्यमान प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए तथा सभी स्तरों पर उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लिए कतिपय क्षेत्रों की आवश्यक जानकारी, योजना एवं सूचना प्राप्त की जानी चाहिए।
6. भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तरों पर तथा अनेक प्रकार की गतिविधियों के विषय में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ बनाए जाएँ और सभी स्तरों पर नेतृत्व को स्वयं 'प्रशिक्षणार्थी' एवं प्रशिक्षक बनकर इनके महत्त्व और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहिए।
7. लोगों के जिन वर्गों में हम अधिकाधिक प्रवेश करना चाहते हैं और पार्टी में जिनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उदाहरणार्थ—युवा, महिला, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक, किसान आदि उन वर्गों के प्रतिनिधियों को कार्य करने के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएँ।
8. सभी स्तरों पर सहानुभूतिपूर्ण समर्थक वर्गों के साथ तालमेल किया जाए और संबंधों को सुधारा जाए।

(ङ) विकास

किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसकी अभिवृद्धि का मूलभूत तात्पर्य यह है कि मतदाता उसे अधिकाधिक संख्या में स्वीकार करें। यह चीज चुनाव परिणामों में परिलक्षित होती है। किसी पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, यह मुख्यतया इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितने लोगों का समर्थन प्राप्त है। ज्यों-ज्यों लोग यह समझने लगते हैं कि अमुक पार्टी उनका प्रतिनिधित्व करती है और उनकी तरफ से बोलती है त्यों-त्यों वह पार्टी बढ़ने लगती है। कार्यकारी दल को मुख्यतया यही काम सौंपा गया था कि वह इस बात का पता लगाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उतनी तरक्की क्यों नहीं की जितनी कि इससे आशा की जाती थी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की समस्त कार्य-प्रणाली तथा इसकी छवि, विचार धारा, संगठन-शक्ति, चुनावी रणनीति आदि सभी विषयों पर विचार करना होगा। अभिवृद्धि संबंधी इस अनुभाग में हम केवल भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न वर्गों और अनेक प्रकार के लोगों में फैलाव पर ही विचार करेंगे। यहाँ यह बता देना उचित है कि अपने में 'कांग्रेस के विकल्प' के रूप में हमारा जो स्वागत हुआ था उसकी वजह से हमें और तेजी से प्रगति करनी चाहिए थी। यदि ठीक ढंग से योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया जाता तो इसका आधार और व्यापक हो सकता था तथा यह अधिक लोगों में जनप्रिय हो सकती थी।

भारतीय जनता पार्टी को अधिक तेजी से बढ़ाने के लिए और इसके आधार को अधिक व्यापक बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं—

1. ऐसे स्पष्ट मुद्दों और कार्यक्रमों को प्रधानता दी जाए जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों, उदाहरणार्थ, श्रमिकों, झुग्गी-झोंपड़ीवालों और किसानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अधिक रुचि पैदा हो सके और वे अधिकाधिक संख्या में इसकी ओर आकर्षित हों।
2. हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल परंपरागत काडर के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती। यद्यपि यह काडर हमारे शक्तिशाली प्रतिबद्ध वर्ग हैं, लेकिन एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल बनाने के लिए इनकी संख्या बहुत कम है। पार्टी को इस बात को भी मान लेना चाहिए कि हमें समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर चलना है।
3. संगठन के सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व को आगे लाया जाए तथा पार्टी में युवकों को प्रोत्साहित किया जाए।
4. अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों संबंधी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की

स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम आरंभ किए जाएँ

5. भारतीय जनता पार्टी लोगों के जिन वर्गों को आत्मसात् करना चाहती है उनकी समस्याओं के बारे में भ्रांतियों को दूर करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम आरंभ किए जाएँ। इसके साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं को भी यह बता दिया जाए कि इन वर्गों की न्यायोचित आवश्यकताओं को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत नीति है।
6. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विभिन्न वर्गों और प्रदेशों के विकास से संबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इस प्रकार से वे पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और युवा वर्ग से संबंधित मुद्दों को उठा सकें तथा उन्हें नेतृत्व प्रदान कर सकें।
7. हमें अपनी एक अलग पहचान और विचारधारा को स्पष्ट रूप से उजागर करना चाहिए, सत्तारूढ़ दल की गत 35 वर्षों की नीतियों एवं कार्यक्रमों की विफलता पर बल देना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिसके पास इन सब समस्याओं के समाधान हैं।
8. हमें अपने कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को जन-जीवन के अन्य ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जैसे सहकारी आंदोलन, व्यापारिक एवं व्यावसायिक संगठन आदि जिससे कि इनमें भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ सके तथा हमें अपने कार्यकर्ताओं को राजनीति के अतिरिक्त अन्य मंचों पर भी प्रस्तुत करने का मौका मिल सके।

(च) क्रियाकलाप का प्रतिशत

कार्यकारी दल के ध्यान में यह बात लाई गई कि दल में परस्पर संवाद का अभाव है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, यह एक आम शिकायत है कि पार्टी के द्वारा प्रस्तावों के रूप में अथवा अन्यथा लिये गए निर्णय समय पर दूरवर्ती कार्यकर्ताओं के पास नहीं पहुँचते और जब तक कि उन्हें निर्णयों के बारे में पता न लगे तब तक हमारे अंतिम नेतागण विभिन्न मुद्दों के बारे में क्या सोच सकते हैं? और इसलिए वे उन निर्णयों को कार्यान्वित नहीं कर पाते। अतः पार्टी को इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि पार्टी के निर्णयों को निम्नतम स्तर तक कैसे पहुँचाया जाए।

दूसरे, जो निर्णय लिये जाते हैं उनके विषय में आगे की काररवाई नहीं होती। इसे जवाबदेही का अभाव कहा जा सकता है। जब तक कि किसी को उच्च स्तर

पर किए गए निर्णयों को न केवल निम्न स्तर तक पहुँचाने, अपितु उन्हें कार्यान्वित करवाने की भी जिम्मेदारी विशिष्ट रूप से नहीं सौंपी जाती तब तक पार्टी नेताओं को यह पता नहीं लग सकता कि उनके निर्णयों का अंतिम परिणाम क्या हुआ।

अंततोगत्वा, किसी संगठन की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि किस हद तक उसके निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है। यह क्रियाकलाप के प्रतिशत के नाम से जाना जाता है। क्रियाकलाप का प्रतिशत जितना अधिक होता है उतना ही कोई संगठन शक्तिशाली और सक्रिय हो जाता है।

विशिष्ट जिम्मेदारी

इस बात का ध्यान रखने के लिए कि निर्णयों पर उपयुक्त काररवाई की जाए, उसका परिणाम पता लगाने के लिए तथा संगठन को सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए कार्यकारी दल निम्नलिखित योजना की सिफारिश करता है।

पार्टी के संविधान में राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्रियों की व्यवस्था है। कार्यकारी दल का यह सुझाव है कि प्रत्येक महामंत्री तथा उपाध्यक्ष को कोई विशिष्ट जिम्मेदारी या पार्टी के काम का कोई महत्त्वपूर्ण पहलू जैसे—सामान्य तालमेल, संगठन, चुनाव आदि सौंपा जाए।

अखिल भारतीय मंत्रियों को विशिष्ट प्रदेशों एवं कार्यों की देखभाल का काम सौंपा जाए। राज्यों में भी उक्त जिम्मेदारियों को महामंत्रियों तथा अन्य पदाधिकारियों में बाँट देना चाहिए।

(छ) अनुशासनहीनता

अनुशासनहीनता की इक्का-दुक्का घटनाएँ देखने में आई हैं। आम भावना यह है कि इसे शुरू में कुचल देने के लिए कुशलता से कदम उठाए जाने चाहिए। हमारी पार्टी के संविधान व नियमों के वर्तमान उपबंध इस स्थिति से निबटने के लिए पर्याप्त हैं। पार्टी के संविधान में उपबंधों की कमी को अनुशासनहीनता के किसी कार्य से निबटने के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। राज्य के पार्टी अध्यक्षों को, जहाँ कहीं जरूरत पड़े, तत्काल काररवाई करने का अधिकार दे दिया गया है। यदि फिर भी अनुशासनहीनता की कुछ घटनाएँ बच जाती हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो उसका कारण यह है कि इस काम के लिए जिस प्रवर्तन तंत्र की व्यवस्था की गई है, वह तत्काल काररवाई नहीं करता। अतः इस बात का ध्यान रखा जाए कि जहाँ कहीं भी कोई अनुशासनहीनता दिखाई पड़े, वहाँ राज्य के अध्यक्ष द्वारा तुरंत उपयुक्त काररवाई होनी चाहिए। राज्य के अध्यक्ष को

अनुशासनहीनता की घटना के सात दिन के अंदर इसकी सूचना पहुँच जानी चाहिए। चुनावों के दौरान किए गए अनुशासनहीनता के कार्य के मामले में, जब कोई व्यक्ति अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ काम करता है अथवा अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को विद्रोही प्रत्याशी के रूप में खड़ा करता है और सामान्यतया ऐसी हरकत करता है जिससे अधिकृत प्रत्याशी के चुनाव में विजयी होने के अवसर को क्षति पहुँचती है, तो उसे पार्टी की सदस्यता से हटाया गया समझ लेना चाहिए।

अखिल भारतीय अनुशासन काररवाई समिति तथा राज्य स्तर की समितियों को सौंपे गए अनुशासनहीनता के मामलों में उन्हें मुस्तैदी से छानबीन करनी चाहिए और ऐसे मामलों को सक्रियता से निबटाना चाहिए।

(ज) मनाए जानेवाले दिन

यह उपयुक्त होगा यदि भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित दिन अथवा सप्ताह प्रतिवर्ष मनाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिये गए निर्णयों के अनुसार पार्टी की इकाइयों को इन दिनों तथा सप्ताहों को जोर-शोर से मनाना चाहिए—

6 से 13 अप्रैल तक	...	स्थापना सप्ताह
14 अप्रैल (डॉ. अंबेडकर का जन्मदिवस)	...	समता दिवस
23 जून से 7 जुलाई तक	...	राष्ट्रीयअखंडता पखवाड़ा (डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस एवं जन्मदिवस)
25 सितंबर से 2 अक्तूबर तक	...	अंत्योदय सप्ताह (दीनदयालजी का जन्मदिवस तथा गांधीजी का जन्मदिवस)

राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सभी इकाइयों द्वारा मनाए जाने के लिए उपयुक्त जो दिन या सप्ताह चुने जाते हैं, उनके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य को कम-से-कम एक ऐसा दिन चुनना चाहिए जो उस राज्य के लिए महत्त्वपूर्ण हो। उदाहरणार्थ, तमिलनाडुवाले भरतियार दिवस या तिरुवल्लुवर दिवस मना सकते हैं।

नेताओं के दौरे

सुनियोजित ढंग से नेताओं के नियमित दौरे बहुत जरूरी हैं। इस समय यह प्रथा है कि राज्यों द्वारा कार्यक्रमों का निमंत्रण मिलने पर नेतागण उसे स्वीकार कर

लेते है। केंद्रीय नेताओं के दौरे की व्यवस्था केंद्रीय कार्यालय द्वारा ही बहुत सुनियोजित तरीके से की जानी चाहिए। इसमें राज्यों में नेताओं के दौरे इस ढंग से व्यवस्थित किए जाएँ कि प्रत्येक राज्य को उसका उचित हिस्सा मिल जाए। ये दौरे केवल सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। इनमें कार्यकर्ताओं से भी मिलने की व्यवस्था रहनी चाहिए। ये दौरे काफी पहले निर्धारित किए जाने चाहिए तथा संबंधित इकाइयों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

सम्मेलन

सम्मेलन संगठन का एक नियमित अंग बन जाना चाहिए। बंबई में जैसा अधिवेशन हुआ था वैसे बड़े अधिवेशन हम आम चुनावों से पहले पाँच साल में एक बार कर सकते हैं। राज्य स्तरीय सम्मेलन तीन वर्ष में एक बार बड़े पैमाने पर होने चाहिए। जिला स्तरीय सम्मेलन नियमित रूप से हर वर्ष होने चाहिए। जिला इकाई को प्रतिवर्ष महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों, किसानों, मजदूरों आदि के बीच एक दिवसीय सम्मेलन करना चाहिए। इनके साथ ही प्रतिवर्ष जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कम-से-कम दो दिन का होना चाहिए, जिसमें कोई वरिष्ठ नेता अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। कार्यकर्ता सम्मेलन का पहला दौर 1986 के समाप्त होने से पहले ही हो जाना चाहिए। इसी प्रकार राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन अथवा अध्ययन शिविर साल में एक बार होना चाहिए और इस प्रकार का पहला शिविर या सम्मेलन 1986 की समाप्ति से पहले हो जाना चाहिए।

आंदोलन

एक कहावत है— 'आंदोलन करो अन्यथा जड़ बन जाओगे'। अन्य संस्थाओं अथवा संगठनों के बारे में, जो अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, यह सच हो या न हो, लेकिन पार्टियों के बारे में तो यह बिलकुल सच है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों के लिए तो यह शत-प्रतिशत सच है। सामान्यतया एक अच्छे लोकतंत्र में तो जहाँ पर सरकार लोगों की शिकायतों को सुनती है और उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं की ओर ध्यान देती है, सार्वजनिक आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यद्यपि वहाँ पर भी कई अवसरों पर विरोध-स्वरूप ऐसा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। संवेदशील सरकार के लिए केवल मूक विरोध ही उनकी माँगों को सही जगह पहुँचाने के लिए पर्याप्त है।

परंतु जहाँ ऐसी सरकार हो, जो लोगों की शिकायतों की ओर ध्यान न दे तथा लोगों के कष्टों के प्रति उसका बहुत ही अवज्ञापूर्ण व्यवहार हो, तो ऐसे लोकतंत्रवादी देश में राजनीतिक दलों के पास सत्ताधीशों को सही-सही स्थिति से

अवगत कराने के लिए आंदोलन करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो लोगों की नब्ज पहचानता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी दल को तो यहाँ तक सुझाव दे डाला कि भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन चलाती है वे सोते हुए हुक्कामों को नींद से जगाने के लिए बहुत शांतिपूर्ण होते हैं। उसने यह इच्छा व्यक्त की कि भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों में कुछ अधिक संघर्ष की भावना भरी जानी चाहिए। एक लोकतंत्रीय सरकार के लिए यह बहुत ही दुःखद बात है।

भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और आंदोलनों में विश्वास करती है। इसके काडर भी इसी के अभ्यस्त हो गए हैं। किसी भी राजनीतिक दल को यह लोकतंत्रीय अधिकार है कि वह संपूर्ण भारत में चलाए जानेवाले आंदोलन के संबंध में विशिष्ट मुद्दों की कार्य-योजना प्रस्तुत करे।

राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर वर्ष में एक या दो बार, जैसी भी आवश्यकता हो, आंदोलन चलाया जाना चाहिए तथा संपूर्ण देश के आंदोलनकारियों को इसमें भाग लेना चाहिए। आंदोलन के निर्णय की तारीख और उसको चलाने की तारीख में काफी अंतर होना चाहिए, जिससे विभिन्न स्तरों पर नेतागण उसके लिए सही वातावरण तैयार कर सकें तथा आंदोलन को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवकों को तैयार कर सकें।

स्थानीय स्तर पर

सभी आंदोलन राज्य, जिला या अधिक अच्छा हो कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों को लेकर चलाए जाने चाहिए। आंदोलन अनेक प्रकार के होते हैं और यह जरूरी नहीं कि हर बार जेल भरो आंदोलन ही चलाया जाए। इसका निर्णय संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। कोई भी इकाई, जो लगातार तीन बार किसी भी आंदोलन में भाग न ले, उस इकाई को मृत इकाई समझना चाहिए।

धन

पार्टियों के लिए धन वैसा ही होता है जैसे इंजन के लिए पेट्रोल। हमारी पार्टी के पास धन का अभाव पुरानी बात है। राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्याप्त धनाभाव के कारण हमें काफी दिक्कत होती है। तो फिर राज्यों और नीचे की इकाइयों का तो कहना ही क्या! निम्न स्तर की स्थानीय और मंडल इकाई, यहाँ तक कि जिला स्तर की भी कुछ इकाइयाँ धन की कमी तथा इसके फलस्वरूप कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण बहुत ही ढीली-ढाली चल रही हैं। ये इकाइयाँ अपना रोजमर्रा का संगठनात्मक व्यय भी नहीं चला सकतीं, चुनावों के समय धन-संग्रह का तो

सवाल ही क्या है। अतः गत पाँच वर्षों के अनुभवों के आधार पर पार्टी को इस संगठनात्मक विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक, सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु, धन के लिए कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी।

भरोसेमंद धनशक्ति

यदि कोई संगठन अपने सदस्यों और सहानुभूति रखनेवालों के पैसे से ही अपने संगठन-तंत्र के रोजमर्रा के खर्च को चला सके तो यह अत्युत्तम सिद्धांत होगा। जैसे कि कोई संगठन अपने अंदर के ही लोगों के प्रयत्न से चलता है, उसी प्रकार यदि पार्टी के अंदर से ही पैसा जुटा लिया जाए तो पार्टी अपने आप ही बड़े सुचारू रूप से अपनी पटरी पर चल सकती है और कोई दूसरा इसे पटरी बदलने के लिए नहीं कह सकता। दूसरे शब्दों में, यह अपने ही इशारों पर नाच सकती है और इसे दूसरों की धुन बजाने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी संगठन को, जिसके पास भरोसेमंद जनशक्ति हो, पार्टी के अंदर से ही प्राप्त धन-शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। हमारी पार्टी इस स्वस्थ सिद्धांत पर चल रही है; परंतु इसको और बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए तथा अच्छी तरह योजना बनाकर इसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

धन संबंधी रणनीति

यदि हम पार्टी के लिए कोई उपयुक्त धन संबंधी रणनीति तैयार कर लें और हमारे कार्यकर्ता इस बारे में अच्छी तरह प्रशिक्षित हों तो ये कार्यकर्ता निश्चित ही पार्टी की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

सबसे पहले प्रत्येक इकाई को इसके द्वारा किए जानेवाले विस्तार को ध्यान में रखते हुए काफी पहले अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार कर लेना चाहिए। बजट तैयार कर लेने के बाद इसे अपने क्षेत्र के संसाधनों और उन उपायों पर विचार करना चाहिए, जिसके द्वारा यह अपने बजट का खर्च चलाने के लिए आवश्यक पैसा जुटा सकती है। यह बड़ी अच्छी बात होगी यदि वह इकाई वित्तीय वर्ष के पहले दो या तीन महीनों में ही आवश्यक धनराशि इकट्ठी करने में सफल हो सके।

11 फरवरी

पं. दीनदयालजी उन सबके लिए, जो उन्हें जानते थे, जिनका उन्होंने नेतृत्व किया था और जिन्होंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की थी, एक भावना का विषय बन गए हैं। उनका बलिदान दिवस 11 फरवरी को पड़ता है। यदि यह दिन सभी इकाइयों द्वारा अच्छी तरह से पहले से योजना बनाकर और तैयारी करके देश भर में 'समर्पण दिवस' के रूप में मनाया जाए तो उस दिन प्रत्येक सदस्य और पार्टी से

सहानुभूति रखनेवाले व्यक्ति से यथाशक्ति अथवा अपनी एक दिन की कमाई पार्टी को देने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार से निम्न स्तर की इकाइयों को आवश्यक धन काफी हद तक उपलब्ध हो सकता है।

लोगों से चंदा

6 से 14 अप्रैल तक स्थापना सप्ताह मनाया जाए और 14 अप्रैल को 'समता दिवस' डॉ. अंबेडकर के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाए। चूँकि हमारे सदस्यों की भरती सारे साल चलती रहती है, अतः 'समता सप्ताह' जैसे विशेष अवसर पर सदस्यों की भरती करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत इस अवधि का मित्रों, समर्थकों, संबंधियों और बाजार से भी अधिक चंदा इकट्ठा करने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। यह चंदा पार्टी के सदस्यों और नजदीकी सहानुभूतिकर्ताओं से नहीं लिया जाना चाहिए, अपितु ऐसे अन्य व्यक्तियों से इकट्ठा किया जाना चाहिए, जिनके पास हम जा सकते हैं। कार्यकर्ताओं का दल हाथ में पार्टी के झंडे लेकर अगर बाजार में घूमे तो निश्चय ही उसे धन प्राप्त हो सकता है।

वित्त समिति

राज्य तथा जिलों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक छोटी सी वित्त समिति गठित की जाए। यह समिति वर्ष भर चंदा इकट्ठा करने का काम करे।

जिला स्तरीय इकाई से लेकर ऊपर तक वार्षिक बजट तैयार करने और इन समितियों द्वारा संबंधित समितियों की लेखा-परीक्षित लेखे को पेश करने के लिए पथ-प्रदर्शक सिद्धांत जारी कर दिए जाने चाहिए। केंद्र को राज्य स्तर पर हिसाब-किताब रखने की जाँच करने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को भेजना चाहिए और इसी प्रकार राज्यों को अपने-अपने जिलों में इसी प्रकार का कोई व्यक्ति भेजना चाहिए।

प्रचार

यह सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार एवं सार्वजनिक संपर्क उस स्तर का नहीं है, जैसा कि होना चाहिए। न तो केंद्र में और न ही राज्य स्तर पर पार्टी के प्रभावशाली प्रचार प्रकोष्ठ हैं। हाल के चुनावों के अनुभव को देखते हुए जब हम प्रचार के सैलाब में डूब गए थे और सार्वजनिक संपर्क की आँधी ने हमें उड़ा दिया था, हमें सभी संभव स्तरों पर प्रभावशाली प्रचार एवं सार्वजनिक संपर्क व्यवस्था करने की आवश्यकता है, इस बात को महसूस करना चाहिए।

प्रचार प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक पदाधिकारी को केंद्र में प्रचार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। थोड़ी सी कोशिश करने पर इस व्यवसाय में लगे हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा सहानुभूति रखनेवालों को इस प्रकोष्ठ की मदद के लिए राजी किया जा सकता है। केंद्रीय प्रकोष्ठ के संयोजक की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह प्रचार का जाल बिछा दे, इस संबंध में निर्देश दे और इस काम की सामान्यतया निगरानी रखे।

इस प्रचार प्रकोष्ठ के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित विषय होंगे—

1. इस प्रयोजन के लिए एक कुशलतापूर्ण कार्यालय का संचालन।
2. आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनको पत्र भेजे जाने हैं, उनकी सूची।
3. एक सुसज्जित निर्देश अनुभाग की स्थापना।
4. एक फोटो पुस्तकालय की व्यवस्था।
5. प्रेस विज्ञप्तियों की व्यवस्था।
6. पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन।
7. समाचार-पत्रों के लोगों, विशेष रूप से प्रेस से सजीव संबंध बनाए रखना।
8. व्यवस्थित रूप से सार्वजनिक सभाएँ करने के लिए निर्देश देना।
9. पार्टी के प्रकाशनों एवं साहित्य को प्रकाशित करना।
10. उपलब्ध प्रचार साधनों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना, और
11. एक सांस्कृतिक विभाग का संवर्द्धन करना।

पार्टी की आजकल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पार्टी के समाचार-पत्रों 'आगामी' एवं 'अबाउट अस' को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए इनको नया रूप देने की आवश्यकता है। इस समय इनमें केवल विभिन्न राज्यों में हुए कार्यक्रमों का विवरण ही प्रकाशित किया जाता है; लेकिन इनमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुशिक्षित करने के लिए लेख तथा अन्य इसी प्रकार की सामग्री प्रकाशित नहीं होती। इनमें नेताजी के लेख, नेताओं के नीति संबंधी महत्त्वपूर्ण भाषण, समाचार-पत्रों को दी गई भेंट तथा पार्टी अध्यक्ष एवं पार्टी के महामंत्री आदि द्वारा समय-समय पर कार्यकर्ताओं के नाम लिखे गए पत्र नियमित रूप से प्रकाशित होने चाहिए। इस संबंध में जल्दी कदम उठाए जाएँ। यदि ये परिवर्तन इसी वर्ष के दिसंबर समाप्त होने से पहले हो जाएँ तो 1986 के आरंभ से उन्हें नए रूप में प्रकाशित किया जा सकता है।

प्रचार प्रकोष्ठ के अंतर्गत केंद्रीय कार्यालय के साथ एक अलग प्रकाशन विभाग खोला जाए, जो पार्टी का साहित्य प्रकाशित करे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा राष्ट्रीय परिषद् की बैठकों में पारित किए गए प्रस्तावों को प्रकाशित करने के

अतिरिक्त पार्टी नेताओं अथवा विशेषज्ञों द्वारा, पार्टी की देखरेख में लिखी पुस्तिकाएँ भी विशिष्ट विषयों पर प्रकाशित की जानी चाहिए।

पार्टी के ये प्रकाशन कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने में बहुमूल्य सिद्ध होंगे। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय परिषद्, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य परिषद्, राज्य कार्यकारिणी, जिला समिति और मंडल समितियों के सदस्यों द्वारा कार्यालय को 50 रुपए वार्षिक चंदा भेजना चाहिए, जिससे कि केंद्रीय कार्यालय प्रकाशन विभाग 'आगामी' या 'अबाउट अस' सहित पार्टी का सारा साहित्य उन्हें भेज सकें। यह सुविधा सबको मिलनी चाहिए।

पार्टी कार्यालय

पार्टी कार्यालय पार्टी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र-बिंदु होता है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एक सुसज्जित, कार्यकुशल, सुचारू रूप से कार्य करनेवाला कार्यालय अवश्य होना चाहिए। अनेक राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर भी पार्टी के कार्यालय को आधुनिक रूप देने तथा इसमें आवश्यक कार्य कुशलता लाने के लिए गंभीर प्रयत्न करने होंगे। केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी मंत्री को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्हे पार्टी के अपेक्षित स्तर को बनाए रखने के लिए पथ-प्रदर्शक सिद्धांत तैयार करने चाहिए।

इस समय कई राज्यों के राज्य कार्यालय भी अपेक्षित स्तर के नहीं हैं। देश भर में बहुत से जिलों में पार्टी के नियमित रूप से चलनेवाले कार्यालय नहीं हैं। अतः यह बात सुनिश्चित कर दी जाए कि केंद्रीय कार्यालय के मंत्री द्वारा निर्धारित पथ-प्रदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करनेवाले अपेक्षित स्तर के पार्टी कार्यालय एक साल के अंदर देश के सभी जिलों में स्थापित कर दिए जाएँ।

यह कार्यकारी दल रिपोर्ट के बारे में व्यक्त किए गए विचारों एवं सुझावों के आधार पर विभिन्न पहलुओं के बारे में एक कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा।

परिशिष्ट-१

प्रश्नावली

1. गत पाँच वर्षों का कार्य
    1. गत पाँच वर्षों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर आपकी राय में विभिन्न क्षेत्रों में हमारी पार्टी की—
        (क) बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ क्या हैं?

(ख) मुख्य कमियाँ क्या हैं?

2. सैद्धांतिक

1. हमारी पार्टी की विचारधारा का मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए और क्या यह हमारी 'पंच निष्ठाओं' में समुचित रूप से परिलक्षित होता है?
2. क्या आप यह समझते हैं कि अपने मूल दस्तावेज 'पंचनिष्ठाओं' एवं 'आर्थिक नीति संबंधी वक्तव्य' को अद्यतन करने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार से और कहाँ तक?
3. क्या आप यह समझते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारा सैद्धांतिक संदेश हमारे समर्थकों एवं हमसे सहानुभूति रखनेवाले आम लोगों तक पहुँचाने में पूर्णतया सक्षम हैं? यदि नहीं, तो इस संबंध में आपके सुझाव?
4. आपकी राय में अन्य पार्टियों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशिष्टता क्या है? अन्य पार्टियों से अपनी इस अलग पहचान को उभारने के लिए आप कौन से सक्रिय उपाय सुझाना चाहेंगे?
5. समाज के विभिन्न वर्ग अपनी पार्टी की विचारधारा को अधिक स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकें, इसके लिए आप कौन से कार्यक्रम व उपाय सुझाएँगे?
6. हमारी नीति सदा यह रही है— विलय—नहीं; किंतु समान विचारोंवाली पार्टियों के साथ सीटों का तालमेल और विशिष्ट मुद्दों पर अन्य पार्टियों से सहयोग—हाँ। क्या इस नीति पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है?

3. संगठनात्मक

1. पार्टी के संगठन तंत्र को सक्रिय रूप देने के लिए क्या आप पार्टी संविधान में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो स्पष्ट रूप से तथा संक्षेप में लिखें।
2. हमारी सदस्य बनाने की प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाने लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
3. ऐसे उपाय सुझाइए जिनसे युवकों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा समाज के श्रमजीवी वर्ग और ग्रामीण वर्ग को अधिकाधिक संख्या में सदस्य बनाया जा सके।
4. अपने अनुभव के आधार पर क्या आप यह समझते हैं कि इस समय संगठनात्मक चुनावों की जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि हाँ, तो

इस संबंध में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?

5. क्या आप यह समझते हैं कि जिला और राज्य स्तर पर नियमित रूप से अध्ययन शिविर लगाए जाने चाहिए? यदि हाँ, तो आपके विचार में ये शिविर कितने दिन के और किस प्रकार के होने चाहिए?
6. अपने कार्यकर्ताओं में नेतृत्व की योग्यता बढ़ाने तथा उनमें राजनीतिक चातुर्य को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की दृष्टि से किस प्रकार के कार्यक्रम लिये जाएँ?
7. क्या आप यह समझते हैं कि पार्टी में विभिन्न स्तरों पर कुशलतापूर्वक निर्णय करने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
8. आपके क्षेत्र में पार्टी को जीवंत एवं सक्रिय बनाने के लिए आपकी राय में राज्य तथा केंद्रीय नेतृत्व को क्या योगदान करना चाहिए?
9. सभी स्तरों पर पार्टी के कार्यालयों के काम-काज को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
10. पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाने के लिए आपके मत में क्या कसौटी होनी चाहिए? इस विषय में अपने सुझाव दें। एक सक्रिय सदस्य की क्या पहचान होनी चाहिए?
11. पार्टी के काडर निर्माण के लिए आपके मत में कौन सा तरीका कारगर सिद्ध हो सकता है?
12. आपके मत में पार्टी में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की क्या उपयोगिता एवं भूमिका होनी चाहिए तथा उनका दल के ढाँचे में क्या स्थान होना चाहिए?
13. आपके क्षेत्र में पार्टी के कौन-कौन से मोरचे और सेल कार्यरत हैं? क्या आप यह समझते हैं कि पार्टी संगठन के आधार को व्यापक बनाने के लिए वे उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं? उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
14. पार्टी के युवा मोरचा को और अधिक सक्रिय, प्रभावशाली और रचनात्मक रूप देने के लिए आप कौन से ठोस सुझाव देना चाहेंगे?

4. अनुशासन

1. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पार्टी में अनुशासनहीनता के उदाहरण बढ़ते जा रहे हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?
2. अनुशासनहीनता के खिलाफ कारगर तथा शीघ्रता से कारवाई करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे?

3. राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनुशासन समितियों द्वारा अनुशासनहीनता के मामलों को शीघ्रता से निपटाने और उनके कार्य को सुचारु एवं प्रभावशाली बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

5. वित्तीय साधन

1. क्या पार्टी की विभिन्न इकाइयाँ अपने प्रतिदिन के खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त धन-संग्रह करने में सक्षम हैं?
2. क्या आप किसी ऐसी पद्धति का सुझाव दे सकते हैं, जिससे पार्टी के संगठनात्मक कार्य व चुनाव व्यय के लिए नियमित रूप से निधि एकत्र हो सके।
3. पार्टी के दैनिक कार्य तथा चुनाव, दोनों के लिए धन-संग्रह के पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

6. विधानमंडलीय एवं संगठनात्मक ढाँचा

1. आपके राज्य की विधानमंडलीय पार्टी के कामों का आमतौर पर क्या असर पड़ता है? उसके काम-काज को सुधारने के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे?
2. क्या आपके राज्य में विधानमंडलीय एवं संगठनात्मक ढाँचे में परस्पर उपयुक्त तालमेल है? यदि नहीं, तो दोनों में परस्पर अधिक अच्छा सहयोग स्थापित करने के लिए आप कौन से उपायों का सुझाव देंगे?
3. इस बारे में आप अपने सुझाव दीजिए कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि (स्थानीय निकायों, राज्य विधानमंडलों तथा संसद् में) विभिन्न निकायों में किस प्रकार से अधिक अच्छी तरह काम कर सकता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र को भी सुदृढ़ बना सकता है।

7. चुनाव रणनीति

1. गत लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या आप यह समझते हैं कि पार्टी द्वारा अपनाई गई रणनीति में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार के?
2. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोरचे के गठन एवं टूटने के बारे में आपके क्या विचार हैं?
3. आपकी राय में अन्य राष्ट्रीय विरोधी दलों के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए?
4. आपकी राय में कतिपय राज्यों में प्रादेशिक दलों की सफलता के क्या कारण हैं?

5. (क) इन प्रादेशिक दलों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया होना चाहिए?

(ख) क्या भारतीय जनता पार्टी को भी केवल कुछ राज्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए?

6. कतिपय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ होने के लिए पर्याप्त संगठनात्मक आधार तथा जन-समर्थन प्राप्त है; परंतु पार्टी अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में बार-बार असफल रही है। आपके विचार में इसकी सफलता के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

7. ऐसे कौन से प्रमुख कारण तथा घटनाएँ हैं जिनसे लोकसभा चुनावों में हमारी पार्टी को सबसे अधिक आघात पहुँचा है? अपने प्रदेश के गत संसदीय एवं विधानसभा चुनावों में पार्टी की पराजय के मुख्य तीन कारणों का उल्लेख कीजिए?

8. गत विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिली कुछ सफलताओं तथा हिमाचल और कर्नाटक में भारी विफलताओं के कारणों के बारे में आपका विश्लेषण क्या है?

9. आपकी राय में स्थानीय निकायों, विधानसभाओं एवं संसद् के चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन की क्या कसौटी होनी चाहिए और उनका चुनाव किस ढंग से किया जाना चाहिए?

10. केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र, जम्मू और कश्मीर, पंजाब आदि राज्यों के लिए चुनावी राजनीति का दो धड़ों में स्पष्ट ध्रुवीकरण हो चुका है, तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए पार्टी को क्या कदम उठाने चाहिए?

11. हमारे चुनाव अभियान को अधिक प्रभावशाली और कम खर्चीला बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

12. क्या हमारा चुनाव अभियान का तरीका विफल हो गया है, और इसके नवीकरण की आवश्यकता है? कुछ नए तरीकों का स्पष्ट उल्लेख करें।

13. हमारे जन समर्थन का आधार क्या है? क्या गत लोकसभा व विधानसभा चुनावों में यह आधार खिसका है? यदि हाँ, तो उसके कारण बताइए और खोए हुए जन-समर्थन के आधार को पुन :प्राप्त करने तथा इसको और विस्तृत करने के लिए सुझाव दीजिए।

14. ऐसे नेतृत्व का सृजन करने के उपायों का सुझाव दीजिए, जिसका किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष से प्रभावी संबंध हो?

15. यह हमारा आम चुनाव में अनुभव रहा है कि हमारे बहुत से विधायक अपनी सीटों को बरकरार नहीं रख पाते। आपकी राय में

इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

16. मतदान के दिन मतदान केंद्र पर कब्जा तथा अन्य भ्रष्ट हथकंडों को रोकने के उपाय सुझाइए।

8. प्रचार

1. क्या पार्टी का विभिन्न संचार साधनों से पर्याप्त प्रचार हो रहा है? यदि नहीं, तो इसमें क्या खामियाँ हैं? और अधिक प्रचार के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएँ?
2. राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार विभागों को कारगर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
3. हमारी पार्टी की पत्रिकाओं—'आगामी' एवं 'अबाउट-अस' में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

9. आंदोलनात्मक

1. आपकी राय में पार्टी द्वारा आरंभ किए गए आंदोलनात्मक कार्यक्रम के द्वारा जनता का ध्यान आकृष्ट करने में हम कहाँ तक सफल हुए हैं?
2. राष्ट्रीय महत्त्व के किन्हीं दो विशेष मुद्दों और अपने राज्य से संबंधित किन्हीं तीन विशेष मुद्दों का सुझाव दीजिए, जिनके आधार पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम बनाए जाएँ।
3. आपकी राय में आंदोलन का सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका क्या है, जिससे आम आदमी, विशेष रूप से युवक, महिला तथा श्रमजीवी वर्ग को भारी संख्या में सम्मिलित किया जा सके?

10. रचनात्मक

1. आपकी राय में इसके क्या कारण हैं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा पार्टी के मुख्य मुद्दे के रूप में रचनात्मक गतिविधियों को अपनाने के लिए किए गए आह्वान के बावजूद पार्टी की विभिन्न इकाइयों ने समुचित प्रयास नहीं किया?
2. ऐसे किन्हीं तीन क्षेत्रों के नाम बताइए, जिन्हें आपके मत में हमारे कार्यकर्ताओं की रचनात्मक गतिविधियों की दृष्टि से प्रारंभ करने के लिए चुनना चाहिए।

□

राष्ट्रीय परिषद्

गांधीनगर 11 अक्तूबर, 1985

पार्टी का मूल दर्शन और प्रतिबद्धताएँ

राष्ट्रीय परिषद् संकल्प लेती है कि—

(क) पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद पार्टी का मूल दर्शन बना रहेगा।

(ख) पार्टी अपनी निम्नलिखित मूल प्रतिबद्धताओं को दुहराती है—

1. राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अखंडता;
2. लोकतंत्र;
3. सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर गांधीवादी दृष्टिकोण, जिससे शोषण-मुक्त सर्वहारा समाज की स्थापना हो सके;
4. सकारात्मक पंथनिरपेक्षता अर्थात् सर्वधर्म समभाव; और
5. मूल्य आधारित राजनीति।

(ग) पार्टी अपने निम्नलिखित उद्देश्य को फिर से दुहराती है, "भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है जो अपने सभी नागरिकों, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, अवसरों की समानता और विश्वास तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।"

भारतीय जनता पार्टी भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने की शपथ लेती है, जो अपने दृष्टिकोण में आधुनिक, प्रगतिशील और विवेकशील हो तथा जो अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों से गर्व के साथ प्रेरणा ले सके और इस प्रकार विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरकर विश्व शांति और न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए राष्ट्रों के संघ में प्रभावी भूमिका निभा सके।

टिप्पणी—इसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दिनांक 9.10.1985 को पारित किया था।

□

राष्ट्रीय परिषद्

गांधीनगर

11 अक्तूबर, 1985

कार्य योजना

वैचारिक

1. एक अलग दृष्टिकोणवाली पार्टी की प्राथमिकताएँ–
   (1) पहले राष्ट्र
   (2) एकीकृत दृष्टिकोण
2. पाँच प्रतिबद्धताएँ
   (1) पाँच प्रतिबद्धताओं को, जो कि पार्टी का मूल दस्तावेज हैं, सिफारिशों के अनुसरण में अद्यतन बनाया जाए।
   (2) केंद्रीय स्तर पर 'एकात्म मानववाद' और पाँच प्रतिबद्धताओंवाली पुस्तिकाओं का हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशन होना चाहिए तथा संबंधित राज्यों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराकर प्रकाशित किया जाना चाहिए।
3. आर्थिक नीतिगत वक्तव्य
   एकीकृत दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में 'आर्थिक नीतिगत वक्तव्य' को अद्यतन बनाया जाए।
4. चलाए जानेवाले अभियान
   विभिन्न विषयों, विशेषकर भेदभाव, छुआछूत आदि से संबंधित स्थिति-पत्र तैयार किया जाना तथा विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की नीति और निर्णयों को दरशाने के लिए प्रभावी अभियान चलाया जाना चाहिए।
5. अध्ययन शिविर
   कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, नीतियों, संगठनात्मक मामलों, आंदोलनों, चुनाव प्रबंधन और रचनात्मक गतिविधियों के बारे में शिक्षित

करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और मंडल स्तरों पर नियमित अध्ययन शिविरों की श्रृंखला।

आंदोलनात्मक

भाजपा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न वर्गों के हितों के लिए, आम जन के लिए प्रभावी योजना और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना एवं संघर्षशील पार्टी की छवि बनाना चाहती है। नीचे कुछ ज्वलंत मुद्दे दिए गए हैं जिन पर सतत रूप से आंदोलन शुरू किए जाने तथा सुदृढ़ लोकमत जुटाने की आवश्यकता है। सुझाए गए मामले संक्षिप्त रूप में हैं, विस्तृत रूप में नहीं—

1. किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की समस्या
2. काम का अधिकार और बेरोजगारी उन्मूलन
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय
4. चुनाव सुधार
5. महिलाओं पर अत्याचार
6. पर्यावरण की रक्षा
7. मूल्यवृद्धि
8. कानून और व्यवस्था
9. भ्रष्टाचार
10. गंदी बस्तियों और उसके निवासियों की समस्याएँ

रचनात्मक गतिविधियाँ

हमारा उद्‌देश्य होना चाहिए—'एक मंडल-एक परियोजना।' पार्टी कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए :

1. सरकारी आंदोलन, विशेषकर सहकारी, बैंकिंग
2. रक्तदान
3. वृक्षारोपण
4. खेलकूद क्लब
5. नेत्रदान

7. साक्षरता मिशन

चुनाव

1. देश की सभी 542 लोकसभा सीटों के लिए तत्काल तैयारी शुरू किया जाना।
2. 50 प्रतिशत स्थानीय समिति क्षेत्र और 1987 तक 375 लोकसभा की

प्रत्येक सीट के लिए 3 लाख रुपए की चुनाव धनराशि और 1988 तक शत-प्रतिशत स्थानीय समितियों का कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए।

3. भाजपा 25 प्रतिशत स्थानीय समिति क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्ध है और 1987 तक शेष 167 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्येक सीट पर 1 लाख रुपए की चुनाव धनराशि आरक्षित तथा 1988 तक कम-से-कम 50 प्रतिशत स्थानीय समितियाँ पूरी कर ली जानी चाहिए।
4. प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए 1987 तक एक चुनाव कार्यालय तथा पूर्णकालीन चुनाव प्रभारी।
5. 1988 में उम्मीदवारों का चयन।
6. कम-से-कम 20 प्रतिशत युवाओं और 10 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए।
7. भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कार्य—
   (1) उपयुक्त उम्मीदवार के चयन के लिए सावधानीपूर्ण और सुविचारित प्रयास।
   (2) मानव, सामग्री और धन के मामले में पर्याप्त संसाधन जुटाना।
   (3) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजनीतिक रणनीति।
   (4) निर्वाचन क्षेत्र में जीत के लिए प्रभावी विकास, इसे स्थायी आधार बनाने तथा उस पर कब्जा बनाए रखने के लगातार प्रयास।
   (5) जाली मतदान और बूथ कब्जा करने के खतरे से निपटना, मतदाता सूचियों पर नजर रखना।
   (6) सभी पोलिंग स्टेशनों पर प्रभावी और विश्वसनीय पोलिंग एजेंटों की व्यवस्था करना।
8. केंद्रीय चुनाव समिति की लोकसभा के लिए तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन की रणनीति तय करने की प्रत्यक्ष और सक्रिय जिम्मेदारी होनी चाहिए।
9. राज्य इकाइयों को सभी लंबित उप-चुनावों, संसदीय और विधानसभा चुनावों तथा संबंधित राज्य में स्थानीय निकाय के चुनावों में, जहाँ आवश्यक हो, केंद्रीय चुनाव समिति से पहले ही परामर्श करके रणनीति आदि तय की जाए।

चुनाव प्रकोष्ठ

1. केंद्रीय कार्यालय और राज्य कार्यालयों के लिए सुसज्जित चुनाव प्रकोष्ठ।
2. व्यापक आँकड़ों का संग्रहण और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मतदाताओं के रुझान का पूर्व मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना।

3. चुनाव प्रकोष्ठ के भाग के रूप में केंद्र और राज्य स्तरों पर आधुनिक तकनीक और अब संरचना की सहायता से चुनाव प्रचार प्रकोष्ठ आयोजित करना।
4. आकाशवाणी और टी.वी. पर सत्ताधारी दल के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए ऑडियो और वीडियो कैसेट के वैकल्पिक साधन।
5. प्रभावी प्रेस प्रचार।
6. विज्ञापन मीडिया का समुचित उपयोग।

संगठनात्मक

1. जन आधारित मजबूत कैडरवाली पार्टी के रूप में उभरने के मुख्य उद्देश्य होने चाहिए—
   (1) आधार को व्यापक बनाना,
   (2) कैडर को सुदृढ़ करना,
   (3) युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना,
   (4) ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक और कमजोर वर्गों में प्रभावी पैठ बनाना।
2. 1987 तक देश के सभी मंडल क्षेत्रों में भाजपा की इकाइयाँ बननी चाहिए।
3. प्रत्येक इकाई में अध्यक्ष और पदाधिकारियों को विशिष्ट निजी उत्तरदायित्व दिए जाने चाहिए।
4. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक महासचिव और जिला स्तर पर एक सचिव को संगठन के प्रभारी का कार्य सौंपना चाहिए।
5. पूर्णकालिक समर्पित व्यक्तियों की टीम बनाई जानी चाहिए।
6. उपर्युक्त फोरम में नीतिगत निर्णय करने चाहिए।
7. राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं द्वारा सतत रूप से संगठनात्मक दौरा होना चाहिए।
8. देश के प्रत्येक जिले में केंद्रीय योजना के आधीन 1986 तक जिला विकास सम्मेलनों का पहला दौर पूरा कर लिया जाना चाहिए और बाद में निश्चित अंतराल पर यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।
9. अनुशासन का कड़ाई से पालन होना चाहिए और केंद्रीय अनुशासन समितियों को अनुशासनहीनता संबंधी मामले तत्परता से निपटाने चाहिए।

मनाए जानेवाले दिवस

26 जनवरी	गणतंत्र दिवस
11 फरवरी	समर्पण दिवस भाजपा कार्यकर्ताओं से धनराशि इकट्ठा किया जाना। उन्हें अपनी आय का कम-से-कम एक प्रतिशत धन दान करने के लिए प्रेरित

	किया जाना चाहिए।
6 से 13 अप्रैल	जन-संपर्क सप्ताह के रूप में स्थापना सप्ताह, आमजनों से धनराशि इकट्ठा किया जाना।
14 अप्रैल	समता दिवस— शोषण मुक्त और समता युक्त समाज दिवस और डॉ. अंबेडकर का जन्मदिवस
23 जून से 6 जुलाई	राष्ट्रीय अखंडता पक्ष
6 जुलाई	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहादत दिवस और जन्मदिवस।
15 अगस्त	स्वतंत्रता दिवस
25 सितंबर से 2 अक्तूबर	अंत्योदय सप्ताह (पंडित दीनदयालजी और महात्मा गांधी का जन्मदिन)
11 अक्तूबर	लोकशक्ति दिवस—श्री जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन

बारी-बारी से चलनेवाले व्यापक कार्यक्रम

1. भारतीय जनता पार्टी के द्विवार्षिक सत्र
2. राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन
3. राष्ट्रीय स्तर के मोरचा और प्रकोष्ठ सम्मेलन
4. दो वर्षों में एक बार राज्य स्तरीय पार्टी का सत्र
5. प्रत्येक वर्ष प्राथमिक सदस्यों के स्तर का सम्मेलन

स्वस्थ परंपराएँ

1. किसी भी इकाई का अध्यक्ष लगातार तीन बार से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं बना रहेगा।
2. सभी स्तरों पर पदाधिकारियों की टीम और कार्यकारिणी के सदस्यों के कम-से-कम 20 प्रतिशत पदों पर बदलाव; मंडल और उसके बाद की इकाइयों में समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व।

मोरचा और प्रकोष्ठ

1. भारतीय जनता युवा मोरचा को कारगर बनाया जाना चाहिए और निर्धारित नियमों के अनुसार सभी इकाइयों का गठन होना चाहिए।
2. 35 वर्ष की आयु सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
3. जनता विद्यार्थी मोरचा इकाइयों को समुचित रूप से संगठित किया जाना चाहिए और सक्रिय बनाया जाना चाहिए।

महिला मोरचा

महिला मोरचा भी भारतीय जनता युवा मोरचा के लिए बने नियमों के अनुरूप आयु सीमा संबंधी खंड को छोड़कर शासित होना चाहिए।

अन्य मोरचा

संविधान में निर्धारित नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों के लिए मोरचों तथा अन्य मोरचों का समुचित रूप से गठन किया जाना चाहिए।

नए प्रकोष्ठ

1. किसान प्रकोष्ठ—राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर संयोजकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
2. श्रमिक प्रकोष्ठ—राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर संयोजकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
3. सांस्कृतिक प्रकोष्ठ—सांस्कृतिक गतिविधियों तथा राष्ट्रीय वीरों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु।
4. कानूनी प्रकोष्ठ—राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर संयोजकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

सामान्य

1. वित्त और लेखा
    1. प्रत्येक वर्ष पार्टी का कोष इकट्ठा करने के लिए नियमित और सुदृढ़ अभियान चलाए जाने चाहिए।
    2. सभी इकाइयों में लेखाओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
    3. पार्टी का कोष समुचित रूप से बैंक में जमा कराना चाहिए और किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति के पास नहीं रखना चाहिए।
    4. लेखाओं का नियमित रूप से लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए।
    5. लेखा परीक्षण की रिपोर्टों की प्रतियाँ राज्य और केंद्रीय कार्यालयों को भेजी जानी चाहिए।

2. पार्टी कार्यालय

    (क) केंद्रीय कार्यालय—केंद्रीय कार्यालय का समुचित रूप से पुनर्गठन करना चाहिए और उसमें अच्छा-खासा संदर्भ अनुभाग और पुस्तकालय होना चाहिए।

    (ख) राज्य कार्यालय—एक दक्ष कार्यालय, जिसमें प्रत्येक राज्य में

कम-से-कम एक पूर्णकालिक कार्यालय सचिव होना चाहिए।

(ग) जिला कार्यालय—नियमित जिला कार्यालय, जिसमें एक कार्यालय प्रभारी होना चाहिए तथा एक टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए।

1986 तक देश के अधिकतम जिलों में यह व्यवस्था हो जानी चाहिए।

पार्टी बुलेटिन

1. 'आगामी' और 'अबाउट अस' के आवरण और विषय-वस्तु में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि वे अधिक आकर्षक और उपयोगी दिखें।
2. प्रत्येक मंडल और ऊपर के स्तर की इकाइयों और जिला तथा ऊपर के स्तर के सभी पदाधिकारियों को उसका ग्राहक बनाना चाहिए।
3. प्रतिवर्ष 50 रुपए देकर कोई भी सदस्य 'आगामी' या 'अबाउट अस' तथा पार्टी की सभी साहित्य सामग्री प्राप्त कर सकेगा।
4. प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय भाषा में पार्टी का बुलेटिन होना चाहिए।

□

राष्ट्रीय परिषद्

बंबई 28–30 दिसंबर, 1980

आर्थिक नीति वक्तव्य-१९८०

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हैदराबाद में हुई अपनी बैठक में 25 अक्तूबर, 1980 को एक उपसमिति नियुक्त करके उसे पार्टी की आर्थिक नीति से संबद्ध वक्तव्य का मसौदा तैयार करने का दायित्व सौंपा, ताकि उसी वर्ष दिसंबर 28, 29 और 30 तारीख को बंबई में पार्टी के महाअधिवेशन में उस पर चर्चा की जा सके और उसे स्वीकार किया जा सके।

सर्वश्री कँवरलाल गुप्त (संयोजक), डॉ. भाई महावीर, भैरों सिंह शेखावत, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, केशु भाई पटेल, जगदीश प्रसाद माथुर, ए.के. सुब्बैया, विजय कुमार मलहोत्रा और राम प्रकाश गुप्त इस उपसमिति के सदस्य थे।

उपसमिति की चार बैठकें हुईं। उसने प्रमुख अर्थशास्त्रियों और योजना आयोग के कुछ भूतपूर्व सदस्यों के साथ भी विचार–विमर्श किया। इस सलाह–मशविरे के बाद आर्थिक नीति संबंधी जो वक्तव्य तैयार हुआ, उसे महाअधिवेशन से पूर्व 26 और 27 दिसंबर, 1980 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस मसौदे पर सात घंटे तक विचार–विमर्श करने के बाद इसमें कई संशोधनों की सिफारिश की और इसे वापस उपसमिति के पास भेज दिया, ताकि उसे आगे और सुधारा–सँवारा जा सके। उपसमिति ने इसपर अपनी बैठक में विचार किया, जो रात भर चली और इस प्रकार से महाअधिवेशन में प्रस्तुत करने के लिए उसे ठीक समय पर तैयार कर लिया गया। इसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुए महाअधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, जहाँ 55 हजार प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस नीति संबंधी वक्तव्य को स्वीकार करने का प्रस्ताव श्री भैंरों सिंह

शेखावत ने रखा और डॉ. भाई महावीर ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसपर गंभीर चर्चा हुई। लगभग तीन सौ संशोधन रखे गए। कुछ शाब्दिक फेरबदल के अतिरिक्त प्रस्ताव के प्रस्तोताओं ने आठ महत्त्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकार कर लिया। बाद में जब इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ तब इसे प्रायः सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। केवल पाँच प्रतिनिधियों ने अपना मतभेद प्रकट किया।

अंतिम रूप से स्वीकृत और पारित नीतिगत वक्तव्य का मूल यहाँ प्रस्तुत है—

(१)

वक्तव्य

भारतीय जनता पार्टी की कल्पना का भारत एक ऐसा संपन्न, प्रगतिशील और जाग्रत् राजनीतिक लोकतंत्र है, जिसे अपनी महान् परंपरा पर गर्व है और जो राष्ट्रों के समुदाय में अपनी सही और तर्कसंगत भूमिका निभा सकने के बारे में पूर्ण आश्वस्त है। कुछ देशों को, जो समृद्धि के उच्चतम शिखर पर पहुँच गए हैं, भयंकर सामाजिक तनावों और मनोवैज्ञानिक विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वे स्वीकार कर रहे हैं कि मानव कल्याण के लिए भौतिक उपलब्धियाँ यद्यपि आवश्यक हैं तथापि भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अनियंत्रित दौड़ से जीवन में सच्चा सुख, शांति और संतुष्टि असंभव है।

भारतीय संस्कृति व्यक्ति को एक ऐसे संपूर्ण मानव के रूप में स्वीकार करती है जिसकी भौतिक आवश्यकताएँ तो हैं, परंतु साथ ही उसमें मन, बुद्धि और आत्मा का भी निवास है। जब तक व्यक्ति के इन सब गुणों का समन्वित विकास नहीं होता, तब तक भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्ति का विकास अपूर्ण है। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में जब महान् भौतिक समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है, तब यह भी कहा गया है कि भरे पेट और सुंदर परिधानों से ही व्यक्ति की पहचान नहीं होती। इसीलिए यहाँ यह दृष्टिकोण विकसित हुआ—"मात्र भौतिक प्रगति के लिए बौद्धिक स्वतंत्रता और उससे भी आगे आध्यात्मिक शांति की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती।"

हमारे ऋषियों ने युगों पूर्व यह अनुभव किया था कि व्यक्ति और समाज के बीच कहीं टकराव नहीं है। दोनों एक-दूसरे पर आश्रित और एक-दूसरे को पूर्ण बनाने में सहायक हैं। चार पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—में व्यक्ति के चहुँमुखी लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। इनके द्वारा एक ऐसे मानव समाज के विकास की व्यवस्था की गई है जिसके पास बिना शोषण के समृद्धि तथा बिना अमर्यादित भोग के आनंद की प्राप्ति होती है। यही वह संस्कृति थी जिसमें व्यक्ति

का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता था कि उसके पास क्या है, वरन् इस आधार पर किया जाता था कि वह क्या है।

भारतीय जनता पार्टी मानती है कि यद्यपि विज्ञान की प्रगति से हमें बहुत कुछ सीखना है तथापि पाश्चात्य प्रौद्योगिकी को हमें अपनी आवश्यकताओं और राष्ट्रीय रुचि एवं स्वभाव के अनुरूप ही अपनाना चाहिए। ऐसा करके ही हम अपने आपको आधुनिक औद्योगीकरण के अस्वस्थ प्रभाव से मुक्त रख सकते हैं और मानवता के मूल संकटों से मुक्ति का अपना हल सुझा सकते हैं।

पूँजीवाद 'आर्थिक मानव' के सिद्धांत को, जो पुराना पड़ गया है, अस्वीकार कर सकता है, परंतु पूरी तरह लाभार्जन से प्रेरित अर्थतंत्र में, जिसकी एकमात्र नियामक प्रतिस्पर्धा है, और जिसमें श्रमशक्ति बचाने के नाम पर व्यक्ति स्थान भ्रष्ट कर दिया गया है, विकृतियों और शोषण से भरे समाज की ही संरचना हुई है। पूँजीवादी अभिशाप की प्रतिक्रियास्वरूप कम्युनिज्म का उद्भव हुआ, परंतु वह भी स्वामी बदलने तक सीमित रहा।

ऐसी कोई व्यवस्था, जो आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों में—चाहे वे कुछ व्यक्ति हों या सरकारी अधिकारी—सीमित कर देती है और व्यक्ति को मशीन का मात्र एक पुरजा बना देती है, वह व्यक्तित्व का अपहरण करती है। और ऐसी कोई व्यवस्था भारतीय मानस को कभी स्वीकार नहीं।

स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं के बारे में गांधीजी के विचार बड़े विशद हैं। उन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थ और राजनीति के महत्त्व को रेखांकित किया है। उन्होंने 'अंत्योदय' दर्शन को प्रतिपादित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के पक्ष में थे, जिसमें विकेंद्रीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया हो और राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में 'लोकसत्ता' की निर्णायक भूमिका हो। चार पुरुषार्थों पर आधारित दीनदयालजी के 'एकात्म मानववाद' में भी सब प्रकार के शोषण से मुक्त, विकेंद्रीकृत, और सामाजिक नियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस प्रकार, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, समग्र मानववाद और गांधीवादी समाजवाद इसी विषय के विस्तार मात्र हैं। इस चिंतन पर आधारित व्यवस्था ही असल आजादी और समता की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी इसी व्यवस्था की स्थापना का संकल्प करती है।

भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति की आजादी में किसी प्रकार की कतरव्योंत किए बिना भी गरीबी को हटाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प करती है कि संविधान प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार के ह्रास और विनाश के बिना ही वह संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी।

(२)
दृष्टिकोण

भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय आर्थिक नीति के ज्वलंत प्रश्नों पर पुनर्विचार किया है। वह निम्न सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करती है—

सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रश्न अति मुद्रास्फीति का है। परंतु साथ ही आर्थिक विकास की नीची दर, भारी और फैलती बेरोजगारी, उत्तरोत्तर और अधिकाधिक व्यक्तियों का घोर गरीबी के दलदल में फँसते जाना तथा आय व संपत्ति के वितरण में बढ़ती असमानता जैसी पुरानी और दूरगामी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। नियोजन और आर्थिक नीति का संपूर्ण तानाबाना गत बीस वर्षों में इन समस्याओं को हल करने में असमर्थ रहा है।

तीस वर्ष की इस सुदीर्घ अवधि में भारत में आर्थिक विकास की क़ुल वार्षिक दर 3.7 प्रतिशत रही। यह दुनिया के कई विकासशील कम्युनिस्ट और गैर-कम्युनिस्ट देशों की विकास दर से भी कम है।

यह बात भी बड़े महत्त्व की है कि जब से श्रीमती गांधी सत्ता में आईं, विकास दर में गिरावट का क्रम निरंतर जारी है। श्रीमती गांधी के सत्ता में आने से पूर्व के पंद्रह वर्ष में विकास की औसत वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रही। लेकिन उनके आने के बाद यह गिरकर 3 प्रतिशत से भी नीचे चली गई। एक वर्ष तो यह शून्य पर पहुँच गई। जनता शासन के पहले दो वर्ष में यह 6 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई। सत्ता में लोकदल के समय में और फिर श्रीमती गांधी के दुबारा सत्ता में आने पर इसमें भारी गिरावट आई।

इस समय देश में दो करोड़ व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान है। इस में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

सरकारी तौर पर बताया गया है कि 30 करोड़ 90 लाख व्यक्ति घोर गरीबी की निम्नतम रेखा से नीचे हैं और वर्तमान क्रम यदि जारी रहा तो इस संख्या में प्रति वर्ष 50 लाख की वृद्धि होती जाएगी।

खेती योग्य भूमि का वितरण जितना अन्यायपूर्ण 20 वर्ष पूर्व था उतना ही अन्यायपूर्ण आज भी है। भूमि-सुधार के भारी-भरकम कानूनों के बावजूद फालतू भूमि के एक मामूली अंश का ही अधिग्रहण करके उसे भूमिहीनों में बाँटा जा सका। आज भी लाखों किसान ऐसे हैं कि वे जिस भूमि पर खेती करते हैं उस पर उनके कोई अधिकार नहीं हैं।

निजी निगमित औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के आधे से भी अधिक भाग पर लगभग एक दर्जन परिवारों का नियंत्रण है। भारतीय जनता पार्टी संपत्ति के

जमाव के खिलाफ है और स्वामित्व तथा अधिकार क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए कृत-संकल्प है। इसे क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

आर्थिक नीति और ढाँचे में भारी परिवर्तन करके बढ़ती महँगाई, बढ़ती बेरोजगारी और कमरतोड़ गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जाना चाहिए। इस नए दृष्टिकोण का प्राथमिक सुझाव इस तरह होना चाहिए कि एक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाकर बेरोजगारी को समाप्त करके पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी' भाजपा की आर्थिक नीति का निर्देशक सिद्धांत होगा।

भाजपा आह्वान करती है कि स्वदेशी भावना को पुनर्जीवित किया जाए। इस भावना को जगा करके ही राष्ट्र के भौतिक और मानवीय साधनों का संपूर्ण उपयोग संभव है, और ऐसा करके ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया जा सकता है तथा उसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

मुद्रास्फीति

भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि मुद्रास्फीति रोकी जा सकती है, और निम्नलिखित नीतियाँ अपनाकर इसे रोका ही जाना चाहिए–

1. मुद्रा प्रसार में वार्षिक विकास दर के अनुपात, अर्थात् इस समय लगभग तीन प्रतिशत वार्षिक दर से ही वृद्धि होनी चाहिए। ऋण पर जब रोक लगाई जाए तब यह प्रतिबंध केवल निजी क्षेत्र पर ही लागू न हों।
2. कई वर्ष तक भारी मात्रा में घाटे की वित्त-व्यवस्था अपनाई जाने के बाद अब आवश्यक है कि कुछ वर्ष तक संतुलित बजट ही तैयार किया जाए। प्रचुर मात्रा में अपव्यय और खासकर गैर-विकासवाली मदों में होनेवाले सरकारी खर्च में भारी भ्रष्टाचार के कारण ही बड़ी मात्रा में घाटे की वित्त-व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। अतः आवश्यक उत्पादक गतिविधियों को हानि पहुँचाए बिना कुल व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए।
3. आम जनता के उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाए जाने की नीति को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।
4. रोजगार की संभावनाएँ बढ़ाने तथा और ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से हमें तैयारशुदा माल का अधिक-से-अधिक निर्यात करना चाहिए। कच्चे माल का निर्यात कम किया जाना चाहिए। आपूर्ति प्रबंधन का सुदृढ़ कार्यक्रम अपनाकर ही देश को भारी अभाव की स्थिति से उबारा जा सकता है।
5. और अंत में, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का इस तरह विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे देश भर में निम्न आयवाले उपभोक्ताओं को उचित

दर दुकानों पर आवश्यक वस्तुएँ सुलभ हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर वनवासी और गिरिजन क्षेत्रों में उचित दर की और दुकानें खोली जानी चाहिए, जिससे कि उपभोक्ताओं को अनाज, दालें, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नमक, चीनी आदि उचित दर पर मिल सकें।

समग्र नीतियों और खासकर संतुलित बजट और आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित करके ही महँगाई पर काबू पाया जा सकता है।

(३)
विकास

1. कृषि-क्षेत्र

जनता सरकार के समय जबकि सिंचित क्षेत्र, उर्वरकों की खपत और उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके प्रति एकड़ उपज में भारी वृद्धि हुई, तब भारतीय अर्थतंत्र के कृषि क्षेत्र में विकास की गति काफी अनुकूल रही। जनता शासनकाल में सिंचित भूमि के रकबे में वृद्धि हुई। सिंचाई के लिए पानी, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक आदि की मात्रा में वृद्धि के कारण भारत के खाद्यान्न भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यही वजह थी कि 1979-80 में भयंकर सूखा पड़ने के बाद भी खाद्यान्नों का आयात नहीं करना पड़ा।

यह बहुत जरूरी है कि खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता बनी रहे, और इसके लिए बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि की विकास दर की गति को जारी रखा जाए।

किसानों को आश्वस्त किया जाए कि उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य मिलेगा। बीज, उर्वरक, बिजली, पानी आदि की लागत, जीवन-निर्वाह व्यय आदि सभी बातों का जायजा लेने के बाद किसान की उत्पादन लागत निर्धारित की जाए। सरकारी खरीद कार्य को इतना व्यापक और कुशल बनाया जाए कि सब किसानों को, खासकर छोटे किसानों को यह भरोसा हो सके कि उन्हें उनके उत्पादों का निर्धारित मूल्य मिलेगा और उन्हें बाध्य होकर अपना उत्पाद नहीं बेचना होगा।

छोटे और बहुत छोटे किसानों को कृषि के काम में आनेवाली सब वस्तुएँ और ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध कराए जाएँ। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों को दरिद्रता के दलदल से उबारा जा सकेगा।

खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर बढ़ाई जाए और उसे दृढ़ता से लागू

कराया जाए।

कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर व्यापक आधारवाला एक अभिकरण बनाया जाए, जिसमें विशेषज्ञों के अलावा किसानों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी शामिल हों। सब कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य फसल की बोआई के समय ही घोषित किया जाए।

पशु और फसल बीमा के क्षेत्र को धीरे-धीरे विस्तृत किया जाए। छोटी सिंचाई परियोजनाएँ शुरू करके अधिकाधिक भूमि पर वर्ष में दो और तीन फसलें उगाने की व्यवस्था की जाए।

संविधान द्वारा निर्दिष्ट गौ-संरक्षण और गौ-संवर्धन नीति को लागू किया जाए, जिससे डेरी और पशुपालन उद्योग को बढ़ावा मिले और देश में दुग्ध क्रांति हो सके।

दुग्ध पर आधारित उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाए, जिससे दुधारू पशु पालनेवालों को दूध का उचित मूल्य मिल सके।

2. औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र में विकास की संभावनाएँ बहुत निराशजनक हैं। एक ओर तो निजी क्षेत्र भारी मुनाफा कमा रहा है, पर दूसरी ओर सरकारी उद्योगों में भारी घाटा हो रहा है।

अगस्त 1980 के नए योजना ढाँचे के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में होनेवाला वार्षिक घाटा बढ़कर 11 अरब रुपए तक पहुँच गया है। परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलंब होते जाने से परियोजना पूरी होने तक उसका अनुमानित व्यय दो-तीन गुणा बढ़ जाता है।

उत्पादन क्षमता का निर्माण हो जाने के बाद उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। पिछले वर्ष अकेले बिजली के क्षेत्र में जितनी बिजली तैयार करने की क्षमता है, उत्पादन उसके 44 प्रतिशत के बराबर रहा। इस्पात और उर्वरक क्षेत्र की स्थिति भी इतनी ही दयनीय है।

औद्योगिक विवादों से श्रम-दिवसों की भारी हानि हो रही है और औद्योगिक उत्पादन गिर रहा है।

इस रोग का प्रभावशाली इलाज करना होगा। इसके लिए भाजपा के सुझाव हैं—

1. सरकारी क्षेत्र के सब उद्योगों की प्रबंध व्यवस्था कुशल प्रबंधकों को सौंपी जाए और इन्हें अधिकाधिक स्वशासी बनाया जाए। राजनीतिक और सचिवालय हस्तक्षेप कम-से-कम हो।

   समूचे सरकारी क्षेत्र की प्रबंध व्यवस्था को योग्य और प्रशिक्षित प्रबंधकों को सौंपा जाए। योग्य और प्रशिक्षित प्रबंधकों का चयन करने तथा

सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में उनकी नियुक्ति करने के लिए एक 'भारतीय प्रबंध सेवा' का गठन किया जाए। इन प्रबंधकों की नियुक्ति निश्चित अवधि के अनुबंध द्वारा की जाए और प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के बाद ही इस अवधि को बढ़ाया जाए।

2. कुछ उत्पादक क्षेत्रों का प्रबंध चलाने के लिए स्वदेशी परामर्शदात्री फर्मों के साथ निश्चित अवधि के अनुबंध किए जाएँ।
3. आयुध उत्पादक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सब क्षेत्रों में विवेकसम्मत एक दुहरी नीति अपनाने की आवश्यकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में बढ़िया किस्म का माल तैयार करने और जनता को विभिन्न सेवाएँ बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों के बीच एक होड़ शुरू हो सके। सहकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उद्योग अधिक कुशलता से चलें, जिससे अर्थतंत्र के और अधिक विकास के लिए ज्यादा साधन उपलब्ध हों। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कसर बाकी न रखी जाए। किसी उद्योग को सरकारी क्षेत्र में लाने का निर्णय राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए।
4. निजी और सरकारी, दोनों औद्योगिक इकाइयों को एक समान और आवश्यक न्यूनतम सामाजिक नियंत्रण में चलाया जाए। आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न स्तरों पर अफसरशाही और प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। कुटीर और बड़े औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक गतिविधियों के पुनर्निर्धारण से संबद्ध नीति सख्ती से लागू की जाए।

   कानून बनाकर उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। कुटीर और लघु उद्योग जो माल तैयार कर सकते हैं, उसे तैयार करने की अनुमति मझोले उद्योगों को न दी जाए। इसी प्रकार जो माल मझोले उद्योग तैयार कर सकते हैं, उसे बड़े उद्योगों को न बनाने दिया जाए। जो सामान देशी उद्योग तैयार कर सकते हैं, उसे बनाने का दायित्व किसी विदेशी कंपनी को न सौंपा जाए।
5. औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि संगठित क्षेत्र में वेतन आदि के लिए राष्ट्रीय निर्देशक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाएँ। बोनस में वृद्धि को विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमानित उत्पादकता और जीवन-निर्वाह व्यय सूचकांकों के साथ जोड़ा जाए।

   सरकार द्वारा श्रमिकों को आश्वस्त करना होगा कि भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा योजना का चंदा आदि जमा कराने और सुरक्षा नियमों का

परिपालन करने में मालिक जैसी मनमानी करते हैं, उससे उनकी प्रभावशाली ढंग से रक्षा की जाएगी। सामूहिक सौदेबाजी से किसी विवाद को हल करने में जब सफलता न मिले तब उसे राष्ट्रीय निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप त्वरित निपटारे के लिए अनिवार्य रूप से किसी मध्यस्थ को सौंप दिया जाए। श्रमिक समस्याओं के त्वरित और उचित हल के लिए स्वशासी औद्योगिक विवाद ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने चाहिए।

प्रत्येक कंपनी के निर्देशक मंडल में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जिससे श्रमिकों में भी भागीदारी और जिम्मेदारी की भावना जागे और श्रमिक स्वयं ऐसा महसूस करें कि हड़ताल केवल अंतिम अस्त्र है।

उद्योगों में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए और प्रोत्साहित किया जाए।

औद्योगिक विकास और विकास की एक जीवंतक भूमिका सौंपी जाए।

अर्थतंत्र के अबाध विकास के लिए परिवहन साधनों, सड़कों, बिजली, पानी आदि की सुविधाएँ उपलब्ध हों।

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थापित औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए।

6. देश के औद्योगीकरण में पर्यावरण और पारिस्थितिक बातों की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। अदूरदर्शी नीतियाँ अपनाकर भावी संततियों को प्रदूषणजन्य खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।

   अतीत में हमारी वन संपदा का जो स्वेच्छाचारी विनाश हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए वृक्षारोपण का ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए।

7. कंपनियों को कर में और करों के अतिरिक्त ऐसी राहत दी जानी चाहिए, जिससे वे अपनी सकल आय के एक भाग को अपने स्थायी कर्मचारियों को कंपनी का अंशधारी बनाने के लिए समर्पित करें। इस मामले में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को पहल करनी चाहिए। कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कंपनियाँ अपने श्रमिकों के लिए मकान बनाएँ तथा श्रमिक कल्याण की अन्य सेवाओं में सुधार करें।
8. घाटे में चलनेवाली मिलों को सरकारी नियंत्रण में लेने की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट निर्देशक सिद्धांत तैयार कराए जाने चाहिए, जिससे सार्वजनिक धन की छीज न हो और स्वार्थी तथा अविवेकी उद्योगपतियों को अपने डूबते उद्योगों को सरकार के कंधों पर डालने से रोका जा सके।
9. विदेशों में रहनेवाले भारतीयों को भारत में पूँजी लगाने के लिए सब प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें अपनी पूँजी विदेशी मुद्रा के रूप में वापस ले जाने की भी छूट दी जानी चाहिए। इसके लिए

आवश्यक निर्देशक सिद्धांत तैयार करके विदेशों में भारतीय दूतावासों को भेजा जाना चाहिए, ताकि प्रवासी भारतीयों को इन सुविधाओं की जानकारी हो सके।

10. आम जनता को सरकारी उद्योगों के 49 प्रतिशत तक शेयर खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    वेतन, मूल्य और लाभ की एक समन्वित नीति से कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी, वेतन की क्रय-शक्ति की रक्षा होगी और लाभ पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

गाँव-शहर का द्वंद्व

यह चिंताजनक और खतरनाक भी है कि एक ओर तो खाद्यान्नों का ढेर लगा है और दूसरी ओर लाखों व्यक्तियों को भूखा रहना पड़ता है। यह गाँव और शहर के बीच बढ़ती दूरी का सूचक है। शहरी उद्योगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही है और ग्रामीण शहरों की ओर भाग रहे हैं। इस भेद नीति का ही परिणाम है कि उपभोक्ता क्षेत्र के उद्योगों में आवश्यक रूप से विशाल पूँजी लग रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में फालतू आबादी को खेती में ही नहीं खपाया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से भिन्न व्यवसायों की व्यवस्था किए बिना गरीबी, बेरोजगारी और शहरों की ओर मची भगदड़ की समस्या और गंभीर बन जाएगी। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उत्पादन की पूँजी-प्रधान व्यवस्था के स्थान पर श्रम-प्रधान व्यवस्था बनाई जाए। महँगी टेक्नोलॉजी के अनियंत्रित विकास से यह द्वंद्व और उग्र होगा। समय की माँग यह है कि कम पूँजी लागतवाले कृषि उद्योगों का जाल तेजी से फैलाया जाए। कृषि और उद्योगों के बीच पूँजी निवेश में असंतुलन के अतिरिक्त सामाजिक सेवाओं पर खर्च की जानेवाली राशि शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है। गाँव में रहनेवाला गरीब इन सेवाओं के लाभ से वंचित है। अतः राष्ट्रीय पूँजी निवेश के समूचे ढाँचे को बदला जाना आवश्यक है।

भारतीय जनता पार्टी उत्तरदायित्वपूर्ण प्रजनन की जनसंख्या नीति अपनाने की सिफारिश करती है। उचित शिक्षा द्वारा स्वस्थ और सुखी नागरिकता की व्यवस्था संभव है। यह नीति स्वैच्छिक होनी चाहिए। इसमें जोर-जबरदस्ती के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार को स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। हमारे आयोजन में आबादी नियंत्रण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(४)

काला धन और उसकी समाप्ति

काले धन का प्रसार एक खतरनाक सीमा तक पहुँच गया है और इसके परिणामस्वरूप अर्थतंत्र में भारी विकृति आ गई है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब कोई वांछित राष्ट्रीय आर्थिक नीति असंभव प्रतीत होती है। काले धन के फैलाव के लिए सरकार की लाइसेंस नीति और नियमन के अधिकार जिम्मेदार हैं। इनका उपयोग बड़ी बेशर्मी से शासक दल के लिए धन एकत्र करने के लिए किया जाता है। बृहत् मात्रा में घूस लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ठेके दिए जाते हैं। इन सबका बोझ अंततोगत्वा गरीब जनता को ही ढोना पड़ता है। भाजपा इन नीतियों को सुधारने का संकल्प करती है और भारत के प्रत्येक ईमानदार नागरिक का आह्वान करती है कि वह इस बुराई के साथ दृढ़ता से संघर्ष करे।

समानांतर और प्रच्छन्न अर्थतंत्र के विकास का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण अविवेकपूर्ण कर-व्यवस्था है, जिस पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

भारतीय जनता पार्टी का मत है कि कर-नीति को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए और कराधान ढाँचे को इस प्रकार ढाला जाना चाहिए कि—

1. इससे राज्य को उत्पादक व्यय के लिए साधन उपलब्ध हों;
2. इससे पूँजी निवेश के स्रोतों में न तो रुकावट पैदा हो और न इसकी प्रेरणा समाप्त हो;
3. जनता बचत करने को प्रोत्साहित हो;
4. कर-वचनों की प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले; और
5. ईमानदार करदाता को परेशान न किया जा सके।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए—

(क) निश्चित आय वर्ग के लिए दर को घटाकर प्रत्यक्ष कर दर को अधिकतम 60 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए और इसे विभिन्न आय-कर स्तरों में निर्धारित किया जाए।

(ख) बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए। बिक्रीकर के राजस्व में वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाकर उसी अनुपात से राज्यों को होनेवाले घाटे की केंद्र क्षतिपूर्ति करे।

(ग) तस्करी, विदेशी मुद्रा की चोरी और चोरबाजारी जैसे आर्थिक अपराध करनेवालों के खिलाफ तत्काल कानूनी काररवाई की जाए। यदि आवश्यक हो तो आर्थिक अपराधियों को जमानत लेने

के अधिकार से वंचित कर दिया जाए और इन्हें विशेष अदालतों से दंडित कराया जाए। दंड कठोर हो। आर्थिक अपराधियों को अपराध से अर्जित लाभ से वंचित कर दिया जाए।

(घ) स्वेच्छा से काले धन की घोषणा करने की पहले भी कई योजनाएँ चलाई गईं, लेकिन इनका अनुभव सुखद नहीं रहा। इन योजनाओं को शंका की दृष्टि से देखा गया और आमतौर पर ऐसा समझा गया कि बेईमानी को पुरस्कृत किया जा रहा है। भाजपा का मत है कि प्रत्यक्ष कर की दर को अधिकतम 60 प्रतिशत पर ले जाने के बाद ऐसी योजनाओं का कोई औचित्य नहीं रह जएगा।

फिर भी इस छूट की घोषणा के तत्काल बाद सामाजिक न्याय के वितरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार कमजोर वर्गों के लिए आवासीय कार्यक्रम, हरिजनों और गिरिजनों के लिए कल्याण कार्यक्रमों, विकलांगों के लिए नौकरी की सुविधा, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र, धर्मशालाएँ, पूजा–उपासना केंद्र, सड़क निर्माण, कुएँ, प्रशिक्षण केंद्र खोलने, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था, दैवी आपदाओं के समय जनता की सहायता करने और राहत पहुँचाने जैसे जनहित के कार्यक्रमों की घोषणा करके इन कार्यक्रमों में धन लगाने को आमंत्रित कर सकती है। इन परिकल्पनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए कानून द्वारा एक अभिकरण स्थापित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहे। यह अभिकरण विधानसभा और संसद् को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देगा। घोषणा के छह माह के भीतर इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भाग लेनेवाले या इनके लिए धन देनेवाले व्यक्ति को पूँजी आगम और निवेश का स्रोत बताने को बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसी सुविधा केवल एक बार प्रदान की जाएगी। सरकार इस बारे में आवश्यक नियम और कानून बना सकती है।

(५)
गरीबी पर प्रहार

भाजपा अपने आज के दरिद्रनारायण के उत्थान कार्य के लिए समर्पित है। यह कार्य सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होकर और उत्पादन बढ़ाकर पूरा किया जाएगा।

यदि नीचे लिखी नीति का परिपालन हो, तो न्याय दिलाने की दिशा में तेजी

से प्रगति संभव है—

1. फालतू भूमि को, जिसका पता लगाया जा चुका है, (लगभग 55 लाख एकड़) एक विस्तृत भूमि-वितरण व्यवस्था के माध्यम से भूमिहीनों में तीन वर्ष के भीतर बाँट दिया जाए। कानूनी और प्रशासनिक छिद्रों को बंद करके अतिरिक्त फालतू भूमि का पता लगाया जाना चाहिए।
2. सक्षम अधिकारियों को मौके पर भेजकर प्रत्येक किसान की जोत का पता लगाया जाए। इस भूमि का पट्टा देकर संबद्ध किसान को भूमि का मालिक बनाया जाए। इस प्रकार इस समय जितने शिकमी काश्तकार हैं, उनका पता लगाकर तीन वर्ष के भीतर उन्हें उनकी जोत का मालिक बना दिया जाए। प्रत्येक वर्ष के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए और उसे स्वीकृति के लिए प्रतिवर्ष विधानसभा के पटल पर रखा जाए।
3. पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार लाने और भूमि सीमा कानून को लागू करने के लिए खंड स्तरीय समितियाँ गठित की जाए जिनमें 50 प्रतिशत सदस्य काश्तकार और भूमिहीन मजदूर हों।
4. पार्टी ग्रामीण गरीबों को संगठित करने की आवश्यकता स्वीकार करती है। न्याय दिलाने में तेजी लाने के उद्देश्य से ग्रामीण श्रमिकों की रक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. संस्थागत ऋणों में छोटे और बहुत छोटे (सीमांत) किसानों का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।
6. पंचवर्षीय योजना की एक बुनियादी परिकल्पना के रूप में एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार की जानी चाहिए और इसे विभिन्न सोपानों में 15 वर्ष के भीतर समूचे देश में लागू किया जाना चाहिए। सब विकास खंडों के लिए पूर्ण रोजगार की कुशल योजनाएँ तैयार करने के उद्देश्य से सब जिलों और विकास खंडों में तकनीकी आर्थिक परियोजना निर्माण विभाग गठित किए जाने चाहिए। अंत्योदय कार्यक्रम की भाँति प्रत्येक गरीब और आंशिक रोजगार प्राप्त प्रायः प्रत्येक परिवार को इस योजना के अधीन लिया जाना चाहिए।
7. विकास खंड के लिए पूर्ण-रोजगार की योजना तैयार होते ही प्रत्येक विकास खंड में यथाशीघ्र श्रम की गारंटी की घोषणा कर दी जानी चाहिए।
8. कलेक्टर (जिला विकास अधिकारी) और/या निर्वाचित संस्थाओं को जिला और विकास खंड के लिए पूर्ण रोजगार योजना तैयार करने के

लिए पर्याप्त धन और अधिकार दिए जाने चाहिए।

9. सरकार द्वारा निर्मित या सरकारी सहायता से निर्मित नीचे लिखी सामाजिक सेवाओं को प्रत्येक ग्रामीण व शहरी समुदाय और खासकर, गाँवों में रहनेवाले गरीबों और शहरों की गंदी बस्तियों के निवासियों का मौलिक अधिकार स्वीकार किया जाना चाहिए—
   (क) स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त सप्लाई;
   (ख) ऊर्जा (बिजली, लकड़ी, कोयला, गोबर-गैस और/या डीजल, मिट्टी का तेल);
   (ग) बारहमासी पक्की सड़क;
   (घ) आरामदेह सार्वजनिक परिवहन;
   (च) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन का ज्ञान, सप्लाई और सेवा;
   (छ) शिक्षा और व्यावसायिक ज्ञान सुलभ कराने के लिए सतत अनौपचारिक शिक्षा व प्रशिक्षण तथा गरीबों पर जारी अन्यायों से उन्हें परिचित कराकर उन्हें कर्तव्य और अधिकार का बोध कराना;
   (ज) सफाई (कूड़ा-कचरा ढोने के लिए ढकी और यांत्रिक व्यवस्था तथा कूड़े का व्ययन और पुनर्उपयोग); और
   (झ) आवास (गरीबों के लिए)।
10. भाजपा औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास, कृषि सेवाओं और देश की आवास समस्या को हल करने के लिए सहकारी प्रयास के सिद्धांत को स्वीकार करती है। खासकर दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण ऋण और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के क्षेत्र में कुशल सहकारिता में यकीन करती है। इस आंदोलन को भ्रष्टाचार, निहित स्वार्थ और अनावश्यक अफसरी हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए और इसे सही अर्थों में स्वैच्छिक और स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए।
11. इन सेवाओं और सुविधाओं के लिए छठी योजना में निर्धारित मात्रागत लक्ष्यों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए।
12. बड़े व्यावसायिक घरानों से आग्रह किया जाना चाहिए कि वे अपनी संपत्ति का एक अंश प्रतिवर्ष गाँवों के गरीबों के उत्थान और कल्याण पर खर्च करें। इसके लिए सरकार द्वारा निर्देशक सिद्धांत तैयार किए जाने चाहिए।
13. सार्वजनिक क्षेत्र से दिए जानेवाले ऋणों, नौकरियों और शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं में स्त्रियों (या स्त्री-प्रधान संस्थाओं), हरिजनों, गिरिजनों, अपंगों और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
14. बैंकों अथवा जिला आयोग केंद्रों से वित्तीय, तकनीकी और विपणन

सहायता के आधार पर प्रतिवर्ष एक निश्चित न्यूनतम संख्या में शिक्षित युवकों को अपना रोजगार खुद शुरू करने में मदद दी जानी चाहिए। खासकर युवकों के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार-नीति तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को पाँच वर्ष के भीतर रोजगार योजना के आधीन लाया जाना चाहिए। जिन्हें न लाया जा सके, उन्हें न्यूनतम निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए।

15. हरिजनों और गिरिजनों के लिए नौकरियो में आरक्षण व्यवस्था को संविधान की भाषा और भाव के अनुरूप क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
16. उपभोक्ता से जो कीमत वसूल की जाए उसमें उत्पादन लागत, लाभ और मूल्य में सामंजस्य होना चाहिए। किसी को मनमाना लाभ कमाने की छूट नहीं होनी चाहिए।
17. उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और उसको उपलब्ध कराई जानेवाली वस्तुओं की किस्म एवं उचित मूल्य दर को कायम रखने के लिए एक स्वशासी अधिकरण बनाया जाना चाहिए।

(६)

दरिद्रनारायण राष्ट्रीय कोष

पाँच अरब रुपए वार्षिक के अनुदान से एक दरिद्रनारायण राष्ट्रीय कोष बनाया जाए। इस कोष में प्रदेश और केंद्र सरकारें प्रतिवर्ष समान राशि दें। इस कोष में प्रदेश के लिए आवश्यक धन जुटाने के उद्देश्य से शहरों और गाँवों में रहनेवाले संपन्न व्यक्तियों पर एक विशेष अधिभार लगाया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष करों में कमी किए जाने और कर ढाँचे को तर्कसंगत बना दिए जाने के बाद राष्ट्रजन इस पुनीत कार्य के लिए स्वेच्छा से धन देने को राजी होंगे। इस कोष से देश के अति दरिद्रों की सहायता की जानी चाहिए।

गरीबी हटाने के लिए अंत्योदय, श्रम के बदले अनाज, साक्षरता आदि कार्यक्रमों को बड़े विशाल पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए। कोष से प्रशासनिक व्यय के लिए कोई पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए। इस कोष से चलाई जानेवाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट पर विधानसभा और संसद् में प्रति वर्ष विचार होना चाहिए।

इस मामले में संपन्न व्यक्तियों को एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा। उन्हें अपनी संपत्ति के फूहड़ प्रदर्शन से बचना होगा। उन्हें अपनी समृद्धि के अनुपात

में त्याग करने को तत्पर रहना होगा। करोड़ों खाली पेट भूख की पीड़ा को अनंत काल तक बरदाश्त नहीं कर सकते।

यही वह मुख्य दिशा है जिस ओर भारतीय जनता पार्टी देश के अर्थतंत्र को ले जाना चाहती है। एक राष्ट्र के रूप में हम यदि सहमत नहीं होते और यदि सरकार वर्तमान उपभोग में कटौती करके बचत और पूँजी निवेश बढ़ाने के लिए विशाल पैमाने पर प्रयत्न करने के साथ-साथ न्याय दिलाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय नहीं देती, तो आर्थिक तबाही के उमड़ते तूफान से देश को कोई नहीं बचा सकेगा।

पाँच प्रतिबद्धताएँ

भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत नीति वक्तव्य

1. पृष्ठभूमि

भारतीय जनता पार्टी का जन्म ऐसी स्तब्ध करनेवाली परिस्थितियों में हुआ था जिनपर उसका कोई वश नहीं था। परिस्थितियाँ, जो दुःखद एवं विरूप थीं। दुःखद इसलिए कि कांग्रेस के सहज विकल्प के रूप में दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण कर सकनेवाले एक दल के निर्माण का लोकनायक जयप्रकाश नारायण का स्वप्न भंग हो गया। विरूप इसलिए कि निजी, राजनीतिक आधार से रहित, किंतु असीम सिद्धांतहीन महत्त्वाकांक्षा से प्रेरित चंद अविश्वसनीय राजनेताओं ने दल को नष्ट कर दिया। गनीमत है कि अब उनका चेहरा बेनकाब हो गया है।

इस तथ्य के बावजूद कि उपर्युक्त घटना-चक्र पर दल का कोई वश नहीं था, भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने भवितव्य के निर्माण के लिए कृत-संकल्प है। दल के इस निर्णय का आधार लाखों तपःपूत कार्यकर्ताओं का बल, विस्तृत राष्ट्रव्यापी अधिष्ठान एवं देशभक्तों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में दल की छवि को उभारना है। समय के आग्रह को स्वीकारते हुए एवं पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना से अनुप्राणित होकर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक भूमिका निबाहने के लिए कृत-निश्चय है। जिन्होंने दल का निर्माण किया है, वे राजनीति में नैतिक-मूल्यों की पुनर्स्थापना में आस्था रखते हैं। उनकी दृष्टि में विनम्रता एवं सेवा की भावना उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण अभूतपूर्व

संकट की घड़ी में हुआ है। आज देश को आस्था एवं आशा के संदेश की आवश्यकता है—दिग्भ्रम के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है।

2. दल का सूत्रपात

श्री जयप्रकायश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का जन्म कांग्रेसवाद के ह्रास तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात् हुआ। जिस समय देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में एक विकल्प की आवश्यकता थी, उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता सत्ता से चिपके रहने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे थे। जनता आंदोलन का प्रादुर्भाव 1973-74 में हुआ और विभिन्न विचारधाराओं तथा पार्टियों के लोगों ने इस आंदोलन में मिलकर काफी संघर्ष किया। जनता पार्टी के बार-बार टूटने से इस प्रकार विकल्प के निर्माण में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। अतः आज की परिस्थितियों में जो लोग भारतीय समाज तथा अर्थव्यवस्था के संकट और उसके साथ ही कांग्रेस की अधिकारवाद की चुनौती से जूझना चाहते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के विकल्प के निर्माण में अपने आपको पुनः समर्पित करें। इस प्रकार के प्रयत्न में सम्मिलित होने की इच्छा रखनेवाली सभी शक्तियों के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है।

जनता पार्टी पिछली बार तथाकथित दोहरी सदस्यता की समस्या को लेकर टूटी। जनवरी 1977 में जब जनता पार्टी शुरू की गई थी अथवा मई 1977 में जब इसे औपचारिक रूप से संस्थापित किया गया था, उस समय जनसंघ के भूतपूर्व सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संपर्क पर किसी ने कोई आपत्ति नही उठाई थी। जनता पार्टी के सत्ता में आ जाने के बाद भी दोहरी सदस्यता तब तक कोई समस्या नहीं थी जब तक दल के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष बहुत तीव्र नहीं हो गया। जनसंघ के भूतपूर्व सदस्यों को अपमानित करने के लिए इस सवाल को उस समय उठाया जाने लगा। यह मात्र संयोग ही नहीं है कि दोहरी सदस्यता के प्रश्न को उस समय एक बहुत बड़ा सवाल बनाया गया जब चोटी पर सत्ता का संघर्ष तीव्र हो उठा था। जनता पार्टी के जनसंघ घटक ने दूसरे लोगों के साथ सहयोग करने की भरसक कोशिश की, परंतु उन्हें इसमें अधिक सफलता नहीं मिल सकी। यद्यपि यह बात अब मात्र ऐतिहासिक महत्त्व की ही है, तथापि इस तथ्य को याद रखने की आवश्यकता है कि जनसंघ घटक ने अपनी सामर्थ्य भर जनता पार्टी में एकता कायम रखने

में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव बलिदान किया। परंतु नेताओं के आपसी वैमनस्य के साथ ही कुछ ऐसे लोगों की गतिविधियों ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया।

भारतीय जनता पार्टी शुरू में ही दोहरी सदस्यता के तथाथित मुद्दे साफ कर देना चाहती है, ताकि किसी के मन में इस संबंध में कोई भ्रम न रहे। पार्टी इस बात को फिर दोहराती है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान में कार्यरत हैं और जो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में संलग्न नहीं हैं, उन सबके सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, और जब तक वे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा व कार्यक्रम में आस्था रखेंगे तब तक उन संगठनों की सदस्यता को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के प्रतिकूल नहीं माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि रचनात्मक कार्य से विहीन राजनीति नेताओं और कार्यकर्ताओं, दोनों को ही भ्रष्ट कर देती है। पार्टी उन सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करेगी जो रचनात्मक कार्यों में संलग्न हैं।

3. नई राष्ट्रीय सहमति

आज देश में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर संकट व्याप्त हैं। इन संकटों को जनता पार्टी अथवा उसकी सरकार ने पैदा नहीं किया है। ये संकटपूर्ण परिस्थितियाँ कांग्रेस शासन के पिछले दस वर्षों में बनती रही हैं। कांग्रेस नेताओं के सामने जब कभी यह संकट आया तब उन्होंने दिखावे के कुछ नारे देकर उसके समाधान की कोशिश की। आज कांग्रेस (इ) देश को ध्रुवीकरण और पूर्ण संघर्ष की दिशा में ठेल रही है। समय की माँग है कि कतिपय बुनियादी समस्याओं पर एक राष्ट्रीय सहमति का निर्माण किया जाए। इसके बाद भी प्रतिस्पर्धा की राजनीति के लिए काफी गुंजाइश रहेगी।

भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि सहमति और विरोध विकास के अपरिहार्य पहलू हैं। राष्ट्रीय महत्त्व के सभी मामलों में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सहमति का निर्माण करने का प्रयत्न करेगी, और जहाँ परस्पर विरोधी परिस्थितियाँ पैदा होंगी वहाँ दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करेगी। सहमति और विरोध अपने में साध्य नहीं हैं वरन् विकास को गति प्रदान करनेवाली प्रक्रियाएँ हैं। सहमति का अर्थ सबके बीच पूर्ण मतैक्य नहीं है तथा राष्ट्रीय सहमति केवल सत्ता के लिए संघर्ष पर आधारित नहीं

हो सकती। इस प्रकार की सहमति कतिपय सिद्धांतों एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी देश के सामने उन पाँच सिद्धांतों को रखना चाहती है जिनके अनुपालन के लिए वह प्रतिबद्ध है और जिनके आधार पर राष्ट्रीय सहमति का निर्माण किया जा सकता है। हम इन पाँच सिद्धांतों को 'पंच-निष्ठाओं' की संज्ञा देना चाहते हैं।

पहला सिद्धांत राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय समन्वय है। हम राष्ट्र-राज्यों के युग में रह रहे हैं। जनता का कल्याण मुख्यतः राष्ट्रीय प्रयत्नों पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। सभी भारतीय एकजन हैं और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें विविध धार्मिक विश्वासों, विचारधाराओं, भाषाओं, हितों आदि का परस्पर समावेश है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि अलग-अलग मतों तथा पृथक्-पृथक् विचारधाराओं पर विश्वास करनेवाले लोगों का शांति और सद्भाव के साथ एक साथ रहना संभव होना चाहिए। राष्ट्रीय सहमति तभी संभव हो सकती है जब एक सामाजिक समूह की उन्नति दूसरे सामाजिक समूह की भी उन्नति का कारण बने। जिन लोगों की बाह्य निष्ठाएँ हों अथवा जो असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों, उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि राष्ट्रीय सहमति के निर्माण में उनका कोई योगदान हो सकता है। अतः उन्हें दल से दूर रखा जाएगा।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की एक मूलभूत घोषणा जनतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता थी, यही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी निष्ठा है। हमारे देश में जनतंत्रीय संस्थाओं का विखंडन दीर्घकाल से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास जनतंत्रीय संस्थाओं और सिद्धांतों की रक्षा करने और उभरती फासिस्ट प्रवृत्तियों से अनवरत संघर्ष करने का होगा। लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अन्य जनतंत्रीय संस्थाओं से सहयोग करेगी।

तीसरा सिद्धांत है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिक मूल्यों पर आधारित वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करती है। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता नितांत अनैतिक और अवसरवादी रही है और इसने देश के साथ भारी छल किया है, क्योंकि इसने भारतीय राजनीति को निरंतर संप्रदायबद्ध कर दिया है। भारतीय निर्वाचन पद्धति में थोक सांप्रदायिक वोट के इस अभिशाप के विरुद्ध संघर्ष करना जरूरी है, क्योंकि यह सांप्रदायिकता वस्तुतः राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वय की जड़ों को भी

खोखला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के जान-माल की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देती है। साथ ही उल्लेखनीय है कि धर्मनिरपेक्षता को एकदम नकारात्मक स्वरूप दे दिया गया है। गांधीजी ने धर्मनिरपेक्षता को सही स्वरूप दिया था। कांग्रेस ने उस स्वरूप को कभी कायम नहीं रखा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मात्र यह नहीं है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच असहिष्णुता न हो। अधिक सकारात्मक रूप से इसका अर्थ यह भी है कि उन समान नैतिक मूल्यों का, जो कि भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग रहे हैं, भले ही वे विभिन्न धर्मों से ग्रहण किए हुए हों, यह विभिन्न ऐतिहासिक एवं वैचारिक अनुभवों अथवा दृष्टियों से उत्पन्न समन्वय हो।

चौथा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, व्यापक अर्थों में कही जाए तो गांधीवादी समाजवाद है। रोटी, आजादी एवं रोजगार गांधीवाद की वरीयताएँ हैं। भारतीय जनता पार्टी इन प्राथमिकताओं को विकास की व्यूह-रचना का केंद्रबिंदु बनाकर इन प्रश्नों पर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी। गांधीवाद की यह व्याख्या करना कि 'लघु ही सुंदर है' अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास सीमित होना चाहिए, ठीक नहीं है। सच तो यह है कि गांधीवादी विचारधारा में लघु, मध्यम और विशाल—तीनों के समन्वय की गुंजाइश है और किसी ऐसी प्रौद्योगिकी को तब तक प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है जब तक उससे मानव का अवमूल्यन न होता हो और वह शोषण तथा नव-साम्राज्यवाद की स्थापना का उपकरण न बन गई हो। भारतीय सभ्यता ने सदैव ही विज्ञान के प्रति नकारात्मक दृष्टि और नैतिक मूल्यों के मध्य समन्वय के द्वारा प्रगति की है। विज्ञान और धर्म में समन्वय स्थापित करना ही होगा।

गांधीवादी समाजवाद में अंततोगत्वा पूँजीवाद और राज्य नियंत्रणवाद समाप्त हो जाते हैं तथा सामाजिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उनका स्थान सहकारिता और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत ले लेते हैं। सरकार अथवा व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक शक्ति के केंद्रित हो जाने के अपने अलग खतरे हैं और उनसे सत्ता भ्रष्ट हो जाती है। गांधीवादी समाजवाद उद्देश्यों अथवा साध्यों का समूह मात्र नहीं है। गांधीवादी समाजवाद में उचित साधनों के अपनाने पर जोर दिया जाता है। इसके अनुसार ट्रस्टीशिप और सहकारिता की ओर समाज का क्रमिक रूपांतरण अहिंसक उपायों द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी आदर्शों को प्राप्त करने के लिए इन गांधीवादी परिपाटियों का अनुसरण करेगी।

पाँच, गांधीवादी समाजवाद की मुख्य विचारधारा यह है कि दरिद्रता को दूर किया जाना चाहिए अथवा मानव का शोषण नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के कुछ परिणाम सामाजिक भर्त्सना और सामाजिक दंड होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगी, जिससे सामाजिक जीवन में व्याप्त गंदगी दूर की जा सके।

'पंच निष्ठाओं' के आदर्शों की सीमा में रहते हुए अन्य विषयों के संबंध में भारतीय जनता पाटी का रवैया लचीला होगा। उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी, गरीब जनता को राहत पहुँचाने के लिए जो कार्यक्रम रखे जाएँगे, उनमें शासक दल के साथ सहयोग करने को तैयार है; परंतु पार्टी अधिकारवाद, भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रविरोधी राजनीति और गतिविधियों के प्रति अपने विरोध में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और इन नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने की दिशा में उन सभी विरोधी दलों के साथ दूर तक सहयोग करेगी, जिनकी देशेतर या बाह्य निष्ठाएँ नहीं हैं।

4. जनता सरकार की सफलताएँ तथा आसन्न संकट

जनता पार्टी इतने कम समय तक सत्ता में रही है कि 1965 से 1975 के दौरान ह्रास और मंदी की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसको एकदम सही रास्ते पर लाना इतनी अवधि में संभव नहीं था, तथापि 1977-78 और 1978-79 में आर्थिक क्षेत्र में जनता पार्टी का कार्य सराहनीय रहा। इस दौरान मूल्य स्थिर रहे, औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन पहले के मुकाबले अधिक रहा तथा विदेशी मुद्रा से होनेवाली आय में वृद्धि होती रही। जनता सरकार ने समाज में सबसे गरीब वर्गों की भलाई के लिए कई दीर्घकालीन योजनाएँ और कार्यक्रम चालू किए। काम के लिए अनाज कार्यक्रम, बहुत छोटे किसानों को विशेष सहायता, अंत्योदय तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम तथा कृषि इत्यादि के क्षेत्र में योजना-व्यय में वृद्धि ने संतुलित विकास और सामाजिक न्याय, दोनों की ही स्थापना का शिलान्यास किया था। जनता पार्टी ने छठी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया था, उसमें रोजगार दिलाने को सर्वोच्च प्रथमिकता दी गई थी तथा गरीबों के सामाजिक अधिकार को सुदृढ़ बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता संबंधी कार्यक्रमों के लिए बहुत अधिक धनराशि का आबंटन किया गया था। योजना के इतिहास में पहली बार

इन लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया था ताकि वे पर्याप्त ऊँची वार्षिक वृद्धि की दर अर्थात् 4.7 प्रतिशत के साथ संगति बैठा सकें। राजनीतिक संकट के कारण ये सारे कार्यक्रम अचानक रुक गए और अब तो इनकी दिशा ही बदल दी गई है। देश के आर्थिक संकट से निपटने के लिए लगभग एक वर्ष से हमारे यहाँ आर्थिक निर्णय किए ही नहीं जा सके हैं। देश के सामने यह संकट बहुत गंभीर है और कांग्रेस शासन के वापस आ जाने से यह आर्थिक संकट और बढ़ गया है।

5. कांग्रेसवाद की अंतिम परिणति

कांग्रेस द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय मोरचे के रूप में साम्राज्यवाद के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष की ऐतिहासिक भूमिका को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विशेषकर विदेश नीति, नियोजन एवं लोकतंत्र से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति के निर्माण की चेष्टा की थी। किंतु यह एक अल्पकालीन प्रयोग ही सिद्ध हुआ और वह क्रमशः अपनी ऐतिहासिक भूमिका खो बैठी। कांग्रेस ने अपने ही द्वारा बनाए संस्थागत ढाँचे का क्षरण कर एवं अंततोगत्वा इसके बड़े अंश को नष्ट करके भी सत्ता में रहने का प्रयत्न किया। राजनीतिक छल-प्रपंच, भ्रष्टाचार, दलबदल, प्रतिपक्ष पर झूठे आरोप आदि इसने सत्ता प्राप्त करने के प्रमुख हथियार बनाए। इसने समस्त गांधीवादी परंपरा के साथ विश्वासघात किया और एक अंधे मोड़ पर पहुँच गई।

कांग्रेस का विनाश और विकृति कांग्रेस (इ) के रूप में उभरकर सामने आई और इसने देश में निरंतर संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। सत्ता के लोभ में कांग्रेस (इ) के नेता जब अपनी गलत नीतियों के कारण उत्पन्न संकट का हल न कर सके तो उन्होंने इस देश में 1975 में आपात स्थिति थोप दी। हमारे राजनीतिक विकास के इस स्तर पर कांग्रेसवाद का अर्थ है संस्थाओं के अधिकारों का या तो क्षरण हो गया या उन्हें एक-एक कर नष्ट कर दिया गया। संसद्, जो भारतीय लोकतंत्र की धुरी है, के अधिकारों में कमी करने की प्रवृत्ति को यदि रोका नहीं गया तो लोकतंत्र बिलकुल ही समाप्त हो जाएगा। न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धमकियाँ देकर उसे सत्तारूढ दल की इच्छाओं के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। सीधे आपात् स्थिति लागू किए बिना ही समाचार-पत्रवाले आपात् स्थिति के भय से आतंकित कर दिए गए हैं। नौकरशाही पूर्णतया हतोत्साहित हो गई है। दूसरे शब्दों में,

राजनीतिक निर्णय करने के सभी प्रमुख उपकरण एक छोटे से गिरोह की मुट्ठी में हैं जो पुनः सत्ता पर एकाधिकार करने पर तुला हुआ है। देश के सामने उपस्थित संकट का इस गुट को आभास तक नहीं है।

स्थायी और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक उच्चस्तरीय संस्थागत ढाँचे का होना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी की त्रासदी यह है कि इसने प्रथमतः अपने पहले के पंद्रह वर्षों के शासन के दौरान एक अपर्याप्त संस्थागत ढाँचे का निर्माण किया, किंतु दूसरे चरण में इसके नेताओं ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं के अधिकारों को भी निरंतर समाप्त करना आरंभ कर दिया। राजनीतिक दल भ्रष्ट कर दिए गए हैं, केवल एक व्यक्ति ने कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियाँ अपने हाथों में समेट ली हैं, मंत्रिमंडल का गठन एक औपचारिकता मात्र रह गई है, संसद् की शक्तियाँ क्षीण कर दी गई हैं। समाचार-पत्र और न्यायपालिक़ा गतिहीन कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को राजनीतिक रूप दे दिया गया है और उनकी शैक्षणिक गतिविधियाँ दुर्बल कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी इन संस्थाओं को न केवल उनकी शक्तियाँ, क्रियाशीलता और अधिकार वापस दिलाएगी वरन् इन संस्थाओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें सुधार करने का प्रयत्न भी करेगी। हमारी पार्टी भारत की जनतंत्रीय संस्थाओं के पुनर्गठन के प्रश्न की जाँच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करेगी, जिसमें भावी लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास को दूरगामी दिशा मिल सकेगी।

6. दलबदल विरोधी कानून एवं निर्वाचन-प्रणाली में सुधार

यह स्पष्ट है कि तीस वर्ष पुरानी निर्वाचन-प्रणाली अब दलबदल, भ्रष्टाचार, दल-विघटन को प्रोत्साहन एवं जनतंत्रीय मानदंडों की उपेक्षा के कारण स्वयं ही जनतंत्र के लिए खतरा बन गई है। यही कारण है कि जयप्रकाशजी ने निर्वाचन प्रणाली में सुधार को उच्च वरीयता प्रदान की थी, जिसका मुख्य अभिप्राय पर्याप्त स्पष्ट है। इन सुधारों का उद्देश्य और चीजों के साथ-साथ दलों के विघटन को रोकना भी होना चाहिए। राजनीतिक दलों की काले धन अथवा बड़े व्यापारियों पर निर्भरता हटाने के लिए, मान्यता प्राप्त दलों को प्राप्त वोटों के आधार पर राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त दलों को अपने हिसाब राष्ट्रीय जाँच के लिए प्रस्तुत करने चाहिए। मतदान की

आयु भी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए। इस कार्य में भारतीय जनता पार्टी उन सभी दलों का सहयोग चाहेगी जो चुनाव-प्रणाली में सुधार को गंभीर रूप से आवश्यक समझते हैं।

भारतीय जनता पार्टी दल-बदल के विरुद्ध कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय मतैक्य तैयार करने का प्रयत्न करेगी। बहुत अधिक विस्तार में न जाते हुए भारतीय जनता पार्टी दलबदल विरोधी ऐसे कानून पारित करने की सिफारिश करेगी, जिसके अंतर्गत सदन में दल बदलने का निषेध होगा। भारत में न केवल बहुत से राजनीतिक दल हैं वरन् इन राजनीतिक दलों में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनका काम ही दलों को तोड़ना है। इतिहास यह बताता है कि अधिकारवाद और फासिज्म का उदय लोकतंत्र में दलों के विघटन की ही देन है। हिटलर जर्मनी में इसी प्रकार सत्तारूढ़ हुआ और समाजवादी मुसोलिनी इटली में फासिस्ट शक्ति बन बैठा। कांग्रेस या अन्य कोई दल निरंतर अल्पसंख्या में वोट पाकर भी आवश्यकतानुसार दलबदल करवाकर नई दिल्ली में सत्तारूढ़ बना रह सकता है। यह सभी लोकतांत्रिक दलों के हित में है कि वे दलबदल के विरुद्ध कानून बनाए जाने के लिए सामूहिक रूप से बल दें। यदि कांग्रेस पार्टी दल-बदल को रोकने के लिए सहमत हो जाए तो उसमें भी सुधार की काफी गुंजाइश है।

7. जातिवाद का खतरा

तीस वर्षों के गलत विकास ने अधिक-से-अधिक लोगों को निर्धनता की रेखा से भी नीचे धकेल दिया है। भारत में दो प्रकार की संस्थापित निर्धनता है—आर्थिक और सामाजिक। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कुछ अन्य बहुत पिछड़े वर्गों को आर्थिक और सामाजिक निर्धनता, दोनों से बहुत नुकसान पहुँचा है। इस वर्ग को दोनों प्रकार की निर्धनताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उच्च और मध्यम वर्ग की जातियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक दृष्टि से चाहे नीचे न हों, परंतु वस्तुतः बहुत ही निर्धन हैं। सामाजिक निर्धनता को हल करने के बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण यह रहा है कि जिन जातियों के साथ सामाजिक रूप से भेदभाव बरता जा रहा है, उनके लिए आरक्षण प्रणाली तैयार की जाए। कुछ हद तक आरक्षण योजनाओं से सामाजिक रूप से वंचित लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाने में मदद मिली है, तथापि इस नीति से उन लोंगो में से एक छोटा वर्ग अधिकांश लाभ प्राप्त करने में सफल हुआ

है तथा वे अधिकांश लोग पिछड़ गए हैं जिन्हें अपने बचाव के लिए प्रतिदिन सामाजिक दमन सहन करना पड़ता है।

इस अवधि के दौरान आरक्षण नीति से उस काल में और उन राज्यों में अधिक तनाव और संघर्ष नहीं हुए जिनमें आर्थिक विकास की दर काफी रही है। लेकिन अपेक्षाकृत उन 14 राज्यों में, जहाँ विकास की गति अवरुद्ध है, और लोगों में वितरण हेतु रोजगार और लाभ बहुत कम हैं, आरक्षण नीति समाज में दरार पैदा कर रही है और इसके फलस्वरूप वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। अतः अब समय आ गया है जब किसी ऐसे वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार किया जाए, जिससे उन व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, संरक्षण और आरक्षण प्राप्त हो सके जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तथा उन व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए जो अभी भी सामाजिक निर्धनता से पीड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर राष्ट्रीय मतैक्य तैयार करने का प्रयत्न करेगी, ताकि किसी ऐसी वैकल्पिक प्रणाली का विकास हो सके, जो आर्थिक और सामाजिक निर्धनता की चुनौती का एक साथ मुकाबला करने में सक्षम हो। आँख मूँदकर आरक्षण नीति को स्वीकार या अस्वीकार करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि इससे समाज और अधिक विभाजित होता जा रहा है। प्रोन्नतियों एवं आरक्षण से संबंधित नीतियों में दक्षता, प्रतिभा एवं निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए भेद किया जाना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी बिना नए संघर्षों को जन्म दिए, सामाजिक समानता स्थापित करने का यत्न करेगी। यदि कोई समाज अस्पृश्यता या किसी अन्य प्रकार के सामाजिक भेदभाव को बरदाश्त कर लेता है, तो वह भविष्य में कभी स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता।

जातिवादी शक्तियों को अधिक राजनीतिक महत्त्व देने से आज भारतीय समाज का ढाँचा क्षीण होता जा रहा है। अतः उन सभी राजनीतिक आचरणों या कानूनों का अधिक शक्ति से मुकाबला करना होगा, जो जाति संबंधी चेतना को उभारते हैं। गांधीजी ने बहुत पहले हमें आगाह किया था कि यदि भारतीय समाज अपनी जाति प्रथाओं को जारी रखता है तो वह स्वयं अपनी परिपाटियों और बाहरी हमलों का शिकार हो जाएगा। जो यह कहते हैं कि जातिवाद को हमारे धर्मग्रंथों की मान्यता प्राप्त है, वे उसका सही अर्थ नहीं लगाते। यदि अतीत में जातिवाद ने कोई ठोस भूमिका निभाई भी थी तो अब वह भूमिका समाप्त हो गई है

और जातिवाद को अधिक राजनीतिक स्वरूप देना वस्तुतः भारतीय समाज को विभाजित बनाए रखने का अचूक उपाय है। ऐसे राजनीतिक दल, जिनका आधार ही जातिवाद है, लोकतांत्रिक और समतावादी राजनीतिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति और राजनीतिक प्रयोजन के लिए जाति संबंधी अपनी पृष्ठभूमि या संबद्धता का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

8. आर्थिक संकट

आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्र अत्यधिक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। कांग्रेस शासन के तीस वर्षों में एक ओर तो घोर दरिद्रता फैली है तो दूसरी ओर घृणास्पद समृद्धि को बढ़ावा मिला है। पूर्ववर्ती चरणों में विकास दर, निवेश, मूल्य-नियंत्रण के मामलों में जो सफलताएँ मिली थीं, वे अब समाप्त हो गई हैं। आज मुद्रास्फीति का दानव निर्धनों, श्रमजीवी वर्ग और मध्यम वर्ग के सामने मुँह बाए खड़ा है और लघु क्षेत्र आदि के मंथर विकास के रूप में दिखाई देनेवाली आर्थिक मंदी वस्तुतः आर्थिक संकट का एक स्थायी स्रोत बन गई है। बेरोजगारी, विशेष रूप से शिक्षित युवकों में, कम होने के बजाए बढ़ रही है।

लगभग सभी अर्थशास्त्री भारतीय योजना और विकास के अनुभव को 1965 को विभाजन रेखा मानते हुए दो स्पष्ट अवधियों में विभाजित करते हैं— (1) नेहरू-शास्त्री का युग, और (2) इंदिरा गांधी का शासन काल। इन अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि जब से श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई हैं, विकास दर में निरंतर ह्रास हुआ हैं। औद्योगिक विकास घटा है और रोजगार पैदा करने की दर में तेजी से गिरावट आई है। दूसरी ओर नेहरू युग की तुलना में मूल्यों में औसतन ढाई गुना वृद्धि हुई है। संकट का सामना करने और गिरावट को रोकने के बजाय श्रीमती गांधी ने उत्तरोत्तर बाजीगरी हथकंडे अपनाकर जनता को भरमाने की कोशिश की। जनता पार्टी का कार्य इस दिशा में काफी अच्छा रहा, लेकिन यह दावा नहीं किया जा सकता कि जनता शासन की इस अल्प अवधि में 1977 से पूर्व की अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को निश्चित रूप से बदल दिया गया। अनेक संकट फिर से मँडरा रहे हैं और श्रीमती गांधी अब फिर अपने पुराने हथकंडों पर उतर आई हैं।

9. ऊर्जा संबंधी समस्याएँ तथा नीतियाँ

ऊर्जा संकट अन्य समस्याओं की तुलना में सबसे विकट है और इस संबंध में सरकार की कोई सार्थक नीति नहीं है। जनता सरकार ने ऊर्जा के संबंध में एक समिति नियुक्त की थी। योजना आयोग ने उपयोगी सुझाव दिए हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रति कांग्रेस (इ) सरकार का दृष्टिकोण राजनीति से प्रेरित है और इसके लिए देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बल देगी कि केवल सरकारों के बीच हस्ताक्षरित ठेकों के अधीन तेल खरीदा जाए।

तेल के आयात के अतिरिक्त, भारत को व्यापक ऊर्जा के संतुलित उपभोग की आवश्यकता है। ऊर्जा की बचत तथा भूमि की उर्वरा-शक्ति के संरक्षण के लिए कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम उर्वरकों के साथ-साथ प्राकृतिक कंपोस्ट खाद्य का उपयोग भी किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बल देगी कि सरकार जल-विद्युत्, ताप-विद्युत् एवं परमाणु ऊर्जा के संतुलित विकास के कार्यक्रम का अनुसरण करे। बहुत अधिक घाटे में चल रही विद्युत् परियोजनाएँ किसी केंद्रीय निगम को सौंप दी जानी चाहिए। विद्युत् उपभोक्ताओं एवं उच्च शक्तिवाले उद्योगों को ऊर्जा की पूरी कीमत अदा करनी चाहिए और इसी प्रकार प्रबंधकों को भी अपनी विफलताओं की पूरी कीमत चुकानी चाहिए।

10. आयोजना

भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट मूलतः दोषपूर्ण नियोजन तथा कुप्रबंध के कारण उत्पन्न हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के पश्चात् जिन संस्थाओं की शक्तियों तथा प्राधिकारों में कमी आई है, उनमें से योजना आयोग भी एक है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि स्व. नेहरू तथा देसाई के अधीन योजना आयोग को जो स्वतंत्र दर्जा प्राप्त था उसकी तुलना में नया आयोग केवल सरकारी नीतियों पर मुहर लगानेवाला तंत्र बनकर रह गया है।

गत तीस वर्षों में योजनेतर परिव्यय के रूप में ऐसा अपव्यय किया गया है कि जिससे बजट में घाटे की राशि में निरंतर वृद्धि होती गई है। योजना आयोग को न केवल संसाधनों के आवंटन का कार्य, बल्कि अपव्यय तथा अनावश्यक व्यय में कमी लाने के लिए योजना के अलावा व्यय पर नियंत्रण करने तथा उसकी देखरेख का कार्य भी सौंपना होगा। हाल के वर्षों के दौरान योजना व्यय की तुलना में योजनेतर व्यय में वृद्धि होती

रही है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला है। अनुत्पादक तथा गैर-योजना व्यय पर रोक लगाने के लिए योजना-व्यय तथा गैर-योजना व्यय में एक प्रकार का संतुलन स्थापित करना होगा। यह कार्य केवल एक ही प्राधिकरण को सौंपना होगा, जो केवल योजना आयोग ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आयोग की शक्तियों तथा उसके अधिकारों को बहाल करेगी, ताकि आयोग संसाधनों का अधिक न्यायसंगत उपयोग कर सके तथा यथाशीघ्र विकास, रोजगार एवं आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी छठी पंचवर्षीय योजना प्रारूप में प्रस्तुत नीति को स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि अर्थव्यवस्था संबंधी योजना के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति होनी चाहिए। छठी योजना के प्रारूप का उद्देश्य यह था कि आर्थिक विकास की उच्च दर तथा पूर्ण रोजगार की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जाए तथा देशवासियों की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ। राजनीतिक प्रयोजनों के लिए उद्देश्य में परिवर्तन करने के सत्तारूढ दल के प्रयासों से अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तथा तेजी से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का संकट और भी गहरा हो जाएगा, जिसका हमें पहले से ही सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस (इ) के तथाकथित बीस-सूत्री कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जो छठी योजना के मसविदे में शामिल न की गई हो। यदि कांग्रेस (इ) पार्टी राजनीतिक उद्देश्यों के कारण कोई योजना बनाने पर बल देगी तो भारतीय जनता पार्टी एक वैकल्पिक योजना तैयार करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों को आमंत्रित करेगी।

11. औद्योगिक नीति

भारतीय जनता पार्टी उद्योग, व्यापार अथवा कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण के पूर्णतया विरुद्ध है। भाजपा का विश्वास है कि उद्योग के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को संरक्षण प्रदान करने तथा आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के लिए सुदृढ़ सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिफारिश करती है कि सरकारी क्षेत्र के जिन उद्योगों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसी भी प्रकार की रुग्णता पैदा हुई है, उन्हें संयुक्त क्षेत्र को सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि नए प्रबंध के अधीन उनके कामकाज में सुधार लाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का मत है कि देश में खपत के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माता

उद्योगों का और अधिक विस्तार लघु तथा मध्यम श्रेणी क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

वृहत् स्तर उपभोक्ता वस्तु उद्योग का और विस्तार केवल (क) निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और (ख) संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए विभिन्न उद्योगों के बीच आवश्यक संयोजन करने के लिए ही सीमित रखना चाहिए। लघु उद्योगों का विस्तार क्रमशः नए क्षेत्रों में होता जाएगा और इसके साथ-साथ बड़े उपभोक्ता सामग्री उद्योग को इन क्षेत्रों में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक पूर्ण रोजगार न प्राप्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जिन दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, किंतु उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी, वे हैं—लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विपणन सुविधाओं और संगठन का राष्ट्रव्यापी विकास तथा दूसरा, स्वरोजगार क्षेत्र के लिए नीति की रचना। दूसरा पक्ष तो काफी लंबे अर्से से उपेक्षित पड़ा है। कोई भी औद्योगिक ढाँचा आत्मपोषी पूँजीगत क्षेत्रों के सहयोग के बिना जीवन-क्षम नहीं हो सकता। कांग्रेस शासन के अंतिम वर्षों में पूँजीगत माल क्षेत्र को उपेक्षित किया गया। वह अब आधारभूत सुविधाओं के निरंतर अभाव के रूप में परावर्तित हो रहा है। इसके साथ-साथ अर्थव्यवस्था के पूँजीगत वस्तु क्षेत्र के आधार गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में सुदृढ़ बनाए जाने चाहिए। केवल उस प्रकार के विदेशी सहयोग अथवा विदशी पूँजी तथा प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे एक मजबूत अनुसंधान तथा विकास आधार तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तैयार करने में सहायता मिलती है।

12. विज्ञान एवं प्रविधि

भारत का अपना वैज्ञानिक एवं तकनीकी परंपराओं के गौरवशाली अतीत के प्रति अभिमान युक्तिसंगत है। मध्य युग तक ये परंपराएँ बलवती रहीं तथा निर्बाध रूप से विकसित होती रहीं, परंतु मध्य युग के पश्चात् इनका ह्रास प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने पुनः अपनी सुप्त वैज्ञानिक चेतना को जाग्रत करने का प्रयत्न किया तथा आज यह विश्व की तृतीय वैज्ञानिक जनशक्तिवाला देश बन गया है। इतना होने पर भी भारत आयातित तकनीकी पर बहुत अधिक निर्भर है। हम अपने निजी अनुसंधान एवं अभिकल्पना का विकास नहीं कर पाए। दुर्भाग्य है कि हमारे श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों एवं शिल्पियों का दूसरे देशों में पलायन होता

जा रहा है। वैज्ञानिक संस्थाओं का संचालन वैज्ञानिकों द्वारा न होकर कतिपय छद्म अतिवादियों, सामंती मस्तिष्कों अथवा विशिष्ट राजनीतिक चिंतन से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। सरकार के पास न तो कोई समेकित विज्ञान नीति है और न ही प्रविधि संबंधी किसी सार्थक नीति का विकास किया गया है। इसके अभाव में हमारे उद्योगों का विकास दुष्प्रभावित हुआ है। जटिल सुरक्षा उपकरणों को हम अभी भी बाहर से ही खरीद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार के निर्माण को उच्चतम वरीयता देगी। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक तथा प्राविधिक नीतियों में इस प्रकार तालमेल बैठाया जाना चाहिए कि कम-से-कम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन हो सके।

13. भूमि-सुधार तथा भूमि संबंधी पुनःसंरचना

भूमि-सुधारों की अपनी भूमिका है, परंतु वे भूमि संबंधी पुनःसंरचना का स्थान नहीं ले सकते। हमें आज केवल सुधारों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कृषि का पुनर्गठन इस ढंग से करने की आवश्यकता है कि जिन लोगों के पास लाभकारी जोतें नहीं हैं अथवा जिनके पास भूमि नहीं है, उनका इस ढंग से संयोजन किया जाए कि उत्पादन, रोजगार तथा परिसंपत्ति सृजन की दृष्टि से वे अपनी आर्थिक जरूरतों को अधिक-से-अधिक पूरा कर सकें। भारतीय जनता पार्टी कृषि के लिए निर्धारित ऋण का पचास प्रतिशत छोटे तथा सीमांत किसानों को तथा उन क्षेत्रों को दिए जाने की गारंटी पर बल देगी जो गैर-कृषि रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे।

हमें न केवल भूमि सुधारों से भूमि संबंधी पुनःसंरचना की ओर बढ़ना है बल्कि हमें उससे बहुत आगे तक बढ़ना है, ताकि हम ग्रामीण-शहरी द्वंद्व की कड़ियों को तोड़ सकें, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए अथवा विकास के लाभ गिने-चुने ग्रामीण तथा शहरी अमीर लोंगों को पहुँचाने के लिए जन्म दिया है। कृषि के लिए यह संभव नहीं है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध करा सके और न ही महानगरों में रोजगार पैदा करना संभव हो सकेगा, क्योंकि महानगरों के सामाजिक आधार के ढाँचे पर पहले ही बहुत अधिक बोझ पड़ चुका है। करोड़ों लोग पहले से ही गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। विकास की हमारी नीति इस प्रकार के मध्यवर्ती शहरों के विकास पर बल देगी,

जो न केवल कृषि के लिए सेवाएँ तथा उत्पादन उपलब्ध कराएँगे बल्कि गैर-कृषि के रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। इन शहरों में पूँजी निवेश को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उन कंपनियों पर कर लगाने के पक्ष में नहीं है, जो इन शहरों में निर्दिष्ट गतिविधियों में पूँजी लगाएँगी। आर्थिक विकास संबंधी नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न इलाकों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करना होगा। असमान आर्थिक विकास राजनीतिक समस्याएँ उत्पन्न करता है और कई बार यह समूचे भारतीय समाज तथा राजतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

14. गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम

कांग्रेस द्वारा विकास की उपलब्धियों का ढोल पीटने के बाद भी, अभी तक गरीबी और विषमता की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया जा सका है। अब उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं के समाधान को उच्चतम वरीयता प्रदान करने का संकल्प लेती है एवं इसके लिए वह गरीबों की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को और विस्तृत रूप प्रदान करेगी। छठी योजना के प्रारूप में इनमें से कुछ कार्यक्रमों को 'न्यूनतम आवश्यकता-कार्यक्रम' के अंतर्गत परिभाषित किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी योजना आयोग से माँग करती है कि इन कार्यक्रमों, विशेषकर अंत्योदय, काम के बदले अनाज, सस्ते मकान, पौष्टिक आहार, ग्रामीण पेय-जल योजना, प्रौढ़-शिक्षा, प्राथमिक स्थास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण आदि का विस्तार करे। ऐसा लगता है कि तथाकथित बीस सूत्री कार्यक्रमों के प्रचार करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार दुर्बल वर्ग के लिए आवश्यक इन कार्यक्रमों को समाप्त करने पर उतारू है। भाजपा इन कार्यक्रमों को परस्पर विरोधी नहीं मानती। हम निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए किसी भी कार्यक्रम के क्षेत्र के विस्तार का सदा स्वागत करेंगे।

15. केंद्र-राज्य संबंध

भारत एक अर्द्ध-संघीय राज्य है। संविधान के निर्माताओं ने राज्यों को पर्याप्त शक्तियों के अंतरण के साथ-साथ सुदृढ़ केंद्रीय प्राधिकरण का एक अत्यधिक विवेकपूर्ण गठबंधन तैयार करने का प्रयास किया था।

अधिनायकवादी शक्तियों के उत्थान का एक सुदृढ़ केंद्र के साथ कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़ केंद्र पसंद करती है, लेकिन अधिनायकवादी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि कमजोर केंद्र में ही भ्रष्ट एवं अधिनायकवादी होने की प्रवत्ति होती है। परंतु कोई सुदृढ़ केंद्र स्वतः ही यह सुनिश्चित नहीं करता कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा। केवल राजनीतिक प्रयोजनों के लिए 1975 में जो कुछ किया गया था उससे तथा हाल ही में अनेक विधानसभाओं को भंग किए जाने से, हमें केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष के खतरे का संकेत मिलता है। अनेक क्षेत्रों में आर्थिक तथा सामाजिक विकास सरकार तथा लोगों की निकटता पर निर्भर करता है, इसलिए राज्य के पास पर्याप्त शक्तियाँ होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब राष्ट्रीय शक्तियों का आधार व्यापक हो। आज की परिस्थिति में राष्ट्र शक्ति का आधार संकुचित होता जा रहा है। पृथकतावादी शक्तियाँ तभी अपना सिर उठाती है जब केंद्र अथवा राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, या राष्ट्रीय शक्ति का आधार संकुचित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर केंद्र पर विश्वास नहीं करती, परंतु वह यह भी नहीं चाहती कि अपनी अकुशलता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक वैधता में कमी को छिपाने के लिए केंद्रीय सरकार राज्यों की शक्तियों को हड़प ले। भारत में अधिकांश बड़े राज्य, जो अपेक्षाकृत कम विकसित हैं, कुशल प्रशासन एवं समन्वित नियोजित विकास के लिए क्षमता से अधिक विशालकाय भी हैं। सामान्य तौर पर इससे देश का अनुभव यह रहा है कि बड़े राज्यों में से छोटे राज्यों का निर्माण किए जाने पर विकास की गति त्वरित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी छोटे किंतु जीवनक्षम राज्यों के निर्माण का समर्थन करती है तथा इस विषय पर सहमति निर्माण करने का प्रयास करेगी, जिससे राज्यों का क्षेत्रीय रूपांतरण निर्विघ्न रूप से किया जा सके।

16. विकेंद्रीकरण

जब तक राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को शक्ति का और अंतरण नहीं किया जाएगा तब तक केंद्र और राज्यों के संबंध में तनाव बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे सांविधानिक संशोधन के लिए कार्य करेगी जिसमें स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों द्वारा मनमाने तौर पर उनके अतिक्रमण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें राज्य

सरकारों के वित्तीय कार्य और शक्तियाँ दिलवाई जाएँगी। शक्ति के वितरण को एक ही शृंखला की अलग अलग कड़ी समझा जाना चाहिए, जिसमें कोई भी कड़ी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि सारी जंजीर कमजोर पड़ जाए। तथापि ध्यान रखने की बात यह है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण अपने में साध्य न होकर प्रजातंत्र, विकास और जनसहयोग प्राप्त करने के उपकरण भी हैं। भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज्य के संबंध में 'अशोक मेहता समिति' के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के बारे में सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचार-विनिमय की माँग करती है।

17. शिक्षा

भारतीय जनता पार्टी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में सुधार ही नही वरन् उसमें आमूलचूल परिर्वतन करने पर बल देगी, क्योंकि इस प्रणाली में इस समय चंद लोंगों को ही फायदा होता है। शिक्षा को आधुनिक समाज और अर्थ नीति के साथ ही भारतीय जीवन-मूल्यों और परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा इत्यादि को एक ही जंजीर की कड़ी मानना चाहिए। भाजपा एक व्यापक शिक्षा प्रणालीवाली सर्वजन-सामान्य-स्कूल-पद्धति का विकास करेगी। शिक्षा के उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे अकुशल तथा अशिक्षित जनता को लाभकर और कुशलता प्रदान करनेवाली शिक्षा दी जा सके।

भारतीय जनता पार्टी स्कूली शिक्षा को निःशुल्क बनाने का प्रयत्न करेगी। गांधीवादी आदर्शों के अनुसार गरीब परिवार के मेधावी छात्रों को छोड़कर बाकी के लिए कॉलेज की शिक्षा का व्यंय उसी में से निकालना चाहिए। ज्यादातर छात्रों को व्यावसायिक कॉलेजों में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि अधिकांश छात्र जब विद्यालयों से बाहर निकलें तब उन्हें फौरन रोजगार मिल सके। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा दो धाराओं में होनी चाहिए, ताकि जो लोग उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा सकते या जिनमें इस प्रकार की योग्यता नहीं है उनकी शिक्षा वहीं समाप्त हो जाए। तथापि ध्यान रखने की बात यह है कि शिक्षा की ये दोनों धाराएँ आपस में मिली हुई हों। तकनीकी शिक्षा केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती। तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित बहुत बड़े समुदाय का उपयोग उद्योग करते हैं, इसलिए उद्योंगों से कहा जाएगा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के साथ उनका सहयोग हो, जिससे तकनीकी शिक्षा को प्रासंगिक बनाया

जा सके, और जो अंतराल है उसे भरा जा सके।

भारतीय जनता पार्टी उच्च शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेगी और इसका उद्देश्य शिक्षा को रोजगार उन्मुख करना ही नहीं वरन् उसमें एक संतुलन कायम करना है, ताकि प्रतिभा के पलायन को रोका जा सके। हमारे देश में मध्यम दर्जे की तथा छोटे किस्म की कुशलतावाले विद्यार्थियों की कमी है और इस प्रकार की शिक्षा गरीब के लिए हितकर हो सकती है। अतएव जहाँ हम एक ओर अत्यधिक कुशल लोगों को तैयार करना चाहते हैं वहीं हम मध्यम और छोटे किस्म की कुशलताओं की अवहेलना नहीं कर सकते। देश उन लोगों की शिक्षा पर धन खर्च करने की स्थिति में नहीं है जो उच्च शिक्षा के बाद विदेश चले जाते हैं; यह भी ध्यान नहीं रखते कि विदेशों में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। अतः हमारी शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार का रूप देना होगा कि जिसमें विद्यार्थियों को उन कुशलताओं में प्रशिक्षित किया जा सके, जिनसे उन लोंगों को देश में लाभकर काम मिल सके और जिनमें देश का भी हित हो।

18. महिलाएँ

महिलाओं और पुरुषों में समानता की भारतीय परंपरा द्वारा अभिकल्पित एवं अनुमोदित स्थिति महिलाओं को पुनः प्राप्त कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी वचन देती है। महिलाएँ आज हमारे समाज का सर्वाधिक शोषित वर्ग हैं, और हाल के वर्षों में उनके प्रति हिंसा की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। दहेज विरोधी कानूनों के बाद भी आए दिन महिलाओं को जलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए अभियान छेड़ेगी। हमारा विश्वास है कि सर्वश्रेष्ठ समाधान तो महिलाओं द्वारा स्वयं संगठित होने में ही है। वस्तुतः महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक परतंत्रता ही उसके शोषण का मूल कारण है। स्त्री और पुरुष में समानता तो है, पर समरूपता नहीं है। अतः भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों यथा—शिक्षा, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना, कामगार महिलाओं के आवास एवं निर्धन कामगार महिलाओं के लिए शिशु–सदनों की स्थापना आदि, को तेजी से चलाएगी। महिलाओं की सुरक्षा का एक और उपाय उनके लिए अनुकूल कार्य–क्षेत्रों में रोजगार–क्षमता को अधिकाधिक विस्तृत करना भी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाएगी—

(क) महिलाओं को अपने बचाव के लिए संगठित करना,
(ख) उनके लिए रोजगार एवं कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, तथा
(ग) महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों में कठोर दंड का प्रावधान करना।

19. युवक

भारत की जनसंख्या की संरचना में पिछले कुछ समय से परिवर्तन हो रहे हैं। युवकों की संख्या का अनुपात हमारे देश में अपेक्षाकृत ऊँचा है और आनेवाली कुछ दशाब्दियों तक स्थिति ऐसी ही रहने की आशा है। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास की व्यूह रचना युवकों की आवश्कताओं को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी, अर्थहीन शिक्षा, दिशाभ्रम एवं पॉप संस्कृति के आक्रमण से अपना बचाव न कर सकने के कारण आज का युवक निरंतर हताश एवं निरुत्साहित होता जा रहा है। भाजपा युवकों की विशाल क्षमताओं का सदुपयोग विकास की चुनौतियों का सामना करने, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने, एवं पारिवारिक समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु करने को प्रतिबद्ध है।
भाजपा युवकों को रोजगार की गारंटी देनेवाले कार्यक्रमों का विकास करेगी और उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में युवक प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरे की व्यवस्था करेगी। पार्टी के पास युवकों का विशाल संगठन है और वह कामगारों, शिक्षित युवकों, ग्रामीण युवकों और युवतियों के सुदृढ़ संगठनों द्वारा इस शक्ति का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण में करेगी।

20. विदेश नीति

भारतीय क्षितिज पर विदेशी खतरे इतने भयानक रूप में पहले कभी नहीं मँडराए जैसे कि आज मँडरा रहे हैं। एक महाशक्ति ने एक छोटे से देश को निर्ममतापूर्वक हड़प लिया और किसी ने चूँ भी नहीं की। अन्य महाशक्तियों की प्रतिक्रिया तो भारत के चारों तरफ अपनी सैन्य-शक्ति के जमाव में वृद्धि के रूप में हुई है। इस बात की प्रबल संभावना हो गई है कि तीन महाशक्तियाँ और उनके आश्रित अपने सशक्त सैन्य बल से भारत की इस प्रकार घेराबंदी कर लेंगे कि हमारे मुख्य शहर उनके प्रहार की सीमा के अंदर आ जाएँगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इस चुनौती का सामना करने में असफल रही है। जनता सरकार द्वारा विदेश-नीति

में किए गए सुधारों को एक-एक करके नकारा जा रहा है। जनता सरकार ने अपने पड़ोसियों में आत्मविश्वास जगाने की जो चेष्टाएँ की थीं, उन्हें महाशक्तियों को प्रसन्न करने के लिए छोड़ा जा रहा है।

भाजपा वास्तविक गुट निरपेक्षता की उसी नीति का अवलंबन करेगी जिसे जनता शासन ने अपनाया था और विश्व शांति की स्थापना एवं विवेकपूर्ण राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगी।

हमारे मत में, अपने निकटवर्ती देशों, यथा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बाँग्लादेश एवं भूटान से संबंधों में सुधार जनता शासन की विदेश नीति की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। भाजपा अपने पड़ोसियों के साथ परस्पर लाभकारी संबंधों के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगी, दक्षिण एशिया के सभी देशों के समान हितों में क्षेत्रीय सहकार को बढ़ावा देगी तथा दक्षिण-पूर्व एवं पश्चिम एशिया में भी ऐसे ही उपक्रमों का समर्थन करेगी। पार्टी हिंद महासागर में विदेशी सेना की उपस्थिति से मुक्त शांति क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रयत्न करेगी तथा दक्षिणी अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन को पूर्ण समर्थन देगी।

भाजपा ऐसे अंतरराष्ट्रीय वातावरण के निर्माण की चेष्टा करेगी जो राष्ट्रों में मुक्त रूप से ज्ञान-विज्ञान एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए सहायक हो। पार्टी नस्लवाद, उपनिवेशवाद के सभी रूपों का डटकर विरोध करती है एवं जहाँ कहीं भी मानवाधिकारों पर आघात होगा वहाँ उनके बचाव के लिए सक्रिय सहयोग करेगी।

25 वर्ष

भारतीय जनता पार्टी